सूचीपत्र

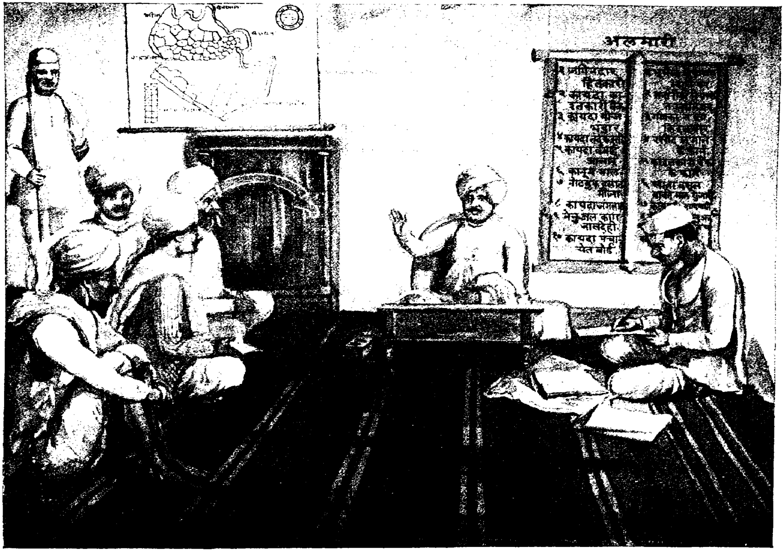
ज़मींदार हितकारी.

तसवीरों की फ़ेहरिस्त.

चित्र (तसवीर). पृष्ठ.

(नक़शे.)

जमींदार की कचहरी।



बाब १.

तमहीद.

हिदायतनामा ज़मींदारान.

बाब १.

तमहीद.

१. जानना चाहिये कि वही शख़्स भलामानस और अच्छा ज़मींदार, मालगुज़ार या नम्बरदार समझा जावेगा और उसीकी दरबार से इज़्ज़त होगी जो अपने काम में दिल लगाके गांव या मज़रा, या जिसक़दर ज़मीन जो उसे किसी शर्त पर किसी मुद्दत के लिये दी जावेगी उसे जोतकर पूरी पूरी आबाद करके दिखलायगा.

अच्छे ज़मींदार की तारीफ़.

ज़मींदार का दर्जा और काम क़रीब क़रीब उतनेही महत्व का है जितना कि एक ज़िले के हाकिम का है. ज़मींदार का काम सिर्फ़ यही नहीं है कि अपने ज़रूरत के लायक़ ज़मीन जोतकर या जितनी पहिले से जुती चली आई है उतनीही ज़मीन जोतकर निश्चिन्त हो बैठे और रुपया मालगुज़ारी वग़ैरा अपनी ख़ुशी से अदा करे, या मुताबिक़ क़ानून माल हाकिमान माल के तलब, तक़ाज़ा या तम्बीह करने पर दे. ईमानदार व नेक ज़मींदार वही समझा जायगा जो नेक और लोकप्रिय अपने गांव में हो, जो सब के साथ अच्छा बरताव रक्खे, जो अपने वायदों के मुवाफ़िक़ सब के साथ चले और सारी ज़मीन आबाद करने में पूरी पूरी कोशिश ख़ुद करे और अपने आसामियों से करावे.

काम की वसअत.

अक्सर ज़मींदार लोग काश्तकारों के आराज़ी को बदलते रहते हैं, इस नियत से कि वे काश्तकार उस आराज़ी के काश्तकार मौरूसी न होजावें. मस्लन, नम्बर ४२०, ४२१, ४२२ के खेत रामा के पास साल दो साल रखकर फिर वे उससे निकाल लिये और दूसरे खेत नम्बर १५०, १५१ वग़ैरा उसे दिये. इसमें नुक़्सान यह होता है कि काश्तकारों को आयन्दा की उम्मीद नहीं रहती. वे ज़मीन की कमाई में दिल नहीं लगाते, न उसपर पूरी पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम तो एक तरह के गेंद

आसामी का खाता बार बार बदलने से नुक़्सान.

हैं आज यहां तो कल वहां उछाल दिये जावेंगे, फिर काहेको इतनी मेहनत करें. चुनांचे ज़मींदार को यह हमेशा याद रखना चाहिये कि जब काश्तकार खेत को अपना जानेगा तब ही उससे आम्दनी बढ़ाने की कोशिश करेगा और जब उस (आसामी) की आम्दनी बढ़ेगी तो ब हिस्से रसदी ज़मींदार की भी आम्दनी बढ़ेगी. ज़मींदार खुद अकेला ही कुल आराज़ी की दुरुस्ती नहीं करसकता, न कभी उसे ग़ायत दर्जे की तरक़्क़ी को पहुंचा सकता है. इसलिये ज़मींदार को आसामियों की मदद करनी चाहिये और आसामियों को ज़मींदार की. और यह तब ही होसकता है कि उनके आपस में भरोसा व दिलजमई हो.

वह अपने गांव की आम्दनी किस तरह बढ़ा सकता है.

२. हर गांव की आम्दनी बढ़ाने के लिये दो चीज़ों की ज़रूरत है (१) रुपया और (२) मेहनत. रुपये के लिये एक तो सरकार ने पहिले बन्दोबस्त से आजकल के बन्दोबस्त में ज़मींदारान के लिये काफ़ी गुंजायश मालगुज़ारी के क़ायम करने में तजवीज़ की है और दूसरे उनकी मदद के लिये हर तहसील में बैंक काश्तकारी भी जारी करदिये हैं.

नेकनियती. मेहनत वग़ैरा की ज़रूरत.

ऐसी हालत में जबकि रुपये की मदद सरकार से मिल रही है तो लोगों को चाहिये कि मेहनत अच्छी तरह करें और इस रुपये को सोच समझकर खर्च करें. जबतक ज़मींदार दिल लगाकर अपना काम न करेगा और खर्च भी सोच समझकर न करेगा तबतक उसे फ़ायदा नहीं होसकता, अगर ज़मींदार इस तरफ़ तवज्जह करे और साथ फ़िक्र के काम करे तो मुमकिन है कि बहुत कुछ फ़ायदा हो; लेकिन आम्दनी बढ़ाने का कुल दारोमदार ज़मींदार की निगरानी, मेहनत, नेक नियती और काश्तकारों के साथ हमदर्दी करने पर मुनहसिर है.

सरकार ता मियाद पट्टा, पट्टे की रक़म पर बाढ़ा नहीं करेगी.

३. याद रखना चाहिये कि सरकार उस मुद्दत तक कि जिस मुद्दत के लिये किसी पट्टा, क़बूलियत या और किसी क़िस्म के इक़रारनामे के ज़रिये से जो ठहराव होगा उसके निस्बत कोई बाढ़ा (इज़ाफ़ा) मुक़र्रर की हुई रक़म पर नहीं करेगी.

दूसरे वह मुद्दत ऐसी काफ़ी होगी जिसमें मेहनत करने से गांववालों को फ़ायदा बहुत कुछ होसकता है.



बे दखली के मौके.

सिवाय इसके, बाद पूरी होजाने मियाद पट्टेबन्दी के दूसरे को पट्टा उसी सूरत में मिलसकता है और यह दुरुस्त की हुई ज़मीन, यह पैदा की हुई आम्दनी और यह सारी मेहनत उसी वक्त बेकार जासकती है जबकि ज़मींदार पट्टा लेने से इन्कार करे या सरकारी मालगुज़ारी अदा न करे. अगर वह आबादी कम करदेवे या आसामियान को फ़रार होने दे या ज़ुल्म ज़्यादती करे तो नतीजा यही होगा कि गांव वीरान होने पर वह मालगुज़ारी अदा न कर सकेगा और गांव उसके हाथ से चला जावेगा, वर्ना कोई वजह ऐसी जायदाद हाथ से जाने की नहीं होसकती.

जदीद बंदोबस्त में भी गांव के सुधार के लिये ज़मींदार को काफ़ी गुंजायश छोड़ी जावेगी.

४. अलावा इसके जब आगे के बन्दोबस्त में पट्टा दिया जायगा तो काफ़ी रक़म की गुंजायश ज़मींदार के लिये छोड़कर सरकार अपनी मालगुज़ारी कायम करेगी जिससे ज़मींदार को भी मुनाफ़ा रहे और दरबार की आम्दनी भी बढ़ती जाये. नमकहलाल ज़मींदार वही होगा जो आप फ़ायदा उठावेगा और मालिक को भी फ़ायदा पहुंचावेगा.

गलती सुधार लेने का मौका.

मुमकिन है कि किसी वक़्त आंक मालगुज़ारी का क़ायम करने में गलती होजाय लेकिन उसके लिये सरकार ने ऐसे इन्तज़ाम कर रक्खे हैं जिनसे गलती फ़ौरन दुरुस्त होसकती है. शर्त यही है कि ज़मींदार की तरफ़ से किसी क़िस्म की चालाकी न हुई हो या उसने किसी बात को छिपाया न हो (देखो क़ानून बन्दोबस्त).

ज़मींदार के लिये आम्दनी बढ़ाने के क्या ज़रिये हैं.

५. ज़रिये वास्ते बढ़ाने आम्दनी ज़मींदारान व काश्तकारान कई होसकते हैं, जिनमें से चन्द शक्लें यहां बताई जाती हैं:—

(१) बीजभंडार का क़ायम करना.

(२) खाद जमा करके आसामियों को देना.

(३) देहाती बैंक क़ायम करना.

(४) रामबाण लगाना—खेतों के मेंड़ों पर या गोचरों के क़िनारों पर.

खेतों पर लगाने से फ़ायदे.

[अ] खेतों के मेंड़ों पर रामबाण लगाने से यह फ़ायदा होता है कि उनकी वजह से जंगली जानवर या मवेशियान खेती को नहीं बिगाड़ सकते. दूसरा यह फ़ायदा होता है कि उसके रेशों से रस्सियां वग़ैरा क़ीमती चीज़ें बनसकती हैं या रेशा वैसाही बिकसकता है.

गोचरों पर लगाने से फ़ायदे.

[ब] गोचरों के किनारों पर रामबाण लगाने से गोचरों की हद क़ायम होजाती है. दूसरे जानवर बाहर नहीं निकल सकते जिससे खेती का नुक़सान बचता है और बेड़ मवेशी की भी किसीक़दर रोक होसकती है.

बाग़ लगाना.

(५) आम, अमरूद, जामुन वग़ैरा फलों के दरख़्तों का बाग़ लगाना.

दरख़्त लगाना.

(६) दरख़्त लगाना जहां जैसी गुंजायश व मौक़ा हो खेतों की मेंड़ों पर (खेती को नुक़सान न पहुंचाते हुए) गोचर में व ऐसी ज़मीन में जहां पर खेती नहीं होसकती, गांव की सरहद पर, व नदी नालों के किनारों पर ऐसे दरख़्त लगाना जिनकी लकड़ी इमारतों के या आलात काश्तकारी के काम में आसकती है, या जिनके रेशे, फ़ूल, पत्तों, छाल वग़ैरा से तिजारत होसकती है और जिनसे दीगर फ़ायदे भी होसकते हैं. जैसे, जानवरों को साया मिलती है, सरहद की हिफ़ाज़त होती है, जंगलात सरकारी से लकड़ी मांगने की ज़रूरत कम हो जाती है.

तमसीलें:-

शहतूत.

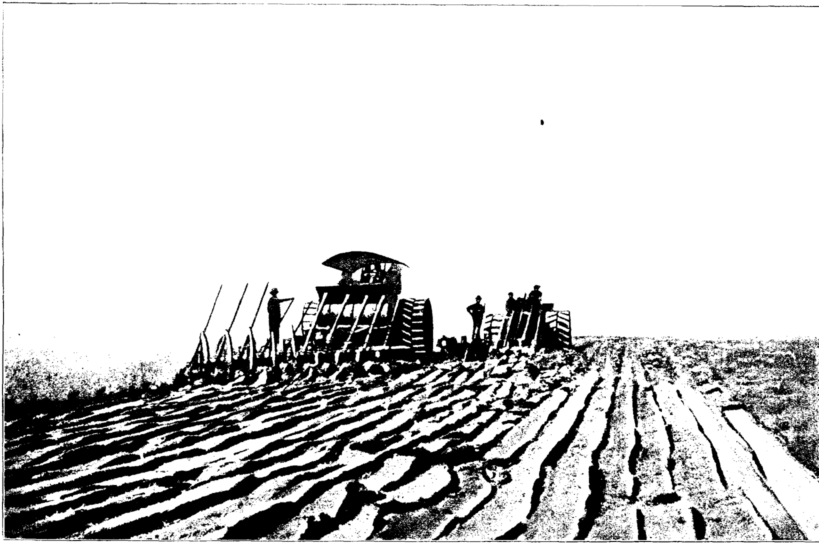
[अ] शहतूत के पेड़ों को लगाने से उसके पत्तों से रेशम के कीड़े पल सकते हैं और रेशम पैदा होसकता है.

पीपल या ढाक.

[ब] पीपल या ढाक के दरख़्त लगाने से उनपर लाख बन सकती है, जिससे बहुत मुनाफ़ा होसकता है.

बबूल.

[क] बबूल लगाने से उसकी छाल अगर काटकर ज़्यादा तादाद में चमड़े के कारख़ानेवालों के हाथ बेचीजाय तो चमड़ा तैयार करने के काम में आसकती है और अच्छे दाम मिल सकते हैं.



Showing "The new method"

जमीन जोतने की नई तरकीब.

[इ] खजूर लगाने से उनके रस से गुड़ और शकर बनसकती है. खजूर.

[ई] बेरी के दरख़्त लगाकर पैवन्द चढ़ाने से बेर की अच्छी पैदावार होसकती है. बेरी.

[फ] दूधी का पेड़ लगाने से उसके दूध से रबर बनसकता है, जोकि बाजारों में बिकसकता है. दूधी.

जमींदारान जो इस तरह अपनी आराज़ी में दरख़्त लगाते हैं उनपर खुद उनको इख़्तियार रहता है जिस तरह चाहें उनको काम में लावें, उनका ताल्लुक़ महकमे जंगलात से नहीं होता. इन दरख्तों का ताल्लुक़ जंगलात से न रहेगा.

(७) अगर गांव की सरहद पर बेरी या बांस के दरख़्त लगाये जांय तो हमेशा के लिये सरहद के झगड़े कम हो जायेंगे. सिवाय इसके बांस व बेरी की झांकड़ कई कामों में भी आसकती है. सरहद पर दरख्त लगाना.

(८) शहद की मक्खियां अगर पाली जावें तो उनसे भी शहद व मोम लिया जासकता है और मुनाफ़ा होसकता है. इंग्लिस्तान और हिन्दुस्तान के उत्तरी पहाड़ों में लोग शहद की मक्खियों को बहुत पालते हैं. शहद की मक्खियां पालना.

(९) उम्दा नस्ल के घोड़े पैदा किये जावें तो उनसे भी फ़ायदा हो सकता है. सरकार हर साल महकमे फ़ौजी व दीगर कामों के लिये घोड़े खरीद करती है और ऐसे घोड़ों की मांग हमेशा बनी रहती है. इस बात का ज़िक्र बाब २० में भी है. घोड़ियां पालना.

(१०) अच्छी नस्ल की गायें रखने से यह फ़ायदा होता है कि अगर गाय, भैंस कम भी हों तो भी दूध और मक्खन बहुत ज़्यादा होसकता है. ऐसी गायों से जो बैल पैदा होते हैं वे भी ताक़तवर होते हैं और अच्छी क़ीमत पर बिक सकते हैं, मसलन, जिला मांटगोमेरी (पंजाब) व सिंध वग़ैरा मुल्कों की अच्छी गायें कम से कम दस सेर दूध देती हैं जिनके दूध की मिक़दार यहां के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा है, और बैल भी मज़बूत और ऊंचे होते हैं, जैसे हिसार के. लेकिन इन गायों का दूध और घी तबही अच्छा होता है जबकि उनको ख़ुराक अच्छी मिले और लीद और मुतारी उन्हें न खिलाई जाय. गाय भैंस पालना.

अकौवा का कपास जमा करना.

(११) अकौवा का कपास जोकि जंगल में हर जगह कुदरती तौर से पैदा होता है वह अगर इकट्ठा किया जाय तो अच्छी क़ीमत पर बिक सकता है.

छोटा छोटी कल चलाना.

(१२) छोटी २ हाथ पैर से काम करने की कलों को काम में लाना. इनकी चन्द किस्मों की तस्वीरें इस किताब में दी हैं. इस किस्म की कलें, गोकि उनकी क़ीमत घटती बढ़ती रहती है ताहम् वह अमूमन सस्ती मिलजाती हैं. इन कलों से गाढ़ा, नाटरपाट, धोती, सूसी (औरतों के लहंगे का नीला कपड़ा), निवाड़, फ़ीता वग़ैरा घर ही में बुने जासकते हैं और बाजार में बिक सकते हैं.

तेल की कल.

(१३) हर गांव में तेली होते हैं अगर वे कलों से काम लेकर तेल निकालें तो वक़्त कम लगेगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी. बनिस्बत देसी कोलुओं के कलों के ज़रिये से जो तेल निकालाजाता है उसकी मिक़दार ज़्यादा होती है और उसकी खली खाद के काम में बखूबी आसकती है.

गन्ने का रस निकालने की कल.

(१४) इसी तरह अगर वे कलों के कोल्हू काम में लावें तो गन्ने का रस निकालने में आसानी रहेगी और रस की मिक़दार भी ज़्यादा होगी. जब रस की मिक़दार ज़्यादा होगी तो शकर और गुड़ भी ज़्यादा होगा.

हर काम के पसंदी का इख़्तियार.

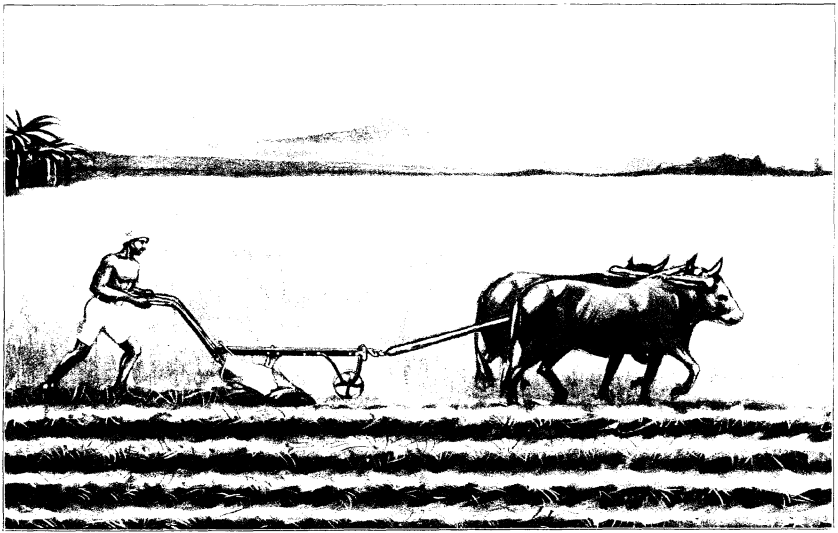
ये ज़रिये आम तौर पर बताये गये हैं, वे केवल ज़मींदार ही के लिये नहीं बताये हैं न केवल काश्तकारों के ही लिये. गांव में सब किस्म के व पेशे के लोग रहते हैं जो जिस ज़रिये से फ़ायदा उठासके उसे इख़्तियार करे. बल्कि इनमें कई काम ऐसे हैं जो उनके घरवाले (औरत व समझदार बच्चे) भी करसकते हैं.

कम समझ लोगों को तवज्जह दिलाना.

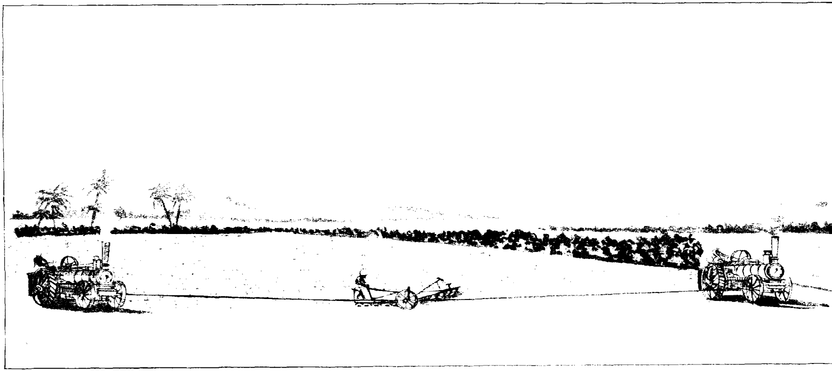
समझदार ज़मींदार व काश्तकारान वग़ैरा इन ज़रियों के फ़ायदे खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं लेकिन वे फ़ायदे कम समझ लोगों के ज़हन में तबतक नहीं आते जबतक कि गांव के मुखिया उनको न समझावें व उनका दिल न बढ़ावें.

ग़लत फ़हमी या सुस्ती का नतीजा.

कोई भी काम हो बग़ैर किये उसका फ़ायदा नहीं मालूम होता. फलां काम से क्या फ़ायदा ? फलां काम तो कुछ नहीं ! ऐसा कहकर उसको न करना अपने हाथ से फ़ायदा खो बैठना है. जो लोग ज़्यादा मेहनत का



रैनसम का हलकी ज़मीन जोतने के लिये हल.



J. & H. McLAREN.   LEEDS, ENGLAND.



एक एंजन से चलनेवाला हल.

लोहे के तार के रस्से.

काम नहीं करसकते या बाहर काम पर नहीं जासकते छोटे छोटे कामों से घर बैठे भी कमाई करसकते हैं.

कई कामों को उनके करने से पेश्तर ही मुश्किल समझकर कई लोग हाथ नहीं लगाते. यह बात अक़्ल के ख़िलाफ़ है. कोशिश करना इन्सान का फ़र्ज़ है, सहायता परमेश्वर की चाहिये, आगे तक़दीर. लेकिन किसी काम का फ़ायदा उठाने के लिये नेक नियती, ईमानदारी, सोच विचार, मेहनत और इन्तज़ाम शुरू से अख़ीर तक बराबर होना चाहिये, नहीं तो जैसा फ़ायदा होना चाहिये वैसा होना मुमकिन नहीं है. काम की कोशिश करना.

६. माली आम्दनी बढ़ाने के लिये चन्द कामों व इन्तज़ामों के करने की ज़रूरत है. मस्लन,— माली आम्दनी बढ़ाने के लिये कौन से काम व क्या इन्तज़ाम करने चाहियें.

(१) हर ज़मींदार को अपने गांव के हर हिस्से ज़मीन से पूरी पूरी वक़फ़ियत होनी चाहिये और हर क़िस्म की ज़मीन से जो कुछ फ़ायदा होसकता है उसको हासिल करना चाहिये, मस्लन,— ज़मीन से हस्ब हैसियत फ़ायदा उठाना.

[अ] आला क़िस्म की ज़मीन—जैसे मार. इसमें गेहूं, गन्ना, कपास वग़ैरा बोना चाहिये. लेकिन इन चीज़ों का ख़ातिरख़्वाह पैदा होना तबही मुमकिन होगा, जब (१) ज़मीन अच्छी तरह से जोती जायगी, (२) खाद अव्वल दर्जे का होगा, (३) बीज अच्छा होगा और (४) पानी भी वक़्त पर दिया जावेगा. खाद अच्छा होने से पेड़ को बढ़ने और नाज के वज़नदार होने में बड़ी मदद मिलती है. आला क़िस्म की ज़मीन से.

बाज़ लोगों का यह ख़याल है कि आबपाशी की कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन यह याद रखना चाहिये कि जिन गावों में आबपाशी के ज़रिये होते हैं उनमें क़हतसाली का असर कम होता है और क़ीमती चीज़ों के पैदा होने के लिये भी आबपाशी ज़रूरी है. मुमालिक आगरा व अवध में गंगा जमना की नहरों से व दीगर कई हिस्सों में जहां कसरत से आबपाशी होती है उसके तुफ़ेल से हज़ारों आदमी मालदार होगये हैं. आबपाशी से फ़ायदा, दीगर मुल्कों की नज़ीर.

क़िस्म दोयम की ज़मीन से.

[ब] क़िस्म दोयम की ज़मीन में मामूली क़िस्म का अनाज होना मुमकिन है, जैसे मक्का, जौ, कोदों, कुटकी, तिल्ली, बाजरा, उड़द वग़ैरह.

नाकिस ज़मीन से.

[क] बाज़ ज़मीन ऐसी होती है कि जहां सिवाय दरख़्त लगाने और घास जमा करने के और कुछ नहीं होसकता. ऐसा कोई हिस्सा ज़मीन का नहीं कि जिससे कोई न कोई फ़ायदा इन्सान उठा नसके. जहां नदी, नाले और सड़कें भी हों तो उनमें भी इस क़िस्म के दरख़्त लगसकते हैं कि जिनसे बहुत कुछ फ़ायदा होसकता है. ज़्यादातर वेही दरख़्त लगाने चाहिये जिनसे आम्दनी आयन्दा हो. इस मुराद के हासिल होने के लिये मेहनत, सब्र और काफ़ी वक़्त की ज़रूरत है.

पंचायती बोर्ड से फ़ायदा उठाना.

(२) आपस का झगड़ा या रोज़मर्रा की जूती पयज़ार भी एक बड़ा कारण है जो गांव की तरक़्क़ी नहीं होने देता. ऐसे झगड़ों के रोकने का उम्दा ज़र्या पंचायत का है. अगर गांव के लोग इस ज़र्या का आसरा करेंगे तो वे बहुत कुछ तवालतों व अदालती खर्चों से बचेंगे, उनके कामों में भी हर्ज न पड़ेगा, वे अपना रुपया, और मौक़ों पर अच्छे अच्छे कामों में लगाकर अपनी तरक़्क़ी करसकेंगे.

बोर्ड कब कामयाब हो सकता है.

पंचायत के काम में कामयाबी होना उसीवक़्त मुमकिन है जब पंच समझ से व ईमानदारी से काम करें. यह मालूम रहे कि पंचायत का नामज़द करना आम व खास पर हसर रखता है. (देखो क़ानून पंचायत.)

वोट समझकर देना चाहिये.

चुनांचे वे अगर सोच समझकर वोट (राय) देंगे तो पंचों का चुनाव अच्छा होकर नतीजा भी अच्छा होगा.

पक्ष न करना, फ़िरका जुदागाना न बनाना, मेलजोल से रहना.

ज़मींदार चूंकि गांव का मुखिया और मुन्तज़िम भी होता है उसको किसी की पक्ष नहीं करना चाहिये, न किसी पक्ष (फ़िरके) में शामिल होना चाहिये. गांव में सबही क़िस्म के लोग होते हैं, चुनांचे हरएक के मिज़ाज व आदत से वाक़िफ़ होकर उसके मुवाफ़िक़ उससे बरताव करना चाहिये.



मेस्टन का हल जिसको गवर्नमेन्ट बंगाल ने महक्मे जराअत को दिया.

हिन्दुस्तानी हल.

इस ग़रज़ से कि सब लोगों में जहांतक होसके अच्छा मेल जोल रहे और गांव के कारोबार खुश असलूबी से अंजाम पावें.

(३) ज़मींदार को चाहिये कि आप भी वक़्त की क़दर करे और गांववालों को भी इसके फ़ायदे समझा देवे ताकि उनको भी वक़्त पर काम करने की आदत होजावे क्योंकि पैसे से वक़्त ज़्यादा क़ीमती है. मिसालें:-- वक़्त की क़दर करना.

[अ] काश्तकार का ज़मींदार को वक़्त मुक़र्ररा पर लगान देना.

[ब] वक़्त मुक़र्ररा पर खाद और बीज का इन्तज़ाम करना.

[क] वक़्त मुनासिब पर बोनी करना, काटना और फ़ुर्ती के साथ अनाज निकालकर खलियान से उठा लाना.

[ड] जो वक़्त उनको रबी और खरीफ़ दोनों फ़सलों के कटजाने पर और उनके हिसाब किताब से फ़ुरसत होजाने पर मिलता है उसमें बंजर नौतोड़ करने के सामान को जमा करना और जोतनेवाले आसामी, हल, बैल, बीज वग़ैरा की तजवीज़ कर रखना, और जिस ज़मीन को नौतोड़ करने का इरादा हो उसके कंकर, पत्थर, झाड़ झड़ूले निकालके उसे साफ़ कर रखने में लगाना चाहिये. इससे यह होगा कि जुताई का समय आते ही बिला फ़िज़ूल वक़्त जाने के वे काम शुरू करसकेंगे. वक़्त फ़ुरसत को काम में लाना.

जब आदमी फ़ुर्ती से काम नहीं करता तो वक़्त फ़िज़ूल जाता है, मस्लन एक कुंवा है जो गांव से या घर से ४०० गज़ पर है, अब घर से उस कुंवे तक जाने में अगर एक घंटा लगा दिया तो समझने की बात है कि कितना वक़्त फ़िज़ूल गया और दूसरे काम में हर्ज कितना पड़ा. ऐसी कई मिसालें दी जासकती हैं जिनसे यह उमूलन करके बतलाया जासकता है कि फ़िज़ूल वक़्त जाने से (जो बायस सुस्ती या लेतलाली का है) क्या क्या नुक़सान होते हैं. जब काम वक़्त पर होगा तो सबको आराम, फ़ायदा माली और जिस्मानी मिलना और होना लाज़मी है. फ़ायदे से मुराद नफ़े ज़र से है. काम फ़ुर्ती से करना.

आराम जिस्मानी से मुराद वक़्त पर सोना, खेलना, खाना, आपस में बोलना वग़ैरा से है.

माल अच्छे भाव से बेचना.

(४) ज़मींदार को अपने गांव के माल को नज़दीकी हाट या मंडी में अच्छे भाव से बेचने की कोशिश करनी चाहिये. उसे यह भी दर्याफ्त करना चाहिये कि कौन कौनसी चीज़ें किन मंडियों में अच्छे भाव से बिक सकती हैं और वहां अपनी चीज़ों को फ़ायदे से बेचने की तजवीज़ करनी चाहिये या इस काम के लिये आढ़तिये मुक़र्रर करने चाहियें, क्योंकि इन बातों की वक़फ़ियत आढ़तियों के ज़र्ये से अच्छी तरह होसकती है.

ज़र्ये आमद रफ्त अच्छी हालत में रखना.

(५) तिजारत के लिये अच्छी सड़कों का और अच्छी गाड़ियों का होना ज़रूरी है. अच्छी सड़कों के होने से डाक के आने जाने में आसानी रहती है, माल की निकासी और ब्योपारी, महाजन, आढ़तिये वग़ैरा का सफ़र बहुत जल्द होता है. जहां सड़कें नहीं होती हैं वहां लोगों का आना जाना ख़ासकर बरसात में अक्सर बन्द रहता है, लेकिन जहां सड़कें होती हैं वहां किसी मौसम में बन्द नहीं रहता.

सड़कें अच्छी न रखने से नुक्सानियां.

जिस गांव में सड़कें अच्छी नहीं होती और लोग गाड़ियों पर ग़ल्ला या असबाब लादकर उन्हें इधर उधर लेजाते हैं उस गांव में सड़कों के न होने की वजह से गाड़ियां अक्सर टूटती रहती हैं, इससे ज़मींदारों का बार बार गाड़ियों के बनाने में ख़र्च बहुत होजाता है.

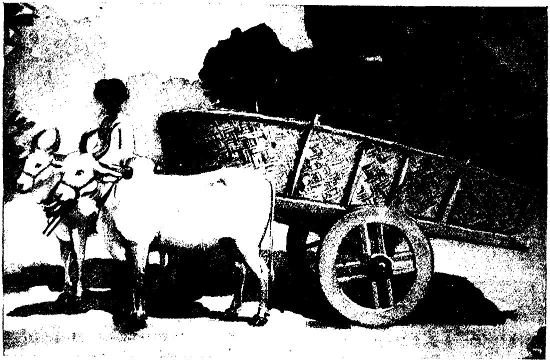
मज़बूत गाड़ियां बनाने से फ़ायदे.

गांववालों को चाहिये कि अच्छी मज़बूत लकड़ी की गाड़ियां बनावें, ऐसी गाड़ियों के बनाने में कुछ ख़र्च तो ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन ऐसी गाड़ियां बहुत बरसों तक चलती हैं और उनके बार बार मरम्मत करने की भी ज़रूरत नहीं रहती.

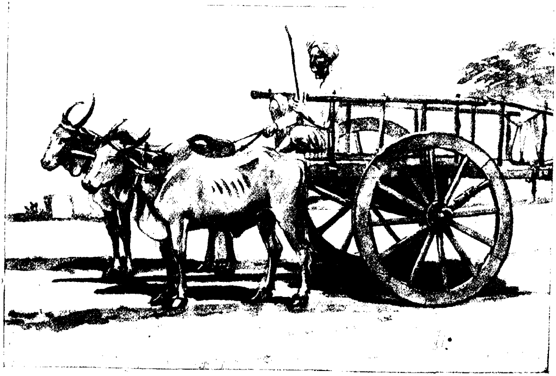
किफ़ायत-शआरी व दूर-अंदेशी.

(६) सब काम साथ किफ़ायतशआरी व सोच विचार के होने चाहिये. हर काम के करने में उसका नफ़ा नुक़्सान पहिले ही से सोच लेना चाहिये. बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें पहिले पहिले ख़र्च ज़्यादा होता है, लेकिन अख़ीर में फ़ायदा भी बहुत होता है, जैसे निवानों का बनाना. इनके बनाने में पहिले २ तो ख़र्च ज़रूर होता है लेकिन जब यह तैयार होजाते हैं तो इनसे इतना फ़ायदा होता है कि जिसकी कोई हद नहीं. जो लोग दूरअन्देश होते हैं वे सूखा पड़ने के ख़ौफ़ से पहिले ही रुपया ख़र्च करके निवानों को

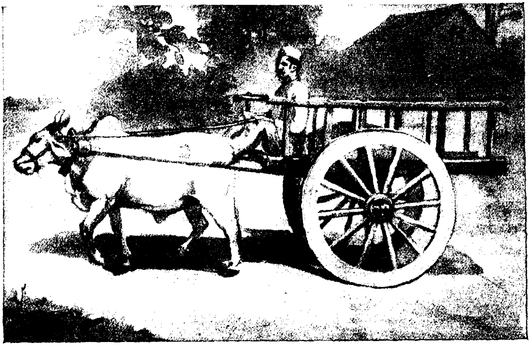
बिना बोरी के नाज ले जाने की गाड़ी।



टूटी गाड़ी का नमूना।

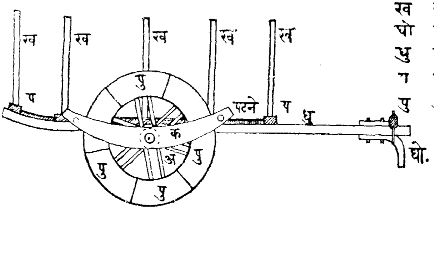


मजबूत गाड़ी का नमूना।



नक्शा

किसानी गाड़ी का नमूना



अ	अरे
क	कमान
ख	खड़े डुआ
घो	घोड़ी
धु	धुरा
प	पटरी व पटने
पु	पुठी

बना लेते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि अगर बारिश भी न हुई तो खेती का काम नहीं रुकने पाता. जो लोग अक़्लमन्द होते हैं वे खर्च की दीगर मदों को घटाकर जो रुपया बचता है ऐसे ही कामों में खर्च करते हैं.

आदमी जिस काम को खुद करसकते हैं उसको अगर वे खुद करें तो किफ़ायत होसकती है, क्योंकि काम ठेके पर देने से रक़म मुनाफ़े की जो ठेकेदार को मिलती है वह बच रहेगी. अमानी में काम जितना सस्ता पड़ता है उतना और किसी ज़र्ये से नहीं, बशर्तेकि मालिक निगरानी ठीक रक्खे. अमानी में काम करने से फ़ायदे.

बाज़ आदमी ऐसी जगह पर निवानों को बनाते हैं जहां उनसे कोई फ़ायदा नहीं होसकता, मस्लन, निवानों को ऐसी जगहों में बनवाना जहां से आबपाशी नहीं होसकती या ऐसे मौक़े पर निवान बनाते हैं कि जहां से पानी ब सबब नीची जगह होने के चढ नहीं सकता. दूरअन्देशी न करने की मिसाल.

बहुत से ज़मींदार बिला खर्च का अन्दाज़ किये निवानों का बनवाना शुरू कर देते हैं या तामीर का काम शुरू में गड़बड़ में खोल देते हैं और जब खर्च अन्दाज़ से ज़्यादा होना मालूम होजाता है तो फिर ज़्यादा सर्फ़े के खौफ़ के मारे उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं. जो लोग दूरअन्देश होते हैं वे काम करने से पहिले जब मौक़े की जांच और खर्च का अंदाज़ा अच्छी तरह करलेते हैं तब काम को, ब सबब रुपया न होने के या तो शुरू ही नहीं करते हैं या जब काम शुरू करदेते हैं तो उसे फिर किसी हालत में अधूरा नहीं छोड़ते. नतीजे.

अगर ज़मींदार ऊपर लिखी हुई बातों में कामयाबी हासिल करलेगा तो हैसियत ब सबब आमदनी वग़ैरा बढ़ती जायगी. इस हैसियत के फ़ायदे अनुभव से मालूम होते जायेंगे यानी इसका नतीजा ज़ाहिरा यह भी होगा कि हाकिमान रियासत उसकी इज़्ज़त करेंगे और उसकी हैसियत के लायक़ ऐसा मान देंगे जैसे सेठ नज़रअली वग़ैरह को देते हैं. किफ़ायत शआरी व दूरअंदेशी से फ़ायदा.

७. कभी कभी इस मुल्क में क़हतसाली हो जाती है जिससे हत्तुलइमकान बचने की कोशिश ज़मींदार और गांववालों को ज़रूर करनी चाहिये. इस मुसीबत से बचने के लिये उनको तैयार रहना चाहिये. इसका तरीक़ा यह है कि अपने गांव की मवेशी और मर्दुमान के खाने के लिये एक सालभर क़हत का इंतज़ाम.

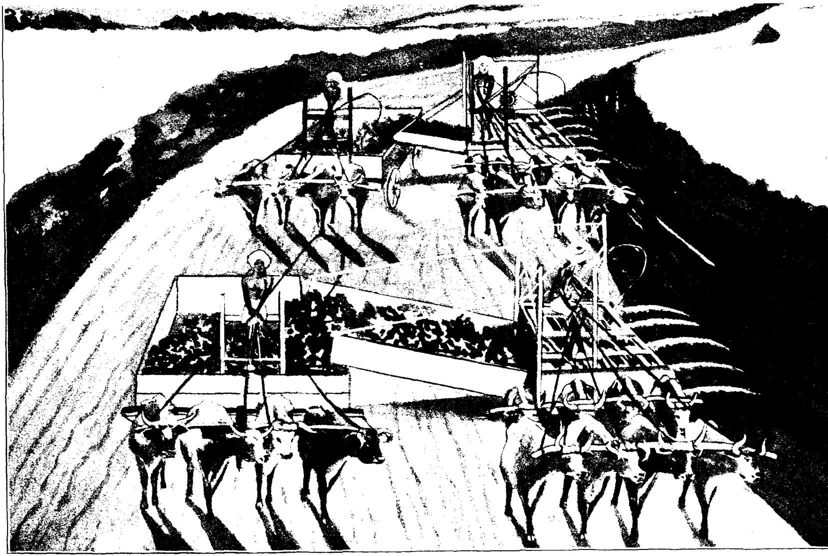
के वास्ते काफी चारा व गल्ला संग्रह में रक्खें. चारे लफ़्ज में सूखी घास, भूसा, कुटी वग़ैरा शामिल हैं. यह संग्रह एकही साल में नहीं होसकता, थोड़ा थोड़ा साल बसाल करने में चन्द सालों में पूरा जमा हो जाता है. फिर उस घास व गल्ले को हर साल नई फ़सल आने पर बदलते रहना ताकि नुक़सान भी न हो और माल हमेशा अच्छा बना रहे. ऐसा करने से खुदानख्वास्ता जब कहत पड़े तो मवेशी या आदमी भूखों नहीं मरेंगे और बेफिकरी से गुजर कर सकेंगे, गांववालों को दूसरों के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, न महंगे भाव से इन चीजों के खरीदने में सर्फ़ा ज़्यादा होकर अच्छे सालों में जो कुछ रक़म उन्होंने बचा रक्खी हो वह उठ जायगी. जो ज़मींदार ऐसा बन्दोबस्त पहिले से करलेते हैं उनसे लोग खुश रहते हैं और वक्त मुसीबत का आने पर लोगों की मदद करने से उनको सवाब भी मिलता है.

पेशगी बंदोबस्त.

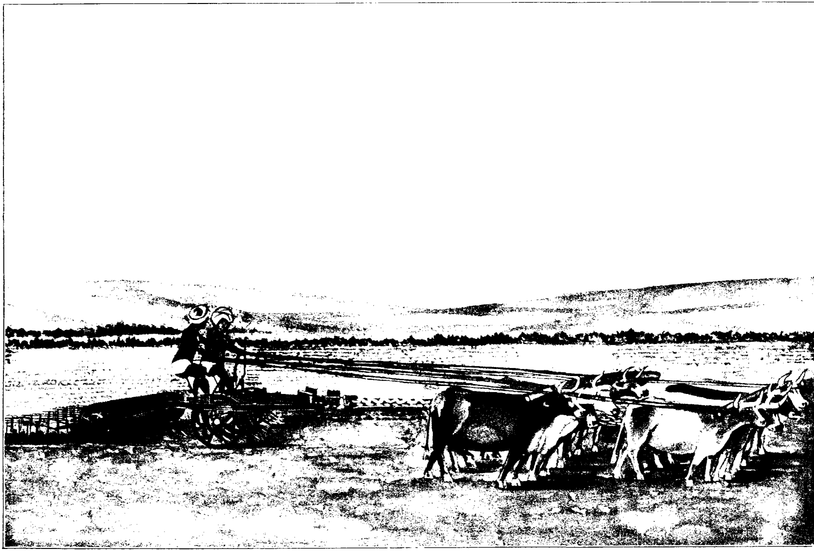
हर ज़मींदार पर फ़र्ज़ है कि वह उन तरकीबों को सोचता रहे और इस क़िस्म के बन्दोबस्त करता रहे कि जिनके ज़र्ये से काल पड़ने पर लोगों को तकलीफ़ न हो और उनका बचाव हो, क्योंकि ज़मींदार के दौलतमन्द होने का सारा दारोमदार आसामी या काश्तकार के जिन्दा रहने और सब्ज़ होने पर है. अगर रिआया न होगी तो ज़मींदार क्या करेगा? ऐसे वक़्त वे जो काम आबपाशी वग़ैरा के बनावें उनमें आयन्दा फ़ायदा होने का चन्दां ख़्याल न रक्खें बल्कि ज़्यादा ख़्याल लोगों की ज़िन्दगी बरक़रार रखने का करें. अगर वे ज़िन्दा रहें तो यही बहुत बड़ा फ़ायदा है.

ज़मींदार की मदद व शिरकत की जरूरत.

अगरचे सरकार हर सूरत में ऐसे मौक़ों पर रिआया की मदद करने को तैयार रहती है ताहम ज़मींदार भी जबतक इस काम में फ़िक्र न करे और साथ अमलदारान सरकार के काम करने व मेहनत उठाने को आमादा न हो तबतक अकेले अमलदारान से रिआया को पूरी पूरी मदद नहीं पहुंच सकती. चूंकि सरकार ज़मींदार को अपना एक खास आदमी और ऑफिसर ख़्याल करती है और उसका बराहरास्त गांव से तअल्लुक़ होता है, इसलिये गांव के बन्दोबस्त का जहांतक उससे तअल्लुक़ है सरकार उसे ज़िम्मेदार समझती है. चुनांचे मुन्दर्जे जैल क़लमें वास्ते रहनुमाई व वाक़फ़ियत ज़मींदार के फेमिनकोड से दर्ज की जाती हैं:—



जोताइ.



J. & H. McLAREN. LEEDS, ENGLAND.

जोतने, बीज बोने, नींदने और बेलने की कल.

इन्तख़ाब फैमिनकोड.

दफ़ा ३४. गरानी बहुत बढजाने पर यह निहायत ज़रूरी है कि मौज़ा ब मौज़ा रिआया व मवेशी की हालत बराबर मालूम होती रहे, इसलिये हस्ब ज़ैल इन्तज़ाम हल्काबन्दी हर परगने में होना चाहिये कि जिसका रजिस्टर हल्केबन्दी मुतज़क्किरे दफ़ा ९ कलम ५ (तितम्मा नम्बर ४) के होगा:— हल्केबन्दी करार देना.

(१) हल्केजात बाद ग़ौर कामिल, दायमी तौर पर सूबा साहब ऐसे पुख़्तगी के साथ बनावें कि जिस तरह पटवारियान के हल्केजात बनाये गये हैं और जहांतक मुमकिन होसके पटवारी का हल्का ही फैमिन एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ाम का हल्का समझा जावे, अगर शरायत मुन्दर्जे ज़ैल के लिहाज़ से मजबूरी पड़जावे तो हल्का पटवारी में रद्दोबदल की जावे. शरायत यह हैं:— तरीका.

[अ] किसी एक असिस्टंट हल्केदार को २०५० से ज़ायद मर्दुमशुमारी की देख भाल न करना पड़े.

[ब] किसी एक असिस्टंट हल्केदार को रोज़ाना बारह मील से ज़्यादा न चलना पड़े.

(२) असिस्टंट हल्केदार उसी हल्के का कोई मुअज़्ज़िज़ बाशिन्दा होवे और ऐसी लियाक़त रखता हो कि जो फ़रायज़ असिस्टंट हल्केदार के हैं उनको अदा करसकता हो. जहां तक मुमकिन हो सके यह काम बिला तनख़्वाह बतौर आनरेरी लिया जावे; लेकिन अगर किसी हल्के में बिला तनख़्वाह असिस्टंट हल्केदार मिलना ग़ैरमुमकिन हो तो वहां कहत पड़ने के वक़्त तनख़्वाह दी जावे. असिस्टेन्ट हल्केदार की सिफ़तें, आनरेरी तकर्रुर.

(३) ऐसे जुमला हल्केजात की फ़ेहरिस्त जिनमें बिला तनख़्वाहदार असिस्टंट हल्केदार नहीं मिल सकते सूबा साहबान पास स्पेशल आफिसर के भेज देवेंगे. हल्केबन्दी की फ़ेहरिस्त स्पेशल ऑफ़िसर के पास भेजना.

तब्दीलियों का रजिस्टर में इन्दराज

(४) जब एक मर्तबा फ़ेहरिस्त हल्का मुरत्तब हो जावेगी तो वह दायमी तौर पर तहसील व सूबात में रहेगी और उसमें दाखिल खारिज व इसम, असिस्टंट हल्केदार का उसी वक्त करना पड़ेगा, जब कोई असिस्टंट हल्केदार फ़ौत हो जावे या दीगर तौर पर नाक़ाबिल काम हो जावे.

पटवारी का काम.

(५) पटवारी का फ़र्ज़ होगा कि वह किसी आनरेरी असिस्टंट हल्केदार के फ़ौत होजाने या नाक़ाबिल होजाने की इत्तिला तहसीलदार को करता रहे. तहसीलदार शख़्स मजकूर की जगह दूसरा शख़्स तजवीज़ करके अपने तहसील के रजिस्टर में दाखिल खारिज किया करे, और सूबात के रजिस्टर में दाखिल खारिज होने के लिये रिपोर्ट किया करे.

नायब तहसिलदार का काम.

(६) हर ऐसे पांच हल्के की निगरानी सिपुर्द एक नायब तहसीलदार या उसकी हैसियत के दूसरे ओहदेदार के की जावे और उसका लक़ब हल्केदार हो.

तहसीलदार की निगरानी.

(७) जुमला हल्केदारान पर निगरानी तहसीलदार परगना की रहेगी.

असिस्टेन्ट हल्केदार का काम.

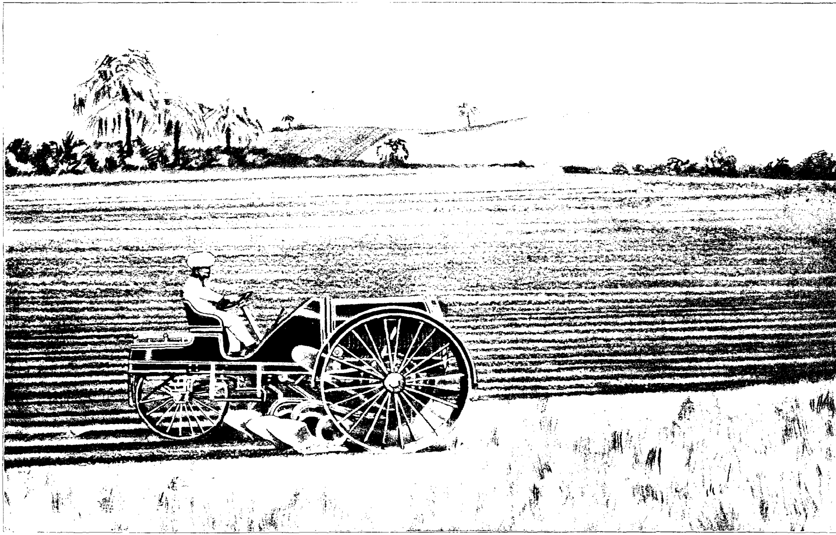
दफ़ा ३५. असिस्टंट हल्केदार का फ़र्ज़ होगा कि हल्के का रोज़ाना गश्त करके हालत रिआया व मवेशियों की रिपोर्ट हल्केदार को करता रहे, और जिस वक्त मालूम हो कि किसी गांव की रिआया घर छोड़नेवाली है तो फ़ौरन ज़रूरी में रिपोर्ट हल्केदार के पास करे.

दौरा, रिपोर्ट करना.

दफ़ा ३६. हल्केदार का फ़र्ज़ होगा कि हफ़्ते में एक मर्तबा हर एक गांव को देखले और जो रिपोर्ट असिस्टंट हल्के ने भेजी है उसकी तस्दीक़ करे और अगर कोई ज़रूरी रिपोर्ट असिस्टंट हल्का की ऐसी मिले कि जिसका जिक्र दफ़ा नम्बर ३५ में आया है तो फ़ौरन बाद जांच मौक़ा ब सीगे ज़रूरी रिपोर्ट पास तहसीलदार के भेजे, और उसका यह भी फ़र्ज़ होगा कि वह मज़दूरान को बतला देवे कि जब वे काम पर जावें तो अपने फावड़े व टोकरे जो उनके हों साथ लेकर काम पर जावें.

तहसीलदार का काम.

दफ़ा ३७. तहसीलदार का फ़र्ज़ होगा कि अय्याम गिरानी में उन जगहों में जहांकी हालत खराब मालूम हो वहां पर मुतवातिर दौरा



HACKNEY MANUFACTURING CO. SAINT PAUL, MINN.

एक आदमी से विना घोड़े या बैल के चलने वाला हल.

करता रहे और सूबा साहब को रिपोर्ट करता रहे व मातहतान के रिपोर्ट की जांच व तस्दीक करे और जब जरूरी फार्म में कोई रिपोर्ट हल्केदार की हस्ब मुन्दर्जा दफा ३६ पहुंचे तो फौरन मौके पर आकर बाद हुसूल मंजूरी सूबा साहब टेस्ट वर्क्स वास्ते इम्दाद रिआया के जारी करावे.

दफा ३८. सूबा साहब का फर्ज होगा कि अय्याम गिरानी में बराबर अपने जिले का दौरा करके जितनी दफा देखसकें हर मौजे को देखलेवें और मातहतान के काम की जांच करें, लेकिन जब जरूरत किसी खास मौके पर फौरन या बार बार जाने की हो तो उसको मुक़द्दम समझें और जो अम्र मुतअल्लिक़ हालत रिआया व मवेशी व दीगर उमूर जरूरी के हों उसकी रिपोर्ट पास स्पेशल ऑफ़िसर के भेजते रहें. सूबा साहब का काम.

नोटः—रिपोर्ट के भेजने और उसपर कार्रवाई होने में देर न हो और वक्त जाया न होने पावे.

दफा ३९. असिस्टन्ट हल्केदार से लेकर सूबा साहब तक जितने ऑफ़िसर वास्ते निगरानी हालत रिआया व मवेशी मुक़र्रर किये गये हों उनका फर्ज है कि एक दूसरे को सही हालत से मुत्तला करते रहें और एकसां आगाही मुतअल्लिक़ा जुमला उमूर के अपने अपने जिले में रक्खें. आम हिदायात.

कलों से काम लेना.

८. जहां लोकसंख्या कम और जमीन आबाद करने लायक बहुत है ऐसी जगह यह विचार सबके दिलों में आता है कि थोड़े आदमियों ही से ज्यादा काम किस तरह होसके, अर्थात् दस आदमियों का काम एक आदमी किस तरकीब से चलासके. जब आदमी का काम कलों से लिया जावे तब यह बात होसकती है. उन मुल्कों में जहां हाथ से काम करनेवाले कम हैं वहां कलों से ही काम लिया जाता है; परन्तु इस देश में लोग कलों के खरीदने और चलाने में इसलिये डरते हैं कि उनमें पहिले ही पहिले बहुत खर्च हो जाता है और वे लोग आयन्दा का फायदा न देखते इस खर्च को करना मुनासिब नहीं समझते, कलों से काम लेना.

इसलिये काम रुक जाता है और किसी तरह होने नहीं पाता. यह खर्च उनको इतना भारी मालूम होता है कि आयन्दे के फायदे को तो देख नहीं सकते और शुरू के खर्च को बहुत समझकर उनको कलों के ज़र्ये से काम लेने की हिम्मत नहीं होती; लेकिन हिम्मत वही शख़्स करसकता है जो इस बात का विचार अच्छी तरह करके और इस बात का हिसाब लगावे कि:—

(१) कलों के हल को चलाने के लिये कितने आदमी चाहियें.

(२) एक घंटे में ब मुक़ाबिले देशी हलों के उस हल से कितना काम निकल सकता है.

(३) उससे ज़मीन कितनी गहरी खुद सकती है जिसकी वजह से अनाज किसक़दर ज़्यादा और बज़नी पैदा होसकता है, क्योंकि यही मुनाफ़े की असली सूरत है.

कल का हल.

जिस ज़मीन में मामूली हल से जुताई होती है उसमें जब एक सेर ज्वार के १००० दाने होंगे तो यह मुमकिन है कि उस ज़मीन से जिसमें गहरे खोदनेवाले हल की जुताई होगी, ज्वार के दाने इतने बड़े होंगे जो सेरभर में सातही सौ चढ़ें.

काटने की या बीनने की कल.

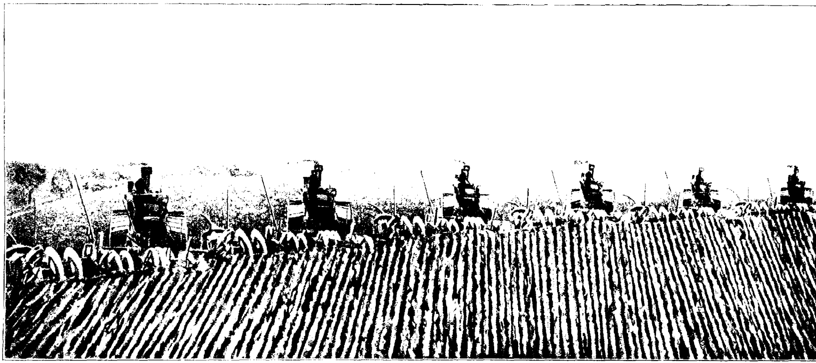
गेहूं काटने की और रुई बीनने की कलों को काम में लाने से थोड़े ही आदमियों के ज़र्ये से वह काम होसकता है जो बहुत आदमियों से भी नहीं होता.

नुक़सान से बचना.

कई जगह देखा गया है कि आदमी काफ़ी न होने से खेती के काटने में बड़ी देरी होती है जिससे यह भी नुक़सान होता है कि हवा के लगने से बहुतसा बीज ज़मीन में गिर जाता है या पानी आने से गल जाता है वग़ैरा.

वक़्त की किफ़ायत, दरख़्त काटने की एक मिसाल.

दूसरी मिसाल इसकी यह है कि फ़र्ज़ करो कि एक दरख़्त ऐसा काटना है कि जो १८ इंच मोटा है तो उसके काटने के लिये कम से कम दो आदमी दरकार होंगे और उनको ३० या ४० मिनिट बराबर आरा या कुल्हाड़ी उसपर चलाना पड़ेगी तब वे उसे काट सकेंगे. अब इस बात का ख़्याल करना चाहिये कि दो आदमियों को गांव से जंगल में जाने में



J. & H. McLAREN. LEEDS, ENGLAND

भाफ से चलने वाले हलों से जमीनों की जुताई.

और उस दरख़्त को काटने तक कितना वक्त लगेगा, सिवाय इसके वह वक्त जो उनके काम करने में लगेगा, उसमें न सिर्फ़ लकड़ी की चिरवाई या कटवाई का वक्त शामिल होगा; बल्कि वह वक्त भी उसमें जोड़ा जायगा जो कि ब वजह थक जानेके उनके दम लेने में सर्फ़ होगा. इस तरह उनका बहुत वक्त सर्फ़ हो जावेगा, और वे सिवाय इस काम के और कामों में अपने वक्त को सर्फ़ न कर सकेंगे. लेकिन अगर हम कल से काम लें तो वक्त की किफ़ायत इस तौर पर होसकती है कि एक या दो आदमी मौके पर गये और उन्होंने कल को लगाके चलाया जिससे १० मिनट में पेड़ कट गया और कल के चलानेवाले को सिवाय कल लगाने और चलाने के और कुछ नहीं करना पड़ता. पहले दरख़्त के कटजाने पर वह कल को दूसरे दरख़्त पर लगासकता है इससे यह साबित होगा कि दस हिस्से काम ज़्यादा होकर वह आदमी दूसरे तीसरे या चौथे दिन काम पूरा करके वापिस आ जायगा, लेकिन वे आदमी जो पेड़ को अपने हाथ से काटेंगे १५, २० रोज़ तक लगातार काम करके भी उसे पूरा करके वापिस न आसकेंगे; लेकिन इन बातों का विचार उस वक्त होना मुमकिन है जब इन्सान यह जाने कि वक्त रुपये से कम क़ीमती नहीं है और उसको वक्त की क़दर हर तरह से मालूम हो, और जब वह यह भी जाने कि वक्त फ़िज़ूल नहीं जायगा तो मज़दूरी भी ज़्यादा मिलेगी. जितनी मेहनत वह ज़्यादा करेगा उतना ही उसे मेहनताना ज़्यादा मिलेगा. सिर्फ़ दो आने रोज़ पर सन्तोष रखना अपनी रोज़ी को घटाने के बराबर है.

गैर मुल्कों की नज़ीर.

कलों में रुपया खर्च करना बेजा नहीं है. यूरोप और अमेरिका में लोगों का बहुत रुपया कलों के ख़रीदने और रखने में खर्च होचुका है, और वे उन कलों से हद दर्जे का फ़ायदा उठा रहे हैं. यहां के लोगों को इस बात पर भी ख़्याल करना चाहिये कि उन मुल्कों के लोग ऐसे ना समझ नहीं हैं जो उन्होंने बिला फ़ायदा सोचे लखूखा रुपया बे सबब कलों में खर्च करदिया हो या करते हैं.

आबादी बढ़ाने में कलों की आला दर्जे की मदद.

इसलिये जिन मुक़ामों में जनसंख्या कम है उन मुक़ामों में अगर कोई कलों के द्वारा काम कराये और यंत्रविद्या को अच्छी तरह सीखके कलों को चलावें और उनकी साल संभाल ठीक करें तो इसमें शक नहीं कि

थोड़े आदमी भी अच्छी तरह से बड़े बड़े मौज़ों की हर किस्म की काश्त करसकते हैं और सारा मौज़ा आबाद होसकता है.

छोटी छोटी कलें चलाने से फ़ायदे.

जहां मर्दुमशुमारी की कमी नहीं है वहां भी अगर छोटी छोटी कलें इस्तेमाल में लाई जावें तो बहुत किफ़ायत व काम में आसानी होसकती है. ऐसी चन्द कलें जेल में चलाई जाती हैं:—

कलों की नज़ीरें.

(१) मक्का के भुट्टे के दाने निकालनेवाली कल, क़ीमती १० या १२ रुपये.

(२) घास और कड़बी की कुट्टी काटनेवाली कल, क़ीमती ५० या ५५ रुपये.

(३) बीज के वास्ते आलू के मोटे टुकड़े करने की कल, क़ीमती २० या २५ रुपये.

(४) कांस की ज़मीन में गहरी जुताई करनेवाला और चार बैल से चलनेवाला विलायती हल, रेनसम का फ़ॉरेस्ट प्लाऊ, क़ीमती ४० या ५० रुपये.

(५) अलावे इनके बेशक़ीमती कलें भी बाज़ मुक़ामात पर फ़ायदेमन्द साबित होनेवाली हैं. मस्लन:—

१. नाज बोने की कल.

२. कपास ओटने की हाथ कल.

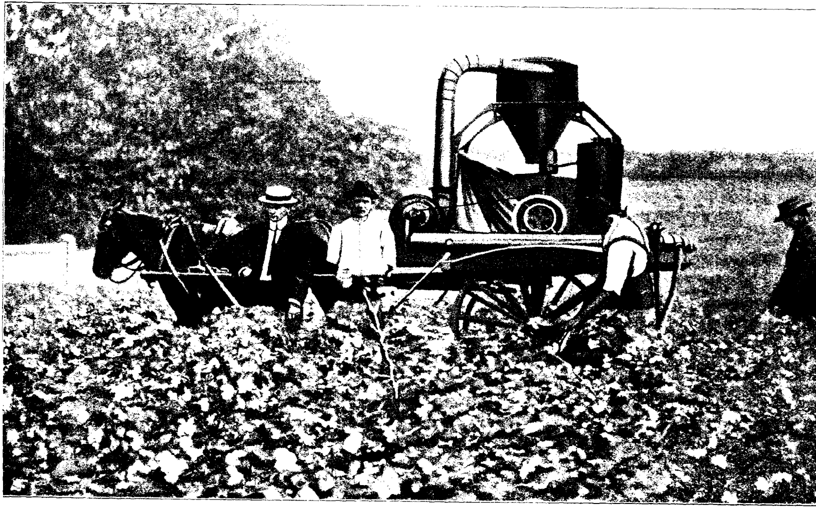
३. फ़सल रब्बी काटने की कल.

४. दायें करने की कल.

५. भूसा उड़ाने की कल.

कलों की तसवीरों का हवाला.

इन कलों में से जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ है बहुतसी कलों की तसवीरें इस किताब में जाबजा दी हैं उनसे ज़मींदारान व काश्तकारान कलों की शक्लें कैसी होती हैं, उनसे क्या काम लिये जाते हैं और उनको किस तरह चलाते हैं वग़ैरा बातों का अन्दाज़ा बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे. यह



रुई बीनने की कल साथ उन चीमटों के जो हाथ से पकडे जाते हैं.

भी देख सकेंगे कि यंत्रविद्या ने और और मुल्कों में कितनी तरक्की की है. बहुतसी कलें हिन्दुस्तान में चल निकली हैं और नुमायशों में बताई भी जाती हैं. ज़मींदार व काश्तकारान उन जगहों पर जात्रा करके उन कलों को शौक़ से देख भी सकते हैं. और खुद हस्बे हैसियत उन्हें खरीदकर आज़मा सकते हैं व फ़ायदा उठा सकते हैं.

९. ज़मींदार का ओहदा और काम अपने मुहाल के मुतअल्लिक़ क़रीब २ इतना ही महत्व का है जितना कि एक ज़िले के हाकिम का ज़िले के मुतअल्लिक़ है. — ज़मींदार का ओहदा व उस के फ़रायज़.

हाकिम ज़िला के फ़रायज़ की दो क़िस्में होती हैं अव्वल तामीली, दोयम इन्तज़ामी. — दो शक्लें.

क़िस्म तामीली में वे फ़रायज़ दाखिल हैं जिनका अदा करना तामील अहकाम मसदूरा सरकार से तअल्लुक़ रखता है. — क़िस्म तामीली.

क़िस्म इन्तज़ामी में वे फ़रायज़ दाखिल हैं जिनका अदा करना वास्ते क़ायम रखने सरसब्ज़ी रिआया व अमन व तरक्की इलाक़े के ज़रूरी है. वे फ़रायज़ भी ऐसे हैं जो बमूजिब उसूल व मन्शाय दरबार अदा किये जाते हैं, लेकिन चूंकि वे बहुत वसीअ हैं लिहाज़ा उनकी तामील हाकिम ज़िला के इम्तियाज़ व इख़्तियार पर मुनहसिर रहती है. — क़िस्म इन्तज़ामी.

यही कैफ़ियत ज़मींदार की भी है. उसके चन्द फ़रायज़ दरबार से ऐसे मुक़र्रर हैं कि जिनका अदा करना उसपर लाज़िम है; लेकिन बहुत से फ़रायज़ उसके ऐसे भी हैं जिनकी तामील उसके इम्तियाज़ व इख़्तियार पर मुनहसिर है. — तशरीह.

वास्ते समझने अक़साम फ़रायज़ अव्वल व दोयम चन्द तमसीलें यहांपर दी जाती हैं, इनके देखने से ज़मींदार को अपने फ़रायज़ मालूम होसकते हैं और वह यह भी अन्दाज़ा करसकता है कि उसके मालिक को उसकी ज़ात से क्या उम्मेद है. — आगाह रहने की ज़रूरत.

तामीली.

(१) मालगुज़ारी सरकारी तारीख़ मुक़र्ररा पर देना, मालगुज़ारी का रुपया बाक़ी न रखना. — तामीली फ़रायज़ की तमसीलें.

(२) काबिल जराअत जमीन पर मकान सिवाय ज़रूरत ख़ास के न बनाने देना.

(३) मन्दिर, मसजिद वग़ैरा बिला इजाज़त सरकार न बनाने देना.

(४) वक़्त गिरदावरी पटवारी के साथ रहना या अपने कारिंदे या रिश्तेदार को साथ रहने की हिदायत करना.

(५) पटवारी के ज़र्ये लगान वसूल न करना.

(६) सही लगान पटवारी के कागज़ में दर्ज कराना.

(७) नक्शे क़िश्तवार की तरमीम में मदद देना.

(८) देहाती रास्तों को दुरुस्त रखना और बमूजिब सरक्यूलर नं० ७, ता: १८ जुलाइ सम्वत १९६० रेविन्यू बोर्ड, उसके लिये फ़ंड जमा करना.

(९) बिला लैसन्स शराब की भट्टी जारी न होने देना.

(१०) तहसील के परवानेजात की तामील करना.

(११) आसामी को पट्टा देकर क़बूलियत लेना व पट्टे में खाते की कुल तफ़सील मुन्दरिज करना.

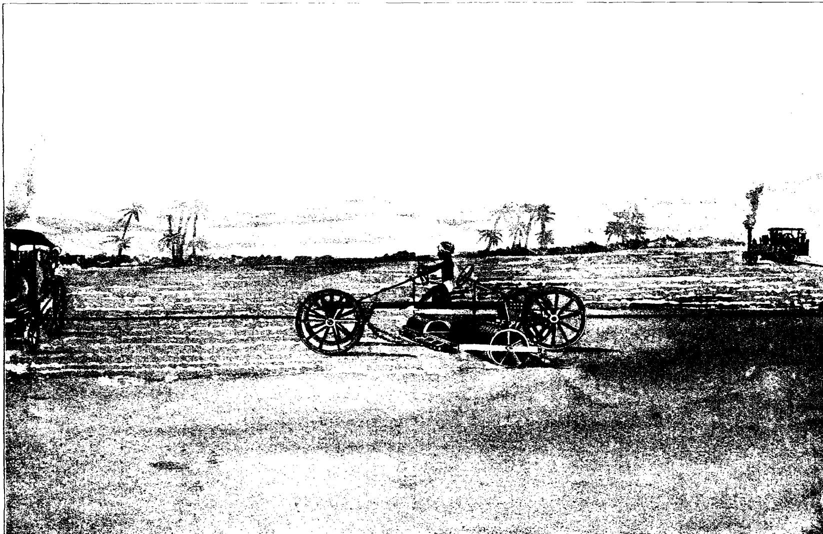
(१२) लगान की रसीद छपेहुए फ़ार्म पर आसामी को देना.

(१३) काश्तकार मौरूसी को बिला हुक्म अदालत बेदख़ल न करना.

(१४) सरहद्दी तूदों व मिनारों की हिफ़ाज़त करना और अगर उनको नुक़्सान पहुंचे तो तहसील में रिपोर्ट करना.

(१५) देखते रहना कि सरहद पर कोई पेशक़दमी नहीं करता अगर कोई करे तो फ़ारन तहसील में रिपोर्ट करना.

(१६) इलाक़े ग़ैर की तरफ़ से सरहद के क़रीब पैमायश व लेनतराशी हो तो मौक़े पर हाजिर रहना और देखते रहना कि वे अपनी हद तो



J. & H. McLAREN. LEEDS, ENGLAND.

पटेला फेरने का काम देनेवाला रोलर.

दबाते नहीं हैं अगर दबाते हैं तो उसकी फ़ौरन रिपोर्ट करना और दबानेवालों से कहना कि ता आने हमारे हाकिम के कृपा करके ठहरें.

(१७) गांव में सफ़ाई बख़ूबी रखना बमूजिब क़ायदे तन्दुरुस्ती.

(१८) सेनिटरी कमिश्नर की हिदायतों पर अमल करना.

(१९) निवानों की दुरुस्ती करना और उनको आबपाशी के काम में लाना.

(२०) पाबन्दी क़वाअद आबयाना करना.

(२१) रसद वग़ैरा का इन्तज़ाम करना.

(२२) बारबरदारी व मज़दूरों का मुताबिक परवाना हाकिमान इन्तज़ाम करा देना.

(२३) जंगलों को आग से बचाना.

(२४) जंगलों की आग बुझाने में मदद देना.

(२५) चोर, डाकू, बाग़ी व इश्तहारी मुजरिमों की गिरफ़्तारी में व दीगर जरायम संगीन की तहक़ीक़ात में पुलिस को मदद देना और अपने गांव में न बसने देना.

(२६) किसी तरह का फ़िसाद न करना, न किसी के फ़िसाद में या इर्तकाब जुर्म में शरीक होना या अयानत रखना.

(२७) सती समाध न होने देना.

(२८) वारदात हो जाय तो थाने में चौकीदार के ज़र्ये से रिपोर्ट कराना.

(२९) बेड़ होने की इत्तिला फ़ौरन देना. बेड़ अपने या दूसरे गांव में हो जाय तो गांव की जमाअत साथ लेकर मुजरिमों का महासरा कराना, और

कोशिश करना कि वे इलाके ही में गिरफ़्तार हो जांय और पुलिस को इत्तिला देकर उन्हें भी साथ लेलेना.

(३०) २५ मवेशियों के साथ एक मज़बूत आदमी वक्त चराई के रखना.

(३१) पट्टे ज़मींदारी अतीय सरकार की क़लमों पर अमल करना.

(३२) मफ़रूर काश्तकार की तहसील में इत्तिला करना.

(३३) नौ आबाद काश्तकार की तहसील में इत्तिला करना.

इन्तज़ामी फ़रायज़ की तमसीलें.

इन्तज़ामी.

(१) बंजर आबाद करना.

(२) खेती के तदबे में जो कमी हो उसको पूरा करना, मस्लन, हल, बैल, आसामी.

(३) गांव में बेकार आसामी हों तो उनको मदद देकर हल खड़े करवाना.

(४) बीज का इन्तज़ाम कराना.

(५) बारिश के पेश्तर बंजर तोड़ रखना.

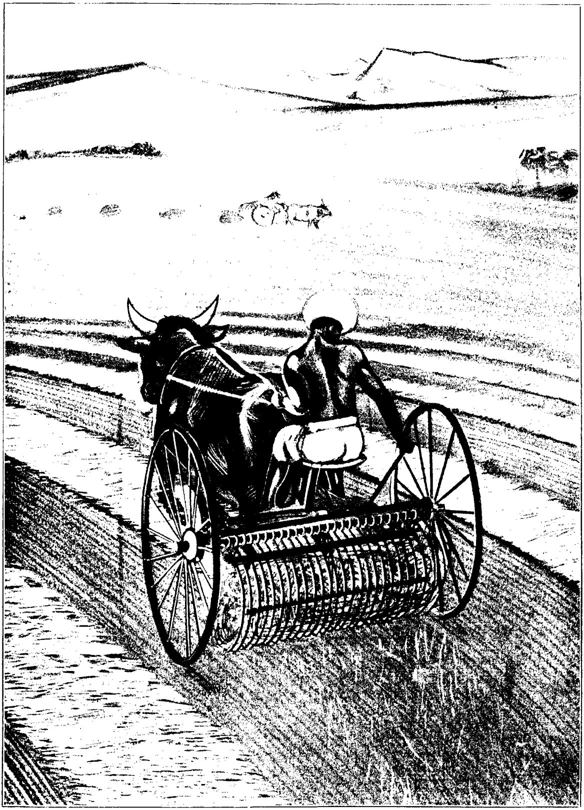
(६) खेती सुधारने की और क़ीमती नाज बोने की तजवीज़ करना.

(७) छोटी २ हाथ की कलों को काम में लाना जिससे मेहनत बचे, काम ज़्यादा और जल्दी होवे.

(८) जंगली जानवर, सुअर वग़ैरा खेती का नुक़्सान करते हों तो कांटों की बाड़ लगाकर उनकी रोक करना या मरवा डालना जहां सरकार की तरफ़ से मनादी न होय.

(९) कांस से और बेहड़ से ज़मीन का बचाने की तदबीर सोचकर उसका इन्तज़ाम करना.

(१०) फलदार व कामीदा लकड़ी के दरख़्त बंजर आराज़ी में और खेतों की मेंड़ों पर अगर मौक़ा हो तो लगाना.



WALTER A. WOOD, HOOSICK FALLS, N.Y., U.S.A.

नींदने की कल.

(११) कुंवे पड़े हों तो उनको दुरुस्त कराकर आबपाशी के काम में लाना, सर्फ़े की विध लगाना, खर्चे के जो जो काम हों उसकी विध लगाना.

(१२) कोई नाला गांव के नीचे बहता हो और मौक़ा अच्छा हो तो उसपर वास्ते आबपाशी या आबनोशी के ओड़ियां करना या बंधिया डालकर पानी रोकना.

(१३) खेती की पैदावार अच्छे भाव पर बिके इसका उपाय करना.

(१४) किसानी गाड़ियां मजबूत बनाना और आम को मशवरा देना कि मजबूत गाड़ियां बनायें और उसका नमूना बता देना.

(१५) लकड़ी हल जोत वगैरा के लिये जो लगती है उसका बारह महीने का बन्दोबस्त करलेना.

(१६) गल्ला व घास का बारह महीने का बन्दोबस्त कर रखना कि क़हतसाली होजाय तो जानवर व आदमी बचसकें.

(१७) शामलात का झगड़ा हो तो बटवारा करालेना.

(१७) (अ) और गांव के मवेशी के चरने के लिये चरू को एक या दो मौक़ों पर मुक़र्रर कराकर उसकी हदबंदी करा देना.

(१८) पंचायत बोर्ड क़ायम करना और छोटे २ मुक़द्दमात पंचायत से तय करालेना, अदालतों के झगड़ों में न फँसना, आसामियों से मिलकर अपने गांव में एक सुमति विचार रखना और आपस में राह रस्म रखना व ऐतबार बढ़ाना.

झूटे झगड़ों टंटों को ख्वाहमख्वाह न बढ़ाना और न उलझाना.

(१९) छूत की बीमारी आदमियों में या जानवरों में आस पास के किसी गांव में आपहुंचे तो उसको अपने गांव में जाने की रोक बमूजिब क़ायदे तन्दुरुस्ती करना और उसे बढ़ने न देना.

(२०) बीमारी की रिपोर्ट करना.

(२१) दवाई लाना, सफ़ाई रखना, मरीज़ों को अलाहिदा रखना वग़ैरा.

(२२) जब कभी कान्फ़रन्स तहसीलदार व सूबा साहब करें उस वक्त वहां हाज़िर होकर जो अपनी तकलीफ़ात हों, या जो मदद दरकार हो उसका सही २ बयान करना.

(२३) घोड़ी, गाय, भैंस पालकर बच्चे लेना जिससे सवारी का और दूध घी का सुभीता होकर बेचने से रुपया पैदा होगा.

(२४) बच्चों की तालीम दिलाने का बन्दोबस्त करना.

(२५) सरकारी मतालबात तारीख़ मुकर्रा से पहिले वसूल करके ऐसा मिसल लगाना कि वक्त पर रुपया जमा हो जाय और ब्याज, तलबाना न भुगतना पड़े.

(२६) कोई पट्टीदार मफ़रूर या नादार होजावे तो उसकी पट्टी की जोत आबादी करा लेना.

(२७) वसूल में कोई झगड़ा होने का अंदेशा हो तो उसका तसफ़िया पंचायत से या तहसील से पहले करा लेना.

(२८) वसीयतनामा लिखना.

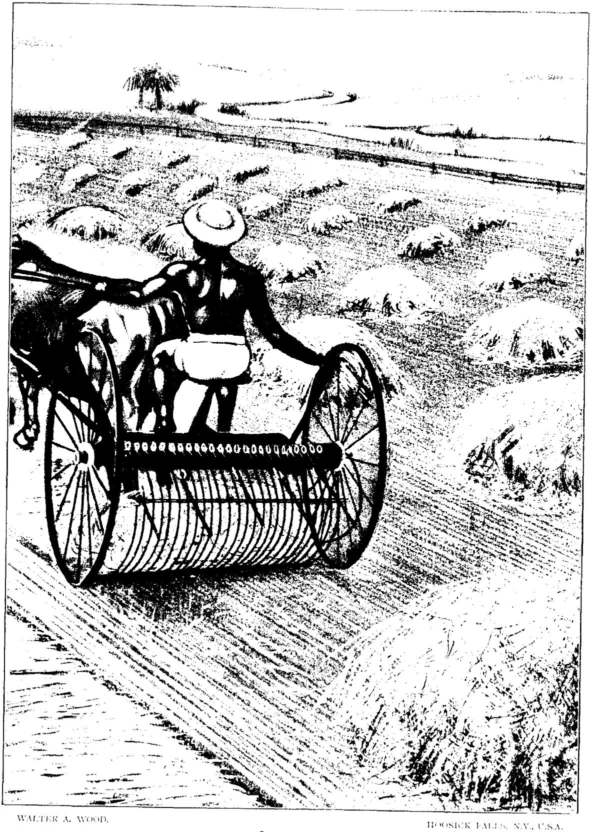
(२९) नाजभंडार क़ायम रखना.

(३०) देहाती बैंक क़ायम करना.

मुख़्तसिर यह कि हर सूरत से अपने गांव व आसामियान की आसायश, आसूदगी और ताक़त को जहांतक होसके बढ़ाना और क़ायम रखना.

क़ानून व कवाअद से वकाफ़ियत रखना.

हस्बे मुंदर्जे बाला ज़मींदारान को जो काम कि तामीलन करने पड़ते हैं या इन्तज़ामन् उनके मुतअल्लिक़ सरकार ने क़वाअद बना दिये हैं या अपना मन्शा मुश्तहर कर दिया है और जब जब उसमें कोई रद्दो बदल होती है तो सरकार उसे गजट और क़ानूनी किताबों के ज़र्ये मुश्तहर करती रहती है. अब यह लाज़िमी आता है कि ज़मींदारान मौजूदा क़वाअद से वाक़िफ़ हो जावें और आयंदा की तग़ीर तबदीलियों से वक़्तन फ़वक़्तन होते रहें.



WALTER A. WOOD. HOOSICK FALLS, N.Y., U.S.A.

नींदने की कल.

यह तब हो होसकता है कि जब ज़मींदारान अपना एक दफ़्तर गांव में बनावें जिससे सरकार से उनके लिये जो रिआयतें मंज़ूर की हैं उनका फ़ायदा वे पूरा पूरा उठा सकेंगे. कोई सरकारी हाकिम उनसे अगर कोई बरताव बेक़ायदा करेगा तो उसकी बेक़ायदगी उसे जताकर वे उज्र माज़रत करसकेंगे, बल्कि जब ज़मींदारान ऐसे समझदार व जानकार होंगे तो सरकारी हाकिमान उनकी वक़अत ज़्यादा करेंगे और खुद बखुद बेजाइयत से बाज रहेंगे.

दफ़्तर ज़मींदारी.

१०. हालत ज़माना साबिक़ में और थी और हाल में और है. चुनांचे हस्ब ज़माना हर ज़मींदार को चाहिये कि अपने अपने गांव में जहां वह रहता है एक कचेरी बनाम कचेरी ज़मींदार बनाये और उसमें होशियार कारकुन रक्खे ताकि हर देन लेन का हिसाब किताब व दरबार के अहकामात व क़ानून व सरक्यूलरात वग़ैरा उस कचेरी में रक्खे जाकर उनकी तामील वक़्त पर होती रहे. हर आसामी के खातों की खतावनी उस कचेरी में रहे ताकि जैसा सरकार ने ज़मींदार के लिये साफ़ साफ़ लेन देन समझ लेने का ज़र्या बमूजिब क़लम १६ बाब ११, किताब हाजा दिया है वैसा ही आसामी को ज़मींदार देवे. अलबत्ता यह ज़रूरी है कि ज़मींदार कारकुन पर पूरी निगरानी रक्खे वर्ना कारकुन को शरारत करने का मौक़ा है. कारकुन रखने में वे सूद बारसफ़ा नहीं है बल्कि उससे ज़मींदार का कई तरह फ़ायदा ही है. यह बात अनुभव से मालूम होगी.

दाखले के कागजात.

ज़मींदार की कचेरी में जो काग़ज़ात रखने चाहिये बतौर मिसाल के ज़ेल में बताये जाते हैं:

(१) अपने गांव या गावों का नक़्शा क़िश्तवार.

(२) खसरा व खतौनी की नक़लें.

(३) आसामीवार खतौनी.

(४) रसीद बुक.

(५) आसामियों की क़बूलातें.

(६) जो ठहराव जिससे हों, वे.

(७) सरकारी पट्टा मय क़लमबन्दी.

(८) बीजभंडार का हिसाब किताब.

(९) कुल कानून व सरक्युलरात व क़वाअद सरकार.

(१०) जयाजी प्रताप व ग्वालियर स्टेट गज़ट की फ़ाइल.

(११) गश्ती अहकामात दफ़्तर तहसील की फ़ाइल.

(१२) इन्सपेक्शन बुक (विज़ीटर्स बुक).

(१३) मर्दुमशुमारी व शुमारी मवेशियान, हल बैल का रजिस्टर.

(१४) फ़ैसलेजात सरकारी जो हों.

(१५) कागज़ात मुतअल्लिक़ नालिशात.

(१६) बैंक काश्तकारी का खाता व टीपों की नक़लें.

(१७ सरकारी लेन देन का खाता.

(१८) एक ऐसा नक़शा जिसमें कौन कौनसी मियाद पर उसे क्या करना है, किसको रुपया देना है, किससे लेना है यह बताया गया हो.

(१९) हालात देही की पाकिट बुक.

(२०) अकाल के इन्तज़ाम के मुतअल्लिक़ कागज़ात.

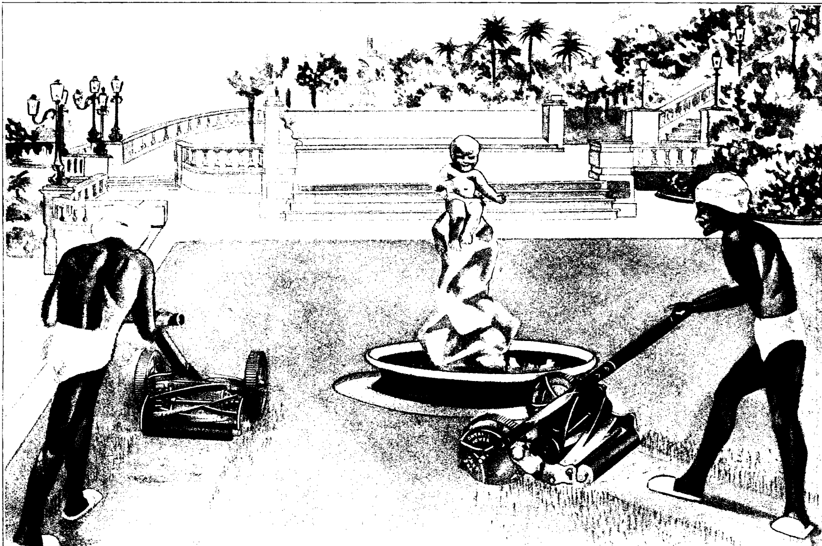
(२१) सरकार में जो दरख़्वास्तें दी जावें उनकी नक़लें व जो उन पर हुक्म मिलें वे.

(२२) रसद परवानों की फ़ाइल, रसद राजिस्टर, गाड़ी व मज़दूरों की परवाना फ़ाइल.

(२३) स्याहा उसमें वह रक़म भी बतलाना चाहिये जो सड़कों के दुरुस्ती में सर्फ़ की हो.



दूब काटने की कल.



दूब काटने की कल.

TAYLOR FORBES & CO., LONDON.

(२४) अहकाम कागज़ात देही व सेटिलमेंट.

(२५) ज़मींदारी कान्फरन्स के ठहराव.

(२६) पंचायत बोर्ड के प्रोसीडिंग्स अगर पंचायत हो तो.

(२७) हिफ़ाजत सरहद की फाइल.

(२८) कागज़ात मुतअल्लिक़ पुलिस.

(२९) रजिस्टर माफ़ी सरकारी व दादे ज़मींदार जिसका रुपया उन्हें वसूल करके देना होता है.

३०. रजिस्टर आम्दनी चरू बमूजिब कानून जंगलात.

३१. हिसाब आबयाना.

३२. डायरी वग़ैरा.

क़ानून, कवाअद, सरक्यूलर, गज़ट वगैरा मंगवाना.

ज़मींदारान जो होशियार हैं उनको चाहिये कि मतबे सरकारी को आम आर्डर दे देवें कि जो जो इशाअत सरकार मुतअल्लिक़ अवाम के छपें वे फ़ौरन उन्हें भेज दिये जावें. और क़ानून कवाअद के बिल भी जो आम लोगों की राय दर्याफ़्त करने के लिये कानून मंज़ूर होने से पेश्तर ग्वालियर गज़ट के साथ छपते हैं वग़ैरा.

दवाइयां रखना.

जरूरी दवाइयां कचहरी में रखना, जैसेः

परमेगनेट आफ़ पोटेश (कुओं का पानी साफ़ करने की दवाई).
कालरा मिक्स्चर (हैजे की दवाई).

गांव बसाने का नमूना.

११. देहातों में जो बस्तियां इस वक्त मौजूद हैं वे पुराने जमाने से बसते २ बसी हैं. इस वजह से उनमें तन्दुरुस्ती के क़ायदों की पाबंदी नहीं हुई है. इन क़वाअद के मुताबिक़ इन बातों की ज़रूरत है कि मकान करीने से बनें, रास्ते खूब लंबे चौड़े हों, सब्जी, फल फूलों के दरख़्त मकानों के पास लगाये जांय, ग़िलाजत सफ़ा हो जाय व लड़कों के खेल कूद व पढ़ने के लिये जगह

अलहदा हो, बड़े आदमी के बैठने फिरने के लिये अच्छा सायादार चौक हो. जिस काश्तकार का कारोबार खेती का फैला हुआ है वह अपने खेत में ही मकान बनाके रह सके वग़ैरा. चुनांचे गांव बसाने के नमूने का एक नक़्शा इस किताब में दिया है उसमें अलावा ऊपर की बातों के यह भी दिखाया है कि गांव में जो कुदरती जर्ये आम्दनी बढ़ाने के मिल गये हैं वे कैसे काम में आते हैं? मुफ़स्सिल तशरीह इसकी उस नोट में की गई है जो उस नक़्शे के साथ है. अगर ज़मींदारान व काश्तकारान उस नमूने को मद्दे नजर रखकर उसी ढंग पर आयंदा बस्ती बनावेंगे और क़ायदों की पूरी पूरी पाबंदी करेंगे तो उनकी तन्दुरुस्ती बहुत कुछ सुधरेगी, उनके बाल बच्चे व मेवशी ख़ूब फलेंगे फूलेंगे और वे हर तरह की तरक़्क़ी करके माला माल हो जावेंगे.

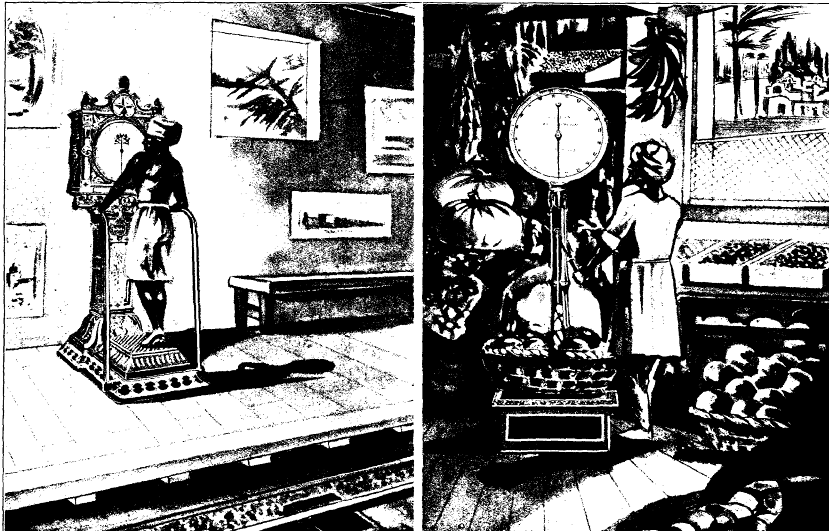
आयन्दा उम्मेद.

जो कुछ ऊपर लिखा गया है वह मुफ़ीद ज़मींदारान व हाकिमान माल है, उसकी तामील करना या करवाना उनका काम है. उन बातों की तरफ़ तवज्जोह दिलाना लिखनेवाले का काम है. हर काम में मदद देना और उसमें कामयाबी का होना परमेश्वर के हाथ है. जो आदमी अपने काम को नेक नियती के साथ दिल लगाके और ईश्वर का नाम लेके शुरू करता है उसका बेड़ा वही पार करता है.

बाब २.

विद्याधर गांव.

नम्बर.	विषय.	पृष्ठ.

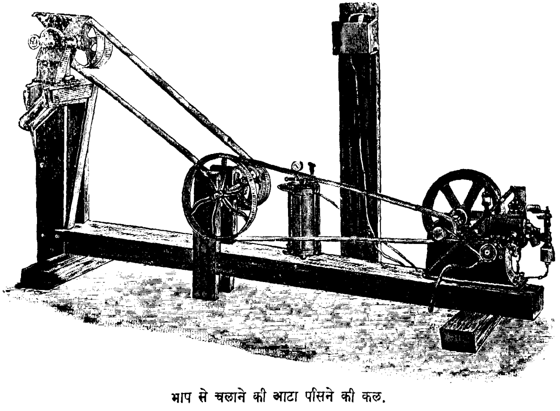


W. LESLIE & CO. CALCUTTA.

अपने आप तोलने की कल.



आटा पीसने की कल.



भाप से चलाने की आटा पीसने की कल.

बाब २.

विद्याधर गांव.

गांव की तारीफ.

चन्द्रशेखर--यह कौन जगह है?

सूर्यसिंह—यह विद्याधर गांव है. इसको पांच वर्ष हुए सरकार के हुक्म से कुछ लोगों ने जो बाहर से आये थे बसाया है. यह नाम का गांव है पर अच्छे अच्छे शहरों से अच्छा है.

चन्द्रशेखर—ठीक कहते हो, और गांव में काश्तकारों के झोंपड़े ही झोंपड़े दिखाई देते हैं, पर यहां कुछ और ही बात है. सब मकान पक्के, साफ बने हुए हैं. सब के साथ फूल, फल और सब्ज़ी के छोटे छोटे बाग बगीचे हैं. पानी भी नलों से आरहा है और ढोर डंगरों के लिये दूर दूर पर घेर बने हैं. न मक्खियां हैं, न मैला है, न बदबू है, वाह क्या बात है गांव हों तो ऐसे ही हों. बगीचे, पानी, मकान.

सूर्यसिंह—अभी आपने देखा क्या है? पास जाकर अच्छी तरह देखोगे कि यहां के सब मकान चार पांच फुट की कुर्सियों के ऊपर बने हुए हैं. हवा और रोशनी सब कमरों में जाती है. सोने और बैठने के कमरे अलग अलग हैं, खाना पकाने के मकान अलग अलग, पखाने अलग अलग. हर मकान के साथ गुसलखाने, कपड़े पहनने के कमरे हैं. यहां की सब स्त्रियां पढ़ी, लिखी, मेहनती, सुशीला और पतिव्रता हैं. लड़के सब भले और सुशिक्षित, धर्म और परोपकार ही में रात दिन लगे हुए अपने कामों में घेरे हुए सच्चे और राजभक्त हैं. यहां चोरी, जारी, नशेबाज़ी और ठगाई, जुआ, निंदा, जालसाज़ी इत्यादि नाम को भी नहीं हैं. सब एक दूसरे का भला चाहते हैं और परोपकार और भलाई को ही अपना धर्म समझते हैं. यहां मालगुज़ारी और लगान कभी नहीं अटकता, न ज़मींदार काश्तकारों को किसी तरह का दुःख देता है; बल्कि रात दिन उनकी भलाई में लगा रहता है. स्त्रियां और लड़के. मालगुज़ारी और लगान.

चन्द्रशेखर—वे चार बंगले से कैसे दिखाई पड़ते हैं? लड़के और लड़कियों की पाठशाला, छापाखाना, कुतुबखाना.

सूर्यसिंह—एक में लड़कियों की पाठशाला, दूसरे में लड़कों की पाठशाला, तीसरे में छापेखाना और आम कुतुबखाना है, चौथे में कपड़ा बुनने की कलें हैं.

डाकखाना, तारघर, मर्दों और औरतों का शफ़ाखाना.

चन्द्रशेखर—अच्छा वह पाचवां क्या है, उसके साथ साथ कौन कौन मकान हैं?.

सूर्यसिंह—एक में डाकखाना और तारघर है, दूसरा मर्दों का शफ़ाखाना, जिसमें अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी दोनों इलाज होते हैं और तीसरे में औरतों का शफ़ाखाना, चौथा फैलानेवाली बीमारियों के मरीज़ों के लिये हैं, पर यह बीमारियां यहां होने नहीं पातीं. यह नाले और नालियां ऐसी बनी हैं कि कीच होने ही नहीं पाती और पानी भी कहीं मीलों तक ठहरने नहीं पाता.

नाले और नालियां.

चन्द्रशेखर—अच्छा वह कौन मकान है जहां चपरासी सा दिखाई देता है?

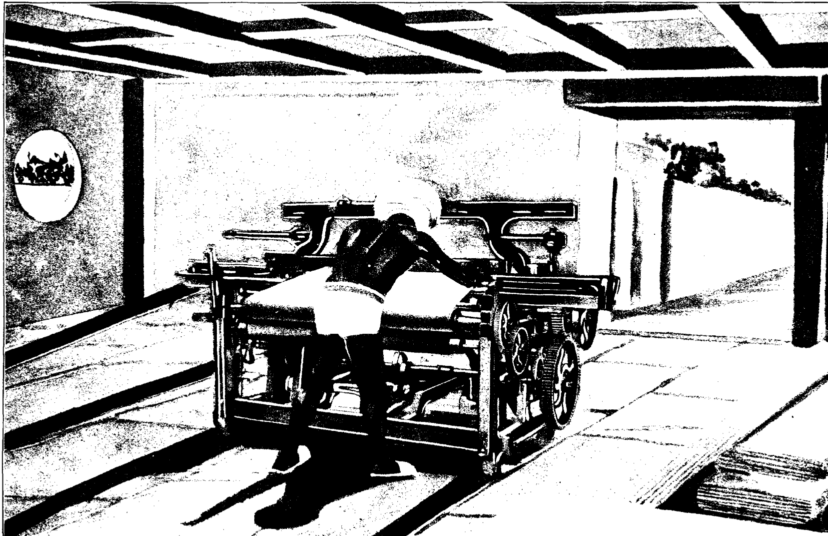
साझे की दूकान, गांव का बेंक, पंचायत का मकान, गन्ने पेलने, पानी लाने और मक्खन बनाने की कलें.

सूर्यसिंह—एक में साझे की दूकान, दूसरे में गांव का बेंक, तीसरे में पंचायत होती है और चौथे में जो बाहर के लोग आते हैं वे ठहराये जाते हैं. इसके आगे गन्ने पेलने और मक्खन बनाने की कलें और पानी लाने की भी कलें हैं.

गूंगे, बहरे, अनाथ, और लंगड़े लूले का बंदोबस्त.

चन्द्रशेखर—अच्छा यह तो बताओ कि यहां अनाथ, विधवा, अंधे और लंगड़े लूलों का क्या बन्दोबस्त है?.

सूर्यसिंह—उनका भी अच्छा बन्दोबस्त है. गांव के चन्दे से उनका पालन पोषण और शिक्षा होती है. अनाथ और विधवाओं को खेती के



BURN & CO., LTD.

धोती बुनने की कल.

CALCUTTA AND HOWRAH.

सिवाय और काम भी सिखाये जाते हैं. गांववाले सब अपने अपने काम सीखे हुए हैं. आपने सुना होगा कि यहां के गूंगे बहरे और अन्धे तक किताबों पर हाथ रखरखकर पढ़ लेते हैं.

चन्द्रशेखर—यह तो मैं जानता हूं,और यहां क्या होता है?.

सूर्यसिंह—यहां ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत की नहीं जो न मिलती हो. बहुधा जो लोग बाहर से आते हैं वे कहते हैं कि हमने ऐसा गांव कहीं नहीं देखा.

चन्द्रशेखर—यहां कसरत करने की कौनसी जगह है, और खेल क्या क्या होते हैं?. कसरत, खेल.

सूर्यसिंह—पश्चिम की तरफ़ मैदान है, वहां गांववाले और लड़के सभी खेलों को खेलते हैं. कसरत पहलवान सिखाता है. घोड़े पर चढ़ना मामूली बात है और जितने खेल सरकारी मदर्सों में होते हैं उनको यहां सभी जानते हैं.

चन्द्रशेखर—एक बात यहां बहुत अच्छी यह भी है कि यहां की सब लड़कियां मदर्सों में पढ़ती हैं, और अनपढ़ यहां कोई भी नहीं हैं, न कोई सरकारी नौकर रिश्वत लेता है. रिश्वत.

सूर्यसिंह—रिश्वत कैसे लें? प्रथम तो यहां कोई नौकर बेईमान नहीं, किन्तु सब पढ़े लिखे और ईमानदार हैं. दूसरे अगर कोई ले भी तो छापेखानेवाले और व्याख्यान देनेवाले उनके नाक में दम करदेते हैं. छापेखाना और व्याख्यान का मकान.

चन्द्रशेखर—मैं यह सुनकर बड़ा खुश हुआ कि यहां छापेखाना और व्याख्यान का मकान भी है. अच्छा और क्या क्या यहां देखना है?.

सूर्यसिंह—देखने को बहुत कुछ है पर आपको इतना समय कहां है?.

जैसे यहां पुतलीघर में रुई और रेशम का काम होता है. लड़कियां तस्वीर खींचना, पुतले बनाना, क़सीदा आदि निकालना सब जानती हैं. मर्द बढ़ई, लोहार, धोबी आदि का काम सीखे हुए हैं. यहां विलायती हल और पानी के पम्प भी हैं और शहद की मक्खियां घर घर पली हुई हैं. यहां पुतलीघर, तस्वीर खींचना, पुतले बनाना, क़सीदा आदि करना.

शिल्पकारी.

लोग गर्मियों में वर्फ़ बनाते और दूर तक बेचने को जाते हैं. कुम्हार यहां के बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं. बढ़ई मेज़, कुर्सी, गाड़ी आदि सबही तो बना लेते हैं. पूरनो का लड़का हमारे ज़मींदारों की बिगड़ी हुई कलों को सुधार लेता है इससे बाहर से इंजीनियर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यहां से अचार, मुरब्बे, बाहर बिकने को जाते हैं. आपने सुना होगा कि यहां के घोड़े, गाय, बैल, मशहूर हैं. यहां काग़ज़ भी बनता है और जाड़ों के लिये कम्बल, कश्मीरे आदि सब लोग बनालेते हैं.

चन्द्रशेखर—भाई बहुत किया. पांच वर्ष में इतना होजाना थोड़ा नहीं है. मैं तो यही चाहता हूं कि इस देश के सभी गांव ऐसे ही होजाते तो बहुत ही अच्छा होता.

चीज़ों की परवाह.

सूर्यसिंह—ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही होगा, और सुनिये यहां कोई चीज़ बरबाद नहीं होने पाती. चिथड़ी और रस्सियों के टुकड़ों को तो काग़ज़ बनानेवाले ले जाते हैं. सड़ी से सड़ी चीज़ से भी काम लेते हैं. जिससे कुछ भी न बन सकेगा तो खाद तो भी बनेगा, भला फल फूल और अच्छे घासों का तो कहना ही क्या है.

चन्द्रशेखर—मालूम होता है कि इस देश के भी दिन अच्छे आये.

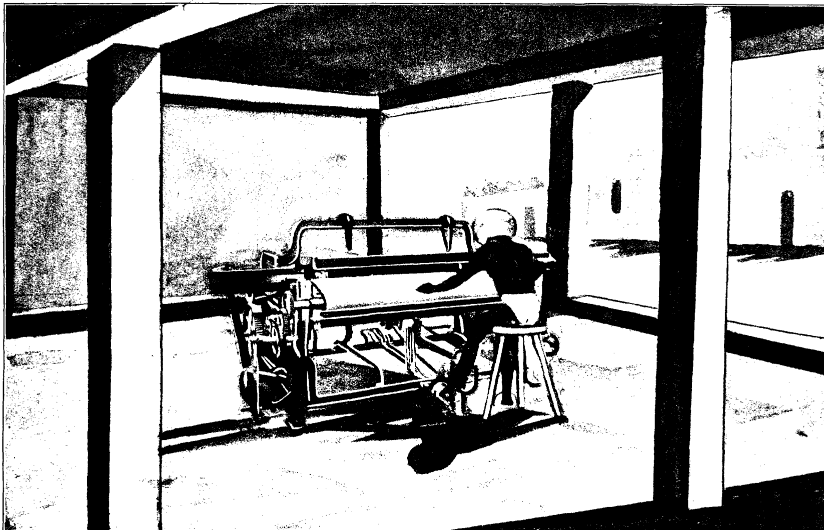
सूर्यसिंह—सब ईश्वर के आधीन है. हमारा काम मेहनत कर देने का है, पर फल उसी के हाथ है.

सफ़ाई.

चन्द्रशेखर—यहां हलवाई की दूकान तो दिखलाई देती है, पर मैला और काला कहीं नहीं दिखलाई देता यह क्या बात है?.

सृष्टि की शक्तियों से काम लेना.

सूर्यसिंह—यहां के लोग मैले से बहुत डरते हैं. वह समझते हैं कि सफ़ाई बड़ी चीज़ है. ये लोग केवल लकड़ी और कोयले ही से काम नहीं लेते बल्कि सूर्य की गर्मी और बिजली और हवा से भी उतनाही काम लेते हैं. आप देखेंगे कि ये थोड़े दिनों में विमानों में उड़े उड़े फिरेंगे.



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.

हाथ और पैर से चलनेवाली कपड़ा बुनने की कल.

लम्बरदार और गांववालों का आपसी बर्ताव, मालगुज़ारी, गाय, बैल, जंगल आदि.

चन्द्रशेखर—इस गांव में लम्बरदार (प्रधान) और गांववालों का आपस में बर्ताव कैसा रहता है ?.

सूर्यसिंह—यहां की रय्यत लम्बरदार (गांव के मुखिया) को अपने पिता के बराबर मानती है और लम्बरदार भी गांववालों को अपने लड़कों के समान समझता है. दोनों के आपस के प्रेम को देखके लोगों को बड़ा आश्चर्य और खुशी होती है.

चन्द्रशेखर—यह किस तरह मालूम होता है कि लम्बरदार और गांववालों में बहुत प्रेम है ?. प्रेम.

सूर्यसिंह—हम इसको रात दिन देखते हैं. जब कभी कोई दुःख गांव के किसी आदमी को होता है तो लम्बरदार उसको अपना ही दुःख समझ के उसका उपाय करता है. जब कभी कोई बीमार होता है तो उसकी फिक्र लम्बरदार को होती है. जब किसी गरीब को कोई सताता है तो लम्बरदार उसको बचा देता है और सतानेवाले में और उस गरीब में भ्रातृभाव (भाईचारा) पैदा करा देता है. जिससे सताने के बदले वह उसको मदद देना शुरू करता है. जब कोई काश्तकार को सताता है तो वहां भी वही हाल हो जाता है. प्रेम और भ्रातृभाव के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आता.

चन्द्रशेखर—इस गांव में ऐसा क्यों होता है ?.

सूर्यसिंह—इसका मुख्य कारण यह है कि जब सब लोग बुराई को निकालने और बुराई की जगह भलाई को रखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही होता है. जब लोगों के दिलों से छल, कपट, ईर्षा, धोखा, अन्याय और स्वार्थपना निकल जाते हैं और उनके दिलों में दया, प्रेम और परहित का विचार आजाता है तो ऐसा ही होता है. फिर बुराई नहीं रहने पाती और भला ही भला देखने में आता है.

चन्द्रशेखर—क्योंजी अगर यही बात है तो यहां सरकारी मालगुज़ारी भी कभी नहीं रुकती होगी ?. मालगुज़ारी.

सूर्यसिंह---हां इसमें संदेह नहीं. मालगुज़ारी कभी नहीं रुकती, क्योंकि जितने गांववाले हैं वे यह कभी नहीं चाहते कि लम्बरदार की बदनामी हो या उसको किसी प्रकार का दुःख पहुंचे. जैसे लम्बरदार उनका भला चाहता है या उनका आदर करता है वैसे ही वेभी उसके हितैषी (भला चाहनेवाले) हैं. ऐसी अवस्था (हालत) में बतलाइये किसको दुःख होसकता है.

चन्द्रशेखर---वाह क्या बात है! यह बात यहां अनोखी है. ईश्वर करे सब गांवों में ऐसाही मेल और प्रेम बढ़े और इस देश के सब लोग ऐसाही करें. अच्छा, यहां के गाय, बैल इत्यादि पशुओं के चरने का क्या प्रबन्ध है?.

गोचर. सूर्यसिंह--इनके चरने के लिये यहां बहुत जमीन छोड़ी हुई है, सिवाय इसके वे जंगल में भी चरने को जाते हैं.

जंगल. चन्द्रशेखर----यहां जंगल कितना बड़ा है?.

सूर्यसिंह----जंगल यहां का बहुत बड़ा है. जैसा छोटा गांव है उसके हिसाब से जंगल बहुत ही बड़ा है. इसकी सूखी लकड़ी और घास से आदमियों और जानवरों के कुल काम निकल आते हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं रहती.

चक्की. चन्द्रशेखर---यहां पर आटा कैसे पीसाजाता है?.

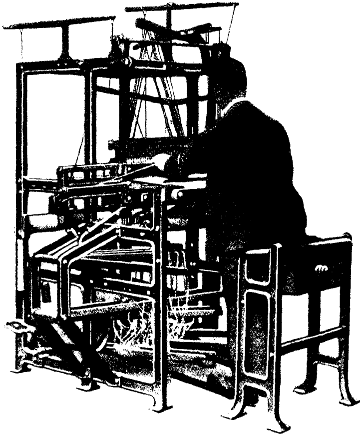
सूर्यसिंह---यहां पनचक्की है, कलें भी हैं, अधिक आवश्यकता होने पर घर घर भी पीस लेते हैं.

सुनार, लोहार, मोची वगैरह. चन्द्रशेखर---जूते आदि कहां से आते हैं?.

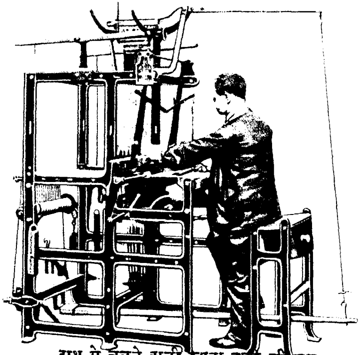
सूर्यसिंह---जूते लोग यहीं बना लेते हैं. यहां के जूते बड़े सस्ते और मजबूत होते हैं.

चन्द्रशेखर---यहां सुनार, घड़ीसाज़, लोहार आदि भी हैं?.

सूर्यसिंह---क्यों नहीं, यह तो मामूली जगहों में भी होते हैं यहां क्यों न होंगे, पर यहां की स्त्रियां बहुत कम जेवर पहनती हैं और लड़कों को तो कभी पहिनाती ही नहीं. इन लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि आदमी के लिये सब से अच्छे जेवर विद्या और शील हैं.



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.



हाथ से चलने वाली कपड़ा बुनने की कल.



CALCUTTA.

हाथ की चक्की.

चन्द्रशेखर—इस गांव में चोर और डाकुओं से लोगों की हिफ़ाजत किस तरह होती है?. चोर और डाकू.

सूर्यसिंह—यहां के लोगों में इतना एका है कि या तो चोरों को पकड़ लेते हैं या भगा देते हैं. जब कभी वे चोर और डाकुओं से मुक़ाबला करते हैं तो वे इस हिक़मत से करते हैं कि वे पकड़े ही जाते हैं और जब बदमाशों को उनके एके और उनके मुक़ाबला करने की ताक़त मालूम हो जाती है तो उनको गांव में जाने की जुरअत नहीं होती. इस गांव में ईश्वर की कृपा से इस बात का बड़ा आराम है.

चन्द्रशेखर—अक्सर गांवों में आग लगजाने का डर रहता है, इस गांव-वालों ने मकानों को आग से बचाने के लिये क्या बन्दोबस्त कर रक्खा है?. आग से बचाव.

सूर्यसिंह—इस गांव के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत कामों को आदमी अकेला कर लेता है परन्तु बहुतसे काम ऐसे होते हैं जो आदमियों के मिलके करने से अच्छे होते हैं. जो काम मिलके करने से अच्छे होते हैं उनको ये लोग खूब समझते हैं. उनमें से मकानों में लगी हुई आग बुझाने का काम भी है. जब कभी किसी गांव के मकान या मकानों में आग लगजाय तो उसके बुझाने के लिये बहुत आदमियों की जरूरत होती है. सिवाय इसके आग में पानी और मिट्टी डालने की भी ज़रूरत बहुत होती है. ये काम जब आग बहुत फैली होती है तो एक या दो आदमी से नहीं होसकते. बाज़ वक़्त सारे गांववालों को इकट्ठा होना पड़ता है. बाज़ वक़्त दस पन्द्रह आदमी भी कर लेते हैं. इसलिये इस गांव के आदमी एक तो घड़ों और नांदों में ऐसे वक़्त के लिये पहिले ही से पानी रक्खे रहते हैं और मिट्टी ढोने के लिये टोकरियों का भी पूरा पूरा बन्दोबस्त रहता है और लोगों में भी यह कायदा जारी है कि जब कभी गरीब या अमीर के मकान, झोपड़े या नौकरों के या कलघर आदि आम मकान में कहीं भी आग लगे तो उस वक़्त आग बुझाने के लिये तुरन्त चले जाते हैं और जब तक आग अच्छी तरह बुझ नहीं जाती और आग लग जाने के सबब सब चीजों के सम्हालने का बन्दोबस्त नहीं होजाता तब तक उस जगह काम करने के लिये हमदर्दी के साथ मुस्तैद रहते हैं. लोगों के साथ हमदर्दी का यहां यह हाल है कि जब छोटे लड़के भी कहीं दूसरे का नुक़सान

होता देखते हैं तो फौरन इस बात की खबर अपने मां बाप और बहनों और भाइयों को देते हैं.

अन्न का काल पड़ना.

चन्द्रशेखर—इस देश में कभी २ अन्न का काल पड़ता है और कभी घास का भी काल ऐसा पड़ता है कि गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि के लिये महीनों तक चारा नहीं मिलता. जब कभी ऐसा होता है तो लोग क्या करते हैं?.

घास.

सूर्यसिंह—यहां के लोग ऐसे दूरंदेश हैं कि ऐसा मौका आने नहीं देते- अक्सर ये लोग इतनी घास सुखाके इकट्ठी रखते हैं कि अगर साल दो साल घास पैदा न भी हो तो भी इनके जानवरों को तकलीफ नहीं होती. चारा काफ़ी मौजूद रहता है. इनको घास और चारा इकट्ठा रखने की बहुत तरकीबें मालूम हैं. अक्सर ये लोग घास को बीज आने से पहिले काट के सुखाते हैं, ऐसे सूखे घास को खा के जनावर तन्दुरुस्त और पुष्ट रहते हैं.

आबपाशी.

चन्द्रशेखर—इस गांव में आबपाशी का क्या हाल है?.

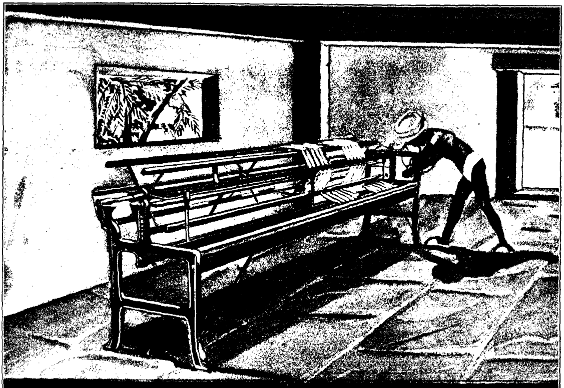
सूर्यसिंह—इस गांव में लोग कुओं, तालाबों और लोहे के नलों से आबपाशी करते हैं. न बरसात का पानी खराब होने देते, न नदी और नालों का पानी बेकार बहने देते, इनके पास बहुत प्रकार के पंप हैं. जहां पानी नीचे हुआ और ज़मीन ऊंची हुई तो पानी को ऊंची ज़मीन पर पंपों के द्वारा ऊपर को चढ़ा लेते हैं. जहां कुओं और तालाबों का पानी निकालना हुआ तो क़िस्म क़िस्म के पंपों से निकाल लेते हैं.

चन्द्रशेखर—पंपों और नलों को मोल लेने और उनके द्वारा दूसरी जगह पानी ले जाने में खर्च बहुत होता है यह खर्च कहां से आता है?.

सूर्यसिंह—इस गांव के लोग बड़े अक़्लमन्द हैं. ऐसी चीज़ों को मोल लेने और क़ायम रखने के लिये आपस में चन्दा कर लेते हैं. सिवाय इसके यहां के धनवान आदमी भी सब भला चाहते हैं और जब किसी को जरूरत हुई तो अपने खास पंप और औज़ार भी काम चलाने के लिये दे देते हैं.

नाबालिगों का बन्दोबस्त.

चन्द्रशेखर—जब गांव में नाबालिग हों तो उनका बन्दोबस्त कौन करता है?.



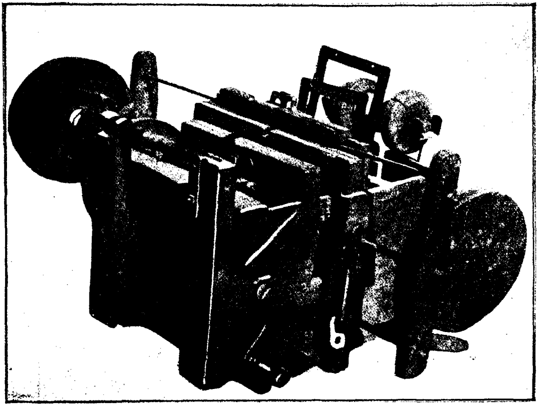


BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.

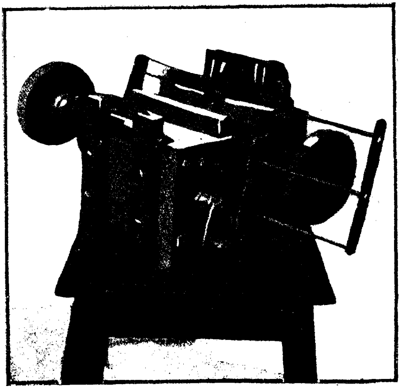
डोरे की रील बनाना.

डोरे के गुच्छे बनाना.

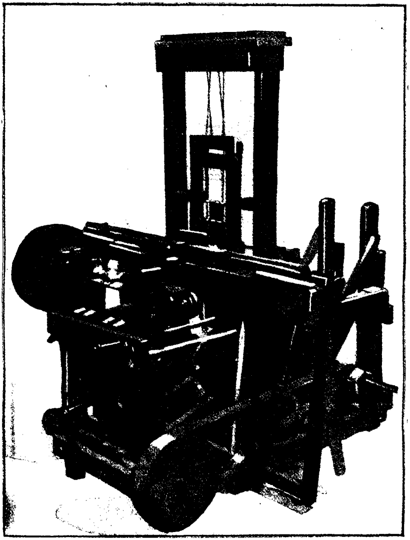
सादा लाल फीता बनाने की छोटी कल ।



सादा लाल फीता बनाने की बड़ी कल ।



जीन के नमूने की (ड्रील पेटर्न) फीता बनाने की कल।



चित्रशाला प्रेस, पूना।

सूर्यसिंह—उनका बन्दोबस्त गांववाले मिलके ऐसा कर देते हैं कि नाबालिगों को यह नहीं मालूम होने पाता कि हमारा वली कोई नहीं है. सिवाय घर के काम के और जायदाद के बन्दोबस्त के उनकी कायिक वाचिक और मानसिक तालीम और तर्बियत का वे ऐसा ही बन्दोबस्त कर देते हैं जैसे वे अपने लड़के लड़कियों का करते हैं.

चन्द्रशेखर—क्योंजी और गावों में बीज बोने के लिये जो गल्ला होता है उसको किसान लोग साहूकारों से उधार लेते हैं, और साहूकार लोग बतौर सूदके उनसे इतना गल्ला ले लेते हैं कि उनकी गुज़र के लिये बहुत कम गल्ला रह जाता है इससे किसानों को बहुत तकलीफ़ होती है. बताओ तो इस गांव में भी क्या साहूकारों से ही बीज उधार लिया जाता है?. बीज बोने के लिये गल्ला.

सूर्यसिंह—नहीं यह बात नहीं है, यहां लोग चन्दा करके पहिले ही से बीज के लिये गल्ला खरीद के रख छोड़ते हैं इससे उनको साहूकारों, जमींदारों से बीज उधार लेने की जरूरत नहीं रहती और जितना गल्ला इस तरह होता है वह उनके सब खर्चों के लिये काफ़ी होता है इससे इनमें किसी प्रकार का असन्तोष नहीं फैलने पाता.

चन्द्रशेखर—यहां फैलनेवाली बीमारियां होती हैं कि नहीं?. फैलनेवाली बीमारियां.

सूर्यसिंह—मैंने कभी नहीं देखीं.

चन्द्रशेखर—इसका क्या कारण है?.

सूर्यसिंह—यहां के लोग अपने गांव, हातों और मकानों को ऐसे क़ायदे से बनाते और क़ायम रखते हैं कि उनकी तन्दुरुस्ती में फ़र्क नहीं आ सकता, न फैलनेवाली बीमारियां हो सकती हैं. सिवाय इसके इनको फैलनेवाली बीमारियों के रोकने के ऐसे क़ायदे मालूम हैं कि जिनके मुताबिक चलके उनको ऐसी बीमारियां होती ही नहीं.

चन्द्रशेखर—इस गांव में मुक़दमे बाज़ी भी होती है?. मुक़दमे बाज़ी.

सूर्यसिंह—नहीं, अव्वल तो आपसी मेल और हमदर्दी एक दूसरे के लिये इतनी है कि झगड़े होने ही नहीं पाते. दूसरे कभी आपस में नाइत्तफ़ाक़ी हो भी गई तो गांव के लोग उनका फ़ैसला कर देते हैं और आपस में मेल भी करा देते हैं.

लड़ाइयां और अपराध.

चन्द्रशेखर---यहां कभी लड़ाइयां या ख़ून भी होते हैं ?.

सूर्यसिंह—मैंने कभी नहीं देखे.

चन्द्रशेखर--इसका क्या कारण है ?.

सूर्यसिंह--अक्सर ये बातें तब ही होती हैं जब कोई किसी का हक़ न मारे या कोई किसी की स्त्री या रुपया या ज़ेवर या ज़मीन लेना चाहे. यहां ये बातें नहीं हैं बल्कि हरएक आदमी दूसरे की इज़्ज़त का और आराम का उतना ही ख़याल रखता है जितना कि अपना और दूसरे के साथ हर एक बात में सहानुभूति (हमदर्दी) और प्रेम रखता है वहां ये बातें कैसे हो सकती हैं.

चन्द्रशेखर--इन सब बातों से ज़ाहिर होता है कि इस गांव में धन धान्य और सम्पति सब कुछ है और लोगों का बर्ताव भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है. कभी झगड़े फ़िसाद भी नहीं होते और कोई किसी को सताता भी नहीं. अब बताओ जब कभी सरकारी ऑफ़िसर गांव में आता है तो वह क्या करता है ?.

सूर्यसिंह--वह गांव को देखके बहुत ही ख़ुश होता है और अपने ख़ुश होने के कारण अपनी रिपोर्ट में लिखके और गांववालों को शाबास देके चला जाता है.

मज़हब.

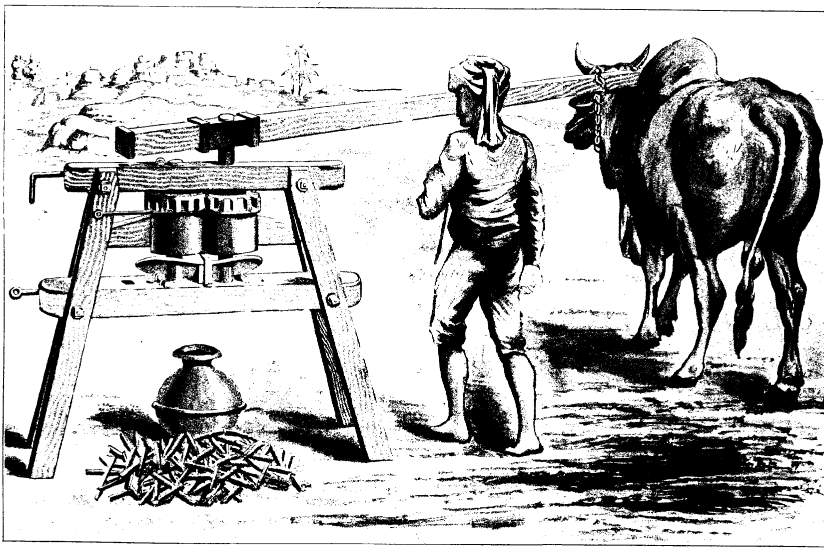
मज़हब.

चन्द्रशेखर—यहां किस मज़हब के लोग अधिक हैं ?.

सूर्यसिंह—अधिक तो हिन्दू हैं. कुछ मुसलमान भी हैं.

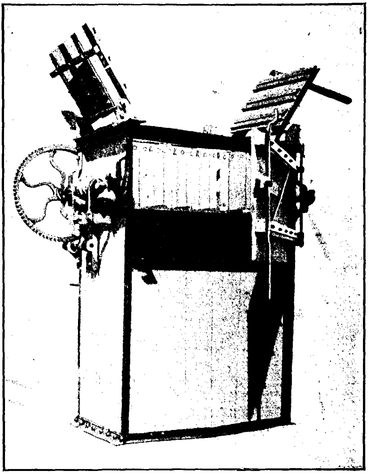
चन्द्रशेखर—यहां के मज़हबवालों का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव रहता है ?.

सूर्यसिंह—बहुत अच्छा बर्ताव रहता है, यहां के लोग यह समझे हुए हैं कि परिणाम में सब मज़हबों का उद्देश्य यही है कि ईश्वर की कृपा के अधिकारी होवें जिससे ज्ञान, सत्य, भक्ति, विश्वप्रेम, सर्वहितरमण, ईश्वर-प्राणिधान प्राप्त हों, द्वेष और बुराई इस संसार से जावे, सब भ्रातृभाव से रहें, ईश्वरभक्ति और लोकसेवा करते रहें, जिससे इस लोक का भी भला

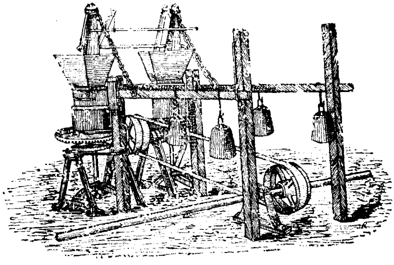


RICHARDSON & CRUDDAS. BOMBAY.

गन्ना पेलने का उठाऊ कोल्हू.



घास के गड्ड बांधन की छोटी कल.



तेल निकालने की कल.

हो और परलोक का भी भला. कोई मजहब ऐसा नहीं है जो इन बातों को न करने को कहता हो. केवल ईश्वर की पूजा में भेद है, कोई किसी तरह उसको पूजता है, कोई किसी तरह पर. देश, काल, स्वभाव और लोगों की प्रकृति और भाषाओं के भेद से भी बहुत भेद हो जाते हैं; परन्तु परिणाम में यह कोई ऐसा भेद नहीं है जिसको ज्ञानवान पुरुष न समझते हों. यहां के लोग इन बातों को अच्छी तरह समझे हुए हैं इसलिये धर्म सम्बन्धी मामलों में कभी नहीं लड़ते, न एक दूसरे की बुराई करते, न बुराई चाहते हैं.

चन्द्रशेखर—यही चाहिये, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. मतभेद संसार में सब ही मामलों में रहता है पर वह ऐसा न होना चाहिये जिससे भ्रातृभाव और भलमनसाहत में फ़र्क़ पड़े, और बातों का मालिक ईश्वर है. जो वह ठीक समझता है सो करता है, उसकी शरण लेना ठीक है. सब पापों से छुड़ानेवाला और भला रास्ता दिखानेवाला, दुःख में आश्वासन देनेवाला वही है. उसीके अर्थ निष्काम होकर सब काम करने चाहियें और सब से मैत्री और प्रीति रखकर रहा जाय तो इससे अच्छा गृहस्थियों के लिये और क्या है!

सूर्यसिंह—इसमें सन्देह नहीं कि यह गांव सब ही गावों में और सबही बातों में अच्छा है. धर्म का विषय बहुत कठिन होता है, इसमें भी धर्मों का निचोड़ इनके हाथ लगा. जब यह बात है तो ऐसा क्यों न हो कि यहांकेसे आदमी और जगहों में कम मिलें. ईश्वर करे अब से सबही जगह ऐसे ही आदमी होजावें.

चन्द्रशेखर—यहां धर्म और शील के उपदेश का क्या बन्दोबस्त है? धर्म और शील का उपदेश.

सूर्यसिंह—यहां इसका बड़ा बन्दोबस्त है, पहिले तो बच्चों की मां अपने लड़के और लड़कियों को धर्म और शील के विषय में शिक्षा देती हैं. फिर पाठशालाओं में भी इस बात का विचार रहता है. पाठशालाओं में केवल साधारण शिक्षा ही नहीं देते किन्तु चाल चलन सुधारने के लिये बड़ी मेहनत करते हैं. यहां के लोगों का यह ख़्याल है कि बिना शील और चलन के सुधार के सिर्फ़ पढ़ने से कुछ फ़ायदा ही नहीं. ये लोग कहते हैं कि रावण और हिरण्यकश्यप क्या पढ़े लिखे न थे? क्यों उन्होंने

इतने अत्याचार किये ? वे पढ़े सब कुछ थे पर उनके शील अच्छे न थे और धार्मिक, शीलवान, विचारवान और गुणग्राही न थे, इसीलिये उनकी यह गति हुई. आदमियों को चाहिये कि वे धर्म, नीति और शील पर सर्वदा ध्यान रक्खें.

चन्द्रशेखर—अच्छा और क्या बन्दोबस्त है जिससे यह बात हो?

मन्दिर और पुजारी.

सूर्यसिंह—यहां के मंदिरों के पुजारी सब पंडित और ईश्वर के बड़े भक्त हैं और वे सब को कुरीति और कुचाल से बचाते हैं. उनके सद्गुण, विद्या और चलन ऐसे हैं कि उनको देखकर बाहर के भी आदमी यही चाहते हैं कि ये हमारे गुरु होजावें तो अच्छा हो; परन्तु वे ऐसे लोग हैं कि जो रात दिन लोगों के हित में आप भी लगे रहते हैं और औरों को भी इस बात की शिक्षा देते रहते हैं. उनमें एक बात यह सब से बड़ी है कि वे कहते कम हैं करते अधिक हैं.

धर्म शिक्षा.

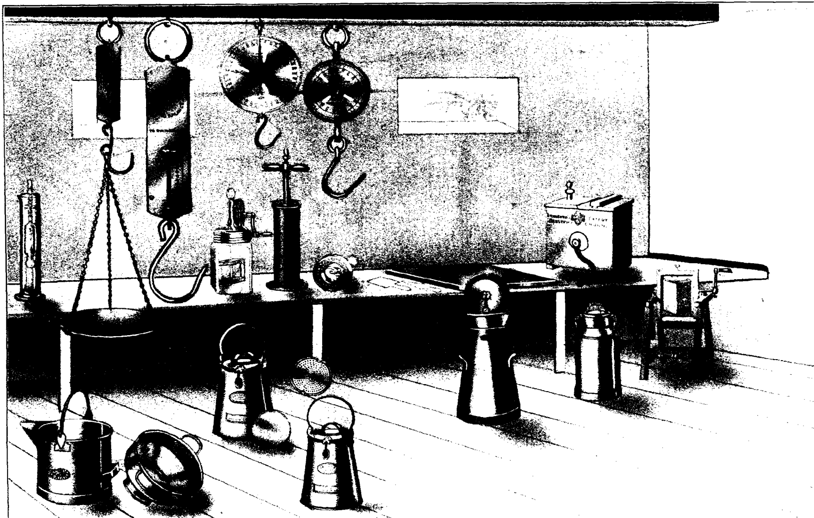
चन्द्रशेखर—यह बात सब से अच्छी है. यह तो बताओ कि यहां जो लोग हिन्दू नहीं हैं उनकी धर्मशिक्षा का क्या प्रबन्ध है?

सूर्यसिंह—सब धर्मवालों के मंदिर हैं. मुसलमानों की यहां पर मस्जिदें हैं, जैनियों के भी मंदिर हैं और हिन्दुओं का मंदिर आप देखही चुके. इन मन्दिरों और मस्जिदों में धर्म शिक्षा दी जाती है और लोगों का दुराग्रह निकाल दिया जाता है.

नीति और शील.

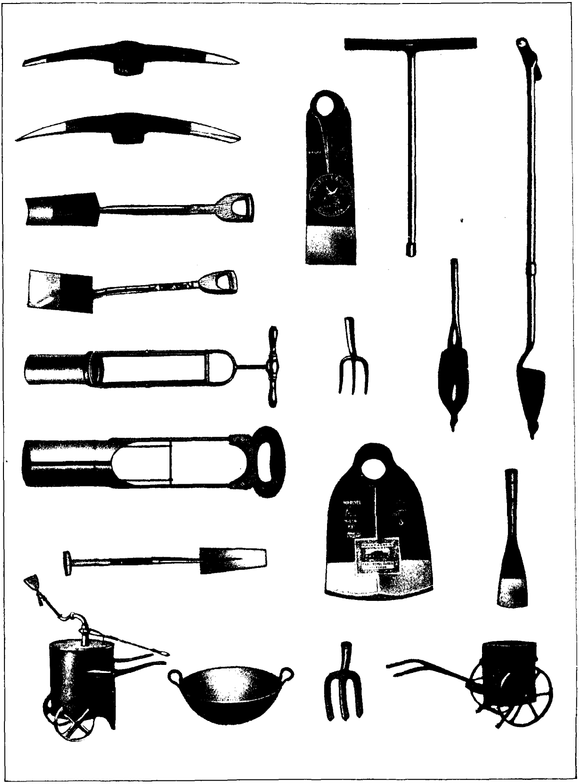
चन्द्रशेखर—इस गांव में नीति और शील किस प्रकार सिखलाये जाते हैं?

सूर्यसिंह—जितने ज्ञानवान और शीलवान आदमी भिन्न भिन्न देशों में हुए हैं उनके जीवनचरित्र सुनाये जाते हैं और लोगों को यह बतलाया जाता है कि अपनी जगह सब बड़े हैं. इस संसार को ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि यहां भेद के साथ साथ महा ऐक्य भी है. जितने बुद्धिमान लोग हैं वे ऐक्य को दिखलाते और बढ़ाते हैं; जितने मूर्ख हैं वे भेद और स्वार्थ ही के चेले होते हैं. मसल है कि चिराग के नीचे अंधेरा, जहां ज्योति होती है वहीं अंधकार भी पास ही रहता है. इनके भेद और ऐक्य जानने ही के



W. LESLIE & CO. CALCUTTA.

चार क़िस्म के तराज़ू. लेक्टोमेटर (दूध में पानी का अंश नापने का यंत्र.) दूध से मक्खन निकालने की कल. मक्खन की मुहर. मक्खन निकालने की बंद कल. दूध रखने का बरतन. दूध छानने का बरतन. दूध रखने का



W. LESLIE & CO. CALCUTTA.

खेती के औज़ार—फावडे, कुदाल वगैरह.

यत्न में मनुष्य की कायिक, वाचिक मानसिक शक्तियों की उन्नति होती है. दुःख, सुख, भेद, ऐक्य, रात, दिन, भला, बुरा, उजियाला, अंधेरा, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, नर्म, कठिन, काला, सफेद इत्यादि मनुष्य के ध्यान और विचार के लिये न होते तो वह बुद्धि किस तरह बढ़ाता और कैसे इतनी पदार्थविद्या और अध्यात्म विद्या का विकाश होता, क्योंकर वर्णनशक्ति, साहित्य इत्यादि बढ़ते और फलीभूत होते.

चन्द्रशेखर—आज कल के जो साधु हैं उनसे इन गांववालों को कितनी मदद मिली है ?

साधु सन्त और उनका उपदेश.

सूर्यसिंह—जो सच्चे और अच्छे साधु हैं उनसे बहुत मदद मिली और मिलती है, पर जो अपनी विद्या को नहीं जानते उनसे क्या हो सकता है? जैसे साधु पहिले होते थे वैसे अब भी हो जांय तो यह देश थोड़े ही दिनों में सुधर जावे. एक मुट्ठी अन्न में बड़ी बड़ी विद्याओं के विषयों को बता जाना साधुओं ही का काम है.

चन्द्रशेखर—इस गांव में आपको कौनसी बातें अच्छे साधुओं से मालूम हुई?

सूर्यसिंह—एक तो यह कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को मारना नहीं चाहिये किन्तु इनको वश में करना और रखना चाहिये. ईश्वर ने कोई चीज़ बिना मतलब नहीं बनाई है. इनको सुधारने और वश में रखने से मनुष्य वीर, पराक्रमी और योगीश्वर हो जाता है इनके नाश करने से कायर, बलहीन और तेजरहित होजाता है. इसलिये इनका सुधारना और वश में रखना ही ठीक है. इनको सुधारके और वश में रखके जहां जहां इनका काम पड़ता है इनको ठीक ठीक काम में लाना चाहिये. ऐसा न करने से सृष्टि बिगड़ जाती है और सृष्टि के काम भी बिगड़ जाते हैं. निदान सृष्टि और सृष्टि के कामों का सर्वनाश हो जाता है.

चन्द्रशेखर—अच्छा, दूसरी बात बताइये.

सूर्यसिंह—दूसरी बात यह है कि सब धार्मिक लोग इस बात की चिन्ता में रहते हैं कि ममता कैसे दूर हो? ममता ही के बढ़ने से मनुष्य दुःख पाता और पाप करता है [illegible]

परन्तु फिर भी ममता नहीं छोड़ सकते. मुझे एक साधु मिले उन्होंने मुझे बतलाया कि आदमी को यह चाहिये कि अपने आप को इस संसार में किसी चीज़ का मालिक न समझे, किन्तु अपने आप को ईश्वर का नौकर या मुख़्तार समझे तो आदमी की दुःखदायी ममता छूट जाती है.

चन्द्रशेखर—ऐसी बात कोई और भी बताइये.

सूर्यसिंह—तीसरी बात यह है कि हर एक मनुष्य का काम नियत होता है, उसे न करना यही बड़ा पाप है. इसलिये अपने कर्तव्यकर्म को कभी न छोड़ना चाहिये. सब काम छोड़ छाड़कर मूंड़ मुंड़ाकर घूमने से कर्तव्य कर्म भी छूट जाता है. यह त्याग नहीं है, त्याग कर्म के फल को ईश्वर को अर्पण करने को कहते हैं. जितने काम आदमी करे ईश्वर ही के अर्थ करे अपने अर्थ नहीं, क्योंकि मालिक ईश्वर ही है आदमी नहीं.

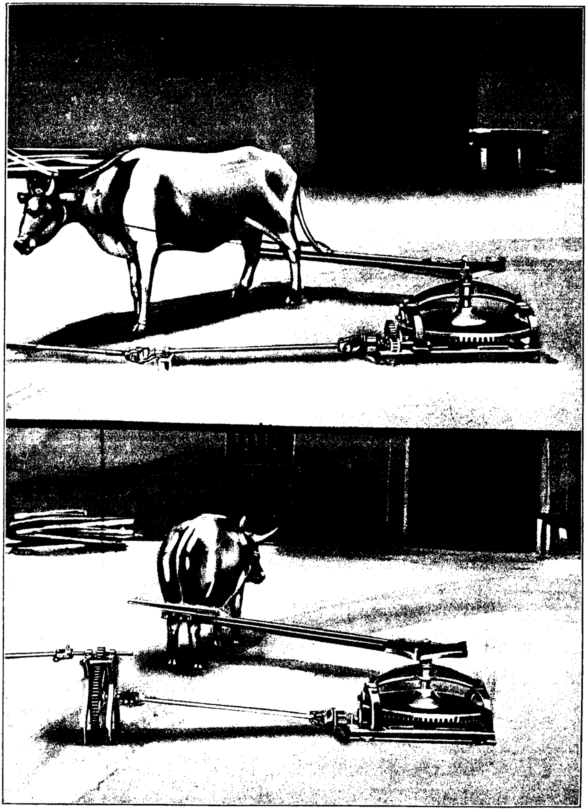
चन्द्रशेखर—क्योंजी क्या यहां के साधुओं ने ये बातें इस गांव के रहनेवालों को सब सिखलादी होंगी ?.

सूर्यसिंह—हां, यदि यहांवाले इन बातों को न जानते तो इतनी उन्नति कहां से होती और संतोष कहां आता ?.

इस देश के धर्म बिगड़ने का कारण.

चन्द्रशेखर—इस देश के धर्म बिगड़ने का क्या कारण हुआ ?.

सूर्यसिंह—इसका मुख्य कारण यह है कि इस देश की पुस्तकों में धर्म और नीति के जो ग्रन्थ हैं उनको बड़े विद्वान ही समझ सकते हैं, साधारण आदमियों की समझ में वे नहीं आते, न उनके अनुसार साधारण आदमियों से चला जा सकता है. पीछे पीछे जब उनकी टीकाएं लिखी गईं तो उनमें बहुत ऐसे लेख तय्यार हो गये कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में कुछ भेद न रहा और उन्हीं के अनुसार चलने से प्रवृत्ति मार्गवाले निवृत्ति मार्ग में चलने का यत्न करने लगे, और निवृत्ति मार्गवाले प्रवृत्ति मार्ग में चलने का यत्न करने लगे. प्रायः दोनों ही अपना अपना मार्ग भूल गये और उनके जो नेता बने वे ठीक २ शिक्षा लोगों को न देसके और जो शिक्षा उन्होंने दी भी वह इस गड़बड़ से ठीक न हुई. हिन्दू धर्म के अनुसार साधारण मनुष्य को अपना जीवन चार भागों में बांटना



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.

एक बैल से कल चलाने का सामान.

चाहिये. इस विषय में मनुष्य की आयु सौ वर्ष की मानी गई है. २५ बर्ष की अवस्था तक मनुष्य को पढ़ना चाहिये, २५ से ५० तक गृहस्थी करना चाहिये, ५० से ७५ तक कुछ तो घर और देश का काम देखना चाहिये और कुछ समय ईश्वर की आराधना और ध्यान के लिये अपनी स्त्रीसहित बन में रह कर बिताना चाहिये. इसके आगे ईश्वर का ध्यान, योग इत्यादि करके अपनी अंतर की अवस्था सुधारनी चाहिये जिससे परलोक की तय्यारी में बाधा न पड़े. इन अवस्थाओं के बड़े कठिन काम हैं. लोग इन कामों को तो कर न सके पर विषय वासना में लिप्त होगये और अन्त तक लिप्त ही रहे. कोई लालच में आकर अन्तकाल तक धन बटोरने में हाय हाय करते ही मरगये, न खासके, न पीसके, न लेसके, न किसी को कुछ देसके, न भलाई का कोई काम उस रुपये से कर गये, कोई गृहस्थ आश्रम को ही कठिन समझकर पढ़ने के पीछे सन्यासी हो गये. कोई बचपन ही से अपना कर्तव्य छोड़ मूंड़ मुंड़ाकर भगवां कपड़ा पहिन साधु बनगये. निदान आश्रम धर्म इस देश से जाता रहा इसीसे यह सब खराबियां देखने में आती हैं. यदि अब भी इस देश के रहनेवालों को बुद्धि हो तो इन आश्रम धर्मों के अनुसार ही चलना चाहिये. पहिली अवस्था में विद्या सीखकर गृहस्थाश्रम करना चाहिये और जब तक लड़के घर का काम न संभाल लें तब तक गृही होके रहना ठीक है. फिर बानप्रस्थ में जाना चाहिये. यदि न होसके तो घर ही में ईश्वर चिन्तन और परहित के काम निष्काम होके करने चाहिये और इस अभ्यास को इतना बढ़ाना चाहिये कि कर्मफल का त्याग सहज होजाय और शांति मिलने में बाधा न पड़े. जब परिपाटी ठीक हो जायगी तो देश अपने आप ही ठीक हो जायगा.

चन्द्रशेखर—क्योंजी यहां के लोगों को क्या यह सब बातें मालूम हैं?

सूर्यसिंह—बड़े बूढ़ों को सब को मालूम हैं और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार यहां के छोटे भी चलते हैं, इससे तुम इन लोगों का इतना उदय देख रहे हो.

मुख्यशिक्षा.

चन्द्रशेखर—यहां मुख्य शिक्षा किस बात की होती है?

सूर्यसिंह—कायिक, मानसिक और अध्यात्मिक सुधार, नगर, देश और लोक सुधार जिन जिन विद्याओं से होसकते हैं वे यहां सब सिखाई जाती हैं. यहां के लोग यह चाहते हैं कि न तो अपने आप न दूसरे से कोई काम ऐसा हो कि जिसे याद करके कभी किसी प्रकार की ग्लानि या दुःख हो और पश्चात्ताप करना पड़े.

साधुओं का उपदेश.

चन्द्रशेखर—और भी कुछ उपदेश साधुओं से आप को मिला है?.

सूर्यसिंह—और उपदेश यह है कि कितने ही हज़ार वर्ष से किसी कोठरी में अंधेरा हो वह दीपक जलाने से निकल जाता है, यदि कोई लठ मारकर अंधेरे को निकालना चाहे तो कभी उस कोठरी से अंधेरा नहीं जा सकता. ऐसे ही एक बुराई दूसरी अधिक बुराईयों से नहीं जा सकती; किन्तु बुराई भलाई से ही निकलती है. यदि कोई द्वेष को निकालना चाहे तो उसे द्वेष के स्थान में प्रेम रखना चाहिये तो द्वेष आपही आप भाग जायगा; क्योंकि प्रेम और द्वेष आपस में विरोधी हैं. ये दोनों एकही स्थान में नहीं रह सकते, जैसे उजियाला लाने से अंधेरा भाग जाता है और पानी से आग बुझ जाती है वैसे ही भलाई के आने से बुराई भाग जाती है.

चन्द्रशेखर—यह तो आपने बहुत ही बड़ी बात सुनाई. मुझे अबतक यह बात मालूम न थी. यदि इस गांव में लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गये हों तो बड़े आदमी होंगे. जिस दिन इस देश में इन बातों पर विचार करने की शक्ति हो जायगी तो यह देश जरूर सुधर जायगा.

औरों के साथ बर्ताव.

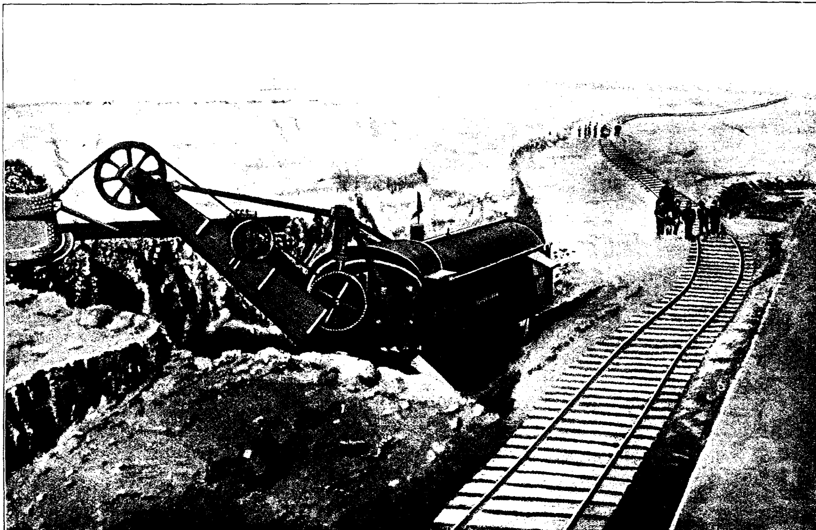
सूर्यसिंह—एक बात मुझे और भी याद आई वह भी सुन लीजिये, यहां वह भी देखने में आती है जो सबसे बड़ी है. यहां के लोग इस बात को अच्छी तरह समझे हुए हैं कि आदमी को जितना अपना ख़्याल रखना चाहिये उतना ही औरों का भी ख़्याल रखना चाहिये. दूसरों के साथ मनुष्य को वही बर्ताव करना चाहिये जो बर्ताव वह अपने लिये दूसरों से कराना



SHURLY & DIETRICH. ONTARIO, CANADA.

आरियां.

चाहता है. इस देश में दिखलावट बहुत है परन्तु यहां के रहनेवाले यह भी कहते हैं कि जैसा आदमी दिखलाई देना चाहता है वैसाही उसको हो भी जाना चाहिये. धोखे से काम नहीं चलता और यहां लोग अपने आप को वैसा ही समझते हैं जैसा और लोग उनको समझते हैं. यहां प्रेम और सद्भाव फैलने का कारण यह भी है कि यहां के लोग परस्पर सब के साथ भ्रातृभाव से रहते हैं, संसार के जितने मनुष्य हैं उनको अपने ही कुटुम्बवाले समझते हैं और सब पर दया रखते हैं; एक दूसरे की सेवा बड़े प्रेम से करते हैं; अपने आपको बुराईयों का उदाहरण बनाना कोई नहीं चाहता. यहां के लोग जहांतक होसके दूसरों की मदद कर देते हैं और दूसरे के नुक़सान में कभी नहीं जाते.



ज़मीन को खोदने और मिट्टी उठाने की कल.



J. & H. McLAREN. LEEDS, ENGLAND.

गहरी खाई या नाली खोदने वाला हल.

बाब ३.

आबादी.



१. जमीन में सुरंग के लिये छेद् करना.



२. सुरंग से ज़मीन को उड़ाना.



३. उड़ाने से थोड़ी देर के पीछे की सूरत.



४. पूरा खड़ जो सुरंग से ज़मीन को उड़ाने के पीछे बनगया.

बाब तीसरा.

आबादी.

१. मौज़े में जो बंजर क़ाबिल आबादी है उसका आबाद करना उन अश्ख़ास पर फ़र्ज़ है. जिनके पास मौज़े या क़ितआत ज़मीन है उनको चाहिये कि उसके पट्टे लगानी या बिला लगानी या रिआयती लगान पर जैसा कि मौक़ा हो आसामियान को देवें और ख़ुद आप भी उसको आबाद करें.

बंजर आबाद करना ज़मींदारों का फ़र्ज़ है.

२. बंजर ज़मीन पड़ी रहने से ज़मींदार का बहुत नुक़्सान होता है उसका कारण साफ़ है. वह यह कि जितनी ज़मीन लायक़ काश्त पड़ी रहेगी उतनी उसकी आम्दनी कम होगी. दूसरे, बंजर ज़मीन न तोड़ने से यह नुक़्सान है कि सरकार का यह ख़याल होजाता है कि ज़मींदारान उसे आबाद नहीं कर सकते. लिहाज़ा ज़मीन दूसरे किसी को देदीजाय जो आबाद करे, और लाचार हो के उसमेंसे ज़मीन निकालकर दूसरे को देदेते हैं.

बंजर ज़मीन पड़ी रहने से नुक़्सान.

३. अगर किसी गांव में जिसका बटवारा मुकम्मिल न हुआ हो, कोई पट्टीदार नादार होजाय, सरकारी मालगुज़ारी बाक़ी रक्खे और अपनी पट्टी की काश्त पूरी पूरी न करसके तो उसकी पट्टी के काश्त का इन्तज़ाम ब इत्तला व बहुक्म तहसीलदार साहब, सादार हिस्सेदारान को करना चाहिये; क्योंकि हर हिस्सेदार सारे गांव को आबाद रखने का और उसकी पूरी मालगुज़ारी अदा करने का ज़िम्मेदार है. नादार पट्टीदार अपना हिस्सा पाने का मुस्तहक़ तब तक नहीं होगा जब तक कि सादार हिस्सेदार ने उस पट्टी की दुरुस्ती में, व तरक़्क़ी में जो लागत लगाई होगी या नुक़्सान उठाया होगा उसकी रक़म उसी पट्टी के मुनाफ़े से वसूल न होजावे.

नादार हिस्सेदार की पट्टी का इन्तज़ाम.

लेकिन बीस साल के बाद व हरसाल नादार पट्टीदार अपनी पट्टी के वापिस पाने का मुस्तहक़ होगा.

वक्त बन्दोबस्त आबादी घटानी नहीं चाहिये, न आसामियान फ़रार होने देना चाहिये.

४. बहुत से ज़मींदार बंदोबस्त खत्म होने के चार पांच साल पहिले से आराज़ी को पड़त डाल देते हैं और आबपाशी भी करना बन्द करदेते हैं, इस गरज़ से कि पड़त मालूम होने से उस पर लगान न लगाया जावेगा और आबपाशी न होने में सिर्फ़ शरह बारानी का लगान क़ायम होगा. इस मतलब के हासिल करने के लिये न सिर्फ वे अपनी खुद काश्त ही गिरादेते हैं बल्कि अपनी आसामियों को भी ऐसी आफ़तों में डालते हैं कि वे काश्त छोड़कर चले जाते हैं. मगर यह उनकी ना समझी का बायस है; क्योंकि बंदोबस्त में पड़त जदीद पर लगान ज़रूर लगाया जाता है और जो निवान क़ाबिल आबपाशी पाये जाते हैं उनके आसपास की आराज़ी का रेट अडान (आबपाशी) का ही तजवीज़ किया जाता है. इस सूरत में उनका यह मतलब कि नये बंदोबस्त में मालगुज़ारी बनिस्बत बंदोबस्त हाल के कम कीजाये हासिल नहीं होता बल्कि उल्टा उनका दुगुना नुक़्सान होता है, यानी,

अव्वल यह कि बंदोबस्त से पहिले जब दो तीन सालों से आबादी इस नियत से गिरा दी जाती है तो उसक़दर रक़बे का लगान कम वसूल होता है. मालगुज़ारी सरकार तो उन्हें पूरी देनी ही पड़ती है चुनाचे उसकी रक़म वे अपने मुनाफ़े की रक़म से पूरी कर देते हैं जो उनका बचाया हुआ होता है. इस तरह जब उनकी पूंजी सर्फ़ होजाती है तो वे ज़मींदारी के सुधराव में एक मुद्दत तक पैसा नहीं लगा सकते और तरक्क़ी रुक जाती है.

दूसरा नुक़्सान यह है कि ऐसी हालत में अगर आसामियों से लगान वसूल भी हुआ तो जब्र से होता है इससे आसामी नंगी होकर भाग जाती है और आयंदा आसामियों को फिर लाके आबादी करने में खर्च उठाना पड़ता है.

ऐसी सूरतों में सरकार और रिआया दोनों का नुक़्सान होता है. ज़मींदार के माथे भी पाप बैठता है और उसके निस्बत यह कहा जाता है कि वह नमकख़्वार नहीं है.

लिहाज़ा वक्त बंदोबस्त ज़मींदार को किसी हालत में आबादी मौजूदा न घटानी चाहिये, न आसामियों को फ़रार करना या होने देना चाहिये.

क़ाबिल काश्त ज़मीन को गोचर न बनाया जावे.

५. गोचर के लिये बहुत करके सौ बीघे पीछे दस बीघे ज़मीन छोड़ी जाती है. मगर समझदार ज़मींदार वही होगा जो चराई के लिये ऐसी ही ज़मीन छोड़े जिसमें सिवाय घास के और कुछ न होसके. जितनी जोतने लायक़ ज़मीन है वह सब जोतनी चाहिये इसमें उसीका फ़ायदा है.



सुरंग से उड़ाये जाने से पहिले चटान की सूरत.
Shewing "blasting" operation.



सुरंग से उड़ाये जाने के पीछे चटान की सूरत.

६. बंदोबस्त की मियाद के भीतर जितनी पड़ती बिला लगानी ज़मीन ज़मींदार खुद या मार्फ़त आसामियान आबाद करेगा उसका फ़ायदा उसी को होगा, क्योंकि उस जदीद आबादी का लगान ताखत्म मियाद बंदोबस्त सरकार नहीं लेती; बल्कि अगले बंदोबस्त में भी इस जदीद आबादी की निकासी पर दस रुपये फ़ी सैकड़ा मालगुज़ारी में मुजरा दिया जावेगा बशर्ते कि रकबे मज़रूआ बंदोबस्त साबिक़ में कमी न की गई होगी. मियाद बन्दोबस्त में तरक़्क़ी आबादी का फ़ायदा ज़मींदार को होगा.

७. अगर ज़मींदार ऐसी पड़त आराज़ी में जिसमें ज़राअत न होसके बाग़ात महुआ व अम्बा लगायें तो वह आराज़ी अगर उस पर बंदोबस्त के वक्त ऐसा बाग़ मौजूद होगा तो लगान तशख़ीस से बरी रहेगी. आराज़ी पड़ती में बाग़ लगाकर क़ायम रखने की सूरत में, ऐसी आराज़ी वक्त बन्दोबस्त तशख़ीस से मुस्तसना रहेगी.

बाग़ से मुराद उस बाग़ से है जिसमें दरख़्त बा क़ायदा लगे हों, उन्हें सरसब्ज़ रक्खा जाता हो, उनकी साल सम्हाल की जाती हो और जिस बाग़ में गांववाले और मुसाफ़िर किसी वक्त आवें तो फ़रहत पासकें, वर्ना दो चार दरख़्त इधर उधर बे कता व बे क़ायदा लगा दिये तो उसको बाग़ नहीं कहा जा सकता.

८. गांव के मौजूदा सामान से हिसाब लगाकर देखना चाहिये कि मौजूदा काश्त पूरी २ क़ायम रखकर किसक़दर और ज़्यादा रक़बा नौ तोड़ हो सकता है, और किसक़दर क़ीमती काश्त व आबपाशी बढ़ सकती है और उस अन्दाज़े से रक़बा नौ तोड़ करना चाहिये और क़ीमती काश्त यानी कपास, गन्ना, गेहूं वग़ैरा बढ़ानी चाहिये और बीज़ अच्छे क़िस्म का काम में लाना चाहिये. गांव के मौजूदा सामान का हिसाब लगाना और जो काम में न आता हो उसे काम में लाना.

९. गांव के मौजूदा सामान के हिसाब करने का तरीक़ा यह है, मसलन (१) गांव में कितने आदमी काश्त करते हैं और कितने क़ाबिल काश्त करने के होते हुए नहीं करते, (२) कितने बैल हल के लायक़ मौजूद हैं जो काम में आते हैं और कितने ऐसे हैं जो काम के लायक़ होने पर हिसाब करने का तरीक़ा.

भी काम में नहीं आते. हिसाब लगाने में क़िस्म ज़मीन और हल बैल पर भी ध्यान देना चाहिये, क्योंकि बाज़ क़िस्म की ज़मीन के तोड़ने में एक हल २० बीघे को काफ़ी होता है और हलके दर्जे की ज़मीन के लिये जहां कि हल गहरा ले जाने की ज़रूरत नहीं वहां एक हल से इससे भी ज़्यादा बीघे ज़मीन जुत सकती है. मार ज़मीन एक हल से १२ बीघे से १५ बीघे तक अच्छी तरह जुत सकती है. पस इस हिसाब से यह देखना चाहिये कि जो बेकार आदमी और बेकार बैल गांव में मौजूद हैं वे कितना रक़बा जदीद आबाद कर सकते हैं, और उतना रक़बा उनको काम में लाकर आबाद करा लेना चाहिये. इस तरकीब से मौजूदा सामान से अलावा मज़रूआ रक़बे के और रक़बा भी आबाद हो सकता है.

काश्तकारों के साथ मिस्ल बाल बच्चों के अच्छा बरताव करने पर भी अगर कोई फ़रार हो जावे तो इत्तिला तहसील में करना चाहिये.

१०. हर ज़मींदार को यह समझना चाहिये कि काश्तकारान खेती की जड़ हैं और बग़ैर उनके गांव का काम किसी हालत में नहीं चल सकता. गांव का सरसब्ज़ रहना और ज़मींदार की तरक़्क़ी का होना सब इन्हीं काश्तकारान की आमूदगी, सिहत और बेहबूदी पर मुनहसर है; इसलिये हर ज़मींदार को चाहिये कि काश्तकारों को अपने हाथ पैर समझके उनके साथ ऐसा वर्ताव करें जैसे कि मुखिया खान्दान अपने बाल बच्चों के साथ करता है. इतना करने पर भी अगर कोई काश्तकार सरकश होजाय और अपना काम अच्छी तरह न करे या बिला वजह काफ़ी गांव छोड़कर दीगर इलाक़े में चला जावे तो ज़मींदार को चाहिये कि इस बात का इत्तला फ़ौरन तहसीलदार साहब से नीचे लिखे फ़ार्म पर करे ताकि वे उसकी फ़रारी रोकने या अगर वह फ़रार हो जाय तो उस के वापस लाने में इम्दाद काफ़ी दे सकें:—

फ़ार्म रिपोर्ट फ़रारी काश्तकार.

१. नम्बर.

२. नाम मौज़ा.

३. नाम मफ़रूर मय नौइयत ज़मींदार, काश्तकार ग़ैर मौरूसी वग़ैरा.

४. मौज़े में कब से आबाद था.



१. पेड़ के नीचे के गुद्दे को सुरंग से उड़ाने से पहिले की सूरत. जब पेड़ बड़ा होता है तो काटने में बहुत दिन और बहुत मेहनत पड़ती है इसलिये उसे सुरंग से उड़ादेते हैं.



२. पेड़ के नीचे के गुद्दे को सुरंग से उड़ाने के पीछे की सूरत.

५. हालत मक़बूज़े मफ़रूर, रक़बा आराज़ी व दीगर मालियत जो छोड़ गया हो.

६. हमराही मर्दुमान व हल बैल वग़ैरा जो उसके साथ गये हों.

७. तारीख़ मक़ाम व वजह फ़रारी.

८. नाम रिपोर्टर व तारीख़.

नोटः—मफ़रूर में वह शख़्स शुमार नहीं किया जावेगा जो किसी इल्लत में गिरफ़्तार हो जावे या कोई गुनाह करके भाग जावे.

नोटः—किसी काश्तकार का अपना गांव छोड़कर इलाक़े के इलाक़े में दीगर गांव में चला जाना अगरचि ज़मींदार की नज़र से दाख़ल फ़रारी है लेकिन ऐसी फ़रारी के लिये तहसील में रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुमकिन है कि ज़मींदार ख़ुद भी उसके वापस बुलाने का इन्तज़ाम ब आसानी कर सकेगा और करना चाहिये.

काश्तकार अगर ज़मींदार की बेपरवाही से फ़रार हो-जावे तो समझा जावेगा कि ज़मींदार नाक़ाबिल है.

११. जो ज़मींदार अपने गांव की आसामियों को सम्हाल न सकेगा और उसकी आसामियां फ़रार हो जावेंगी उसकी ना क़ाबलियत मुतसव्वर होगी. अलावा इसके यह भी समझा जावेगा कि वह ज़मींदार नहीं है बल्कि ख़ुद ग़रज़ आदमी है, और वह अपने लोगों के नज़र से ऐसा गिर जायगा जैसे कि वह आदमी जो ज़ात के मामलों में बुरी हरकत कर बैठता है और ज़ात से ख़ारिज हो जाता है. आसामी के गांव को छोड़कर चले जाने से उसी ज़मींदार को रंज होगा जिसको अपने काम में दिलचस्पी है, और जो इज़्ज़त आबरू बढ़ाना और दौलतमन्द होना चाहता है.

जो ज़मींदार बाहर से आसामियान लाकर बसावेगा उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जावेगी.

१२. अपने गांव की ज़मीन पूरी पूरी आबाद करने के लिये अलावा मौजूदा कश्तकार देह के जिसक़दर ज़ायद आसामियों की ज़रूरत हो उतनी आसामियां बाहर से लाकर बसाने की कोशिश ज़मींदार को करनी चाहिये. जो लोग एक मुक़र्ररा तादाद में बाहर से आसामी लाकर मुस्तक़िल तौर पर आबाद करेंगे उनकी इत्तला सरकार में पहुंचने पर उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जावेगी.

बाहर से आकर आसामियान गांव में बसें तो उनके बसने की इत्तिला ज़मींदार को तहसील में करनी चाहिये.

१३. ज़मींदार को चाहिये कि जो आसामी बाहर से आकर उसके गांव में बसे उसकी इत्तिला तहसीलदार साहब को मुक़र्ररा फ़ार्म पर फ़ौरन करे.

फ़ार्म रिपोर्ट आबादशुदा काश्तकार.

१. नंबर.

२. नाम मौज़ा.

३. नाम आबादशुदा आसामी मय वल्दियत, क़ौमियत व उम्र.

४. हमराही मर्दुमान व सामान जो उसके साथ आया.

५. मुक़ाम जहां से आया.

६. तारीख़ आमद.

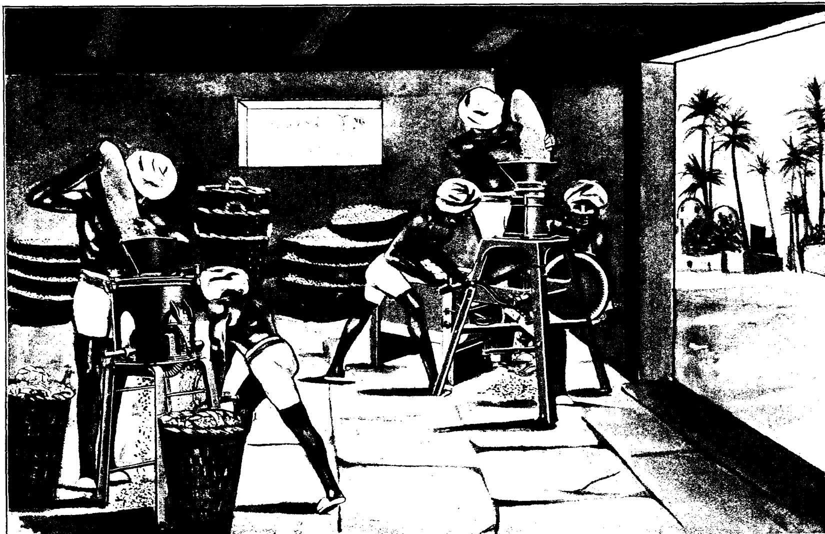
७. किसके ज़र्ये या कोशिश से आया.

८. किस लिये व किस शर्त पर बसाया गया.

इसकी ग़रज़ यह है कि एक तो सरकार को यह मालूम होता रहे कि ज़मींदार आसामी बाहर से इतनी लाया, दूसरे वह आसामी जो आया है वह नेक चलन है या नहीं इसकी जांच भी हो सकेगी.

बाहरके लोगों को अपने काश्तकारों के ज़र्ये बुलाकर आबादी कराना.

१४. हर ज़मींदार को एक ज़र्या बाहर से आसामियों को लाने का यः है कि वह अपने नये और पुराने काश्तकारों को इस तरफ़ रग़बत दिलाकर उनकी मार्फ़त उनके दोस्तों व रिश्तेदारों को जो दूसरे गांवों में रहते हों और बेकार बैठे हों अपने गांव में बुलाकर ब ख़ातिर व तसल्ली आबाद करे.



RICHARDSON & CRUDDAS BOMBAY.

धान कूटने की कल. धान कूटने और भुस उड़ाने की कल.

१५. बेकार लोग जो काश्तकारी कर सकते हैं, लेकिन जो उसे नहीं करते उनको काम में लगाने की कोशिश करना जमींदार पर फ़र्ज़ है. ख़ास करके उन गांवों में इस बात की बहुत जरूरत है जहां मर्दुम शुमारी काफ़ी न हो, जिसकी वजह से गांव पूरा आबाद न हो. इसके लिये सब से अच्छा तरीक़ा यह है कि बाद ठीक हिसाब की विध बैठा लेने के ऐसे लोगों को ठेके पर काम दिया जाय और उनसे यह कहा जाय कि फ़लां काम करोगे तो इसक़दर मेहनताना दिया जायगा लेकिन रक़म मेहनताना ऐसी होनी चाहिये कि जिससे उनको रग़बत काम करने की पैदा हो. उनकी सब तरह से रिआयत रहनी चाहिये और उनके लिये ऐसी चीज़ें इकट्ठी करदेनी चाहिये जो काश्तकारी के काम की हों. लेकिन यह होना उसी वक्त मुमकिन है जब ज़मींदार में सब्र और हिम्मत हो और वह ब्यौहार के तरीक़े पर पैसा लगावे. जितनी मर्दुम शुमारी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि मर्दुम शुमारी ज़्यादा होने से न सिर्फ़ खेती ही बढ़ती है बल्कि कई काम तिजारती फ़ायदे के भी हो सकते हैं.

बेकार लोगों को काम में लगाना.

१६. काश्तकारान या जमींदारान रियासत हाज़ा को काटे हुए चकूक या ब्लाक्स भी उस सूरत में मिल सकेंगे जब कि उनके खाते या मौज़े में छोड़ी हुई क़ाबिल काश्त आराज़ी को वे पूरी आबाद कर लेवेंगे.

आबादी के लिये चक या ब्लाक लेना.

१७. ब्लाक्स या चकूक का पट्टा इब्तदाअन पच्चीस साल के लिये दिया जावेगा.

मियाद पट्टा.

१८. पट्टेदार ब्लाक्स को इख़्तियार होगा कि आराज़ी ब्लाक्स में से दस बीघा फ़ीसदी तक आराज़ी क़ाबिल काश्त वास्ते निस्तार के छोड़ देवे और बक़िया आराज़ी क़ाबिल काश्त ब्लाक को हस्ब ज़ैल मियाद में आबाद करे:—

पट्टेदार ब्लाक्स को गांव के निस्तार के लिये नाक़ाबिल आराज़ी छोड़ना, और बक़िया आराज़ी क़ाबिल काश्त आबाद करना और उस की मियादें.

(१) तीन साल में कम से कम १/४

(२) छै साल में कम से कम १/२

(३) नौ साल में कम से कम ३/४

(४) बारह साल में .... पूरा ब्लाक आबाद करना चाहिये.

पट्टेदार चक को गांव के निस्तार के लिये ना काबिल आराज़ी छोड़ना, और बकिया आराज़ी काबिल कास्त आबाद करना और उसकी मियादें.

१९. पट्टेदार चक को मजाज़ होगा कि आराज़ी चक में से २० बीघा फ़ी सदी तक आराज़ी क़ाबिल काश्त वास्ते निस्तार काश्त से अलहदा रक्खे और जहां तक मुमकिन हो इस काम के लिये अव्वल वह ही आराज़ी जो चक में नाक़ाबिल काश्त हो काम में लाई जावे. अगर वह काफ़ी न हो तो जिस-क़द्र तादाद मुन्दर्जे सदर में कम पड़े उतनी आराज़ी क़ाबिल काश्त से इस काम में ली जावे, और बक़िया आराज़ी क़ाबिल काश्त चक को हस्ब ज़ैल मियाद में आबाद करे:—

(१) पांच साल में कम से कम १/४

(२) दस साल में कम से कम १/२

(३) पन्द्रह साल में कम से कम ३/४

(४) बीस साल में .... पूरा.

शरह मालगुज़ारी.

२०. ब्लाक्स या चकूक पर ता मियाद पट्टा (यानी पचीस साल में) मालगुजारी हस्ब ज़ैल रिआयत के साथ तशख़ीस होगी:—

ब्लाक्स की सूरत में.

(१) अव्वल सात साल .... माफ़.

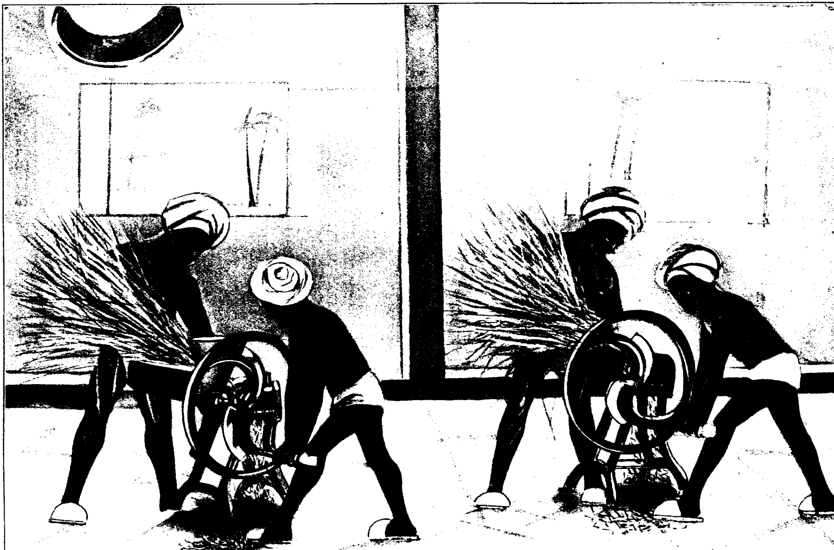
(२) आठवें साल से दसवें साल तक .... दो आने.

(३) ग्यारवें साल से पन्द्रवें साल तक .... चार आने.

(४) सोलवें साल से पचीसवें साल तक .... आठ आने.

चक की सूरत में.

(१) अव्वल सात साल .... माफ़.



RICHARDSON & CRUDDAS. कुटी काटने की कल. BOMBAY.

(२) आठवें साल से दसवें साल तक .... एक आना.

(३) ग्यारवें साल से पन्द्रवें साल तक .... दो आने.

(४) सोलवें साल से बीसवें साल तक .... चार आने.

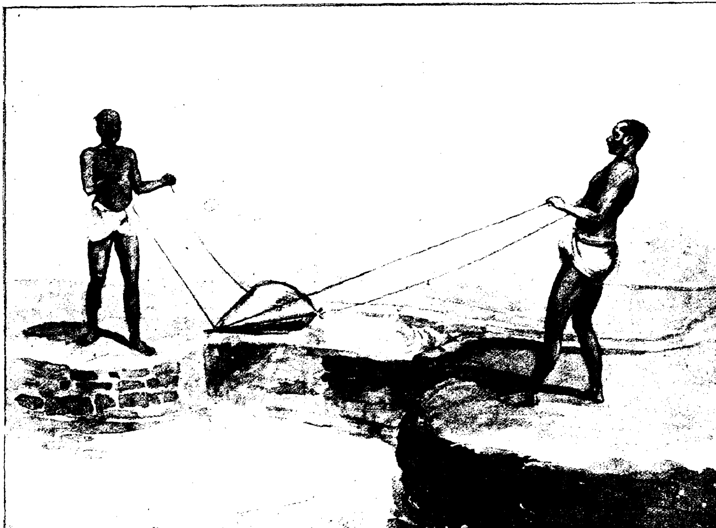
(५) इक्कीसवें साल से पचीसवें साल तक .... छे आने.

नोटः—इस्व सदर आनावारी ब मुकाबिले साइल रेटस (किस्म जमीन का लगान) जो बर वक्त बन्दोबस्त करार पावे, होगी.

बाब ४.

आबपाशी व उसके ज़रिये.

किसान दोवरी से पानी निकाल रहे हैं।



ढेकली।



चित्रशाळा प्रेस, पूना।

बाब चौथा.

आबपाशी व उसके ज़रिये.

१. अमूमन इस मुल्क में आम तौर से लोगों का यह ख़्याल है कि बारिश के पानी से खेती का काम चल जाता है लेकिन इसमें ग़लत फ़हमी का होना मालूम देता है; क्योंकि सब जगह एकसी हालत नहीं होती, जैसे कि एक बाप के पांच बेटे होते हैं लेकिन पांचों एकही मिज़ाज के नहीं होते, वैसे ही ज़मीन की हालत भी है. यानी बाज़ क़िस्म की ज़मीन का बग़ैर आबपाशी के काम नहीं चलता, बाज़ ज़मीन का बिला आबपाशी के भी काम चल सकता है, लेकिन यह याद रखना चाहिये कि बग़ैर आबपाशी काम उसी जगह चल सकता है जहां पानी पूरे तौर से बरस जाय और ठीक वक़्त पर बरसे. हलके दर्जे की ज़मीन में रबी की फ़सल पानी न होने की वजह से जैसी कि होनी चाहिये नहीं हो सकती. अलबत्ता ऐसी ज़मीन में जहां नशेब होने के सबब और पानी रुकने के सबब नमी हो जाती है वहां फ़सल रबी हो सकती है. आबपाशी की निस्बत आम लोगों का ख़्याल.

अमूमन मार (यानी काली) ज़मीन के लिये व मुक़ाबले और ज़मीनों के आबपाशी की कम ज़रूरत होती है, बशर्ते कि बारिश ठीक वक़्त पर और काफ़ी हो जाय.

जिन ज़मींदारों के क़ब्ज़े में मार ज़मीन है उनके ख़्यालात आबपाशी के बाबत ऐसे अच्छे नहीं हैं जैसे कि होने चाहिये. अगर वे ग़ौर करें तो यक़ीनन् उनको मालूम हो जायगा कि जब पानी काफ़ी न बरसे तो हालत उनके पैदावार की क्या होगी?

२. बड़ी भारी बात जो बाबत आबपाशी के है वह यह है कि कमी बरसात की हालत में वह मदद जो सरकार से मिलती है उसको भी इम्दाद आबपाशी में समझना चाहिये. ज़मींदारान को यह याद होगा कि जब कमी बारिश की वजह से पैदावार पूरा न होने का डर होता है तो वे घबरा जाते हैं, और उस वक़्त दरबार को ख़ासकर कच्चे कुंए या ओड़ियां जो मदद सरकार से मिलती है वह भी इम्दाद आबपाशी में समझना चाहिये.

बनाने के लिये व कुओं को गहरा करने या गारा निकालने के लिये रुपया अपने बैंकों से देना पड़ता है. किस लिये? इसलिये कि बारिश कम होने के कारण जो रिआया को परेशानी होती है वह न हो.

कुंए खुदवाने का इन्तजाम दरबार इसलिये करती है कि अगर खेती के लिये बारिश काफ़ी न हो तो रिआया कुओं के पानी से आबपाशी कर सके और अपनी जगह से उखड़ने न पावे.

पस इससे यह साबित होगा और इसको जमींदारान भी मानेंगे कि ऐसे समय पर आबपाशी भी बरबादी से बचने के लिये एक क़िस्म का बचाव है. अलावा इसके जिन खेतों को पूरा पानी और खाद मिलेगा और जो खेत अच्छी तरह से कमाये जावेंगे उनकी पैदावार ब मुक़ाबले उन खेतों के जिन्हें कम पानी मिलेगा वजन में इतना न होगा जितना कि आबपाशी के खेतों में होता है.

आबपाशी के वसायल का क़ायम करना ब नियत बेहबूदी काश्तकारान ज़रूरी है.

३. इसलिये ब नियत बहबूदी काश्तकारान आबपाशी के वसायल क़ायम करना क़रीने मस्लहत समझा गया है. जिन देशों में एक ज़माने में बड़े बड़े क़ितआत बेकार पड़े थे और ज़मीन की क़ीमत एक कौड़ी लायक न थी अब उसी ज़मीन की क़ीमत इसक़दर हो गई है कि जिसके ख़रीदने में एक कसीर रक़म दरकार होती है. इसका कारण क्या? वसायल आबपाशी! मस्लन गंगा और जमना की बड़ी बड़ी नहरें, चिनाब की नहर जिसकी वजह से काश्तकारों की बस्तियां बस गई हैं.

वसायल आबपाशी से अलावा खेती के और क्या काम लिये जासकते हैं?

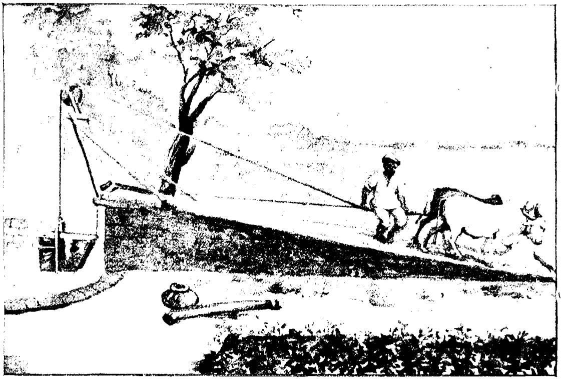
४. वसायल आबपाशी सिर्फ़ खेती के काम में ही नहीं आते बल्कि उनसे और कई काम लिये जा सकते हैं, मस्लनः—

(१) घर गृहस्थ के लिये.

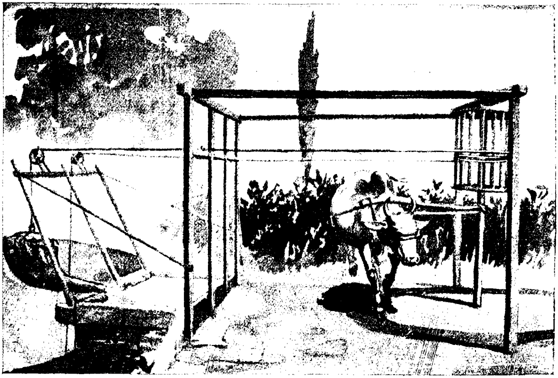
(२) कल के कारख़ानों में.

(३) अगर नहर काफ़ी गहरी और चौड़ी हो तो नावों के ज़रिये से माल सस्ते दामों पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है.

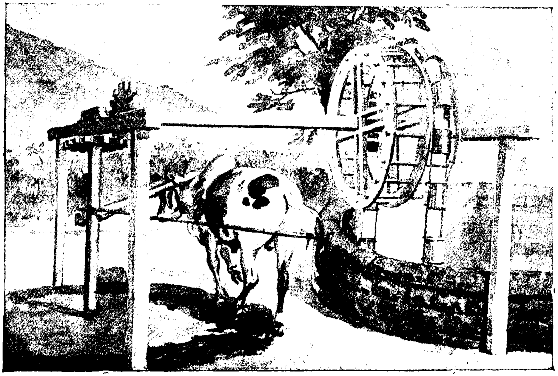
मोट (परोहा)।



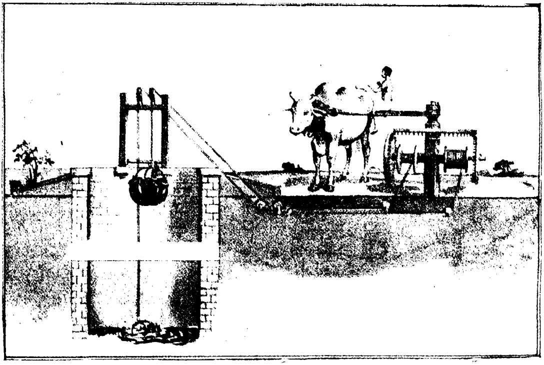
सूंडिया मोट।



रहट।



एक बैल से चलाने की डबल मोट।



(४) अलावा इसके वसायल आबपाशी और चाहात आबनोशी जबतक ऐसे क़िनेआत ज़मीन पर न बनाये जायें कि जहां पर ज़मीन वास्ते काश्त अच्छी है, लेकिन पानी की क़िल्लत की वजह से आबाद नहीं हो सकती और इन्सान उस ज़मीन पर बूदबाश नहीं कर सकता, क्या ऐसी सूरत में आबपाशी के काम व चाहात की ज़रूरत न होगी?

बेशक, वग़ैर इसके काम न चल सकेगा.

५. जिस देश में सिवाय मौसम बरसात के नदी नाले बारामासी बहनेवाले नहीं होते हैं उसमें स्टोरेज सिस्टम (तरीक़ा या नियम पानी जमा करने का) जितना मुफ़ीदे मतलब होता है उतना और कोई नहीं होता, यानी मौसम बरसात के पानी को जमा करने के लिये ऐसे मौक़ों पर बन्द से पानी को रोकना कि बड़ा भंडार पानी का क़ायम हो जाय, और फिर ऐसे भंडारों से नहर निकालकर फ़ासले तक पानी पहुंचाना. स्टोरेज सिस्टम (याना पानी जमा करने का नियम.)

बड़ी बड़ी नहरें अक्सर सरकारी होती हैं सिवाय उस हालत के कि उन पूरे कामों को कम्पनी या कोई खास शख़्स ब इजाज़त दरबार ख़ुद बनावे. उस हालत में वह काम उस शख़्स की मिलकियत होती है. याद रहे कि सिर्फ़ यह ही एक बड़ा भंडार बरसात के पानी से नहीं भरा जाता, बल्कि और भी तालाब जो जगह ब जगह बड़े भंडार के नीचे बनाये जाते हैं वे भी इस तरह भरे जाते हैं. कि बरसात में नहरों की मोरियां खोल दी जाती हैं, और छराड़ से जो पानी फ़िज़ूल निकल जाता है उसको नहरों के ज़रिये छोटे २ तालाबों में पहुंचाया जाता है.

जब ऐसी नहरें दरबार से बनें या और कोई बनाये तो ज़मींदारों को चाहिये कि अपने छोटे २ तालाबों को भरने के लिये छोटी २ नालियां बनादें ताकि नहरों से बरसात का पानी उनके तालाबों में चला जावे और वे भर जावें और रबी के लिये पानी काम आजावे.

सेन्ट्रल प्राविन्सेज (मध्यदेश) में जहांकी हालत क़रीब क़रीब रियासत हाज़ा से मिलती हुई है. इब्तदा में यह हालत थी कि लोगों को आबपाशी के फ़ायदे जिनका ज़िक्र ज़ैल में है मालूम न थे, और वे आबपाशी के निवानों को फ़िज़ूल समझते थे, लेकिन रफ़्ते रफ़्ते इनकी क़द्र

मालूम होने लगी, और अब उनकी राय इस मामले में इसक़दर बदल गई है और अब यह हालत है कि वे खुद निवानों की संख्या बढ़ाने के लिये खुद सरकार में दरख़्वास्त करते हैं. जिसके देखने से काश्तकार समझ सकता है कि वाक़ई यह काम उनके फ़ायदे का है या नुक़्सान का.

आबपाशी के फ़ायदे.

६. (१) पानी को फ़िज़ूल न जाने देते हुए बचाके जमा करना इससे मुल्क को यह फ़ायदे होते हैं यानीः—

[क] इससे अच्छी जमीन बहकर बंगाल की खाड़ी या अरब के समुद्र में नहीं जाने पाती.

[ख] इससे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के भीतर चला जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि बिना वर्षा की मदद के खेतों की जुताई हो जाती है.

[ग] इससे उन कुवों का भी पानी बढ़ जाता है जो तालाब से कोसों दूर भी हों.

(२) इससे काश्तकार अच्छी क़िस्म की फ़सल पैदा कर सकते हैं.

(३) इससे फ़सल की मिक़दार भी बढ़ जाती है.

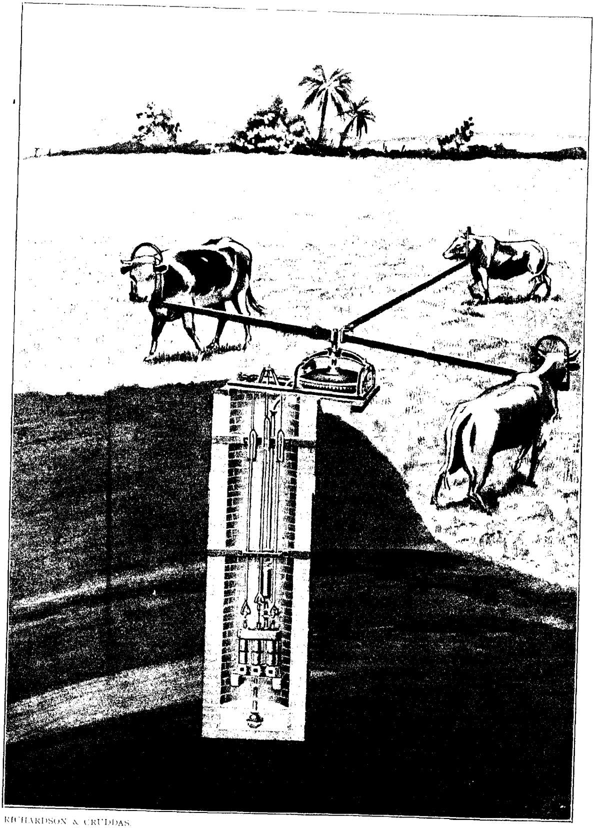
(४) इससे जमीन की क़ीमत और किराया बढ़ जाता है.

(५) इससे उम्मेद रहती है कि सूखा पड़नेपर भी काश्त का बचाव रहेगा और लोगों को बहुत तकलीफ़ न होगी.

(६) इससे यह भी उम्मेद है कि क़हत के कामों में जो खर्च होता है वह भी बहुत कम होगा, और रिआया को परेशानी कम होगी. इन्हीं उसूलों पर दरबार से जहां जहां मुनासिब मालूम हुआ बड़े बड़े काम बनाये गये हैं जैसा टिगरा, भगोरा, टेकनपुर, टोगा बन्द वग़ैरा के काम. इन के नक़शे इस किताब में दिये हैं.

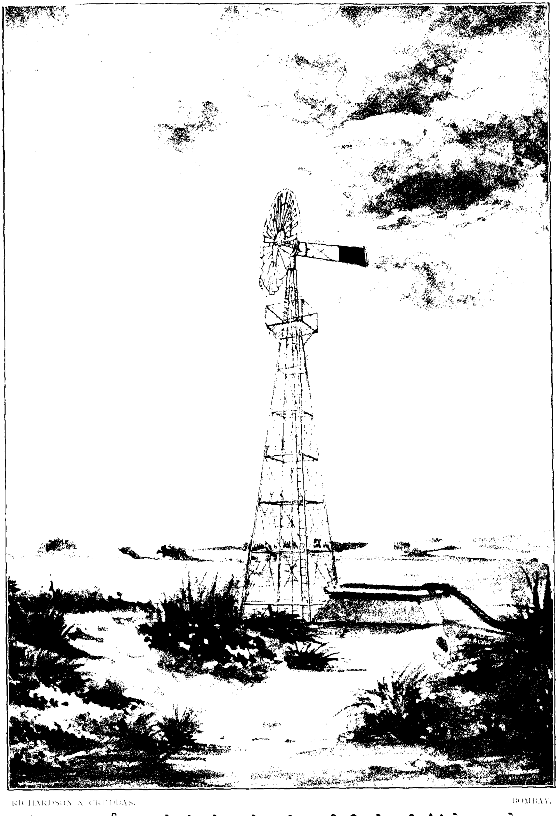
आबपाशी किन तरीक़ों से होती है?

७. आबपाशी बहुत तरीक़ों से होती है. जहां कई नदियां हैं उन पर अच्छे मौक़े तलाश करके बन्द बनाये जांय ताकि वहां पानी का बड़ा भंडार हो जाय. फिर वास्ते आबपाशी के बज़र्ये नहरों के कोसों तक वह पानी ले जाया जाय.



RICHARDSON & CRUDDAS. BOMBAY.

गहरे कुवों से पानी निकालने का पम्प जिसे बैल चलाते है.



RICHARDSON & CRUDDAS. BOMBAY.

विन्ड मिल अर्थात् हवा के जोर से चलने वाली चरखी जिससे पानी कुंएं से ऊपर को

नहरें उतनी ही दूर तक बनाई जाती हैं जितनी दूर तक भंडार के पानी से पूरी तौर से काम चल सकता है, जैसा कि टिगरा प्राजेक्ट में.

जहां कहीं झीलों से पहाड़ों से पानी के बारमाही नाले बहते हैं ऐसी जगहों में इन नालों से भी यही काम हो सकता है जो बड़े बन्द बांधकर हो सकता है, बशर्ते कि काफ़ी पानी बहता हो.

इन पर बन्द या बन्धियां बांधकर पानी ज़मीन पर दौड़ाया जावे, या बजायें ढेकली, ओढी, रहट या चरस या पंप पानी उठाया जाकर आबपाशी की जावे तो होना मुमकिन है. पानी उठाने की ज़रूरत वहां ही पड़ेगी जहां कि पानी खेतों से नीचे हो.

आबपाशी व उसके ज़रिये, कुदरती झील, तालाब, बावड़ियां और कुए.

८. जहां कुदरती झीलें हों लेकिन उनसे ऐसे नाले न निकलते हों जो सालभर तक न सूखें उनको मिस्ल तालावों के समझना चाहिये. जहां कुदरती झील न हो वहां गहरे तालाब, बावड़ियों और कुओं से जितनी पानी की ज़रूरत हो उतना पानी निकलता है, लेकिन शर्त यह है कि वे इतने गहरे खोदे जांय कि उनके तलों में पानी के सोते निकल आवें. ऐसी हालत में एक तालाब, कुए या बावड़ी से इतना पानी निकल सकता है कि बहुत से खेतों के लिये काफ़ी हो.

गहरी जगहों में बरसात में जमा हुए पानी से रबी की फ़सल का पैदा करना.

९. जिस मुल्क में बारिश कम होती है, वहां लोग नशेब की जगहों में जो बरसात में पानी से भर जाती हैं, रबी की फ़सल बोते हैं. ऐसी जगहों में बरसातभर पानी रहने से और जाड़ोंभर ज़मीन के नीचे तरी रहने से रबी की फ़सल अच्छी होती है. जहां पानी नीची ज़मीन पर हो, और खेतों की ज़मीन ऊंची हो वहां बशर्ते कि पानी काफ़ी बारमाह रहता हो नीची ज़मीन में गड्ढा बनाके या और किसी तरकीब से पानी को रोकले, और फिर वहां से पानी पंप के ज़रिये ऊपर के कुंड में पहुंचाया जाय और कुंड से खेतों में आबपाशी बखूबी की जावे. जो इस तरह पर आबपाशी करेगा उस का नुक़सान न होगा, लेकिन इन कामों के लिये अक़्लमन्दी, मेहनत और खर्च मुनासिब करने में जुरअत का होना ज़रूरी है.

सरकारी बड़ी बड़ी नहरें व महकमा आबपाशी.

१०. अब तक इस मुल्क में जितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं वे सरकार की तरफ़ से बनी हुई हैं. अभी तक लोगों को खुद बड़ी नहरें बनाने का न तो शौक़ हुआ, न उनके ऐसे वसायल हैं कि बिला इम्दाद सरकार मिस्ल रेल की कम्पनियों के जा बजा आबपाशी की भी बड़ी बड़ी कम्पनियां वास्ते बनाने नहरों के क़ायम करके सारे मुल्क में ऐसी आबपाशी करदें कि कहतसाली के होने पर ज़्यादा तकलीफ़ रिआया को न उठानी पड़े. इसलिये व अम्र लाचारी आबपाशी का काम सरकार ने अपने हाथ में ले रक्खा है. जितनी मुख्य नहरें नदियों या तालों या झीलों से निकाली गई हैं वे सरकार की तरफ़ से बनी हुई हैं. और सरकार ही सब जगह इनकी मरम्मत करती है और इनको क़ायम रखने के लिये हर क़िस्म की तदबीर करती है. इस काम को करने के लिये एक महकमा खास होता है. जिसे महकमा आबपाशी कहते हैं. उसी के इख़्तियार में नहरें, बन्द, ताल और दीगर क़िस्म के निवान सरकारी रहते हैं और यही महकमा बज़रिये अहलकारान सरकार, ज़मींदारान, काश्तकारान और दीगर बाशिन्दगान गांव से इनकी तामीर, मरम्मत मज़दूरी देकर कराते हैं. और हिफ़ाज़त व इस्तेमाल पानी के बाबत जो क़ानून और क़ायदे वक़्तन फ़वक़्तन बनते हैं उनकी पाबन्दी करते हैं, और रिआया से कराते हैं.

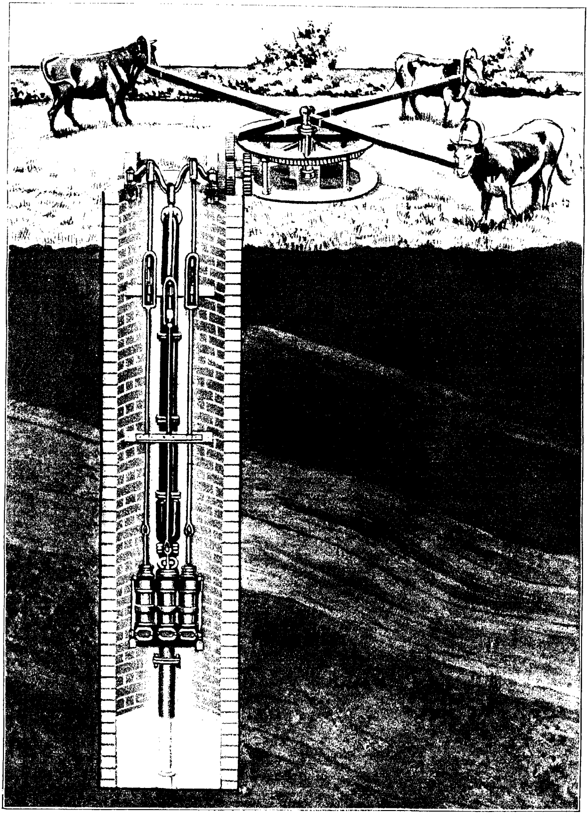
आबपाशी के बरसाती तालाब.

११. बरसाती तालाब उन तालाब को कहते हैं जिनमें वर्षा का पानी बरसात के अखीर तक जमा किया जाता है और बाद इसके मोरी के ज़रिये से निकाल दिया जाता है, और उस तालाब में रबी की फ़सल बोई जाती है. बरसातभर ऐसे पानी के रहने से तालाब की ज़मीन ऐसी भीग जाती है कि बिला जाड़ों के वर्षा के उसमें रबी की फ़सल अच्छी तरह हो सकती है.

ऐसे तालाबों को पानी निकालकर ऐसे वक़्त खाली कर देना चाहिये कि उनकी ज़मीन को हल से जोतने के बाद रबी की फ़सल के लिये खेतों की आबपाशी उस पानी से उस वक़्त करलें जब कि वह तालाबों से निकाल दिया जाता है.

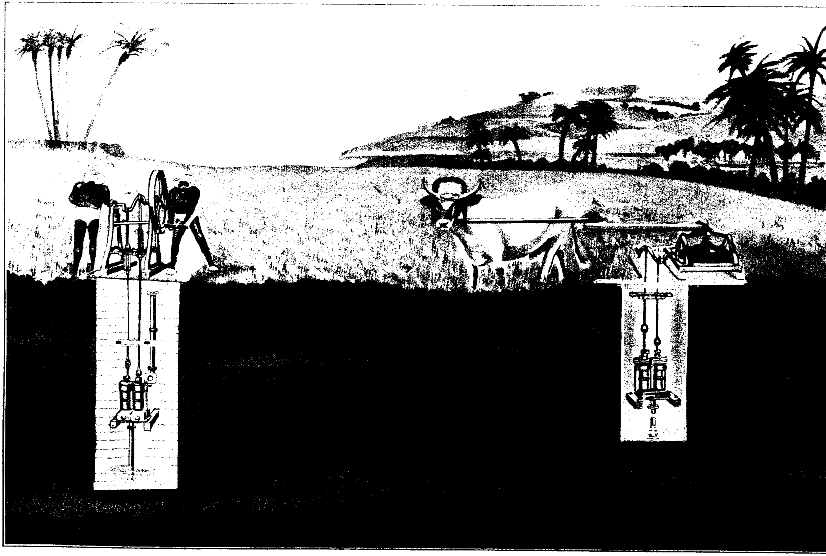
तामीर निवान.

१२. ज़मींदार का फ़र्ज़ है कि जहां निवान न बने हों और वहां मौक़े [illegible] बनावे. या काश्तकारों



W. LESLIE & CO. CALCUTTA.

गहरे कुंवे से बैलों के ज़रिये से पानी निकालने का पम्प.



W. NEWMAN & CO. CALCUTTA.

गहरे कुंवे का पंप.

रुपये से निवान को न बना सके तो वह सरकार में दरख़्वास्त देकर तक़ावी लेकर बना सकता है, या कम्पनी बनाकर भी बना सकता है और उसका मुनाफ़ा हिस्सेदार बांट सकते हैं.

पानी का मौजूद होना वास्ते खेती और आबादी के बहुत जरूरी है. इसलिये जहां तक होसके उसको हर तरकीब से रोकना चाहिये. ऊंची जगहों में कुओं का बनाना बहुत फ़ायदेमन्द होता है, क्योंकि वहां से पानी नीचे के खेतों में आसानी से पहुंच सकता है. तालाब के पास कुए खोदने में फ़ायदा है, वह यह है कि अगर बरसात कम भी हो तो भी ऐसे कुंए में पानी मिलसकता है.

जिन खेतों में पड़ुवा, भूड़ वग़ैरह ज़मीन हो उन खेतों की मेड़ें ऊंची बनाकर बरसात का पानी रोक लेना चाहिये. ऐसा करने से खेत ही में पानी रहजाता है जिससे ज़मीन में तरी रहती है. और तरी के रहने से फ़सल रबी में पैदावार दुचंद होती है. काश्तकार के लिये यह तरीक़ा सहल है.

जिन खेतों की मेंड़ें नहीं होती हैं उनमें तरी कम होने से पैदावार ही कम नहीं होता है बल्कि जो खाद दिया जाता है या उस कूड़े कचरे का जो फ़स्ल की पैदावार से खेत में रह जाता है काश्तकार को फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो बहाव के साथ वह कूड़ा कचरा और खाद का हिस्सा बहजाता है इसलिये हर काश्तकार को चाहिये कि वह कम से कम डेढ़ फुट ऊंची मेंड़ बनावे.

जो काश्तकार अपने रुपये से या तक़ावी के रुपये से किसी ज़मीन पर निवान बनाता है वह ता क़याम निवान उस ज़मीन से बेदख़ल नहीं हो सकता. इसलिये निवान का बनाना गोया नस्लन बाद नस्लन ज़मीन पर क़ब्ज़ा क़ायम करने का ज़रिया है. हर एक काश्तकार अगर इस फ़ायदे को समझले और लगातार चंद सालों तक कोशिश जारी रक्खे तो आसानी से कुआ बन सकता है, मसलन जिस ज़माने में काश्तकारों को काम कम रहता है उस ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता पत्थर, कंकर, लकड़ी जमा करे फिर कुए को खोदे और रुपये जो चिनाई वग़ैरह के काम के लिये दरकार हो क़र्ज़ ले तो हर एक शख़्स अपनी औलाद के लिये एक मुस्तक़िल ज़रिया आम्दनी

नुक़्सान पहुंच सकता है मगर कुआ ऐसी शय है कि जिसके ज़रिये से रोटी का सहारा औलाद को हमेशा रह सकता है, बशर्ते कि लगान आराज़ी वक़्त के वक़्त पर अदा कर दिया जाया करे, क्योंकि दरबार ने हक़्क़ मौरूसी को काबिल इन्तक़ाल क़रार नहीं दिया, इसलिये वह खेत और कुआ अगर औलाद नालाइक़ भी हो तो उसको बेच नहीं सकती है.

मरम्मत निवान

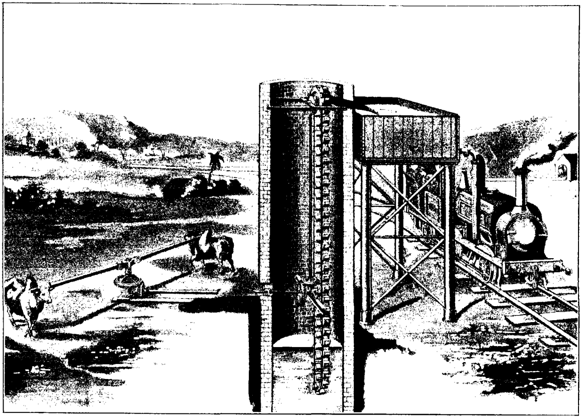
१३. कच्चे व छोटे तालाबों का दुरुस्त रखने का जिम्मेदार ज़मींदार है. चाहे ऐसे तालाब ज़मींदार के ख़ुद बनाये हुए हों चाहे वे सरकार की तरफ़ से उसके सिपुर्द हों.

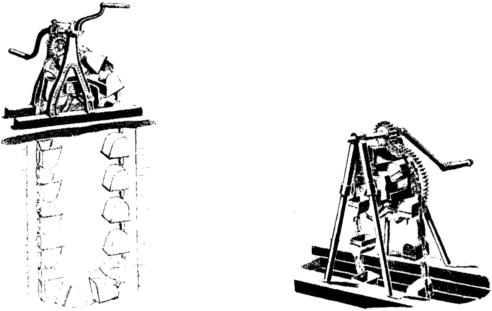
अगर गांव में मरम्मत तलब ऐसा तालाब या कुआ हो जिसकी मरम्मत होजाने पर खेतों की आबपाशी हो सकती है तो ज़मींदार को ख़ुद उसकी मरम्मत करने की फ़िक्र करनी चाहिये, ताकि मरम्मत मज़कूर के बाबत सरकारी हाकिमों को उसके कहने की नौबत न पहुंचे, अगर वह ख़ुद मरम्मत न करेगा तो सरकारी हाकिम उस ज़मींदार को उसकी मरम्मत करने के लिये कहेंगे. बावजूद फ़हमायश के व मियाद देने के वह मरम्मत नहीं करता है तो सरकार उस कुए या तालाब की मरम्मत अगर मुनासिब समझे तो आप कर देती है, लेकिन वह कुआ या तालाब मिलकियत सरकार हो जाता है, मगर जब ज़मींदार कुल सर्फ़ा मय सूद चार रुपया सैकड़ा सालाना की छै साल के अन्दर छै क़िस्तों में अदा करदे तो उस कुआ या तालाब पर ज़मींदार की मिलकियत फिर भी हो सकती है.

बरसात के पानी के धक्के से ताल के किनारों को या बन्दों को सदमा पहुंचने का अन्देशा हो तो उसके बचाने के लिये ज़मींदार को ख़ुद मय काफ़ी जमाअत गांववालों के मौक़े पर फ़ौरन पहुंचकर मदद देनी चाहिये ताकि बन्द न टूट जावे.

हिफ़ाजत निवान.

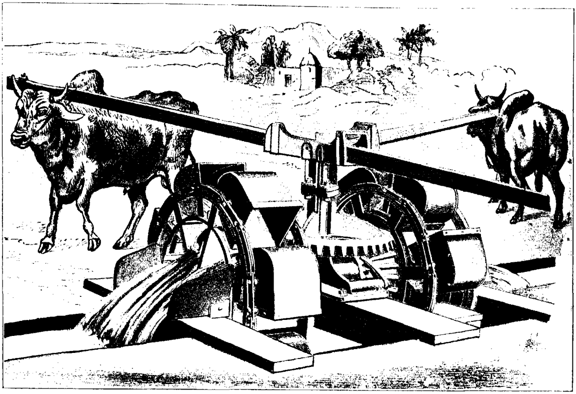
१४. जब कोई निवान ज़ेर निग्रानी सरकार या ज़मींदार किसी सदमे से टूटने को होता है या टूट जाता है तो ज़मींदार या मुस्ताजर का फ़र्ज़ है कि इसकी रिपोर्ट फ़ौरन तहसीलदार के पास भेजे ताकि उसकी दुरुस्ती होकर साल आयन्दा में लोग हस्ब मामूल क़ायदे से उसकी दुरुस्ती कर देंगे.



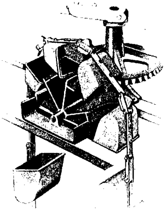


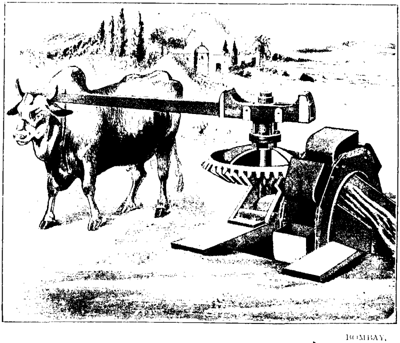
RICHARDSON & CRUDDAS.   BOMBAY.

हाथ से चलाने का पंप.



RICHARDSON & CRUDDAS. BOMBAY





RICHARDSON & CRUDDAS. BOMBAY.

कूंवे से ऊपर पानी चढ़ाने की कल, जिसे बैल या घोड़े चलाते हैं

लेकिन उसको चाहिये कि क़ब्ल टूटने निवान और मिलने हुक्म तहसीलदार जहां तक होसके उसको बचाने की कोशिश करे.

अक्सर यह देखने में आता है कि कुंओं के भीतर पीपल और बड़ के पेड़ ऊग जाते हैं. ये पेड़ जब बड़े होने लगते हैं तो कुओं की दीवालों को तोड़ देते हैं, या फोड़ देते हैं, इसलिये गांववालों को चाहिये कि पेड़ नज़र आते ही उनको बिलकुल उखाड़ डालें ताकि कुंओं को इन पेड़ों के जम जाने से नुक़्सान पहुंचने न पावे.

१५. सरकारी निवानों से फ़ायदा उठानेवालों से कर (टैक्स) लिया जाता है. ऐसे कर को आबियाना कहते हैं. निवान और शरह आबियाना.

निवानों को नाजायज़ कामों में न लाना चाहिये, न उनको नुक़्सान पहुंचाना चाहिये, अगर कोई ऐसा करता है तो आबपाशी ऑफिसर को मालूम होते ही वह उससे हर्जे का रुपया बाद तफ़तीश वसूल करता है, और उसको अदालत फ़ौजदारी से सज़ा भी मिलती है. जिन जमीनों का आबियाना असली जमा में शामिल है उनसे दुबारा आबियाना नहीं लिया जाता.

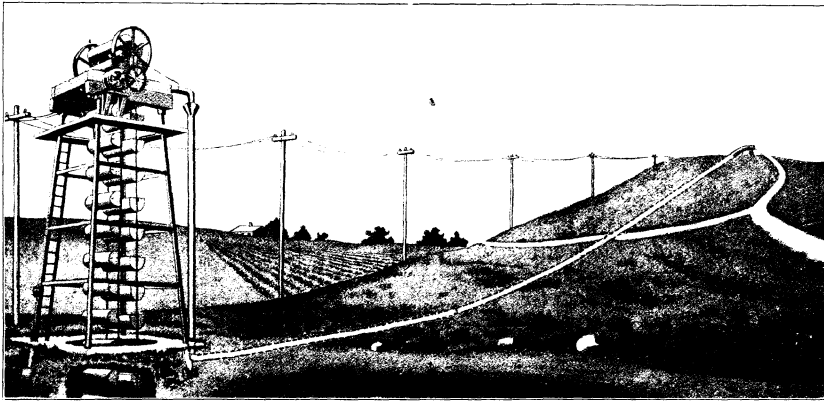
जब निवान, नहर, मोरी, बरहे या और ज़रिये आबपाशी के सरकार बनाती है तो पहिले साल उसका आबियाना नहीं लिया जाता, दूसरे साल आधा आबियाना लिया जाता है और तीसरे साल से पूरा आबियाना वसूल होता है.

जो निज के निवानात रिआया के क़ब्ज़े में होते हैं उन पर सरकार आबियाना नहीं लेती, क्योंकि आबियाना उसी पानी के बाबत लिया जाता है जो सरकारी आबपाशी के कामों से मिलता है. तमाम मोरियों और नहरों को सरकार बनाती है और उनकी मरम्मत और दुरुस्ती भी करती है. लेकिन जो छोटे छोटे बरहे आसामियां बनाती हैं, और जिनके ज़रिये से पानी सरकारी तक़्सीम करने के लिये लिया जाता है उसको ठीक हालत में रखना आसामी का काम है आबपाशी के वास्ते पानी मिलने के लिये दरख़्वास्त ऑफ़िसरान आबपाशी को दी जाती है, वे खर्चा देने पर बरहों को बना कर खेतों के लिये आबपाशी का बन्दोबस्त कर देते हैं, और सिवाय खास हालतों के निवानों से पानी देना बन्द नहीं करते.

इस्तेमाल निवान.

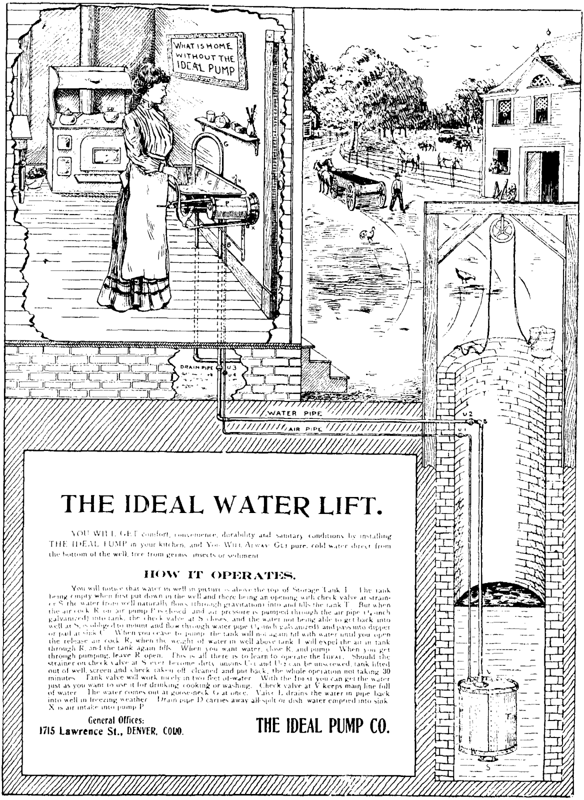
१६. बाबत इस्तेमाल पानी क़ायदा कुल्लिया यह है कि किसी ज़मींदार या काश्तकार को इस तरह पर नहर या दीगर निवान के पानी का खर्च न करना चाहिये कि जिससे दूसरे ज़मींदार या काश्तकार की खेती या दीगर काम को किसी तरह का नुक़सान पहुंचे. हर काश्तकार को याद रखना चाहिये कि नहरें या दीगर निवान जो सरकार ने बना रक्खे हैं वे कुल ज़मींदारान व काश्तकारान के लिये हैं, न किसी खास ज़मींदार या काश्तकार के लिये. अक्सर बहुत से ज़मींदार और काश्तकार दीगर ज़मींदारान और काश्तकारान के हिस्से का पानी चोरी से या नहरों के चौकीदारों के साथ साज़िश करके रात को अपनी नालियों के ज़रिये से अपने खेतों में ले जाते हैं, जिससे दीगर लोगों की फ़सल को बहुत नुक़सान पहुंचता है. बहुत से ज़मींदार और काश्तकार ऐसी बातों को सिर्फ़ लालच ही से नहीं करते बल्कि हसद और दुश्मनी से भी अक्सर ऐसा किया करते हैं. इससे गांव का भी नुक़सान होता है और सरकार का भी. बाज़ काश्तकार ऐसे बेपरवाह और ग़ाफ़िल होते हैं कि वे वक़्त मुक़र्ररा पर अपने खेतों के लिये पानी नहीं ले जाते, लेकिन जब दूसरे काश्तकार की पानी ले जाने की पारी आ जाती है तो लड़ झगड़कर उसके पानी को अपने खेतों में ले जाना चाहते हैं. इससे गांव के अमन में बहुत फ़र्क़ आता है और बाज़ वक़्त संगीन जुर्म और वारदातें भी हो जाती हैं, जिनकी वजह से गांव कभी सरसब्ज़ नहीं होने पाता. लिहाज़ा हर ज़मींदार व काश्तकार पर फ़र्ज़ है कि पानी का इस्तेमाल बेजा कभी न करे और ऐसी बेपरवाही और ग़फ़लत से भी न रहे कि जिससे उसके खेतों में वक़्त मुक़र्रर पर पानी न पहुंच सके और खेती के सरसब्ज़ी में फ़र्क़ आवे.

बाज़ लोगों का ख़याल है कि निवान बनाने से आराज़ी की हैसियत बढ़ जाती है और बढ़ी हुई हैसियत के ऐतबार से बन्दोबस्त के वक़्त मालगुज़ारी की तशख़ीस होती है इसलिये मौज़े की जमा बढ़ जाती है, मगर यह ख़याल उनकी ना समझी का है. बन्दोबस्त के क़ानून की रू से पर्ता आराज़ी व ऐतबार पैदावार ज़रूर क़ायम किया जाता है मगर उसमें खर्चा, मुनाफ़ा का हिस्सा छोड़कर जो रक़म क़ायम रहती है उसमें भी ३०, ३५, फ़ी सदी ज़मींदार के लिये छोड़ा जाता है. ऐसी हालत में जब काश्तकार व ज़मींदार को फ़ायदा होगा उसमें ख़फ़ीफ़ रक़म अगर



यह रहट पानी ऊपर चढ़ाने के लिये काम में आता है.

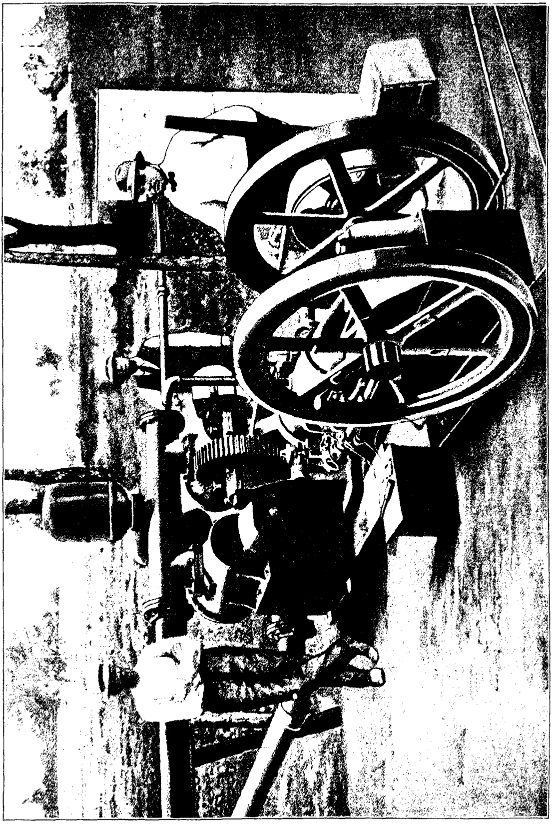
इस तसवीर से मालूम होगा कि पहाड़ की चोटी पर पानी कैसा चढ़ाया है और वहां से फिर खतों में दिया है. यह रहट बैल जोड़ियों से चलता है और इंजन से. इंजन चाहे बिजली से चलाया जावे या भाप से और ग्यास से. यह लोहे का बुर्ज है, इसके ऊपर बिजली के ज़ोर से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है. फिर वह नल के ज़रिये पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया जाता है, वहांसे नहरों के ज़रिये खेतों में जा रहा है.

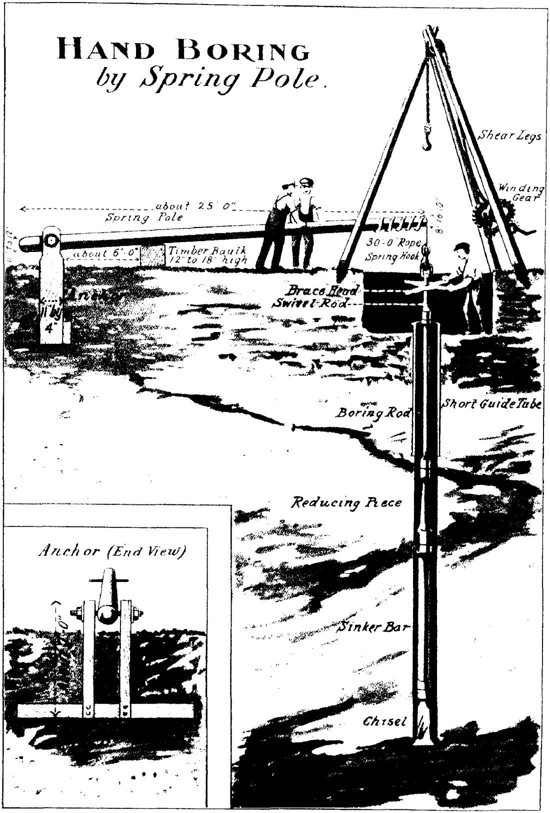


कुवें से सब से अच्छी पानी निकलने की कल.

गवर्नमेन्ट की भी बढ़ेगी तो इसमें काश्तकार या ज़मींदार का नुक़सान नहीं है.

दूसरे दरबार ने यह भी क़ानून बना दिया है कि जिस बन्दोबस्त के दरमियान में निवान बनाया जावे उसमें और उससे आगे का जो बन्दोबस्त हो उसमें बनाये हुए निवानों के ज़रिये से जो हैसियत आराज़ी में तरक्की हो वह पर्ते में शामिल न की जावे, इस शक्ल में बीस बरस तक काश्तकार को पूरा फ़ायदा निवान का हासिल होता है और इस ज़माने में लागत से चौगुनी व दसगुनी जमा मिलजाती है. इसलिये निवानों का बनाना ज़मींदार व काश्तकार दोनों के फ़ायदे की बात है कि जब तक पर्ते में तरक्की नहीं होती तब तक पूरा फ़ायदा मिलता है और जब पर्ते में इज़ाफ़ा हो जाता है तो काश्तकार के नफ़ा का हिस्सा क़ायम रहता है और ज़मींदार को ३०, ३५ फी सदी का मुनाफ़ा मिलता है. (देखो बाब पहिला कलम ४-) ज़मींदार को सरकार व अपना दोनों का फ़ायदा करना चाहिये.





जमीन को गहरा छेदने की कल वास्ते कुंवे के.

बाब ५.

बैंक काश्तकारी.

बाब पांचवां.

बैंक काश्तकारी.

---

१. बैंक काश्तकारी उस बैंक को कहते हैं कि जहां से रुपया जमींदारान व खातेदारान को खेती के सामान के लिये और जमीन की हैसियत बढ़ाने के लिये मिल सकता है. जमींदार के लफ़्ज़ में मालगुज़ार, पट्टीदार, मुस्ताजर और सुपुर्दगीदार शामिल हैं, व लफ़्ज़ खातेदार में आसामी मौरूसी व गैर मौरूसी व साकितुल मिलकियत शामिल हैं. ऐसे बैंक सरकार ने हर तहसील में क़ायम किये हैं. इस बैंक से रुपया उन जमींदारान व खातेदारान को पहिले क़र्ज़ दिया जावेगा कि जो खुद मालदार नहीं हैं और जिनको क़र्ज़ा सेठ साहूकार से आसानी से नहीं मिल सकता या अगर मिल सकता है तो बड़े सूद पर मिल सकता है.

तहसीलों में बैंक खोलने की गरज़ और उससे रुपया किसको मिल सकता है.

इस बैंक से उन जमींदारान व खातेदारान को रुपया बिला जमानत नहीं मिलेगा जिनके ज़िम्मे मालगुज़ारी व क़र्ज़ा बैंक अकसात गुज़िश्ता का पहले से बाक़ी हो या जिनकी जायदाद वास्ते अदायगी उस बक़ाया के काफ़ी न होवे.

२. जमींदारान व खातेदारान की दरख़्वास्त पर नीचे लिखे कामों के वास्ते रुपया इस बैंक से मिल सकता है:—

वह काम जिनके लिये रुपया मिल सकता है.

(१) खाद और बीज खरीदना.

(२) बैल खरीदना.

(३) मशीनरी (यानी कल).

(४) निवान बनाना या मरम्मत करना.

(५) मुतफ़र्रिक़ात छान छप्पर व परोहा, नाली बनाना, और दीगर काम जिससे हैसियत जमीन की सुधरे.

शरह सूद.

३. जो रुपया बैंक से दिया जावेगा उसपर सूद नीचे लिखी हुई शर्तों के मुताबिक़ लिया जावेगाः—

(१) जो रुपया खाद बीज व मुतफ़र्रिक़ काम को दिया जावेगा उसपर सूद बशरह ४) सैकड़ा सालाना के हिसाब से लिया जावेगा.

(२) जो रुपया वास्ते ख़रीदने बैल और वास्ते बनाने निवान के दिया जावेगा उसपर सूद बशरह ६) सैकड़ा सालाना के हिसाब से लिया जावेगा.

(३) जो रुपया बिनाबर ख़रीद मशीनरी यानी काश्तकारी व आबपाशी के कलों के लिये दिया जावेगा उसपर सूद बशरह २) सैकड़ा सालाना के हिसाब से लिया जावेगा.

तावानी सूद अगर क़िस्त या रुपया क़र्ज़ा वायदे पर दाख़िल न हो.

४. क़र्ज़ गीरन्दा अगर ज़रे क़र्ज़ को उस वक़्त पर जिसका उसने वायदा टीप में किया हो अदा न करे या अगर ज़रे क़र्ज़ा बज़रिये अक़सात अदा होना हो, और अगर किसी क़िस्त या अक़सात को वक़्त मुक़र्ररा पर अदा न करे तो उस ज़रे क़र्ज़ पर या उस क़िस्त या क़िस्तों पर (जैसी कि सूरत हो) उस तारीख़ से जब कि वह वाजिबुल अदा हुई ता वसूलयाबी अलावा मुक़र्ररा सूद के दो रुपये फ़ी सदी सालियाना के हिसाब से सूद तावानी लिया जावेगा.

सूद का शुमार किस तारीख़ से होगा.

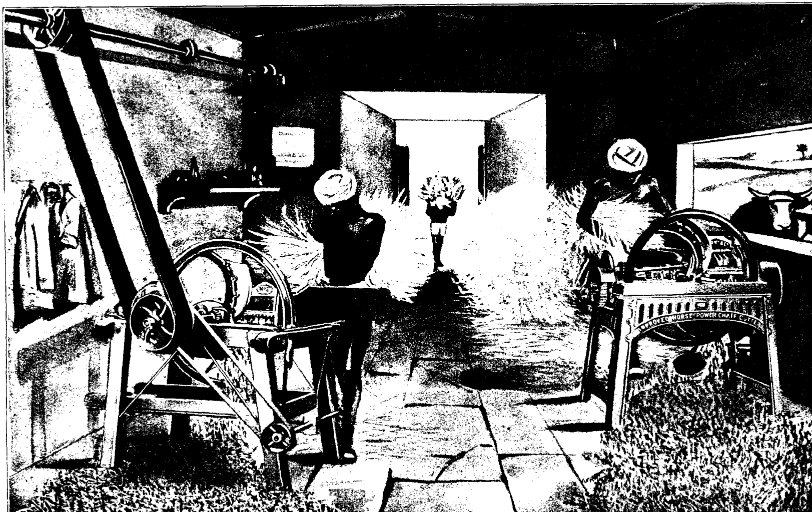
५. जिस तारीख़ को जिसक़दर रुपया क़र्ज़ दिया जावेगा, सूद उसी तारीख़ से उस रक़म पर लगाया जावेगा और अगर क़र्ज़ का रुपया क़िस्तों में दिया जावेगा तो जब जब और जिसक़दर रुपया सरकार से दिया जावेगा उसपर उसी तारीख़ से सूद लिया जावेगा.

सूद कट मिती से लिया जावेगा.

६. सूद कटमिती के उसूल पर लगाया जावेगा, यानी जिसक़दर रुपया क़र्ज़दार ज़रे क़र्ज़ की अदायगी में वसूल में देगा उसमें से पहिले सूद वाजिब काटकर बाक़ी रुपया असल में मुजरा दिया जावेगा.

सूद किस ताः से बंद होगा.

७. जिस तारीख़ को कोई रक़म क़र्ज़ा की अदायगी में दी जावेगी, उसका सूद उस तारीख़ से बंद हो जावेगा, और उस तारीख़ का सूद शुमार नहीं किया जावेगा.



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.

हाथ से कुट्टी करने की कल.

८. क़र्ज़ लेनेवाले को यह इख़्तियार होगा कि जो वक़्त अदायगी क़र्ज़े का या उसकी क़िस्तों का वह मुक़र्रर करे, उससे पहिले जब चाहे कुल क़र्ज़ा या कोई क़िस्त या उसका कोई हिस्सा अदा करे और सूद का फ़ायदा उठाये, और ऐसी हालत में जिस तारीख़ को वैसी कोई रक़म अदा की जावे उस तारीख़ तक का ही सूद उससे लिया जावेगा.

वायदे की ताः से रुपया पहिले अदा करदेने का क़र्ज़दारको इख़्तियार है.

अगर रुपया मनीऑर्डर के ज़रिये भेजा जावेगा, और नक़ल टीप भी तरसील की जावेगी तो तारीख़ मनीआर्डर से सूद लेना बंद किया जावेगा. मनीआर्डर का ज़रिया ऐसा है कि बिला किसी तवालत के घर बैठे रुपया भेजा जा सकता है और सूद की किफ़ायत होती है.

९. क़र्ज़े के वापसी की मियाद बढ़ से बढ़कर नीचे लिखे बमूजिब होगी.

क़र्ज़ अदायगी की क़िस्तें मुक़र्रर करना.

लेकिन अगर क़र्ज़दार नीचे लिखी हुई से कम मियाद में रुपया अदा करना चाहे तो एजन्ट बैंक यानी तहसीलदार क़र्ज़दार की रज़ामन्दी से ले सकता है:—

(१) जो रुपया खाद बीज के लिये क़र्ज़ लिया जावेगा, वह उस बीज के फ़स्ल की पैदावारी पर वापिस दिया जावेगा.

(२) जो रुपया बैल ख़रीदने व मशीनरी ख़रीदने के वास्ते क़र्ज़ लिया जावेगा, वह तीन साल की वापसी की शर्त पर दिया जावेगा.

(३) जो क़र्ज़ा वास्ते बनाने निवान लिया जावेगा उसके वापसी की मियाद पांच साल तक होगी.

(४) जो क़र्ज़ा वास्ते मुतफ़र्रिक़ काम के लिया जावेगा उसके अदाई की मियाद तीन साल तक होगी बशर्ते कि क़र्ज़ा जो इस काम के वास्ते लिया जावे उसकी तादाद २००) रुपया तक हो, ज़्यादा रक़म के लिये मियाद की मंज़ूरी जनरल मैनेजर से लेनी होगी.

तशरीह नं० १:—

(क) छान छप्पर का बनाना यानी किसी मौज़ा या उसके हिस्से के आतिशज़दगी से सोख़्त हो जाने की हालत में जदीद मकानात बनाना या किसी वीरान या जदीद मौज़े को बसाना.

(ख) परोहा व नाड़ी को ख़रीदना.

(ग) आराज़ी को आबपाशी के लिये तैयार करना.

(घ) उस आराज़ी में जो अग़राज़ ज़राअत के लिये मुस्तामिल होती हों, या आराज़ी उफ़तादा में जो क़ाबिल काश्त है, पानी के निकास की तदबीर करना, या दरिया या और पानियों से आराज़ी मज़कूर बरामद करना, या उसको सैलाबी या कट जाने या पानी के सदमे से बचाना.

(ङ) आराज़ी को बग़रज़ नौ तोड़ बंजर आबाद करके या जंगल काट के दुरुस्त करना.

तशरीह नं० २:—किसी काम मुन्दर्जे तशरीह नम्बर १ का तजदीद करना या अज़सरे नौ बनाना, या उसमें तब्दीली या इज़ाफ़ा करना.

कर्ज़े के लिये दरख़्वास्त.

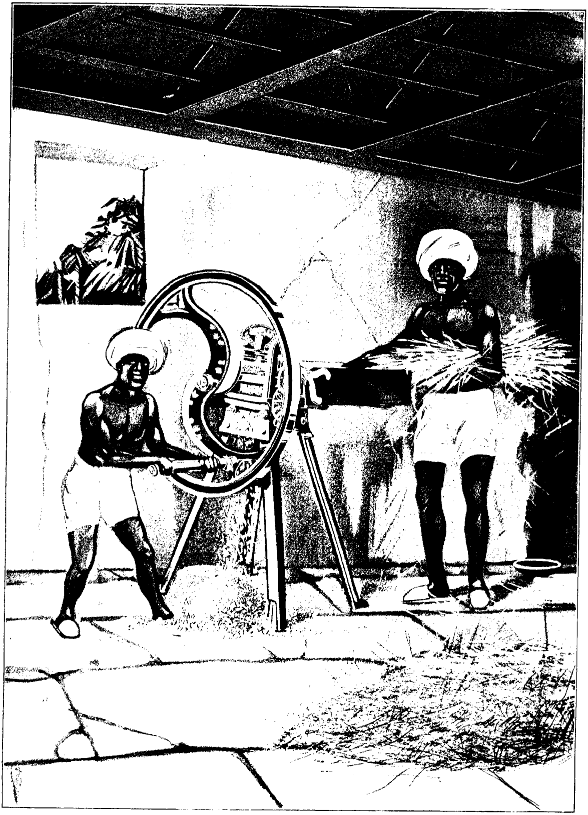
१०. क़र्ज़ा मिलने के लिये अर्ज़ी एजंट बैंक (यानी तहसीलदार) को दी जावेगी, और एजन्ट नामंजूर करे, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैंक (सूबा) को दी जावेगी.

दरख़्वास्त सादे कागज़ पर होगी.

११. अर्ज़ी फ़ार्म मुक़र्रेरा पर लिखी जायगी, मियाद मुक़र्रेरा पर दी जायगी, और उसपर दस्तख़त सायल के मय निशानी अंगूठा साफ़ तौर पर किये जावेंगे.

दरख़्वास्त का फ़ार्म.

१२. रुपये मिलने के लिये दरख़्वास्तों के फ़ार्म बैंक से क़र्ज़ लेनेवाले को ख़ाने पुरी करने के लिये मुफ़्त दिये जावेंगे. जमींदार जरूरी फ़ार्म तहसील से मंगवाकर अपने दफ़्तर में रख लेवे तो वक़्त पर काम आसकते हैं.



W. LESLIE & CO. CALCUTTA.

कुट्टी काटने की कल.

१३. जो दरख़्वास्त किसी जमींदार की तरफ़ से उसके खातेदारान को खाद बीज दिलवाने के वास्ते पेश की जावे, उसके साथ एक फ़र्द आसामीवार जिससे यह जाहिर होवे कि हर आसामी को किसक़दर रुपये की, किसक़दर खाद बीज के लिये जरूरत है, पेश होना चाहिये, और उस फ़र्द पर जमींदार के दस्तख़त व निशान अंगूठा साफ़ तौर पर होने चाहियें। आसामियों को रुपया दिलाना हो तो नाम लिखाना.

१४. खाद बीज के लिये दरख़्वास्त नीचे लिखी मियाद के अन्दर पेश होनी चाहियेः— खाद बीज के दरख़्वास्त की मियादें.

(१) फ़सल ख़रीफ़ के लिये तारीख़ ३० अप्रेल तक.

(२) फ़सल रबी के लिये तारीख़ ३० सितम्बर तक.

(३) बाड़ के लिये तारीख़ ३१ मार्च तक, मगर फ़सल ख़रीफ़ के वास्ते दरख़्वास्तें, वजह ख़ास हो तो आख़िर मई तक दी जासकती हैं. अगर बारिश देर से हो तो ख़ास तौर पर उसकी मंजूरी होगी.

१५. चूंकि हर शख़्स के लिये जो बैल ख़रीदने का ख़्वाहिशमन्द हो उमूमन उम्दा मौक़ा वही होता है जब कि उसके मौज़े के आस पास कोई मेला सालाना ख़रीद व फ़रोख़्त बैलों का होवे, या कोई हाट उस हिस्से इलाक़े में हो जहां उसका मौज़ा वाक़ै है. इसलिये एजन्ट बैंक तारीख़ लगने मेला या हाट से पहिले कोई तारीख़ मुक़र्रर करके नोटिस देवेंगे, उस तारीख़ तक दरख़्वास्तें क़र्ज़े के लिये पेश की जावेंगी। लेकिन अगर किसी शख़्स का बैल मरजावे और काश्तकारी में उसका हर्ज होवे, और वह क़र्ज़ लेने का ख़्वाहिशमन्द होवे, तो ऐसी दरख़्वास्त की निस्बत ऊपर लिखी मियाद का कुछ लिहाज़ न किया जावेगा, बल्कि ऐसी दरख़्वास्त वक़्त ज़रूरत के गुज़र सकती है. बैलों के लिये रुपया मिलने की दरख़्वास्त की मियाद.

१६. क़र्ज़ा लेनेवालों के लिये यह क़ैद नहीं है कि वह उस मेले या हाट से ही बैल ख़रीदें, अगर उनको और जगह सस्ते बैल मिल सकते हैं तो ख़रीदें, मगर एजन्ट बैंक उसको जो मियाद मुक़र्रर कर देगा उस मियाद में बैल ख़रीदना चाहिये. बैल जहां से जी चाहे अन्दर मियाद ख़रीदने चाहियें.

बैल की उम्र का इन्दराज कागज़ पटवारी में कराना व दाग़ दिलाना.

१७. तक़ावी लेनेवाले का फ़र्ज़ होगा कि वह बैंक के क़र्ज़े से जो बैल ख़रीदे वह उम्र में तीन साल से छै साल तक होना चाहिये. यह उम्र की क़ैद इसलिये रखी गई है कि बैल कम उम्र का न ख़रीदा जाये न बूढ़ा. वर्ना खिलाई मुफ़्त करना पड़ती है या फिर दूसरा बैल जल्द ख़रीद करना पड़ता है. इसके बाद उसको चाहिये कि रोज़नामचा पटवारी में बैलों का हुलिया व क़ीमत दर्ज कराके नजदीकतर पुलिस स्टेशन से उन्हें दाग़ लगवाकर निशान बनवा देवे.

नोटः—दाग़ लगाने से यह फ़ायदा है कि अगर जानवर खो जावे तो बवजह निशान होने के उसका पता ब आसानी लग सकता है.

बैल अन्दर मियाद न ख़रीदे जावें तो कार्रवाई.

१८. अगर कोई शख़्स बैलों के लिये रुपया लेकर बमूजिब इक़रार के कार्रवाई न करे तो एजन्ट बैंक उसको एक माह का नोटिस वास्ते तामील के देगा, इस पर भी वह तामील न करे तो बिला लिहाज़ मियाद व अक़सात रुपया उससे वसूल कर लिया जावेगा.

एक ही हल के लिये दुबारा रुपया.

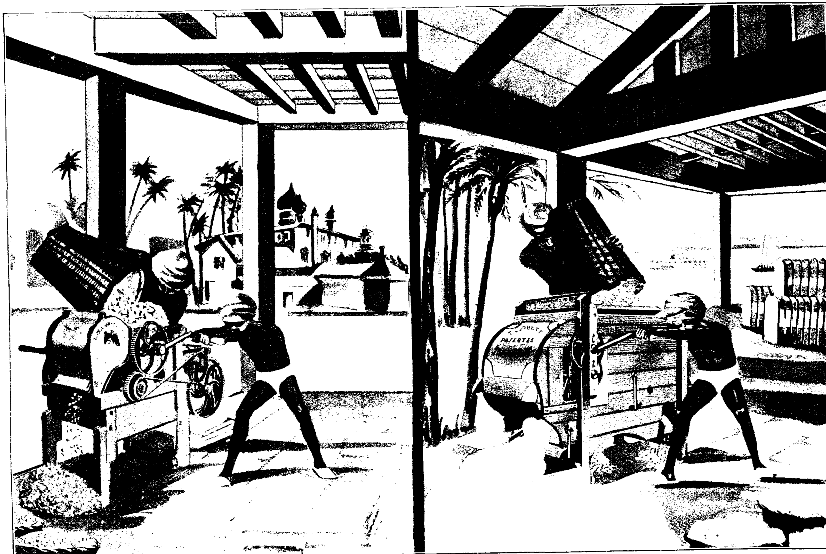
१९. जिस शख़्स को एक हल के लिये एक मर्तबा बैल के वास्ते क़र्ज़ा दिया जावे उसको फिर पांच साल तक उसी हल के वास्ते बैल ख़रीदने के लिये क़र्ज़ा नहीं दिया जावेगा, बशर्ते कि ख़रीदे हुए बैलों में से कोई बैल ब क़ज़ा इलाही या मर्ज़ से न मरजाय.

निवान के लिये रुपया मिलने की दरख़्वास्त पेश करने की मियाद.

२०. निवान बनाने के वास्ते जो रुपया दरकार हो उसके मिलने के लिये दरख़्वास्तें नवम्बर तक दी जानी चाहियें. अगर किसी अम्र इत्तिफ़ाक़िया से या किसी निवान को जरर से बचाने या नुक़्स आबपाशी रफ़े करने के लिये रुपये की जल्द ज़रूरत हो तो इस हालत में ऐसी दरख़्वास्त ज़रूरत के वक़्त दी जा सकती है.

काम कब बनाना और किसकी मार्फ़त.

२१. क़र्ज़ लेनेवाले को चाहिये कि निवान मौसम बरसात शुरू होने के पहिले बना लेवे और अगर काम बड़ा होवे तो वह दूसरे मौसम बारिश के शुरूआत तक ख़त्म किया जावे, और इसी तरह जबतक वह काम ख़त्म न होवे हर साल हुआ करे. निवान का काम ख़ुद अपनी निग्रानी में करवाना चाहिये.



भूसा उड़ाने की कलें.

निवान में जबतक पानी का सोत अच्छा न निकल आवे उसको पक्का बांधने की जल्दी न करनी चाहिये. अक्सर ऐसे निवान दिखाई देते हैं जो पुख़्ता बने हुए होते हैं लेकिन अन्दर पानी बरायनाम होता है. इससे कुंए पर लगाया हुआ रुपया मुफ़्त जाता है. पानी का सोत अच्छा लगने की निशानी यह है कि बैसाख जेठ में भी उसमें पानी ख़ासा रहे. जब यह देख लिया जाये कि इसक़द्र पानी रहता है तब ही उसे पक्का बंधवाना चाहिये. सोत गहरा न निकले तबतक पुख़्ता न बंधवाना.

२२. दरख़्वास्तहाय बाबत काम मुन्दर्जा मद नंबर ३, मशीनरी व मद नंबर ५ मुतफ़र्रिक़ात हर वक़्त पेश की जा सकती है. मशीनरी व मुतफ़र्रिक़ काम.

२३. जिन ज़मींदारों को छान छप्पर के लिये रुपया बैंक से दिया जावेगा उनके साथ वह सब रिआयतें की जावेंगी जो उनको इस काम के लिये बमूजिब क़ानून जंगलात के हासिल होंगी और जो महक्मे जंगलात से दी जाती हों. छान छप्पर के लिये रुपया व जंगलात की रिआयतें.

२४. अपने जिन खातेदारान को ज़मींदार बैंक से क़र्ज़ा दिलावे उनको क़र्ज़ा ज़मींदार के ज़िम्मेदारी पर दिया जावेगा, और अलावे ज़मानत बमूजिब एक्ट बैंकहाय ज़मींदार की भी ज़मानत उस क़र्ज़े के निस्बत लिखवाली जावेगी, मगर ऐसा क़र्ज़ा अव्वल उन खातेदारान से या उनके ज़ामिनों से (अगर हों) वसूल किया जावेगा, और जिसक़द्र उनसे वसूल न हो सकेगा उसकी वसूली ज़िम्मेदार ज़मींदार से की जावेगी. ज़मींदार की खातेदारों की बाबत ज़िम्मेदारी.

२५. जो क़र्ज़ा बैंक से किसी शख़्स को दिया जावेगा उसकी निस्बत अव्वल उससे टीप (इक़रारनामा अदाय क़र्ज़ा) लिखा ली जावेगी. क़र्ज़े की टीप.

२६. ऐसी टीप दो आने के स्टांप कागज़ पर लिखी जावेगी, और उसपर क़र्ज़ा लेनेवाले के दस्तख़त कराये जावेंगे, और गवाही गवाहान भी कराई जावेगी. बाज़ लोग लिखे पढ़े नहीं होते लेकिन अपने दस्तख़त करना जानते हैं चुनांचे इस हालत में भी बजाय अंगूठे के निशान के, दस्तख़त करना ही मुनासिब है. टीप का स्टाम्प.

२७. जब कई आदमी मिलकर क़र्ज़ा लेवें तो टीप उनकी जानिब से एक ही लिखी जावेगी. मुश्तरका टीप.

टीप की नक़ल.

२८. एक नक़ल इस टीप की छपे हुए फ़ार्म पर क़र्ज़ लेनेवाले को दी जावेगी, और अगर क़र्ज़ लेनेवाले से वह नक़ल खो जावे और वह दूसरी नक़ल मिलने की ख़्वाहिश करे तो उसको दो आने के टीप के स्टांप पर नक़ल दी जाकर उजरत ली जावेगी. जब क़र्ज़ लेनेवाले एक से ज़्यादा होंगे तो नक़ल टीप की उसको दी जावेगी जो उसमें मुखिया होगा.

क़र्ज़े का चेक.

२९. क़र्ज़ लेनेवाले को रुपये का चेक तहसील से एक महीने की मियाद का मिलेगा वह उसको एक महीने के अन्दर या जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी पटाकर तहसील ख़ज़ाने से रुपया लेलेने, अगर चेक के बमूजिब पूरा रुपया न मिले तो फ़ौरन तहसीलदार को रिपोर्ट करनी चाहिये.

मियाद चेक.

३०. अगर एक महीने की मियाद गुज़र जावे तो पुराना चेक नत्थी करके दूसरी दरख़्वास्त रुपया मिलने की तहसील में करनी चाहिये, उस वक़्त दूसरा चेक मिलेगा.

फ़र्दन फ़र्दन व मुश्तरकन ज़िम्मेदारी.

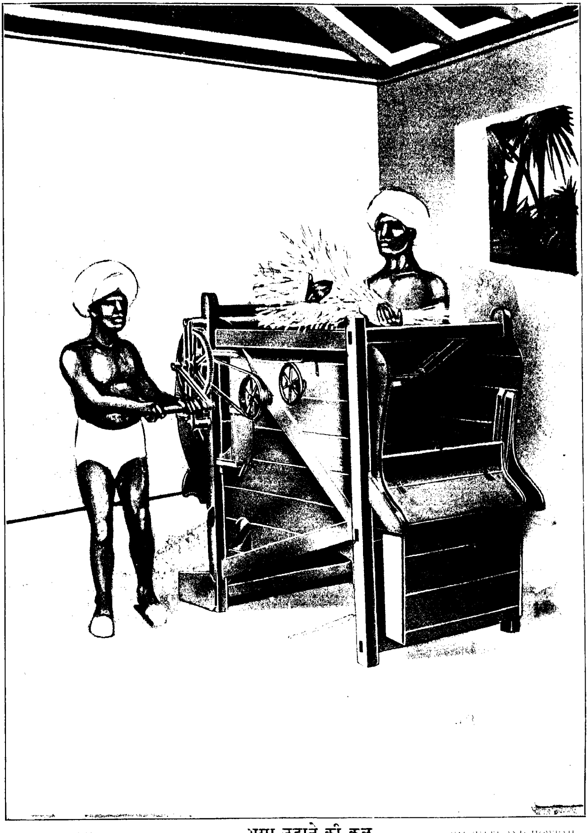
३१. जब कोई क़र्ज़ा चन्द आदमी मिलकर लेवें तो उस सूरत में वह हर शख़्स अलहदा २ और सब मिलकर उसके अदायगी के ज़िम्मेदार होंगे और वह क़र्ज़ा उनमें से किसी एक आदमी से या चन्द आदमियों से या सब से बैंक के क़ायदे के हुक्म के मुताबिक़ वसूल किया जावेगा, बशर्ते कि लेनेवाले से वसूल न हो.

बक़ाया का वसूल.

३२. हर एक क़र्ज़े की रक़म और तमाम सूद जो उसपर होगा, शख़्स क़र्ज़ लेनेवाले से या उसके ज़ामिन से इसी तरह वसूल किया जावेगा कि गोया वह बक़ाया मालगुज़ारी था, और उसकी वसूली का इख़्तियार एजन्ट बैंक को ब हैसियत तहसीलदार व डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ब हैसियत सूबा ज़िला होगा.

रुपया जिस काम को लिया जाय उसी में सर्फ़ करना.

३३. ज़मींदारान को चाहिये कि जो रुपया वह बैंक से जिस काम के लिये ख़ुद लेवें उसको उसी काम में सर्फ़ करें, या अगर वे अपनी आसामी को दिलावें तो इस बात की देख भाल रक्खें कि वह आसामी उसी काम में रुपये को सर्फ़ करे. अगर नम्बरदार या ज़मींदार को यह इल्म हो जावे कि कोई ज़मींदार या खातेदार उस काम में रुपये को सर्फ़ में नहीं लाया जिसके लिये उसने क़र्ज़ लिया था, तो उसकी रिपोर्ट तहसीलदारको करे.



BURN & CO., LTD. भूसा उड़ाने की कल. CALCUTTA AND HOWRAH.

खिलाफ़ वर्ज़ी में कार्रवाई.

३४. अगर कोई कर्ज़ा बैंक से लेकर उसकी कुल या जुज़ रकम उस काम में सर्फ़ न करे, जिसके लिये उसने क़र्ज़ लिया हो तो एजन्ट बैंक बिला लिहाज़ उस मियाद के या क़िस्तों के जो उस क़र्ज़ के अदा होने के लिये टीप में मुक़र्रर की गई हों फ़ौरन कर्ज़ा वसूल करने की कार्रवाई ब हैसियत तहसीलदार करेंगे.

क़र्ज़ा वसूल की कार्रवाई.

३५. जो मियादें कर्ज़ा अदा होने की टीप में मुक़र्रर की जावेंगी उनके खत्म होने पर फ़ौरन क़र्ज़ा वसूल करने की कार्रवाई की जावेगी.

पुराना क़र्ज़ा.

३६. किसी शख़्स के ज़िम्मे एक से ज़्यादा क़र्ज़ा हो और एक से ज़्यादा टीप लिखी गई हों तो जो रकम क़र्ज़ लेनेवाला क़र्ज़ की वसूली में देगा वह उस टीप के क़र्ज़ में महसूब की जावेगी जो सब से पेश्तर की होगी.

रक़म वसूलशुदा टीप पर और उसकी नक़ल पर भी जमा होगी.

३७. ज़रे क़र्ज़ की अदायगी में जिसक़दर रुपया मिनजानिब क़र्ज़दार दिया जावेगा वह टीप की पुश्त पर दर्ज किया जावेगा, टीप की नक़ल पर भी (जो क़र्ज़दार के पास होगी) इसका इन्दराज किया जावेगा और उसपर एजंट बैंक अपने दस्तख़त मय तारीख सब्त करेगा और मुहर ओहदा भी लगाई जावेगी.

ज़ामिन की तरफ़ से रु० वसूल होगा तो उसकी रसीद अलहदा दी जावेगी.

३८. ज़रे क़र्ज़ की अदायगी में अगर ज़ामिन की तरफ़ से कोई रक़म अदा की जावेगी तो उसकी वसूली टीप की पुश्त पर दर्ज की जावेगी और लिखा जावेगा कि वह मिनजानिब ज़ामिन अदा की गई और ज़ामिन को अलहदा रसीद दी जावेगी.

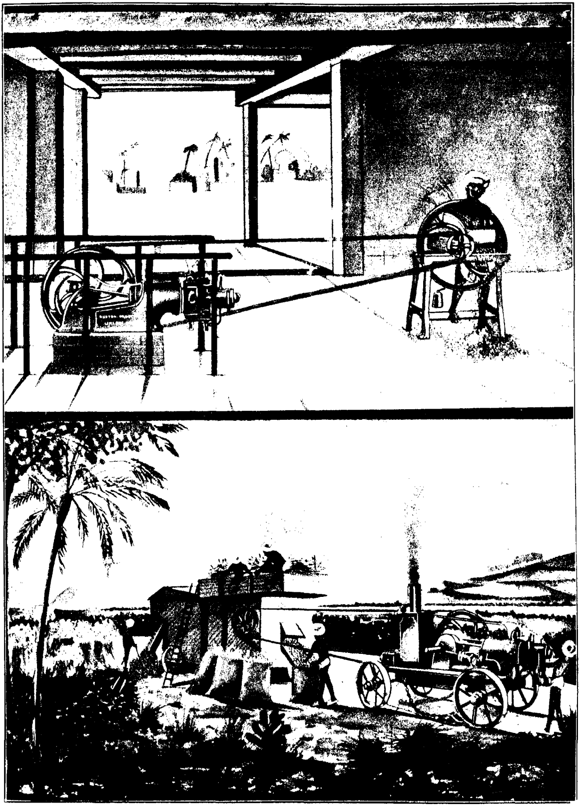
ज़मींदारका आसामियान के हल बैलके लिये फ़िक्र करना.

३९. ज़मींदारान व मुस्ताजरान को चाहिये कि वह अपने मौज़े की आसामियान की पहले आप फ़िक्र करें और उनके हल और बैल का इन्तज़ाम कर देवें, अगर उनसे इन्तज़ाम न होसके तो तहसील में उनके लिये क़र्ज़ा मिलने की दरख़्वास्त किया करें. पहले रुपया ऐसे लोगों को दिलावें जिनको बहुत जरूरत है और ऐसे को जिसका एक बैल मर गया हो और बिदून दूसरे बैल के उसका हल बेकार हो.

क़र्ज़ लेने व क़िस्त करने में एहतियात.

४०. क़र्ज़ा लेनेवालों को रुपया समझकर उतना लेना चाहिये जितने की जरूरत है, इतना नहीं लेना चाहिये कि उसके अदा होने में किसी तरह की दिक़्क़त या नुक़सान पड़े. क़िस्त समझ के साथ करनी चाहिये और वह ऐसी करनी चाहिये कि अदायगी में दिक़्क़त न पड़े.

इस बाब के पढ़ने से ज़ाहिर होगा कि जो शख़्स ईमानदारी से इन उसूलों पर लेन देन करेगा उसको रुपया आसानी से मिलेगा और उसे क़ानून क़वाअद और अदालत वग़ैरा की तकलीफ़ें कम होंगी. यह बैंक ख़ास इसी मक़सद से जारी किये गये हैं कि आसानी से रुपया मिले व दीगर क़िस्म की तबाही व तकलीफ़ों से रिआया बचे. इन क़वाअद के बनाने में यही बात मद्दे नज़र रक्खी गई है, लेकिन इसके बमूजिब बरताव करने का ज़्यादातर दारोमदार स्टाफ़ बैंक और ख़ास दफ़्तरदार साहब और लेनेवाले पर है, अगर दोनों जानिब से ठीक वक़्त पर काम होगा और चालाकी की चालें व नज़र ख़ुद के नफ़ा के न चलीं तो काम बआसानी और आराम से चल निकलना मुमकिन है.



RUSTON, PROCTOR & CO., LTD. नाज की पूली से नाज को निकालना LINCOLN, ENGLAND.

बाब ६.

बैंक और बैंक का कारोबार.

बाब छठवा.

बैंक और बैंक का कारोबार.

बैंक किस को कहते हैं और उसका कारोबार.

१. बैंकिंग के असल माने रुपये के लेन देन के हैं. बैंक कर्ज़ाऊ रुपया सूद पर देता है. जिस मकान में लेन देन का दफ़्तर रहता है और जहां बैंकरों का रुपया और माल जमा रहता है और जिस मकान या दफ़्तर में रुपया क़र्ज़ दिया जाता है और लोगों की अमानतें रक्खी जाती हैं और लेन देन का काम होता है उस मकान को और उस दफ़्तर को अमूमन बैंक या कोठी कहते हैं.

बैंकर और बैंकिंग कंपनी.

जो लोग बैंक का कारोबार करते हैं वे बैंकर कहलाते हैं. बैंक के कारोबार को अकेला एक आदमी भी करसकता है और बहुत आदमियों की जमाअत (कंपनी) भी कर सकती है.

बैंकों के प्रकार.

हिन्दुस्तान में बहुत प्रकार के बैंक होते हैं जैसे साहूकारी कोठी, बैंक, संयुक्त बैंक, सेविंग्स बैंक.

कारोबार के प्रकार.

बैंकों को क़ायम करने से लोगों को काम चलाने के लिये रुपया जल्द मिलजाता है और अपना रुपया बैंक में जमा करने से सूद भी मिलता है. बैंकों में जो रुपया अमानत का जमा किया जाता है वह या तो किसी खास मुद्दत के लिये बतौर फिक्सड डिपाजिट (Fixed deposit) रक्खा जाता है या चलताऊ हिसाब (करन्ट अकौन्ट Current account) के तौर पर. जब चलताऊ हिसाब रक्खा जाता है तो बैंक या तो सूद देती ही नहीं या देती भी है तो बहुत थोड़ा देती है.

साहूकारी कोठी व बैंक में क्या फ़र्क है?

२. एक आदमी या एक खान्दान के बैंक को इस देश में साहूकारी कोठी कहते हैं और जो जमाअत का बैंक होता है उसको अमूमन बैंक कहते हैं. जमाअत के बैंक और साहूकारी कोठी में थोड़ासा फ़र्क होता है. साहूकारी कोठी में अकेले उसी आदमी की पूंजी होती है लेकिन जमाअत (कंपनी) के बैंक की शक्ल में कई आदमी चंदे से रक़म जमा करके पूंजी क़ायम करते हैं. ऐसे चंदे में एक खास रक़म मुक़र्रर कीजाती है जिसको बैंक का हिस्सा कहते हैं. हिस्सों (शेअर्स Shares) की रक़म जमा करने के दो तरीके हैं, यानी,—

१. एकमुश्त.

२. जैसी मांग हो. मसलन १० रुपये का हिस्सा (शेअर) है तो पहली मांग में ५) रुपया व दूसरी मांग में ५) जमा किये जासकते हैं या जैसी शर्त हो.

बैंक कौनसा अच्छा समझा जावे.

३. अमूमन जमाअती बैंक वेही अच्छे होते हैं जो बाद जांच आडिटरान (जांच करनेवालों के) अपना हिसाब लोगों की वकफ़ियत के लिये छाप देते हैं. आडिटर वे लोग होते हैं जो हिसाब की जांच करने का पेशा करते हैं, और अपने काम में आला दर्जे का तजरुबा रखते हैं. जो बैंक या कोठियां अपना हिसाब लोगों से छिपाये रखती हैं उनमें जोखूं है, ऐसा समझा जाता है.

बैंक की क़ायमी के लिये क़वाअद का रजिस्टर होना ज़रूरी है.

४. बैंक जमाअती का क़ायम होना उसी वक़्त माना जाता है जब कि क़ानून के बमूजिब उसके क़वाअद (आर्टीकल्स आफ एसोसिएशन Articles of Association) की रजिस्ट्री होजावे. जब यह सब कार्रवाई होकर जमा क़ायम होजाती है और जब बैंक का काम ठीक ठीक चल निकलता है तब अगर चाहें तो वे लोग जिन्होंने बैंक को पूंजी के क़ायम करने के लिये रुपये दिये हैं अपने हिस्सों को मुनाफ़े पर बेच सकते हैं.

मुनाफ़ा या डिविडैन्ड.

५. बैंक में जो मुनाफ़ा होता है उसमें से जिसक़दर मुनाफ़ा हिस्सेदारों को तक़्सीम किया जाता है उसको डिविडैन्ड कहते हैं और जो मुनाफ़ा तक़्सीम नहीं किया जाता है वह रिजर्व फंड में जमा किया जाता है. वही मौतबिर बैंक समझा जाता है और रिजर्व फंड के ऐतबार से भी हिस्सों की क़ीमत बढ़ती है.

बैंक को जब टोटा पड़ता है तब हिस्सेदारों को डिविडैन्ड नहीं मिलने पाता.

मुद्दती अमानत की रक़मों में से क़र्ज़ा दिया जाता है.

६. अक्सर जब बैंकवाले रुपया क़र्ज़ देते हैं तो वे उस रुपये को पहले पहले हिस्सों से जमा हुए रुपये में से देते हैं. बाद को जब बैंक का काम चल निकलता है तो मुद्दती अमानतों के रुपये में से देते हैं, याने उन अमानतों में से कि जिनके वापिस करने के लिये खास मुद्दतें मुक़र्रर होचुकी हैं. वे लोग



WALTER A. WOOD. पूले बांधने की कल. HOOSICK FALLS N.Y., U.S.A.

इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनको मुद्दती अमानत का सूद तो अमानतवालों को कम देना पड़ेगा लेकिन क़र्ज़ा लेनेवाले से उसी रुपये से ज़्यादा सूद मिलेगा. सिवाय इसके वे यह भी जानते हैं कि मुद्दती अमानत की मुद्दत ख़तम होने से पहले अगर क़र्ज़ का रुपया मय सूद बैंक में वापिस आजायगा तो बैंक को एक तो नफ़ा बहुत होगा, दूसरे मुद्दती अमानत का रुपया भी मुद्दत ख़तम होने पर क़र्ज़ बेबाक़ होजाने से अमानत रखनेवालों को मिलजायगा, जिससे उनके इतमीनान में फ़र्क़ न आयगा. बैंक का काम करने में यह ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़ूल रुपया बेकार न रहे और ऐसी पेशबीनी से रुपया दिया जावे कि जब कोई अमानत रखने वाला रुपया चाहे तो वक़्त पर वापिस मिल सके और जो रुपया दिया जावे वह इस तरकीब से व दूरअन्देशी से दिया जावे कि वक़्त पर वसूल हो. बट्टा खाता लिखने की ज़रूरत न आवे.

७. हर एक आदमी स्वतंत्र बैंकर नहीं हो सकता और ऐसा बैंकर वही आदमी हो सकता है जिसे ईश्वर ने रुपया दे रक्खा है और जिसमें दयानतदारी और हमदर्दी के साथ औरों का काम चलाके मुनासिब और जायज़ तौर पर रुपया पैदा करने का माद्दा होता है. जो लोग लेन देन करने में सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा देखते हैं और क़र्ज़दारों के फ़ायदे या नुक़्सान की परवाह नहीं करते वे कभी नेकनाम नहीं रहते, न उनका काम बहुत अर्से तक अच्छी तरह चल सकता है. कोठी का काम किस शक्ल में अच्छा चल सकता है?

८. जहां स्वतंत्र बैंक होते हैं और वे ईमानदारी, हमदर्दी और नेक-चलनी के साथ काम करते हैं वहां बग़ैर जमाअती बैंकों के भी काम चल जाता है, लेकिन जहां ऐसे बैंक नहीं होते वहां ब तरीक़ मज़कूरे बाला चन्दे से रुपया जमा करके जमाअती (पंचायती) बैंक क़ायम करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कामयाबी ऐसे बैंक की तबही होती है जब उसके काम चलाने का ज़ाब्ता ठीक ठीक हो, और लोगों को उसके क़ायदे की वक़ाफ़ियत हो, और उसका हिसाब शशमाही या सालाना वास्ते आगाही और इतमीनान सब लोगों के छपता रहे. इससे लोगों का ऐतबार और भरोसा बढ़ता है, जिसका नतीजा यह होता है कि लोग ख़ुशी से अपने आप आकर उस बैंक के साथ लेन देन करते हैं. जब कभी बड़े बड़े बैंकों बैंक का काम किस शक्ल में अच्छा चल सकता है?

का दिवाला निकला है तो अमूमन यह पाया गया है कि उन्होंने अपने नफ़े और नुक़्सान को लोगों पर जाहिर नहीं किया. हिसाब और क़वाअद के मुश्तहर करने से अहलकारान बैंक गड़बड़ नहीं कर सकते, ताहम डायरेक्टरों (मुन्तज़िमों) की निगरानी लाज़मी है और बहुत कुछ कामयाबी डायरेक्टरों और आडिटरों और अमला बैंक पर मुनहसर है. इसलिये जो अच्छे और नेकनाम बैंक हैं वे सेमाही या शशमाही उन लोगों से हिसाब को जंचवाते रहते हैं.

बैंक के काम करने वाले आफ़िसरान.

९. जमाअती (पंचायती) बैंकों में ऑफ़िसरान और अहलकारान मुफ़स्सिले ज़ैल होते हैं:—

१. कमेटी डायरेक्टरान. Committee of Directors.

२. मैनेजर बैंक. Manager of Bank.

३. अकौन्टेन्ट. Accountant.

४. मुहर्रिरान बैंक. Clerks.

५. ख़ज़ानची बैंक. Treasurer.

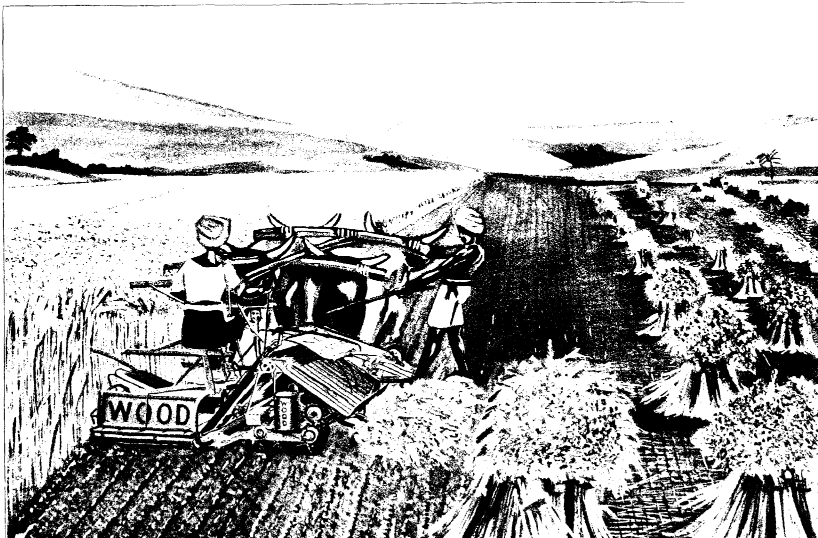
६. परखिया. Money Tester.

७. सालिसिटर. (Solicitor).

जब कभी जरूरत होती है तो जलसा हिस्सेदारान भी हुआ करता है. ऑफ़िसरान को मेहनताना तयशुदा दिया जाता है, ताकि वे वक्त मुक़र्ररा पर अपना काम करते रहें.

बैंक के सालिसिटर.

१०. हर बैंक का एक लायक़ और तजरुबेकार सालिसिटर भी होता है जो उनके मुआम्लात मुतअल्लिक़े क़ानून में सलाह माक़ूल दिया करता है, और दस्तावेज़ात वग़ैरा के मसव्विदे भी बना देता है, और जो मामलात अदालत के होते हैं उनकी पैरवी बैंक की तरफ़ से वकील या बैरिस्टरों के



WALTER A. WOOD, HOOSICK FALLS, N.Y., U.S.A.

नाज के पूले बनाने की कल.

ज़र्ये से कराता है. बाक़ी अमला हर महीने अपनी तनख़्वाह पाता है. अगर सालिसिटर और आडिटरान हर माह अपना ठहराया हुआ हिस्सा चाहें तो बजाय सालाना के हर माह पाते रहते हैं.

११. डायरेक्टरों का यह काम होता है कि बैंक के हर क़िस्म के कामों की निगरानी रक्खें और उसका इन्तज़ाम ऐसा रक्खें कि उसकी नेकनामी और सरसब्ज़ी क़ायम रहे, और इस बात को भी जांचते रहें कि लोगों का इतमीनान बैंक के ऊपर क़ायम है या नहीं. डायरेक्टर्स को जो कुछ काम करना होता है उसे जल्सों (Meetings) में लाकर करते हैं. जो डायरेक्टर्स जल्सों में शरीक होते हैं उनको जल्से में शरीक होने की मुनासिब रक़म फ़ीस की दी जाती है. डायरेक्टरों का काम.

१२. मैनेजर बैंक, बैंक का ऑफ़िसर आला होता है. वह यह तजवीज़ करता रहता है कि किन लोगों को रुपया क़र्ज़ देना चाहिये और किनको नहीं, किन लोगों की अमानत रखनी चाहिये और किनकी नहीं और अगर वह रक्खी जाय तो किस मुद्दत के लिये रखनी चाहिये. उसका यह भी काम है कि जितनी हुंडियां, चेक वग़ैरा आते हैं उनकी तामील बाज़ाब्ता होती रहे, और जितने लोग बैंक के साथ हिसाब रखते हैं उनका हिसाब बाज़ाब्ता रक्खा जाय, और जो कुछ वे अपने हिसाबों के निस्बत करना चाहें उसकी तामील फ़ौरन बाक़ायदा हो जाय. ज़्यादातर बैंक की कामयाबी का हसर मैनेजर पर रहता है. मैनेजर का बड़ा काम हुंडी ख़रीदना, बेचना, रुपया लेना और देना, बैंक का रेट घटाना बढ़ाना है. आढ़तियों से मुआहिदा करने में ज़रा भी चूक हुई तो बैंक का लाखों का नुक़सान होना संभव है, लेकिन माक़ूल और तजरुबेकार मैनेजर बहुत उम्दगी के साथ काम करते हैं. मैनेजर बैंक का काम.

दो बैंकों के कारोबार के हिस्से ज़ैल में दिये हैं जिनसे मालूम होगा कि उनकी पहिले साल में कैफ़ियत क्या थी और दस साल के बाद क्या हुई;— दो बैंकों की मिसाल.

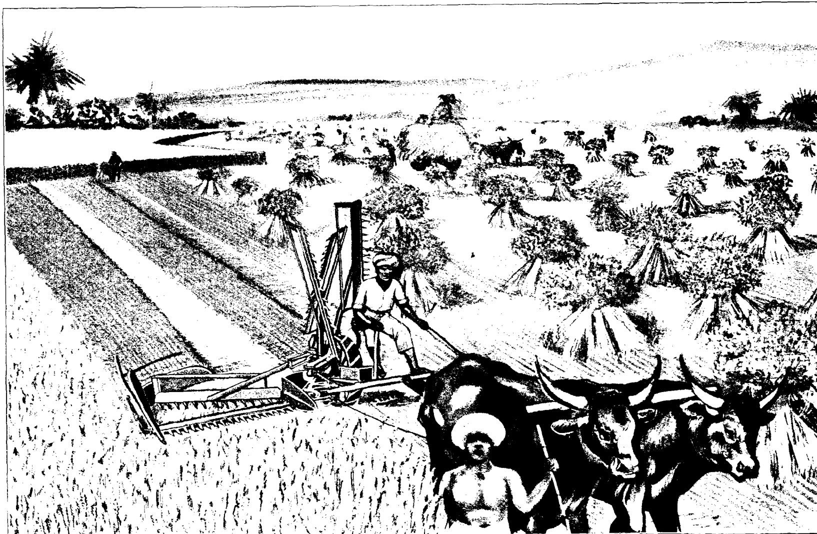
नाम बैंक.	मामूली जमा.	रक्षित जमा.	हिस्सा कितने रुपये का शुरू में था.	हिस्सा आजकल कितने रुपये को बिकता है.	सैकड़ा पीछे मुनाफा जो हिस्सेदारों को मिला.	
					सन १९०२	सन १९१२
बंगाल बैंक.	२,००,००,०००	१,८८,००,०००	५००	१,६९७½	१०	१४
इलाहाबाद बैंक.	२५,००,०००	३६,००,०००	१००	३५६	१५	१८

अकौन्टन्ट, मुहर्रिरान व खज़ानची.

१३. अकौन्टन्ट और मुहर्रिरान बैंक मैनेजर के मातहत रहके उसके कुल हुक्मों की तामील करते हैं. मातहतान मैनेजर बैंक का फ़र्ज़ है कि मैनेजर की हर काम में मदद करें. बैंक की कामयाबी का दारोमदार इनके काम पर भी मुनहसर है. अगर इनकी तरफ़ से हिसाब करने में, या मैनेजर को कार ज़रूरी से वाक़िफ़ करने में, या ग़लतियों और नुक़सान आयन्दा की तरफ़ तवज्जह दिलाने में, ज़रा भी सुस्ती या भूल हो तो बैंक का नुक़सान होना मुमकिन है, और खज़ानची का यह काम रहता है कि जितना रुपया बज़र्ये करन्सी नोट, गवर्नमेन्ट प्रामिसरी नोट, चेक, हुंडी, गिन्नी, पैसे, पाई वग़ैरा आता है उसे बैंक के खज़ाने में जमा करे, और जो रुपया, हुंडी, चेक और नोट भुनानेवालों को देना हो वह खज़ाने से निकालके उनको फ़ौरन दे, और क़र्ज़ख्वाहों को भी रुपया खज़ाने से निकालकर दे और ऐसे काग़ज़ों को जांचता रहे कि जिनका जाली होना मुमकिन हो, मसलन, नोट, हुंडी, चेक वग़ैरह.

बैंक के क़ायदे (आर्टिकिल्स ऑफ़ एसोसिएशन.)

१४. बैंकों की कार्रवाई मुताबिक़ चंद क़ायदों के होती है जिनको कम्पनी बनाती है. वे क़ायदे मुताबिक़ क़ानून रायजउलवक़्त होते हैं. ऐसे क़ायदों को आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन कहते हैं. इनकी रजिस्ट्री ब वक़्त क़ायम होने बैंक के उसके साथ ही होती है.



WALTER A. WOOD. HOOSICK FALLS, N.Y., U.S.A.

खेत से पूली बांधने की कल.

१५. हर बैंक में एक बड़ी रक़म ऐसी रहती है जिसको बैंकवाले बहुधा खर्च में नहीं लाते, और जिसमें से थोड़ा थोड़ा रुपया तब ही खर्च में लाते हैं जब बड़ी विपत्ति आजाय. ऐसे रुपये को रक्षित जमा (Reserved fund) कहते हैं. इस रक्षित जमा से अच्छा किराया देनेवाले मकान, गवर्नमेन्ट प्रामिसरी नोट, और म्यूनिसिपेलिटी के क़र्ज़े के तमस्सुक ख़रीदे जाते हैं. और अक्सर रक्षित जमा का रुपया अच्छे से अच्छे बैंकों में भी बतौर अमानत सूद पर रक्खा जाता है. इससे जमा भी बढ़ती जाती है और सूद या मुनाफ़ा भी मिल जाता है. मुख़्तसर यह है कि ऐसी रक़म को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाते. रिजर्व्ड फंड.

१६. हर बैंक में हिसाब रखनेवालों को एक काग़ज़ अपने दस्तखतों का देना पड़ता है ताकि कोई जालसाज़ी न कर सके, दूसरे उनको एक हिसाब की किताब मिलती है जिसको पासबुक (Pass Book) कहते हैं. इस किताब में एक तरफ़ वे कुल रक़में दर्ज की जाती हैं जो बैंक में जमा होती हैं, और दूसरी तरफ़ वे सब रक़में दर्ज की जाती हैं जो हिसाब रखनेवाले खर्च के लिये लिया करते हैं. जब कभी कोई रक़म जमा की जाती है तो बैंकवाले बजाय रसीद देने के उस रक़म को पासबुक में दर्ज कर के उसपर दस्तखत कर देते हैं. यही रसीद का काम देता है. सिवाय इसके बैंकवाले शशमाही या सालाना हिसाब रखनेवालों से रक़मों को तसदीक़ भी करालेते हैं, इससे हिसाब रखनेवालों को अपने हिसाब का हाल मालूम होता रहता है. जब कभी वे बैंक से रुपया लेते हैं या मंगाते हैं, तो वे बज़र्ये चेकों के मंगाते हैं. चेक वह काग़ज़ होता है जिसमें हिसाब रखनेवाले की तरफ़ से यह दरख़्वास्त बनाम बैंक होती है कि फ़लां रक़म मुताबिक़ रक़म मुन्दर्जे उस काग़ज़ के मेरे पास भेज दो या मुझको देदो, या जिस आदमी को मैं रुपया दिलाता हूं उसको देदो. अमूमन तवालत से बचने के ख़्याल से लोग ब ऐवज़ रुपये को अपने हाथ से गिनकर देने के उस रुपये को बज़र्ये चेक देना पसन्द करते हैं. इससे यह होता है कि एक तो उनको रुपया अपने पास नक़द रखने की जरूरत नहीं रहती, दूसरे वह आदमी जिसको चेक दिया जाता है वह बाद चेक का रुपया लेने के धोका देने की ग़रज़ से यह कभी नहीं कह सकता कि मुझको रुपया नहीं मिला, क्योंकि बैंक में रुपया पाने की शहादत इतमीनानी मौजूद रहती है. जब बैंक का पास बुक व चेक.

कभी उसका चेक बैंक में आता है तो चेक के ऊपर जो दस्तखत होते हैं वे दस्तखतों के काग़ज़ से मिलाये जाते हैं, तब चेक का रुपया दिया जाता है, और उसपर पानेवाले के भरपाई के दस्तखत भी करवा लिये जाते हैं.

शाखहाय बैंक.

१७. अक्सर जब कोई बैंक बहुत मालदार और सरसब्ज़ हो जाता है तो वह अपने बैंक की शाखों को बहुत शहरों या क़स्बों में खोल देता है, ऐसे बैंकों की शाखों के मुन्तज़िम को असल बैंक का एजन्ट न कि मैनेजर कहते हैं इन शाखों में भी क़रीब क़रीब वैसे ही दफ़्तर रहते हैं जैसे कि असल बैंक में.

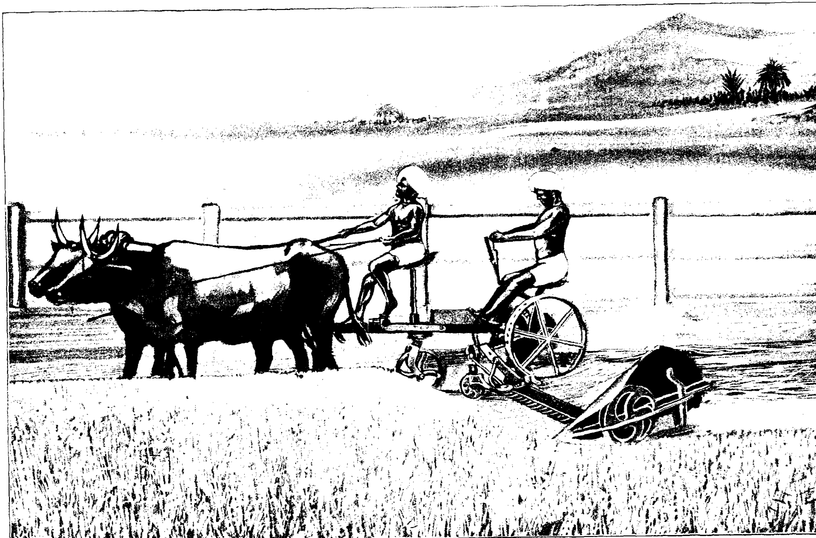
बैंक का काम कच्चा पड़ जाने पर लिक्विडेटर्स की तक़र्रुरी.

१८. जब कभी किसी बैंक का काम बन्द हो जाता है या वह और किसी तरह से बिगड़ जाता है तो चन्द आदमी या कोई दूसरा बैंक उस बैंक के काम को निपटाने के लिये ब हुक्म ज़िला जज अपने हाथ में ले लेता है, उस वक़्त से उस बैंक का रहा सहा काम यानी बैंक का रुपया मदयूनों से वसूल करना, या बैंक की डिक्रियों का रुपया वसूल करना, या नालिश करके रुपया वसूल करना और मुताबिक़ वसूली के रुपया अमानतवालों और हिस्सेदारों को देना, वग़ैरह. ऐसे लोगों को या दूसरे ऐसे बैंक को जिसके हाथ में यह काम चला जाता है इनको लिक्वीडेटर्स (Liquidators) कहते हैं. ये लोग अव्वल बैंक के नौकर चाकर वग़ैरा की तनख़्वाहों का और अपने कमीशन का रुपया काटकर बाक़ी रुपया अव्वल अमानतवालों को हिस्सा रसदी से देते हैं और जब अमानतवालों का रुपया देकर कुछ बच जाता है तो उसे हिस्सेदारों को हिस्सा रसदी से देदेते हैं.

अमानत का रुपया वापिस देने का तरीक़ा.

बैंक बिगड़ जाने पर अमानतवालों का कुल ही रुपया नहीं डूबता.

१९. हर बैंक के बिगड़ने से यह लाज़िम नहीं आता कि अमानत वालों का या हिस्सेदारों का रुपया न मिले. बहुतसे बैंकों में बाद उनके बिगड़जाने के भी अमानतवालों और हिस्सेदारों का पूरा पूरा रुपया मिल जाता है. इस मामले में बहुत कुछ बैंकों के डायरेक्टर, मैनेजर, अहलकारान वग़ैरा की नेकनियती, लियाक़त, और अमानतवालों और हिस्सेदारों के साथ हमदर्दी पर मुनहसर है.



W. LESLIE & CO. CALCUTTA.

गेहूं लवाने की (काटने की) कल.

२०. बैंकिंग (रुपये के लेन देन) के लिये दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है यानी (१) नाम (Credit) और (२) कफ़ालत या ज़मानत (Security). जिस बैंकर का नाम निकला हुआ होता है, उसीके पास लोगों का अमानती रुपया ज़्यादा आता है, जिस बैंकर का नाम निकला हुआ नहीं होता या जो झूंटा, मक्कार या फ़रेबी मशहूर होता है उसके पास कोई अपनी अमानत नहीं रखता. बैंक चलाने के लिये दो चीज़ों की ज़रूरत है. १. क्रेडिट (नाम) २. सिक्यूरिटी (कफ़ालत)

२१. कफ़ालत लेने की ज़रूरत इसलिये होती है कि अगर रुपया क़र्ज़ लेनेवाले की ज़ात से वसूल न होसके तो उसकी जायदाद से बग़ैर तकलीफ़ वसूल हो जावे. इसलिये खास क़र्ज़ों के बाबत खास जायदाद मनक़ूला या ग़ैर मनक़ूला गिर्वी रक्खी जाती है. सिक्यूरिटी (कफ़ालत) की ज़रूरत.

२२. जब कभी कोई बैंकर किसी को क़र्ज़ देता है तो वह यह देख लेता है कि आया कफ़ालत से उसको असल रुपया मय सूद मुनासिब, मिल सकेगा कि नहीं और जो होशियार बैंकर होते हैं वे इस बात को जानते हैं कि जो क़र्ज़ख़्वाह अच्छी कफ़ालत पर रुपया लेते हैं उनसे ज़्यादा सूद मिलने की उम्मीद न करनी चाहिये. सिक्यूरिटी (कफ़ालत) की देख भाल.

२३. बैंकरों को इस बात का हमेशा ख़्याल रखना चाहिये कि ज़्यादा सूद पैदा करने की फ़िक्र न करें क्योंकि जो लोग ज़्यादा सूद लेने की फ़िक्र में रहते हैं उनकी कफ़ालत अमूमन भरोसे के लायक़ नहीं होती. ज़्यादा सूद का लालच किया जावे तो कफ़ालत मौतबिर नहीं मिलती.

२४. कफ़ालतें तीन क़िस्म की होती हैं यानी :— कफ़ालत की क़िस्में.

(१) ज़ाती ज़मानत (Personal Security).

(२) मनक़ूला जायदाद की ज़मानत (Security of movable property).

(३) ग़ैरमनक़ूला जायदाद की ज़मानत (Security of immovable property).

२५. ज़ाती ज़मानत का भरोसा तब होता है जब ज़मानत देनेवाला लेन देन के मामलात में नेकनाम हो या ऐसा आदमी हो जिसके पास माल या ज़ाती ज़मानत का इतमीनान.

जायदाद काफ़ी हो, या ऐसा आदमी हो कि जिसकी आमदनी बंधी हुई हो, और वह चलनदार आदमी हो और सट्टा वग़ैरा कभी न करता हो या ऐसा आदमी हो जिसने अपनी जान का बीमा (Life assurance security) ले रक्खा हो और जिसके जान के बीमों की रक़मों के अदा करने में किसी तरह का डर या शुबेह न हो.

थोड़े रुपये से कारोबार में ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं होता.

२६. ज़्यादातर लोग ऐसा समझे हुए रहते हैं कि लेन देन ऐसा होना चाहिये कि रुपया थोड़ा लगे और मुनाफ़ा ज़्यादा हो. इससे यह होता है कि थोड़े दिनों के बाद वे अपना काम करने लायक़ नहीं रहते, और उनका बचा बचाया रुपया अदालतों में मुक़द्दमे लड़ने में इस तरह ख़र्च हो जाता है कि उनके पास कुछ नहीं रहता, और जितने लोग उनके साथ लेन देन करते हैं उनका काम चलना मुश्किल हो जाता है, और बैंकरों को आख़िर में दिवालिया होना पड़ता है. इसलिये जितने अच्छे बैंकर हैं वे इस बात की फ़िक्र में रहते हैं कि हमारा रुपया भी न बिगड़े, सूद मुनासिब भी मिलजाय, और क़र्ज़ ख़्वाह का काम भी इस तरह चलजाय कि उसको सूद मुनासिब देने में और असल रक़म अदा करने में किसी तरह की तकलीफ़ न हो.

जायदाद की ज़मानत.

२७. जब कफ़ालत मनक़ूला या ग़ैरमनक़ूला जायदाद की होती है तो बैंकर अपना रुपया उस जायदाद को बिकवाकर वसूल कर लेते हैं ऐसी हालत में बैंकर लोग उतना ही रुपया क़र्ज़ में देते हैं जितना मय सूद के उनकी जायदाद से वसूल हो सके. जिन क़र्ज़ों में ज़मानत ज़ाती (Personal security) होती है उन क़र्ज़ों में जब असल रुपया मय सूद मदयून से वसूल नहीं हो सकता तो बैंकर लोग उस रुपये को ज़ामिनों के माल और जायदाद बिकवाकर वसूल करलेते हैं.

मनक़ूला जायदाद की ज़मानत.

२८. मनक़ूला जायदाद के कफ़ालत के मामले में उसी जायदाद की क़दर ज़्यादा होती है जो जल्दी बिक सके. जो चीज़ जल्दी नहीं बिक सकती उसकी कफ़ालत अच्छी नहीं होती, जैसे जब रुई, मोती वग़ैरह की मांग नहीं होती तो उनकी कफ़ालत किसी काम की नहीं होती. ग़ैर मनक़ूला जायदाद की तब ही कफ़ालत ठीक होती है जब वह बिकने लायक़ हो और इसके बेचने से असल व सूद का रुपया वसूल हो सके और जायदाद भी ऐसी हो कि जो अच्छी और क़ायम रहने लायक़ हो.



WALTER A. WOOD HOOSICK FALLS, N.Y., U.S.A.

नाज की फसल काटने की कल.

२९. मकानों के मामले में बैंकर लोग उनकी कफ़ालत को उस हालत में और भी अच्छी समझते हैं, जब मालिक मकान ने मकान की हिफ़ाज़त के लिये आग का बीमा (Fire Insurance Security) भी लिया हो. मकानों की क़दर इस मुल्क में अक्सर उन शहरों में ज़्यादा होती है, जो सदर मुक़ाम पर होते हैं और जहां उनसे ज़्यादा किराया मिलता है और जहां उनकी क़ीमत ज़्यादा होती है, और वे फ़ौरन बिक सकते हैं. गैर मनक़ूला जायदाद की ज़मानत.

३०. लोग उसी बैंक को सरसब्ज़ समझते हैं, जिसमें अमानत का रुपया बहुत कम सूद पर आता हो और जिससे बहुत लोग अच्छी कफ़ालत और ज़मानत देके ज़्यादा सूद पर रुपया क़र्ज़ लेते हैं. रुपया क़र्ज़ देने में अमूमन रुपये की हिफ़ाज़त की गुंजायश रक्खी जाती है, मसलन किसी ने ब ऐवज़ रुपये लेने के यह शर्त की कि अगर मैं इस मुद्दत में अदायगी न कर सकूं, तो मेरा मकान बिकवाकर उस रक़म से रुपया बैंक अपना वसूल करे. ऐसी हालत में बैंकवाले यह करते हैं कि पहले मकान का तख़मीना करते हैं, मसलन १०,००० रुपया एक शख़्स मकान की कफ़ालत पर मांगता है, तो यह जांच लेते हैं कि वह कितनी क़ीमत का मकान है और बिक सकेगा या नहीं, या उसमें से माक़ूल रक़म किराये से आसकेगी या नहीं. १०,००० रुपये के क़र्ज़ के लिये १२ या १५ हज़ार की मालियत का मकान होना चाहिये. सरसब्ज़ बैंक की पहचान.

Co-operative Societies and Joint Stock Companies.

मिलकर काम करनेवाली सहकारी व संयुक्त कोठियां.

३१. ऐसी कोठियों में किसी ख़ास काम के करने के लिये बहुतसे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और उस काम को मिलके और अपना रुपया लगाके करते हैं. ऐसी कम्पनियां तिजारत, कारख़ाने और खेती का काम अच्छी तरह चलाने के लिये जारी की जाती हैं. संयुक्त बैंकिंग दो प्रकार का होता है, यानीः— को-ओपरेटिव सोसाइटीज़ व जाइन्ट स्टाक कम्पनीज़.

(१) वह जिसमें बहुतसे बैंकर लोग मिलके एक बड़ा बैंक बना लेते हैं.

(२) जिसमें छोटे छोटे हिस्सेदार मिलके महदूद ज़िम्मेदारियों की संयुक्त कम्पनी बना लेते हैं.

हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी.

ऐसी कम्पनियों के हिस्सेदार छोटी २ रक़मों के हिस्से बनाकर भी काम चलाते हैं. यूरुप और अमेरिका में बहुतसी कम्पनियां (Companies) ऐसी हैं, जिनमें चार चार आने आठ २ आने तक के हिस्से होते हैं. जहां ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी महदूद होती है वहां हिस्सेदारों की ज़िम्मेदारी अपने हिस्सों के रुपये के मुताबिक़ होती है, अगर कम्पनी को टोटा आजाय तो हिस्सेदारों की निज की जायदाद पर मुवाख़ज़ा नहीं हो सकता.

हिस्सेदारों को लाभ.

इस क़िस्म के बैंकों में छोटी छोटी रक़मों के हिस्सेदारों को भी ज़्यादा मुनाफ़ा बाहरवालों की रक़मों से होजाता है. ऐसी हालत में बाहरवालों को यानी बैंक में रुपया अमानत रखनेवालों को उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि बैंक में हिस्सेदारों को होता है, क्योंकि अमानत रखनेवालों को सिर्फ़ सूद ब शरह मुक़र्ररा मिलता है लेकिन हिस्सेदारों को कुल मुनाफ़ा हिस्से रसदी से मिलता है.

ऐग्रीकलचरल (ज़राअती) बैंक.

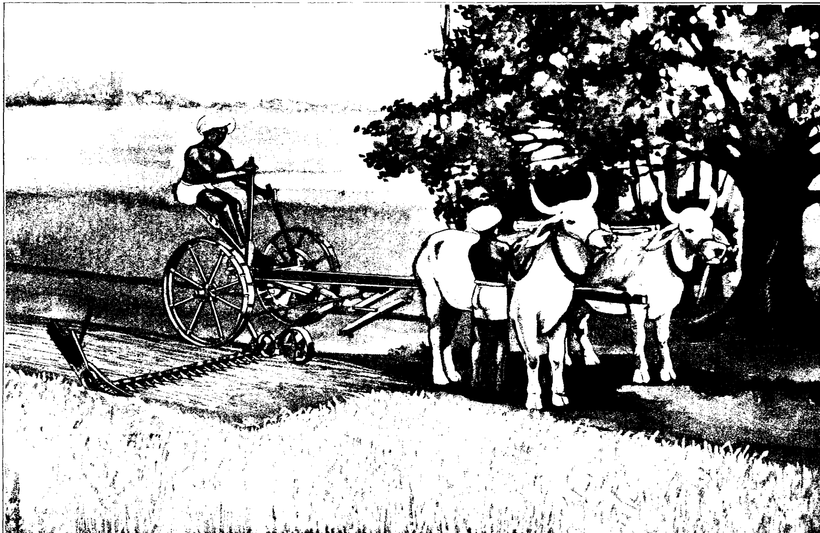
Agricultural Banks.

एग्रीकलचरल बैंक.

३२. ऐसे बैंक काश्तकारों को खेती करने के वास्ते रुपया क़र्ज़ देते हैं. आजकल सरकार और लोगों की यह राय है कि ऐसे बैंकों की ज़रूरत इस मुल्क में बहुत है, क्योंकि साहूकार लोग काश्तकारों को बहुत दबाते हैं. वे लोग अव्वल तो सूद ब शरह बीस, पच्चीस रुपया फ़ी सैकड़ा और बाज़ वक़्त इससे भी ज़्यादा लेते हैं, दूसरे उनसे जो कुछ मिल गया लेलेते हैं. उनसे जो रुपया क़र्ज़ लिया जाता है वह काश्तकारी के कामों के लिये लिया जाता है, लेकिन वह उनमें तो खर्च नहीं किया जाता है मगर दीगर कामों में खर्च किया जाता है. इससे काश्तकार लोग कभी नहीं पनपने पाते. चुनांचे अगर लोग गांव में ज़राअती बैंक बनावेंगे तो ऐसी फ़जूल खर्ची करने से रुकेंगे और साहूकार के पंजे से भी बचेंगे.

ज़राअती बैंकों से किन कामों के लिये रुपया दिया जाता है.

ज़राअती बैंक काश्तकारों को सिर्फ़ कारहाय मुफ़स्सिले ज़ैल के लिये रुपया क़र्ज़ देते हैं, यानी:—



WALTER A. WOOD. HOOSICK FALLS, N.Y., U.S.A.

खेत काटने (लवाने) की कल.

(१) बीज के खरीदने के वास्ते.

(२) कुओं को बनाने के वास्ते.

(३) बैलों को खरीदने के वास्ते.

(४) खेती के औज़ारों को खरीदने के वास्ते.

(५) सरकारी मतालबा देने के वास्ते.

ऐसे बैंको की निगरानी जब ऑफ़िसरान सरकार और ज़िलाहाकिम करते हैं तो काश्तकारों को बहुत फ़ायदा होता है. निगरानी.

अमूमन ऐसे बैंकों में काश्तकार को सूद कम देना पड़ता है लेकिन हिस्सेदारों को भी सूद माकूल मिलजाता है. सूद का फ़ायदा.

अगर गांव में गांव के लोग मिलकर ऐसा बैंक छोटे सरमाये से क़ायम करें तो क़ायम करनेवालों को और काश्तकारों को फ़ायदा होना मुमकिन है. गांव में जमाअती बैंक क़ायम करना.

सरकारी बैंक में दिक़त और ज़ाब्ते की पाबन्दी बहुत होती है. सहूलियत.

जब कभी काश्तकार लोग ऐसे बैंक से रुपया लें तो उनको समझ लेना चाहिये कि ऐसे रुपये के अदा करने के लिये हमारी फ़सलें मक़फ़ूल हैं. फ़सल की कफ़ालत.

ऐसे बैंकों में लोग अपनी अमानतों का रुपया तभी रखते हैं जब उन्हें इतमीनान हो कि हमारे रुपये मारे न जावेंगे और सरकार काश्तकारों को खुश हाल रखने के लिये तकलीफ़ उठाने को भी तय्यार है. इतमीनान होने की ज़रूरत.

संयुक्तदेश के लोकल गवर्नमेन्ट ने काश्तकारी बैंक की एक और शक्ल शुरू की है और उसका तरीक़ा यह है कि एक गांव के या चन्द गांव के काश्तकार और ज़मींदार मिलकर एक रुपया या चन्द रुपये का हिस्सा मुक़र्रर करके "अन लिमिटेड" या "लिमिटड" बैंक बनाते हैं और उसकी रजिस्ट्री कराते हैं. संयुक्तदेश का तरीक़ा.

लिमिटेड बैंक और अनलिमिटेड बैंक में फ़र्क़.

लिमिटेड बैंक में ब क़द्र हिस्सा ज़िम्मेदारी होती है और अनलिमिटेड बैंक में शुरका की कुल जायदाद पर असर पड़ता है.

देहाती बैंक डिस्ट्रिक्ट बैंकसे कर्ज़ ले सकती है.

ऐसे बैंकों को देहाती बैंक कहते हैं और उन देहाती बैंकों को आठ आना फ़ी सदी सूद पर रुपया डिस्ट्रिक्ट बैंक से क़र्ज़ा मिलता है और उस रुपये को काश्तकारों को १) फ़ी सदी सूद पर देते हैं. जो मुनाफ़ा होता है उसमें से आधा या कोई हिस्सा हिस्सेदार तक़सीम कर लेते हैं और बाक़ी हिस्से को रिज़र्व फ़ंड में शामिल करते जाते हैं जिसके ज़र्ये से यह उम्मीद की जाती है कि एक ज़माने में हर एक मौज़े का बैंक इस क़ाबिल हो जावेगा कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके.

डिस्ट्रिक्ट बैंक की तारीफ़.

डिस्ट्रिक्ट बैंक में इसी तरह पर हिस्सेदार होते हैं और वह लिमिटेड बैंक होता है. इस बैंक में सूदी रुपया अमानत का रक्खा जाता है और उसकी सरपरस्ती साहब कलेक्टर ज़िला करता है.

सरकारी बैंक से लेनदेन.

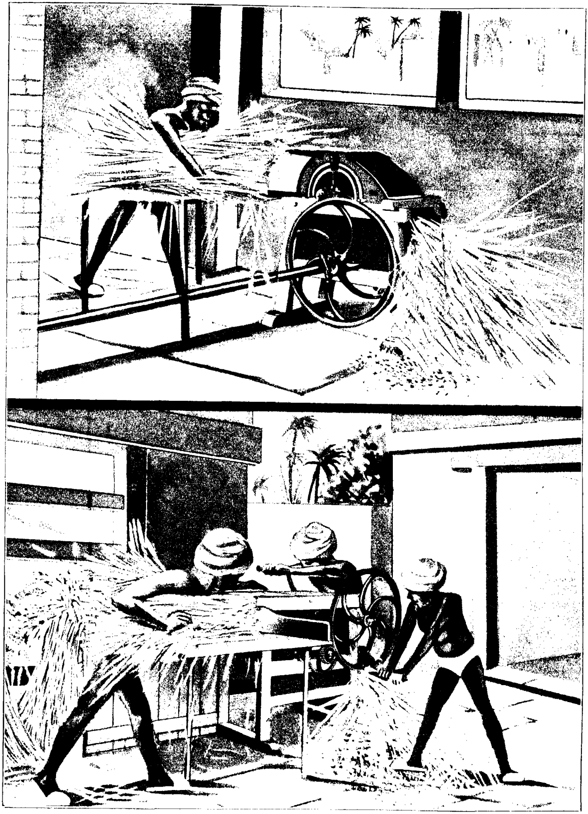
गवालियार गवर्नमेन्ट ने इस आसानी के लिये हर तहसील में एग्रीकलचरल बैंक खोला है और उससे हर शख़्स को हलके सूद पर रुपया मिलता है. पस फ़र्दन फ़र्दन जिस तरह पर लोग रुपया लेकर अपना कारबार करते हैं, अगर देहाती बैंक खोलकर परगने के बैंक से रुपया क़र्ज़ लें तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है.

देहाती बैंक से लेनदेन.

हर शख़्स को रुपया लेनेके लिये तहसील में जाना न पड़ेगा, हर शख़्स को ज़मानत की तलाश न होगी, हर शख़्स को तहसील के अमले से काम न पड़ेगा, रुपये का लेन देन परगना बैंक से मैनेजर बैंक करेगा और घर बैठे हर शख़्स को रुपया दे सकेगा. इस ज़र्ये से काम करनेवालों को भी फ़ायदा होगा और आप बैठ बैंकरों के फन्दे में न फसेंगे और एक ज़माने में सेल्फ़ सपोर्टिंग यानी अपनी आप मदद करनेवाले बैंक हर गांव में बन जावेंगे.

सेविंग्स बैंक्स.

३३. सेविंग्स बैंक्स ग़रीब आदमियों के बैंक को कहते हैं, ऐसे बैंक में ग़रीब आदमी दो दो चार चार आने भी जो उनके पास बच जाते हैं उन्हें रख सकते हैं. ऐसे बैंकों के बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि उनमें ग़रीब आदमी एक तो किफ़ायतशार और नेकचलन हो



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH

नाज चूटने की कल.

जाते हैं. दूसरे थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करते रहने से किसी रोज़ वे मालदार भी हो जाते हैं, और इनका दरिद्र भी निकल जाता है. सरकारी बड़े शहरों के बैंकों में एक शाख़ सेविंग्स बैंक की भी हुआ करती है, जिसमें ग़रीब आदमी इकन्नी, दोअन्नी तक भी जमा कर सकते हैं. इस मुल्क में सरकारी डाकख़ानों में बहुत जगह सेविंग्स बैंक्स मौजूद हैं. इनको पोस्ट ऑफ़िस सेविंग्स बैंक्स कहा करते हैं.

बाब ७.

काँस मिटाना.

बाब सातवां.

काँस मिटाना.

१. कांस खेती को बहुत नुक़सान पहुंचाता है. जब इसका बढ़ना शुरू होता है तो यह खेतों के सब हिस्सों में फैल जाता है. यहांतक कि नाज के पेड़ों के लिये जगह नहीं रहने पाती. — कांस से खेती को नुक़सान होता है.

२. मामूली किसान काँस के फैलने से बहुत डरते हैं, लेकिन उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते. बावजूद इसके कि इसके नष्ट करने के बहुत से उपाय होते हैं. याद रखना चाहिये कि कांस ज़मींदार या किसान की बेपरवाही से बढ़ता है. अगर कांस खेत में दीखतेही अच्छी तरह जड़ से उखाड़ दिया जाय और इसके बीज मय जड़ों के फूंक दिये जांय तो इसका बढ़ना और फैलना बंद हो जाय लेकिन शुरू में काश्तकार सुस्ती कर बैठते हैं और ज़मींदार इस बात की निगरानी नहीं करते. नतीजा यह होता है कि कांस बढ़ता ही जाता है जिससे काश्त कम हो जाती है और काश्तकार व ज़मींदार दोनों का सरीहन् नुक़सान होता है. ज़मींदार को इस बारे में ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिये और काश्तकार सुस्ती करे तो ताकीद करके फ़ौरन कांस को निकलवा देना चाहिये, लेकिन यह होना उसी वक़्त मुमकिन है जब कि ज़मींदार को अपने नफ़ा व नुक़सान का ख़्याल हो, वह ख़ुद अपने गांव की गश्त करके देखे या इस बात की ख़बर रक्खे. यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो जमीन हमेशा ख़ूब जोती जाती है और जिस पर निंदाई अच्छी तरह से की जाती है और जिसमें खाद ख़ूब डाला जाता है उसमें कांस कभी नहीं पैदा होता. — बेपरवाही से कांस बढ़ जाता है.

३.—(१) जब कांस किसी खेत में बहुत होजाय और उसका हाथ से उखाड़ना मुश्किल हो तो ज़मींदार या काश्तकार को चाहिये कि उसके चारों तरफ़ मिट्टी की ऊंची मेंड़ बांधे. इससे बरसात का पानी उसमें भर जायगा. इस पानी को चार या छै महीने तक भरा हुआ रहने देना चाहिये. इसका नतीजा यह होगा कि उस कांस की जड़ें और पेड़ मय बीजों के सड़कर गल जायेंगी और दूसरे साल वह जमीन फ़सल के लायक़ हो जायगी, मगर यह ख़्याल रहे कि कांस उसी हालत में गलेगा जब पानी में डूबा रहे. अगर उसका सिरा पानी से ऊपर रहेगा तो कांस न गलेगा. — कांस मिटाने की तरकीबें.

इसलिये अगर वर्षा कम हो और कांस जल्द बढ़े तो उसको काट देना चाहिये ताकि पानी के ऊपर सिरा न निकले.

(२) दूसरी तरकीब कांस को निकालने की यह है कि जब जाड़ों में या बसंत ऋतु चैत बैसाख में वर्षा हो तो कांस के खेतों में विलायती या देसी हल से जो खास इस गरज़ से बनाये गये हैं और जिनकी तसवीरें इस किताब में दी गई हैं ऐसी गहरी जुताई करे कि जिससे कांस के कुल पेड़ जड़ से उखड़ कर ऊपर आजावें. फिर उन्हें इकट्ठा करके आग से फूंक दे. इसके पीछे ग्रीष्म ऋतु जेठ आसाढ में भी उसी हल से जुताई करनी चाहिये. इससे जो कांस के गिरे हुए बीजों से पौदे उगे होंगे वे भी निकलकर ऊपर आजायेंगे. जब वे इस तरह ऊपर आजांय तो उन्हें एक जगह जमा करके सुखाकर फूंक देना चाहिये.

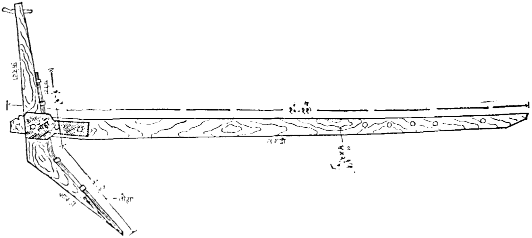
(३) बहुत लोगों की यह भी राय है कि जिन खेतों में कांस जमा हुआ हो उन्हें हल से जोत के उनमें नील, अंडी, आल या सन घना बो दिया जावे. इससे यह होगा कि इनके पेड़ कांस के पेड़ों को दबा देंगे, और कांस का बढ़ना बन्द हो जायगा. नील, अंडी या सन के पेड़ कांस के पेड़ों से जल्दी बढ़ते और पनपते हैं. जब दो पेड़ों में एक पेड़ जल्दी बढ़े और पनपे तो वह दूसरे पेड़ की बढ़त को बन्द करदेता है.

यही कारण नील या सन वगैरह के बीजों के बोने का होता है. कांस की जड़ ज़मीन में बहुत गहरी जाती है. इसवास्ते जबतक गहरी जुताई नहीं होती है या पानी से नहीं गलता कांस मुश्किल से जाता है.

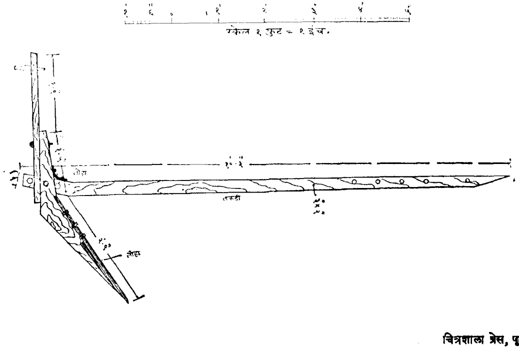
जिन जगहों पर कांस के दो चार पेड़ भी होते हैं वहां जब कांस फूलता है तो हवा से उसके फूलों के टुकड़े जो दूसरे खेतों में पहुंचते हैं वहां भी कांस पैदा होजाता है. कांस का बीज कांस के फूल के साथ रहता है. इसलिये ज़मींदार को चाहिये कि अगर एक पेड़ भी गांव में हो तो उसको फूलने से पहिले काट देवे.

अगर किसी बड़े क़िते आराज़ी में कांस होजावे और ज़मींदारों की ताक़त से यह बात बाहर हो कि ऊपर लिखे हुए तरीक़ों के मुताबिक़ कांस की जड़ खोद दें तो उनको चाहिये कि कांस को हमेशा फूलने से पहिले काट डाले. इससे भी थोड़े दिनों में कांस जाता रहेगा.

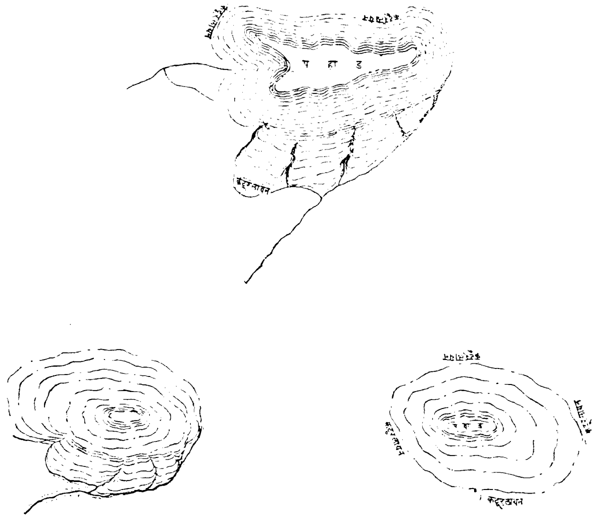
जमीनसे कांस खोदकर निकालनेका हल
अंग्रेजी.



जमीनसे कांस खोदकर निकालनेका हल
देसी.
ये हल गिर्दग्वालियर जिल्हेमें जमीदारोंके पास है



चित्रशाला प्रेस, पूना ।



कंटूर लाइन का नकशा।

चित्रशाला प्रेस, पूना।

बाब आठवां.

दरख़्त लगाना.

दरख़्तों की फ़सल लगाना.

१. हर गांव में अलावा मज़रूआ ज़मीन के थोड़ी बहुत ऐसी आराज़ी ज़रूर हुआ करती है जिसपर कोई ज़राअत की फ़सल नहीं होसकती, और अक्सर बेकार पड़ी रहती है. क़ुदरत ने कोई आराज़ी ऐसी नहीं रक्खी है जो किसी न किसी काम में नहीं आसकती हो. होशियार व अक़्लमंद ज़मींदार वही कहला सकता है जो अपनी ज़मीन को खाली न पड़ी रहने दे, और हर क़िस्म की आराज़ी को किसी न किसी काम में लावे ख़्वाह वह फ़सल ज़राअत की हो या दरख़्तों की.

दरख़्तों की फ़सल से फ़ायदा.

२. दरख़्तों के लगाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह होता है कि एक मर्तबा दरख़्त के लगजाने पर उसको साल ब साल लगाने की तवालत नहीं पड़ती, काट छांट मात्र ज़रूर करनी पड़ती है. और एक दफ़े मेहनत, निग्रानी व सर्फ़ा करलेने से अर्से दराज़ तक साल ब साल फ़ायदा हासिल होता रहता है.

दरख़्तान से कौनसी अशियाय मुहय्या हो सकती हैं और वे कौनसे कामों में आ सकती हैं?

३. दरख़्तान से मुख़्तलिफ़ क़िस्म की कारआमद अशियाय मुहय्या होती हैं जो हर मुल्क की तिजारत और व्यापार में बड़ा हिस्सा लेती हैं, मस्लनः—

(१) शीशम, सागोन, बीजा, तेंदू, साज, और बबूल की लकड़ी बहुत से क़िस्म के कामों में आती हैं.

ज़मींदारी के मुख़्तलिफ़ कामों के लिये और मकानात के लिये जो लकड़ी दरकार होती हैं वे तमसीलन ज़ैल के नक़्शे में बतलाई गई हैं:—

काश्तकारी काम मसलन हल, जुवा, गाड़ी का ढांचा वगैरह.		कुए का थाल वगैरह बनाने में.		इमारतों का काम.	
बबूल	हल, जुवा, गाड़ी के पहिये.	बबूल.	गिर्री, कुवे का ढाना	बबूल.	खंबे, शहतीर. दरवाज़े.
रेंवझा	ऐ. व पहिये की नाभ.	....	....	....	....
हलदू	हल, जुवा, गाड़ी के पहिये.	....	....	हलदू.	तख़्ते.
सिरस	हल. जुवा, गाड़ी के पहिये.	सिरस.	थाला.	सिरस.	बल्लियां, तख़्ते.
धोकड़ा	रेंहट की लकड़ी, गाड़ी की फड़.	....	....	धो.	बल्लियां.
महुवा	जुवा, पहियों की नार, गाड़ी के ढांचे.	महुवा.	कुवे का ढाना, गिर्री	महुवा.	तख़्ते, बल्लियां.
....	....	सेमल.	पानी के अन्दर	....	....
सालर	मवेशी के पानी पिलाने के हौज़.	....	....	....	....
	काश्तकार के आटा गूंदने की कठोती.	....	....	....	....
....	....	ढाक.	पानी के अन्दर.	....	....
अमलतास.	जुवा, पहियों की नार गाड़ी के ढांचे.	....	....	अमलतास.	शहतीर, खंबे वगैरह.



W. LESLIE & CO. CALCUTTA.

एक जगह से पौधे को उखाड़के दूसरी जगह लगाने का औजार.

काश्तकारी काम मस्लन हल, जुवा, गाड़ी का ढांचा वग़ैरह.		कुए का थाल वग़ैरह बनाने में.		इमारतों का काम.	
धामन	जुवा, जेली.	....	....	धामन.	लकड़ी आसानी से मुड़ सकती है. खमदार चीज़ें बन सकती हैं.
करंज	हल.	....	....	कुसुम.	बल्ली.
कुसुम	हल, जुवा, पुट्ठी व नार.	....	....	....	....
कदम	हल, जुवा, व दीगर औजार काश्तकारी.	....	....	....	....
सादड़	ऐ.	....	....	सादड़.	बल्ली.
बेरी	जुवा, पहिया.	बेरी.	थाला.	बेरी.	शहतीर, यह भी लचकदार लकड़ी है. खमदार चीज़ें बन सकती हैं.
खेर	पहिये.	खेर.	थाला.	....	....
लिसोड़ा	पुट्ठी, आरे.	लिसोड़ा.	थालेवग़ैरह	....	....
शीशम	पहिये.	शीशम.	गिर्रीवग़ैरह	शीशम.	शहतीर, हर चीज बनती है.
तेंदू	आरे गाड़ी का ढांचा.	....	....	तेंदू.	बल्ली.
सागोन	पहिये.	सागोन	थालेवग़ैरह	सागोन.	कुल काम इमारती.
धोकड़ी	पुट्ठी, गाड़ी का ढांचा.	धोकड़ी	थालेवग़ैरह	धोकड़ी.	बल्लियां.
बेल	गाड़ी का ढांचा.	....	....	बेल.	बल्लियां, खराद की चीज़.
गुरजेन	,,	गुरजेन.	थालेवग़ैरह	गुरजेन.	तख़्ते, शहतीर.

काश्तकारी काम मस्लन हल, जुवा, गाड़ी का ढांचा वग़ैरह.		कुए का थाल वग़ैरह बनाने में.		इमारतों का काम.	
इकदानिया.	गाड़ी का ढांचा.	....	....	....	....
मालकरे	पहिये वग़ैरह बन सकते हैं.	मालकरे.	थाला.	मालकरे.	शहतीर, तख़्ते.
....	....	....	....	अंजन.	लट्ठे वग़ैरह.
....	....	....	....	खिरनी.	दरवाज़ा व चौखटा.
....	....	कोहा.	थालेवग़ैरह	कोहा.	कड़ी.
तिनस	हल, जुवा वग़ैरह.	तिनस.	"	"	"
....	....	आम.	थाले.	आम.	तख़्ते.
....	....	जामन.	कुए के अंदर कोठी.	जामन.	बल्ली.

(२) महुवे का फूल खाने और शराब खींचने के काम आता है और छोले का फूल रंग का काम देता है.

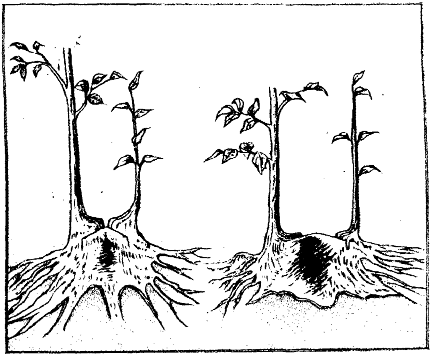
(३) पारिजातक के फूलों की डालियों से केशरी रंग उम्दा और क़ीमती बनता है, और इसके सियारी के लकड़ी की डालियां और कीरे भी बनते हैं.

(४) आम, इमली, जामन, शहतूत, नीबू, नारंगी वग़ैरह के फल खाने में आते हैं.

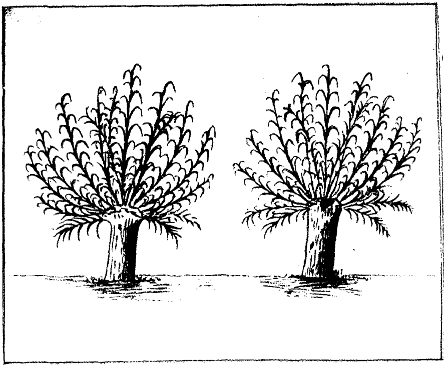
(५) महुवा, करंज, अरंड, नीम, हिंगोट, कुसुम वग़ैरह के बीज से तेल निकलता है.

(६) तेंदू और सेंधे की पत्ती बीड़ी बनाने, शहतूत और अरंड की पत्ती रेशम के कीड़ों के पालने में काम आती है, और कई

दरख्तों को जमीन की सतह के पास काटा है।



दरख्तों के ठूँठों से शाखें निकल रही हैं।



दरख़्त की पत्ती मवेशी के लिये चारे का काम देती हैं. रामबाण के पत्ते से सन निकलता है.

(७) बबूल, सादड़, रेंवझा, आंवला वग़ैरह का बकल चमड़ा रंगने में काम आता है.

(८) दुधी, आंक, मरोड़फली, सेथा वग़ैरह के बकल से सन या रेशा निकलता है.

(९) सालर के दरख़्त से गोंद व लीसा और सुधेर की बेल से रबर मुहय्या होता है, और खेर से कत्था पैदा होता है. खजूर के रस से शक्कर बनती है. क्या वजह कि बाद अपने काम में लाने के इनको मंडी में भेजकर फ़ायदे से न बिकवाया जावे?

(१०) अलावा इनके हज़ारहा क़िस्म के दरख़्त ऐसे हैं कि जिनसे मुख़्तलिफ़ क़िस्म की अदवियात व दीगर आशियाय जो इन्सान को मुख़्तलिफ़ कामों में इमदाद देती हैं. क्या वजह है कि ये मुहय्या कीजाकर बेची न जावें?

सूचनाः—बतौर मिसाल के एक फ़ेहरिस्त यहांपर दी जाती है.

फेहरिस्त जंगल के पेड़ों, पत्तियों, चूरा, फल, जड़, औषधि, वग़ैरह की.

१. ढाक के पत्ते (वास्ते पत्तल).	१४. पत्ती गोखरू.
२. महुवे के ,, ,, ,,	१५. ,, अडूसा.
३. अचार के ,, ,, ,,	१६. ,, ब्रह्मी.
४. छोला के ,, वास्ते दोना	१७. ,, नील वास्ते खिजाब.
५. ढाक के ,, ,, ,,	१८. ,, मीठा नीमाम.
६. पत्ती छोटी दुधी.	१९. ,, आसा पाला.
७. ,, गोंगची.	२०. ,, छरेटी.
८. ,, सिराली.	२१. ,, अकरकरा.
९. ,, घमरा.	२२. ,, गुडमार.
१०. ,, सीताफल.	२३. ,, बिषखोपरा.
११. ,, हंसराज.	२४. ,, मेंहदी.
१२. ,, गंगेरु.	२५. ,, मोरपंख.
१३. ,, आगासिया.	२६. ,, चंदन.

२७. पत्ती बड़.
२८. ,, तेंदू.
२९. ,, माल झन.
३०. ,, पत्ती नाय.
३१. ,, भट कटेरी.
३२. ,, धोकड़ी.

३३. मेहंदी का चूरा.

फल.

३४. फल दूधी.

मोटी जड़

१. जड़ गोंदरा.
२. ,, इंदौरन.
३. ,, लाल बूटी.
४. ,, अकाल.
५. ,, इमलोरा.
६. ,, गुलीसर काली.
७. ,, इमराल.
८. ,, चितावर.
९. ,, बदरी (बेर).
१०. ,, नागरमोथा.
११. ,, पत्थरचटा.
१२. ,, करेंटी
१३. ,, जंगली अदरक.
१४. ,, भटकटेरी.
१५. ,, तिपनी
१६. ,, जंगली भिंडी.
१७. ,, सितावर.
१८. ,, गंगेरुवा.
१९. ,, गुलेबांस.
२०. ,, मनेमूर.
२१. ,, केर.
२२. ,, किरकी.

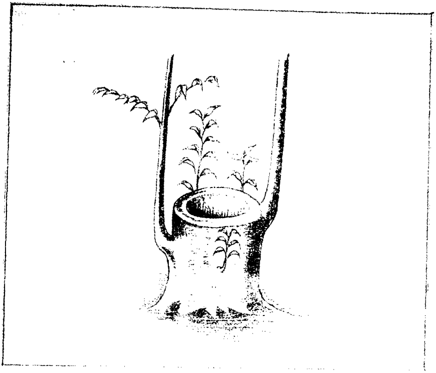
कन्द.

२३. जमींकन्द.
२४. कोलीकन्द.
२५. चायकन्द.
२६. मिरचिया कन्द.
२७. तोलिया कन्द.
२८ कायकन्द.
२९. कालाकन्द.
३०. सुवरकन्द.
३१. ककार का गट्टा.
३२. बजरकन्द.
३३. केरकन्द.
३४. बिलाईकन्द.
३५. अगया.
३६. बन सिघाडा मय जड़.

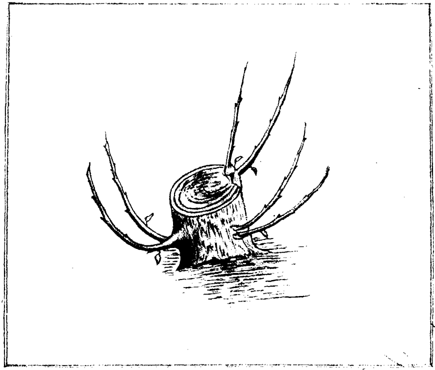
साधारण जड़.

१. जड़ अकव्वा.
२. ,, अडूसा.
३. ,, सेमल.
४. ,, निरगुंडी.
५. ,, गजपीपर.
६. ,, मरोरी.
७. ,, कारे बिछवा.
८. ,, सफ़ेद गोंगची.
९. ,, दसमूल.
१०. ,, सुर्ख गोंगची.
११. ,, नागर मोथा.
१२. ,, मनविरिया नागर.
१३. ,, पारेश्वर मूल.
१४. ,, काली मूसली.
१५. ,, सफेद मूसली.
१६. ,, इमलोरा.
१७. ,, खरेंटी.
१८. ,, गोलार.

दरख्त को काटने के पीछे ठूँठ से फिर शाखें निकल रही हैं।



दरख्त के ठूँठ से शाखें नकल रही हैं।



१९. जड़ जलनीम.
२०. ,, हरी रनखड़ी.

औषधियां (Medical Products).

१. फल करार.
२. ,, केर.
३. ,, आंवला.
४. ,, घोंट.
५. ,, खरेटी.
६. ,, गोखरू.
७. ,, दखनी गोखरू.
८. ,, मकोई.
९. ,, मेड.
१०. ,, गूलर.
११. ,, गगना.
१२. ,, किंदारी.
१३. ,, जंगली भिंडी.
१४. ,, बनबोर.
१५. ,, बेर.
१६. ,, बबूल.
१७. ,, कनेर.
१८. ,, गुल मुंडी.
१९. ,, फरफेवा.
२०. फल गोमा.
२१. ,, बहेडा.
२२. ,, महुआ.
२३. बीज ऊदफली.
२४. ,, बीर बोहटी.
२५. छोले की मिंगी.
२६. फल सोंजना.
२७ बीज बकायन.
२८. ,, गडूल घांस.
२९. ,, अमलतास.
३०. ,, चिरवाई.
३१. ,, बबूल.
३२. फल हार सिंगार.
३३. ककोले की मिर्च.
३४. बीज चिरोंजा.
३५. ,, रुमला.
३६ ,, अचार.
३७ फल भंडारे.
३८. जल केसर.
३९. सालर का वन्दा
४०. जंगली अरंडी.
४१. बीज धो.
४२. फल दुधी.

(११) अलावा दरख़्तों के और बाज़ क़िस्म की घास भी ऐसी हैं जो कारआमद होती हैं, मस्लन रोसा व लैमन घास से एक ख़ुशबूदार तेल निकलता है. एक क़िस्म की मूंज की घास से रस्सी के लिये मूंज और चिक के परदे और मूंढे वग़ैरह बनाने के लिये सरखंडा मिलता है. भावर घास से काग़ज़ और चटाई बनती है. लूसर्न और गिनाघास, चारे के काम में आती है. घोड़े और दूध देनेवाले जानवरों को थोड़ी ही मिक़दार में देने से वे तैयार व ख़ुशहाल रहते हैं. हमारे यहां के अज़लाओं में काश्तकारान, न लूसर्न बोते हैं, न गिनी घास, मगर पंजाब, राजपूताना और हिन्दुस्तान के दीगर हिस्सों में जहां के ज़मींदारान को घोड़ा घोड़ी पालने का शौक़ है वहां अमूमन ये चीज़ें बोई जाती हैं.

दरख़्तों से और क्या फ़ायदे होते हैं?

४. गरज़कि दुनिया में ईश्वर ने कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की है जिससे इन्सान कुछ न कुछ फ़ायदा न उठा सकता हो; अलबत्ता अगर कमी है तो इसक़दर कि हम अभीतक पूरे तौर पर वाक़िफ़ नहीं हैं कि कौन कौन दरख़्त किस किस क़िस्म की आराज़ी पर होसकता है, और किस तरीक़ से लगाया जासकता है. अलावा उन फ़वायद के दरख़्तान से और बहुत से ऐसे फ़ायदे निकलते हैं कि जिनकी क़ीमत तिजारती उसूल पर क़ायम नहीं होसकती, मगर जो दरअसल इन्सान की आसायश और बहबूदी में बहुत कुछ इमदाद पहुंचाते हैं. ये फ़ायदे हस्ब ज़ैल हैं—

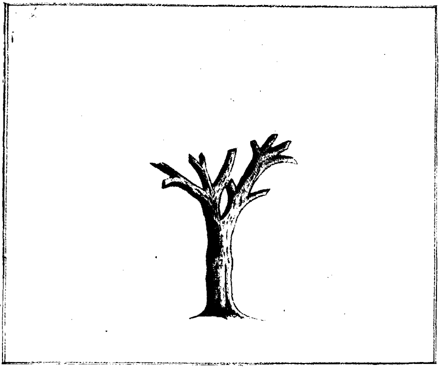
(१) दरख़्त का साया—इससे मुसाफ़िर और जानवर गरमी के मौसम में फ़ायदा उठाते हैं.

(२) ज़रई फ़सलों की हिफ़ाज़त—दरख़्तों को बा क़ायदा तरतीब से लगाने से ज़रई फ़सलों की हिफ़ाज़त तुसार, और गर्मी से होती है, और अगर बाड़ के तौर पर लगाये जांय तो फ़सल चराई व जानवरों की बेजा मदाख़लत से महफ़ूज़ रहती हैं.

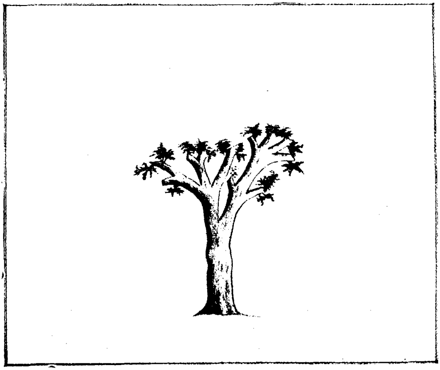
(३) राख—दरख़्त ज़मीन के ज़रख़ेज़ी को ज़्यादा करते हैं, उनके पत्ते सब्ज़ और ख़ुश्क खाद का काम देते हैं. दरख़्त अपनी गहरी जड़ों के ज़रिये से ज़मीन के नीचे की तहों से परवरिश देनेवाले अजज़ा जो पानी में घुले रहते हैं या जो बवजह उन जड़ों के तेज़ाब के पानी में घुलजाते हैं, ऊपर खींचते हैं. इनसे दरख़्तों की परवरिश होती है और बाद को यह परवरिश देनेवाले अजज़ा पत्तों में जमा होजाते हैं जो हरसाल दरख़्त से गिरते हैं.

हर शख़्स जानता है कि दरख़्त के पत्तों से राख ज़्यादा निकलती है ब मुक़ाबले उसी मिक़दार लकड़ी के. इस तरह पर दरख़्तों के ज़रिये से ज़मीन के नीचे की तहों के ज़रख़ेज़ करनेवाले अजज़ा सतह ज़मीन पर साल ब साल आते रहते हैं

शाखों को डेढ़-दो फुट तने से छोड़ कर काटा है; इसलिए कि दरख्त में छोटी छोटी शाखें और मुलायम पत्ते बहुत से निकलें (देखो फिकरा ११ पृष्ठ १२५)।



नं० २ के दरख्त में शाखों के चारो तरफ बहुत सी नई छोटी छोटी टहनियाँ और पत्ते फूटे हैं (देखो पृष्ठ १२५)।



और दरख़्तों के नीचे से वहकर खेतों में चले जाते हैं.

(४) बारिश का ज़्यादा होना—जहां कहीं दरख़्त ज़्यादा होते हैं या जंगल होता है वहां बारिश अमूमन ज़्यादा हुआ करती है, और बारिश की नमी का फ़ायदा ज़्यादा मुद्दत तक बना रहता है, और जाड़ों में सर्दी, गर्मी में गर्मी, कम होती है; यानी मौसम ज़्यादातर एतदाल पर रहता है.

(५) मिट्टी की बहने से रुकावट—दरख़्तों की मौजूदगी से ढलवां ज़मीन की सतह पर की बारीक मिट्टी उस मिक़दार में और उसक़दर जल्दी नहीं बहजाती जिसक़दर खुले हुए पहाड़ों से बहजाती है. इस मिट्टी के बहजाने से ज़मीन कमज़ोर होजाती है.

(६) बेहड़ बनने से रुकावट—दरख़्तों की वजह से बेहड़ नहीं बनते; यानी दरख़्त मिट्टी को बहने से रोकते हैं, और उनकी जड़ों की वजह से मिट्टी का कटाव भी नहीं होता; क्योंकि ऐसे हिस्सों पर जैसा कि हमने ऊपर बतलाया है पानी ज़ोर से नहीं बहता, बल्कि ज़मीन में जज़्ब होकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ़ चश्मे और सोतों में जाता है. दरख़्तों के कटजाने का बुरा असर हमारे चंबल के बेहड़ों में साफ़ नज़र आता है, जो साल ब साल और बढ़ते चले जाते हैं, और जिनसे हज़ारहा बीघे आराज़ी काश्त के लिये नाकारा होगई है.

५. दरख़्तों से बाज़ औक़ात ज़राअत की फ़सलों को नुक़सान भी पहुंचता है, मगर यह अमूमन उसवक़्त होता है कि जब उनके लगाने में कोई बेतरतीबी कीगई हो, या आयन्दा उनकी काट छांट और निगरानी में उनकी ग़फ़लत रक्खी गई हो. ज़्यादतर नुक़सान यह होता है कि दरख़्तों के साये से फ़सल की पैदावार कम होजाती है. अगर दरख़्त लगाने में खेत से फ़ासले का ख़्याल ठीक करलिया जाय और उनकी काट छांट ठीक वक़्त और मौक़े पर होती रहे तो यह नुक़सान कम होसकता है.

दरख़्तों से ज़राअत को नुक़सान कब पहुंचता है?

बल्कि बिलकुल दूर होसकता है. अब हमको चन्द ज़रूरी उसूल दरख़्तों के लगाने और उनकी तरतीब, निगरानी, काट छांट के लिये बतलाना है. इस मौके पर इन कामों के लिये मुफ़स्सिल हिदायत दिया जाना नामुमकिन है क्योंकि इन उसूलों की पाबन्दी में हस्ब ज़रूरत मौक़ा, आब हवा व मक़सद जो इन दरख़्तों के लगाने का है ज़रूरी रद्दोबदल किया जाना लाज़मी है.

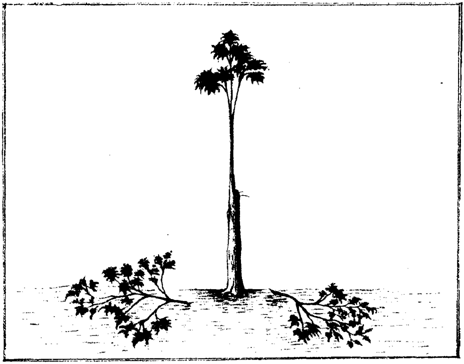
दरख़्तों के लगाने की तरकीब.

६. दरख़्तों के लगाने से पहिले यह दरयाफ़्त करलेना चाहिये कि उनके लगाने का मक़सद क्या है और उनसे क्या पैदावार लेनी है और किस उमूर में यह पैदावार सबसे अच्छी हालत में होती है, क्योंकि अमूमन दरख़्त का एक दूसरे से फ़ासला इन्हीं अमूरात पर गौर करके क़ायम किया जाता है, मस्लन अगर दरख़्तों से हमको सीधी और ऊंची लकड़ी हासिल करनी है तो दरख़्तों को पास पास लगायेंगे; अगर फल फ़ूल हासिल करना है तो फ़ासला ज़्यादा देंगे ताकि दरख़्त का फैलाव ज़्यादा हो, फल और फूल ज़्यादा आवें व जमा करने में सहूलियत रहे. दरख़्त दो तरह से लगाये जाते हैं, एक तो उसी मौके पर बीज बो देने से, और दूसरे किसी जख़ीरे या नरसरी से लाकर पेड़ लगाने से.

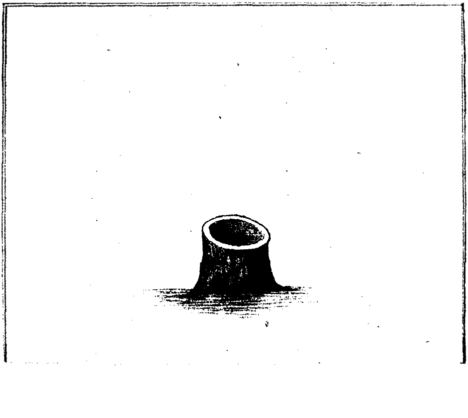
बीज बोकर लगाना.

७. अव्वल तरीक़ के लिये यह ज़रूरत है कि बीज बोने से पेश्तर उस मौके पर जहां बीज बोना है घास की जड़ें खोदकर साफ़ करदे और मिट्टी कुछ गहराई तक ढीली करदीजाय. एक मौके पर दो या तीन बीज से ज़्यादा नहीं बोने चाहिये. घास की जड़ों की सफ़ाई व मिट्टी ढीली करने की ग़रज़ यह है कि जो छोटा पौदा उस बीज से निकले उसको कम अज कम कुछ मुद्दत तक बढ़ने और फैलने के लिये मुलायम ज़मीन और घास फ़ूस की जड़ों से ख़ाली मिले, ताकि वह छोटा पौदा अच्छी तरह से जड़ पकड़ जाय. बीज बोने में आम तौर पर यह ख़्याल रखना चाहिये कि बीज इतना गहरा न दबा दिया जाय कि जो नया अंकुर उसमें से फूटे वह अपने ऊपर की तह की मिट्टी को तोड़कर ऊपर न आसके, और इसक़दर ऊपर भी न हो कि बीज काफ़ी नमी ज़मीन से जज़्ब न करसके और न उगे. अमूमन बीज के ऊपर मिट्टी उसक़दर होनी चाहिये जितनी कि बीज की मुटाई है.

दरख्त की एक सीधी और बड़ी शाख रख कर, नीचे और फैली हुई शाखों को कलम किया है, इस गरज से कि, दरख्त सीधा उगे (देखो फिकरा ११, पृष्ठ १२५)।



दरख्त को जमीन से कुछ ऊंचा काटा है, इस गरज से कि, लकड़ी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार निकले (फिकरा १२, पृष्ठ १२६)।



८. इसके लिये ज़रूरत है कि जिस मौके पर लगाना हो गड्ढा काफ़ी गहरा खोदा जाय, और लगाने से पेश्तर उसको बारीक मिट्टी से जो घास की जड़ वग़ैरा से साफ़ हो भर दिया जाय. गड्ढे की गहराई उस पौदे की जसामत पर मुनहसर होगी जो लगाना है. अमूमन गड्ढा उस पौदे की जड़ों की लम्बाई से जो लगाना है एक या डेढ़ फुट ज़्यादा गहरा होना चाहिये. छोटे पौदे या तो पिंडी समेत लगाये जाते हैं या बाज़ वक़्त बिला पिंडी के. अगर पिंडी समेत हों तो पिंडी को उस भरे हुए गड्ढे में पिंडी के लायक़ गड्ढा करके लगा देना चाहिये, और आस पास की मिट्टी ख़ूब रूंध कर सख़्त कर देनी चाहिये, और पेड़ लगाते ही पानी देना चाहिये. इस बात का हमेशा ख़्याल रहे कि पौदे की जड़ व आस पास की मिट्टी में पूरा मेल हो जाय. फ़ौरन पानी देने की वजह भी यही है कि मिट्टी में पोलापन न रहे और हवा जो कुछ मिट्टी के ज़र्रों में हो वह निकल जाय. अगर पौदे बिला पिंडी के हों तो इनके लगाने में यह और एहतियात की जाय कि उनकी जड़ें जहांतक होसके उसी पोज़िशन (हालत) में रक्खी जावें जैसी कि वे उस मुक़ाम पर थीं कि जहां से पेड़ उखाड़कर लाया गया है, और लगाते वक़्त मोड़ तोड़ कर गोला बनाकर न रक्खी जावें. बिला पिंडी के पेड़ जब लगाना हो तो पौदे को बायें हाथ से गड्ढे में पकड़े रहे और दाहिने हाथ से बारीक मिट्टी उसके जड़ों के चारों तरफ़ डालता रहे, ताकि मिट्टी हर जड़ के चारों तरफ़ हो जाय. जब मिट्टी से सब जड़ें ढक जांय तो अव्वल आहिस्ता २ मिट्टी को दबाए, और पौदे को हाथ के इशारे से एक इंच के क़रीब ऊपर को खींचे ताकि अगर कोई जड़ टेढ़ी होगई हो तो वह सीधी होजाय. इसके बाद और मिट्टी डालकर दबा देनी चाहिये. दबाने और फ़ौरन पानी देने की ग़रज़ यही है कि पौदे की जड़ और मिट्टी में मेल पूरा हो जाय. पौदा लगाना.

९. पहाड़ पर दरख़्त लगाने के लिये भी वही उसूल काम में लाने चाहियें जो ऊपर बतलाये गये हैं. सिर्फ़ मुन्दर्जे ज़ैल दो बातों की एहतियात लाज़मी है; क्योंकि पहाड़ में अमूमन पत्थर ज़्यादा होते हैं. इसलिये ज़रूरी है कि जहांतक होसके ऐसा मौक़ा देखा जाय कि पौदे की जड़ किसी पत्थर की चाट पर न आजावे, क्योंकि ऐसी हालत में उस पौदे की जड़ें नीचे नहीं जासकेंगी और कमज़ोर रहने की वजह से पौदा मरजायगा; अगर पहाड़ पहाड़ पर दरख़्त लगाना.

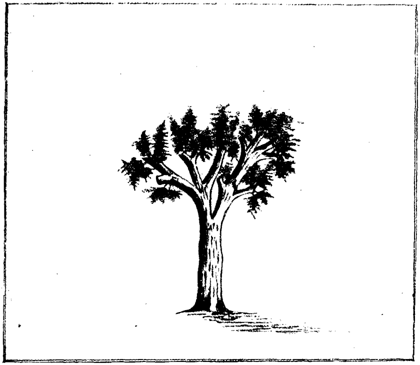
ज़्यादा चट्टानी हो तो मुनासिब यह होगा कि उन चट्टानों की दर्ज तलाश करके उनमें बीज डाला जाय या पौदा लगाया जाय. पहाड़ पर दरख़्त लगाने के लिये जो निशान क़ायम किये जांय तो यह देख लिया जाय कि इन निशानों का सिलसिला एक दूसरे के नीचे न आजाय. एक लाइन में आजाने से यह नुक़्स होसकता है कि पानी ऊपर के गढ्ढे में भर कर नीचे आते वक़्त दूसरे व तीसरे गढ्ढे में पड़ेगा और इन गढ्ढों की मिट्टी मुलायम होने से काट देगा, और मुमकिन है कि एक छोटी सी नाली बना देवे. इसलिये पहाड़ पर बजाय सीधी लाइन क़ायम करने के लाइन हमेशा कन्टूर*(Contour) लेन पर लगाते हैं. पेड़ों के लगाने के पेश्तर यह ज़रूर है कि इस अम्र का ख़्याल करलिया जाये कि पेड़ जो लगाने हैं वे अमूमन कैसी ज़मीन पर हुआ करते हैं, आया जल्द बढ़नेवाले हैं या आहिस्ता, उनको गढ्ढे में पानी भरा रहने से नुक़्सान होता है या नहीं? जिसक़दर वक़फ़ियत इन बातों में उस क़िस्म के पेड़ों के लिये करली जायगी उतनी कामयाबी ज़्यादा होगा.

पेड़ लगाने का मौसम.

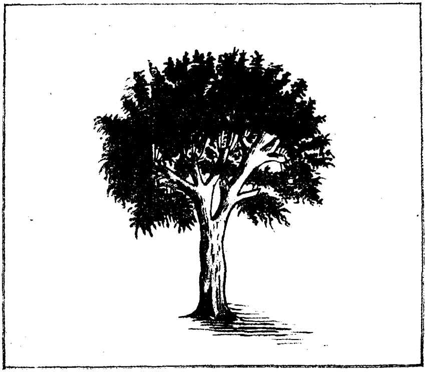
१०. आम तौर पर पेड़ लगाने के लिये सब से अच्छा मौसम वह होता है कि जब दरख़्त में बढ़त बन्द होती है; यानी मौसम शुरू बहार यानी वसन्त (चैत्र वैशाख), मगर यह मौसम पौदे लगाने के लिये इस देश के लिये मौज़ूं नहीं है, क्योंकि यहांपर मौसम वसन्त (चैत्र वैशाख) बहुत थोड़े दिन रहता है और जल्द ही गरमी शिद्दत की शुरू हो जाती है. छोटे पौदे जो शुरू बहार में लगाये जाते हैं वे गरमी शुरू होने से पेश्तर इतने मज़बूत नहीं होजाते कि अपने को गरमी से बचासकें, और अमूमन इस मौसम के लगाये हुए पेड़ गरमियों में मरजाते हैं, तावक़्तेकि गरमी से हिफ़ाज़त के लिये उनका ख़ास इन्तज़ाम न किया जाय. इस देश में पेड़ लगाने के लिये सबसे अच्छा मौसम शुरू बरसात का है. मौसम बरसात में जिसक़दर जल्द पेड़ लगा दिये जाते हैं उतनी ही ज़्यादे मुद्दत उनको बढ़ने होने और उस मौक़े पर जमजाने के लिये मिलती है. जिसक़दर मौसम बरसात के शुरू होने से देर में लगाये जाते हैं उसीक़दर पौदों को बढ़ने और जमने के लिये कम वक़्त मिलता है और ऐसे कमज़ोर पौदे तुसार से नुक़्सान

* कन्टूर लेन (Contour line) उस रेखा को कहते हैं जो पहाड़ के चारों तरफ़ बराबर ऊंचाई की जगहों को दिखलाती है. नक़्शा इसका इस किताब में दिया गया है.

नम्बर २ के दरख्त में शाखें बड़ी हो गई हैं।



नम्बर ५ के दरख्त में शाखें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और पत्ते भी बहुत बढ़ गये हैं।



उठाते हैं. मौसम बरसात के शुरू से मुराद पहिली पहिल बारिश से नहीं है क्योंकि एक दो पानी पड़ने तक ज़मीन के अन्दर की गरमी ऊपर को निकल आती है. ऐसे वक़्त पेड़ लगाया जायगा तो वह नहीं ठहरने पायगा; चुनांचे दो तीन पानी से ज़मीन अच्छी तर हो जावे उस वक़्त पेड़ लगाने चाहियें. फिर देरी न की जाये.

दरख़्तों के क़लम करने का तरीक़ा.

११. दरख़्त मुख़्तलिफ़ मक़सद के लिये क़लम किये जाते हैं. उनके क़लम करने का तरीक़ भी मक़सद के लिहाज़ से मुख़्तलिफ़ हुआ करता है मसलन अगर किसी दरख़्त को इस ग़रज़ से क़लम करना है कि वह सीधा उगे तो उसकी शाख़ों में से जो कोई एक सीधी और बड़ी हो रखकर नीची और फैली हुई शाख़ों को क़लम करना चाहिये. शाख़ों के क़लम करने में इस अम्र का ख़्याल रहे कि शाख़ बिलकुल तने से मिली हुई काटी जाय और तराश साफ़ और चिकना हो. अगर शाख़ तने से मिली हुई नहीं काटी गई है तो दरख़्त को उस ज़ख़्म के ढकने में बहुत अर्सा लगेगा और रेशे ठूंठ के मौजूद होने की वजह से बहुत ख़म खाकर बढ़ेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि दरख़्त पर ज़ख़्म का निशान बजाय साफ़ होने के एक बड़ा फोड़ासा नज़र आवेगा और वह ठूंठा अन्दर ही अन्दर सड़कर लकड़ी को ख़राब कर देवेगी. जंगलों में अमूमन क़लम करने की ज़रूरत नहीं होती या बहुत ही कम होती है, क्योंकि तादाद दरख़्तान इसक़दर ज़्यादा होती है कि अगर यह कारवाई की जाय तो सर्फ़ा कसीर होगा और उसके मुक़ाबले में फ़ायदा कम निकलेगा. जब बहुत से दरख़्तों को सीधा उगाना मंज़ूर हो तो उनको घना बोना या लगाना चाहिये. दरख़्तों के घने होने की वजह से उनकी शाख़ें (Side Branches) बहुत कम निकलती हैं और जो निकलती हैं वे क़ुदरती तौर पर जल्द ख़ुश्क होकर काफ़ी रोशनी न पहुंचने से मरजाती हैं. दरख़्त सीधे और ऊंचे बढ़ते रहते हैं.

अगर दरख़्त को इस मक़सद के लिये क़लम करना है कि उसमें छोटी २ शाख़ें और मुलायम पत्ते बहुत से निकलें तो शाख़ों (Side Branches) को तने से मिलाकर क़लम नहीं करना चाहिये बल्कि डेढ़ दो फ़ुट तने से छोड़कर काटना चाहिये. इस सूरत में भी तराश साफ़ होनी चाहिये. इस डेढ़ फ़ुट की शाख़ के चारों तरफ़ बहुतसी नई छोटी २ टहनियां फूट जावेंगी, जिनसे मुलायम छोटी २ टहनियां और पत्ते कसरत से हासिल होते रहेंगे,

इस क़िस्म की क़लमतराशी लाख और रेशम के कीड़े पालने की ग़रज़ से करना पड़ती है, क्योंकि इन कीड़ों का जीवन पत्तों पर निर्भर है. क़लम करने में तराश हमेशा साफ़ और चिकना होना चाहिये. क्योंकि अगर तराश साफ़ और चिकना नहीं है तो उसमें पानी ठहरेगा और पानी की वजह से बाज़ क़िस्म के कुकरौंधा पैदा होने से सड़ने लगेगा.

दरख़्तों का काटना.

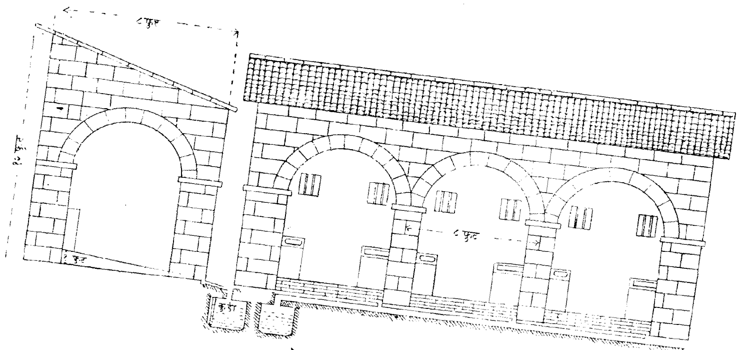
१२. जिन दरख़्तों से काटने के बाद यह उम्मेद नहीं कीजाती है कि उनसे फिर कल्ले फूटकर नये दरख़्त हों, उन दरख़्तों के काटने के लिये किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं मालूम होती. सिवाय इसके कि दरख़्त ज़मीन से मिलाकर या अगर ज़रूरत हो तो जड़ से खोदकर काटा जाय ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार लकड़ी की जो उस दरख़्त से मिल सकती हो हासिल होसके. अलबत्ता जब कटे हुए दरख़्त के ठूंठ से और नये दरख़्त हासिल करना मंज़ूर हों तो दरख़्तों के काटने में अमूरात ज़ैल का लिहाज़ रखना चाहिये, और इस तरकीब से काटने को 'कापिसिंग (Coppicing) कहते हैं:—

(१) दरख़्त का ठूंठ जहांतक मुमकिन हो ज़मीन के बराबर रहे.

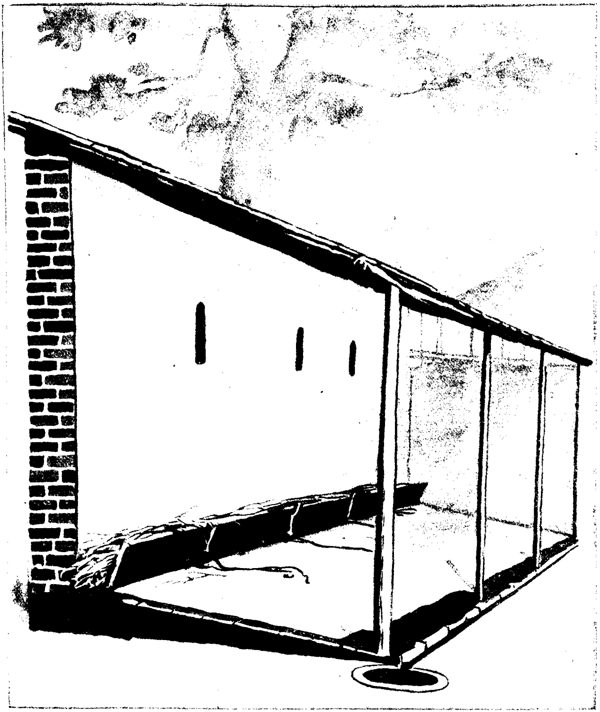
(२) काटने में ठूंठ का बक्कल लकड़ी से जुदा न हो.

(३) तराश साफ़ हो और इस शक्ल का हो कि सतह ठूंठ पर अगर बारिश हो तो पानी न ठहरसके.

— — —



मवेशीखाना हवादार।

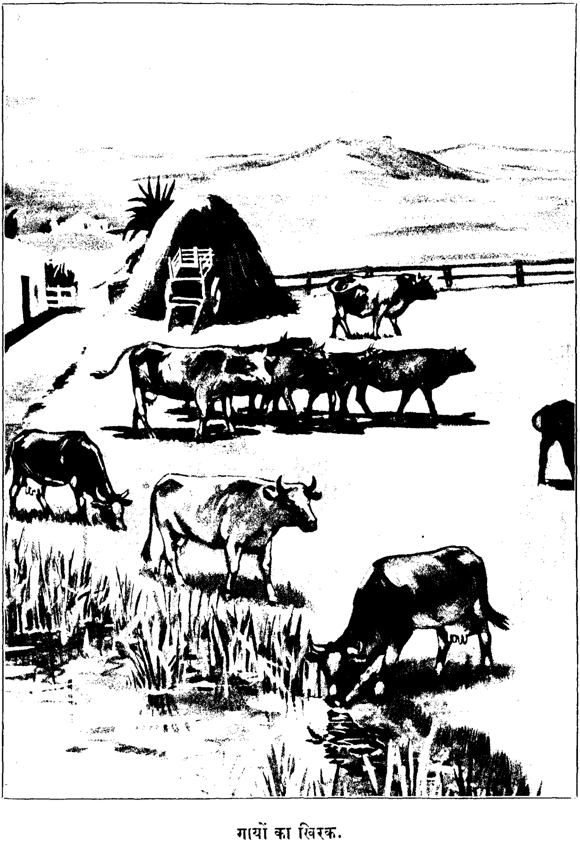


मामूली हैसियत के काश्तकार का मवेशीखाना जो कायदे तन्दुरुस्ती के उसूल पर बनाया गया है।

चित्रशाला प्रेस, पूना।

बाब ९.

तरक़्क़ी मवेशियान.



गायों का खिरक.

बाब नवां.

तरक्क़ी मवेशियान.

१. जमींदारों और दीगर शख़्सों को याद रखना चाहिये कि आमदनी बढ़ाने का एक यह भी तरीक़ा है कि गाय, बैल, घोड़े वग़ैरह अपने घर अच्छे पैदा करके बेचें. यह समझना चाहिये कि अगर सौदागरों को इस से फ़ायदा न होता तो वे इसकी सौदागरी क्यों करते. इसी तरह मुल्क आस्ट्रेलिया में भेड़ें पाली जाती हैं और उनका ऊन हर मुल्क में बहुत जाता है और अच्छी क़ीमत पर बिकता है. यही हाल घोड़े और घोड़ियों का है. जो घोड़ियां पालते हैं और चाहते हैं कि नस्ल जानवरान अच्छी हो, लेकिन बार सर्फ़ा ऐसे घोड़े के ख़रीदने का नहीं उठासकते उनके लिये हर ज़िले में ब जानिब सरकार एक सांड़ घोड़ा रक्खा गया है. उनको चाहिये कि अपनी घोड़ियों को उस सांड़ के पास लेजावें और जो बच्चे पैदा होवें उनकी परवरिश अच्छी तरह करें ताकि अच्छे दामों पर वे बिकसकें. लिहाज़ा वास्ते वक़फ़ियत लोगों के यह बतलाया जाता है कि आस्ट्रेलिया से अगर अंदाज़ा किया जावे तो कम से कम ७, ८ हज़ार घोड़े हर साल इस मुल्क में आकर ब क़ीमत मुफ़स्सिले ज़ैल बिक जाते हैं:—

जमींदारों के लिये घोड़ियां और गाय पालना बहुत मुफ़ीद व ज़रूरी है. घोड़ी को सांड़ घोड़े को दिखाना, उसके बच्चों की परवरिश, मेलों में इनाम पाना, और फ़रोख़्त करना वग़ैरह.

मामूली घोड़े २०० से ३,००० तक, पोलो के टट्टू ४०० से ५,००० तक, घुड़दौड़ के घोड़े १,००० से ३०,००० तक आस्ट्रेलिया से जहाज़ पर आते हैं. समझने की बात है कि क्या वजह है कि लोग हज़ारों मील से माल लाकर इस मुल्क में नफ़ा उठाके दौलतमंद होजांय और हम इस मुल्क के होकर इस फ़ायदे से महरूम रहें? अव्वल दर्जे के घोड़े, भेड़, आस्ट्रिच चिड़िया के पर वग़ैरह दीगर मुल्कों में बिकने को जाते हैं. (देखो तसवीरें भेड़ख़ाने व चिड़ीख़ाने की सफ़ा).

माल अच्छा होगा तो अच्छे दामों से बिकेगा, और नफ़ा भी ज़्यादा होगा. ख़राब माल होने की सूरत में नफ़ा कम होता है. यह बात भूलने की नहीं है कि जो माल दूर से आता है उसका रेल या जहाज़ का भाड़ा, नुक़्सानों का हर्जा, अमले की तनख़्वाह वग़ैरह सब ख़र्च देकर अक़्लमन्द आदमियों को फिर भी नफ़ा होता है.

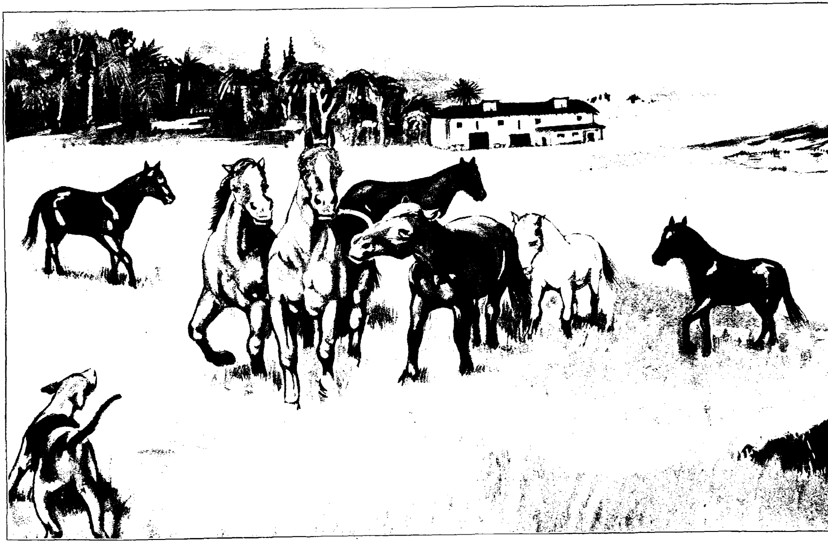
अभी दो घोड़े सरकार ने स्पेन देश से २,००० पौंड में खरीदे हैं, जिनके ३०,००० रुपये होते हैं.

घोड़ों की नस्ल बढ़ाने का कारखाना.

२. घोड़ों की नस्ल बढ़ाने का कारखाना बहुत दिलचस्प और फ़ायदेमन्द होता है. जो लोग इस काम को करते हैं वे पहिले इस बात को सोच लेते हैं कि उनके यहां कौनसी जगह ऐसी होगी जहां पानी क़रीब हो, और बड़ा मैदान भी हो जिसमें दरख़्त छाया के वास्ते हों, (अगर न हों तो लगाये जासकें) कि जहां घोड़ों और दीगर जानवरों को आराम से चारा पानी मयस्सर होसके. इसके बाद उस मैदान के चारों तरफ़ तार का या बांस का हाता बना दिया जाता है, फिर उसमें सांड़ घोड़े, और घोड़ियां छोड़ दीजाती हैं. इनके बच्चे ऐन जंगली सांवर की तरह होते हैं. फिर हर साल उनको पकड़कर बेचते हैं. जो उम्दा बच्चे होते हैं उन्हें अस्तबल में रखकर खिला पिला और सिखा के बेचते हैं. ऐसे मैदान में बाज़ बाज़ मालिक जगह ब जगह टीन के या जैसे वे चाहें दालान भी वास्ते साया के करदेते हैं. बरसात, गर्मी या धूप में उनके नीचे जाकर वे पनाह लेते हैं और इसके हिफ़ाज़त के लिये २, ४ आदमी रखते हैं.

घोड़ों के खिरक का एक नक़्शा भी इस किताब में दिया है. उससे मालूम होगा कि वह कैसा बनाया जाता है.

यह बड़ी महत्व की बात है कि बच्चों को एक जगह बांध नहीं रखते बल्कि हाथे में भागने, दौड़ने देते हैं. इसका कारण यह है कि एक जगह बांधने से हाथ पांव जैसे मज़बूत होने चाहिये वैसे नहीं होने पाते, जैसे गांववालों के बच्चे के मुक़ाबले में बड़े आदमी के बच्चे. इसका कारण यह है कि बड़े आदमी के बच्चों को ज़्यादा फिरने नहीं देते जिसकी वजह से ये हमेशा डाक्टर, वैद्य वग़ैरह के इलाज में रहते हैं, और उनके जिस्मानी पुर्ज़े कमज़ोर रहते हैं, हमेशा दवाई खाकर गुज़र करते हैं, याने अपने दिन काटते हैं. अलावा इसके बड़े आदमियों में पैदायश कम होने का यह भी कारण है कि ग़रीबों के बच्चे मेहनती होते हैं, उनके आज़ा मज़बूत होते हैं, न कि नाज़ुक. वे जो खाते पीते हैं वह शरीर में अच्छी तरह जज़्ब होजाता है. यही हालत जानवरों की है.



घोड़ों का खिरक.

३. घोड़ों को रखने और उनके ज़रिये से पैसा कमाने में एक तो जमींदार को खुद सवारी का बहुत आराम रहेगा. दूसरे उसको यह फ़ायदा होसकता है कि उन घोड़ों को मालदार लोग और सौदागर खरीदेंगे, और सरकार भी रिसाले व तोपखाने और और कामों के लिये खरीदेगी जिससे गांववालों की आम्दनी बढ़सके और रियासत के बाहर के सौदागर भी उनको खरीदेंगे.

घोड़ों की नस्ल सुधारने से फ़ायदे.

४. इसी तरह अगर हर खातेदार एक एक गाय मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिये रक्खेगा तो उससे एक तो मवेशियों की नस्ल सुधरेगी, दूसरे उनके बालबच्चों के लिये दूध होजावेगा, तीसरे खेतों के लिये खाद भी होजावेगा. सिवाय इसके जो आयन्दा को बैल पैदा होंगे वे ज़्यादा मज़बूत और अच्छे होंगे, और लोगों को अच्छे बैलों के खरीदने के लिये बाहर जाने की ज़रूरत न रहेगी. हिंदुस्तान का पुराना तरीक़ा है कि किसी बड़े आदमी के मरने पर सांड़ छोड़ा जाता है. उसकी ग़रज़ बहुत आदमियों की राय में यह भी है कि बच्चे पैदा करने के लिये वह सांड़ कारआमद होसके. ज़मींदारों को चाहिये कि जिस बच्चे को सांड़ बनावें वह ताक़तवर और अच्छी नस्ल का हो. कमज़ोर बच्चे को सांड़ बनाने से बैलों की नस्ल खराब होजाती है. इसलिये ज़मींदारों को चाहिये कि जब कोई शख़्स सांड़ बनाना चाहे तो वह देखले कि बच्चा अच्छी नस्ल का है.

गायें व दीगर मवेशी के पालने से फ़ायदे.

५. दरबार ने इस ग़रज़ से कि गांववाले जो अच्छे नस्ल के बैल और घोड़े, घोड़ियां व टट्टू पैदा करेंगे उनको वे आसानी से बेचसकें और अच्छी माकूल क़ीमत पावें. हर साल हर ज़िले में एक एक मेले का होना क़रार देकर यह भी ठहराया है कि इन मेलों में जिसक़दर बैल सरकार में दरकार होंगे वे और दो सौ घोड़े व १०० टट्टू अजलाय के मेलों से और इतने ही सागरताल के मेले से हर साल खरीदे जावें, गोया ४०० घोड़े व २०० टट्टू सरकार में ही खरीदे जावेंगे. और लोग जो खरीदेंगे वे इससे अलावा हैं. इससे मालूम होगा कि रियासत में कितनी बड़ी मांग घोड़ों की है. लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह जानवर सरकार में तब ही खरीदे जासकते हैं जबकि माल अच्छा होगा और फ़ौज में व दीगर कामों के लिये भरती करने लायक़ होवे. ऐसे मेले मवेशियान में

सरकार में एक कसीर तादाद घोड़ों और बैलों की खरीद की जावेगी.

मिनजानिब दरबार उस ज़मींदार को जिसकी घोड़ी के बच्चे सबसे अच्छे होते हैं इनाम भी दिया जाता है.

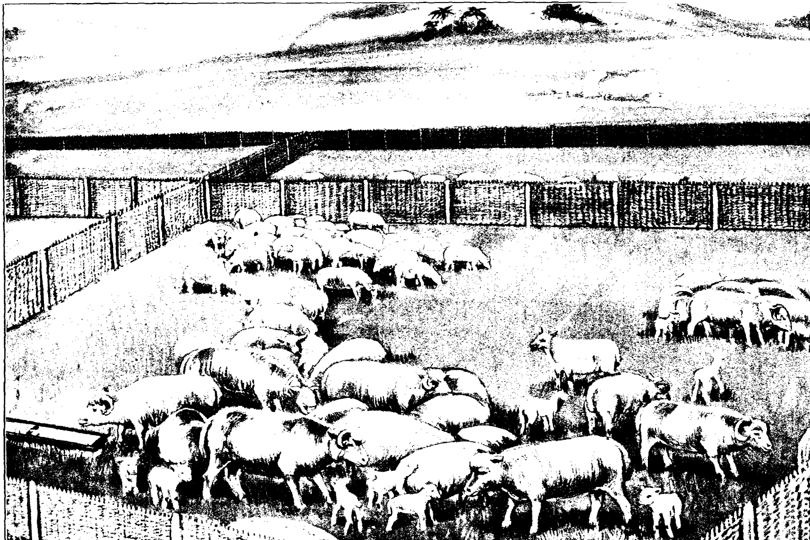
घोड़ियां व मादा गायें जो पैदा होंगी वे मतालबे सरकारी व अदालती से बरी रहेंगी.

६. ज़मींदारान जिन घोड़ियां या गायों को अच्छी नस्ल बढ़ाने को रक्खेंगे वे घोड़ियां व गायें जुम्ला मतालबात सरकारी व अदालतहाय दीवानी व माल की डिक्रियों में कुर्की व नीलाम से मुस्तसना रहेंगी.

इस काम को ५, ६ बरस मुतवातिर चलाना चाहिये तो फ़ायदा हो सकता है.

७. अगर इस काम को ५, ६ बरस भी मुतवातिर किया जायगा तो गांववालों को इस अर्से में यह बख़ूबी मालूम होजायगा कि गाय और घोड़ी रखने से कितना फ़ायदा होसकता है.

ज़मींदारों को चाहिये कि मेलों में अच्छे जानवरान का व्हेटेरिनरी इन्सपेक्टर से या सिविल व्हेटेरिनरी ऑफ़िसर से ख़ास तौर से मुआयना करावें, ताकि वे जानवर या जानवरान सरकारी तबेले या फ़ौज के लायक़ होने की शक्ल में महकमे मुताल्लिक़ा को तार के ज़रिये उसी वक्त ख़बर देकर बिक्री का इन्तज़ाम करें.



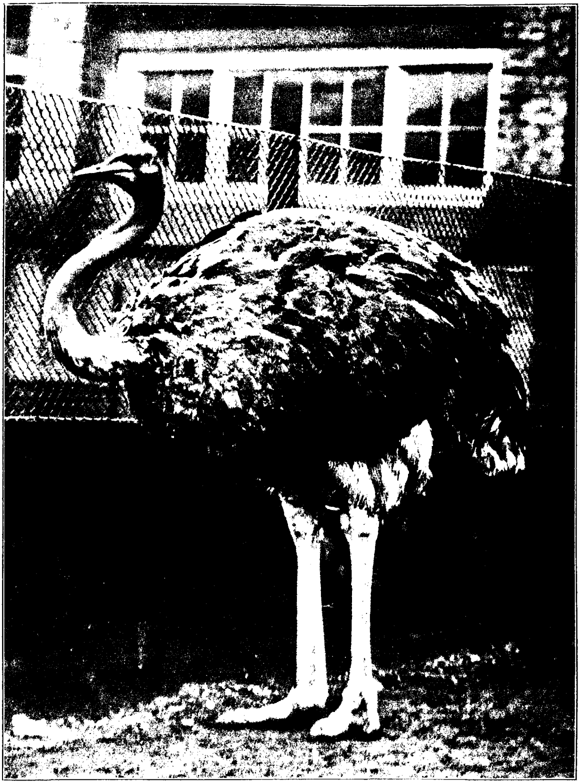
भेड़ी ख़ाना.

बाब १०.

चारा.

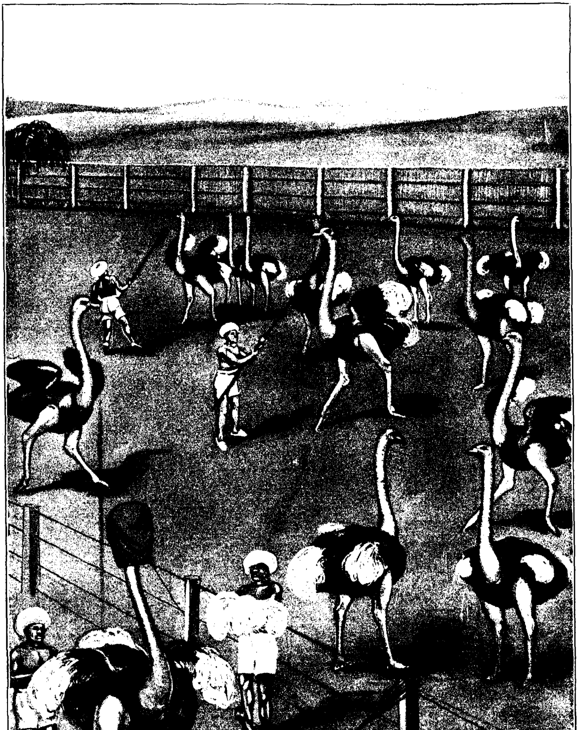
(अ) लूसर्न यानी रिजका.

(ब) गिनी ग्रास.



African Ostrich Farm Co., London

शुतरमुर्ग जिसे " आस्ट्रिच " कहते हैं और जिसके परों की तिजारत होती है हरएक पर [illegible] रु० से १० रु० तक मामूलन बिकता है और कभी १[illegible] रु० तक.



African Ostrich Farm Company, London

अहाता जिसमें शुतरमुर्ग रखेजाते हैं और उनके पर निकाले जाते हैं.

बाब दसवां.

चारा.

१. कुदरत ने हमारी रियासत के जंगलों में चारे की पैदायश बहुत इफ़रात से की है. मगर जहांतक हमने देखा है अपने कुदरती बरकत का फ़ायदा जिसक़दर और जिसतरह से चाहिये हमारे काश्तकारान नहीं उठाते. मुख़्तलिफ़ क़िस्म की घास बड़ी कसरत से रियासत हाज़ा के पहाड़ व जंगल व दीगर ग़ैर मज़रूआ आराज़ी में पैदा होती है. मगर उसकी बड़ी मिक़दार आग से जलकर या मवेशियों के पैरों से रौंदी जाकर ज़ाया हो जाती है, और मौसम गरमा के हर हिस्से में बल्कि बाज़ जगह मौसम सरमा में भी जुम्ला मवेशियान को पेटभर चारा नसीब होना पाया नहीं जाता. परमेश्वर की इनायत से तादाद मवेशी काफ़ी है. मगर सिवाय इसके कि सुबह को चराने की ग़रज़ से जंगल को हांक दिये जावें और शाम को ग्वाड़ों में बन्द करदिये जावें और कोई दाश्त की फ़िक्र नहीं की जाती. नतीजा ऐसी लापरवाही का जो कुछ हुआ करता है हर किसी के ज़हूर में है. मवेशियों को रात में चारा डालने का रिवाज मुतलक़ नहीं है और इसलिये जो चारा कुदरत ने इतनी कसरत से पैदा किया है, न काटा जाता है और न जमा किया जाता है. चारे के लिये किसी ख़ास फ़सल की काश्त का तो ज़िक्र ही क्या है.

जंगलों में चारे की पैदायश से पूरा फ़ायदा काश्तकार नहीं उठाते.

२. ममालिक मुतहद्दा आगरा व अवध पंजाब व हिन्दुस्तान के दीगर हिस्सों में काश्तकारान हर फ़सल के साथ कोई न कोई चारे की फ़सल अपने मवेशियों के लिये काश्त किया करते हैं, और यूरोप व अमेरिका में तो चरागाह भी बड़ी मेहनत से काश्त करके ख़ास तौर पर तय्यार करते हैं, मगर हमारे यहां की चरागाहों को जिस हालत में कि कुदरत ने पैदा किये हैं उस हालत में भी रखने की फ़िक्र व कोशिश नहीं की जाती. चुनांचे बरअक्स देखा जाता है कि चरागाहों पर भी बजाय घास व दीगर चारे के क़ायक़ नबातात के कबाड़, कांटे और झरबेड़ी बढ़ती जाती है और रफ़्ता रफ़्ता घास व उम्दा चारा पैदा करनेवाली ज़मीन पर भी फैलती जाती है. इसका बुरा असर अबतक इसलिये महसूस नहीं होता है कि बंजर ज़मीन

चरागाहों की हिफ़ाज़त न रखने से कबाड़ कांटे बढ़ते जाते हैं.

की मिक़दार बमुक़ाबले मज़रूआ क बहुत ज़्यादा है, और जब बग़ौर देखा जावे तो मालूम हो सकता है कि साबिक़ में जिस गांव के मवेशी को चरने के लिये एक मील के अन्दर काफ़ी चारा मिल सकता था अब उसको दो, ढाई मील तक चराने को जाना पड़ता है, और अव्वल के मील की हालत का अगले मीलों से मुक़ाबला करने से मालूम हो सकता है कि वह हिस्सा क़रीबन चराई के ग़रज़ के बिलकुल नाक़ाबिल हो चुका है.

चरागाहों के ख़राब होने की वजह.

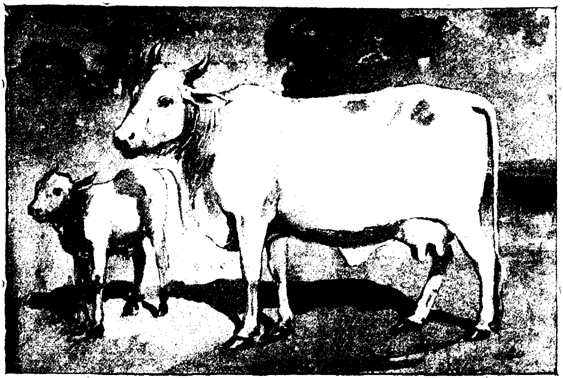
३. चरागाहों के ख़राब होने की वजह यह है कि (१) मवेशी व भेड़ बकरी एक जगह चरती हैं जो चारा बकरी के लिये मौज़ूं होता है वह गाय, बैल के लिये नहीं हो सकता, और बकरी के चरने से उसी क़िस्म के चारे का बीज जाबजा क़ुदरती तौर से फैलता रहता है, बल्कि बकरी की जुगाली से जो ऐसे पौदों के बीज ज़मीन पर गिरते हैं उनमें जल्द जमने की ताक़त और भी ज़्यादा होजाती है. (२) चारे की फ़सल को बढ़ने और अपने जड़ों को मज़बूत करने को कोई वक़्त नहीं मिलता, क्योंकि सदहा जानवर एक ही मुक़ाम पर शबोरोज़ घूमते रहते हैं. (३) चरागाहा के रक़बे व तादाद मवेशियों का कोई अन्दाज़ा नहीं रक्खा जाता. (४) कभी कोई कोशिश इस क़िस्म का नहीं की जाती कि जिससे उम्दा क़िस्म के चारे की घास में अफ़ज़ायश हो और ख़राब क़िस्म के चारे की पैदायश में कमी हो.

चरागाहों की तैयारी, हिफ़ाज़त व ठीक इस्तैमाल.

४. चरागाह की तय्यारी, हिफ़ाज़त व ठीक इस्तेमाल का ऐसा सवाल है कि जिसकी बाबत हम अपनी इस तहरीर में बहस करना नहीं चाहते और न मौजूदा हालत से इस पर ग़ौर करने की ज़रूरत मालूम होती है. आयन्दा ५० साल बल्कि इससे भी ज़्यादे मुद्दत तक हमारा ख़्याल है कि इस सवाल पर ग़ौर करने की ज़रूरत महसूस न होगी, और इसलिये इस सवाल को ऐसा ही छोड़कर हम चारे की फ़सल की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं.

अगर घास ठीक वक़्त पर काटकर ठीक तरीक़ पर जमा न किया जावे तो उसमें मवेशी की परवरिश करने की ताक़त बहुत कम हो जाती है. क़रीबन हर काश्तकार इस अम्र को जानता है कि साइया घास बमुक़ाबले खरसूआ घास के ज़्यादा ताक़त देनेवाला होता है. मगर अपनी इस वाक़फ़ियत पर अमल मुतलक़ नहीं करते.

साल सम्हाल से पाली हुई गाय ।



बे परवाही से रखी हुई गाय ।



घास काटने का ठीक वक्त वही होता है जब कि घास में फूल आजावे मगर बीज न पड़े. ऐसे वक्त अगर घास काट के जमा किया जावे तो वह मवेशियों के लिये ज़्यादा ताक़तवर होता है.

हरे घास को काटकर सूखने के लिये फैला देना चाहिये और अगर कहीं ओस पड़ती हो तो शामको उसका ढेर कर देना चाहिये, ताकि ओस से कुल घास खराब न हो. दूसरे दिन उस ढेर को फिर फैला देना चाहिये. अमूमन तीन रोज़ फैलाने से घास काफ़ी तौर पर सूख जाता है. इस बात की जांच के लिये कि आया घास सूख गया या नहीं घास के ढेर में हाथ डाले और अगर हाथ को गर्मी मालूम हो तो समझ लेना चाहिये कि घास अभी अच्छी तरह नहीं सूखा है.

सूखे हुए घास की गंजी लगाने से पहिले छोटे छोटे ढेर जाबजा (उसी मौक़ेपर कि जहां घास काटा गया है) लगा दिये जावें और क़रीब एक महीने तक इन ढेरों में घास दबा रहे. इससे दो फ़ायदे होते हैं:—

अव्वल यह कि घास के दबने से रंग सब्ज़ हो जाता है और जो अशिया मवेशियों को परवरिश देनेवाली होती हैं और जो धूप में पड़े रहने से उड़ जाती हैं वे घासही में रह जाती हैं, और घास में एक अच्छी खुशबू आने लगती है.

दूसरे यह कि अगर कहीं थोड़ासा घास गीला रह जावे तो कुल गंजी खराब नहीं होती. एक महीने के बाद या जब कभी आयन्दा फ़ुर्सत हो तो उसकी गंजी लगा लेनी चाहिये. इस तरीक़ से तैयार की हुई घास को हे (Hay) कहते हैं.

इस तरह से घास की तैयारी में एक बात क़ाबिल ऐतराज़ यह है कि एक तो फूल आने और बीज पकने के दरमियान वक्त बहुत कम होता है. दूसरे यह कि इसी मौसम में खरीफ़ की फ़सल की कटाई का काम भी होता है.

पहिले नुक़्स का कुछ इलाज नहीं है, मगर यह ज़रूर है कि जहांतक मुमकिन हो घास बाद फूल आने के जिसक़द्र जल्द होसके काट लिया जावे. जहां कहीं इस काम के लिये काफ़ी मज़दूर नहीं मिल सकते वहां

ज़मींदारों को चाहिये कि घास काटने की कल को काम में लावें. इस कल से कटाई घास का काम बहुत जल्दी हो सकता है और यह कल जमींदारों के लिये न सिर्फ घास काटने में कारआमद हो सकती बल्कि दीगर खेती के काटने में भी मदद देगी. अगर घास ज़्यादे मिक़दार में जमा करना हो तो घास काटने की कल के साथ एक कटे हुए घास को जमा करने की कल भी काम में लानी चाहिये, वर्ना मामूली जैली जमा करने का काम दे सकता है.

घास को फैलाने की भी एक कल होती है जिसे हे मेकर (Hay maker) कहते हैं. यह घास के सुखाने में काम देती है. यह सब कलें बैलों से चल सकती हैं.

घास दो क़िस्म की होती है, बरसाती और झुंडीदार. बरसाती घास बीज आने पर किसी काम की नहीं रहती, मगर झुंडीदार घास में बीज के बाद भी कुछ माद्दा परवरिश का काफ़ी रह जाता है और इसी माद्दे की वजह से वह कटने के बाद भी फिर फूट आती है.

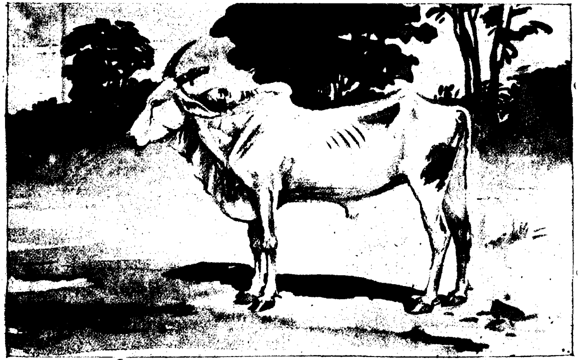
हरे घास को चारे के क़ाबिल रखने की एक और भी तरकीब है. वह यह है कि एक गढ़ा १०, १२ फुट गहरा और जरूरत के मुवाफ़िक़ लम्बा चौड़ा ऐसे मौक़े पर खोदते हैं जहां पानी न घुसे. उसकी पेंदी और किनारा को चिकनी मिट्टी से लेस देते हैं. इस गढ़े में हरा घास खूब दबाकर और तह लगाकर भरते हैं. हर दो या तीन फुट की उंचाई की तह में क़रीब आधा अंगुल नमक छिड़क के बिछा देते हैं और उसके ऊपर फिर घास की तह देते हैं और उसपर नमक छिड़कते हैं जबतक कि गढ़ा ऊपर तक न भर जाय.

गढ़े के भरने में इस बात की एहतयात करते हैं कि सारा गढ़ा इकट्ठा किये हुए घास से एक ही दिन में भर दिया जाय, क्योंकि गढ़ा भरते वक़्त अगर बारिश होजाय तो घास खराब हो जायगा. गढ़ा भरजाने पर उसपर तीन चार फुट ऊंची मिट्टी वज़न के लिये चढ़ा देते हैं और उस चबूतरे को ऐसा ढालू बना देते हैं कि बारिश का पानी बहकर निकल जावे. ऊपर मिट्टी देने का मतलब यह है कि उसके बोझ से गढ़े की हवा बिलकुल निकल जाय. अगर घास पोला भरा है तो इस मिट्टी में दरारें

साल सम्हाल से पाला हुआ बैल ।



बे परवाही से रखा हुआ बैल ।



पड़ेगी. ऐसी हालत में और मिट्टी डाल के गढ़े को भरके अच्छी तरह दबा देना चाहिये.

गढ़ा ऐसे मौके पर बनाया जाय कि जिसके आस पास ऐसा कोई गढ़ा न हो कि जिसका पानी नीचे नीचे गढ़े में चला जाय. यह घास चार पांच महीने दबा रहने के बाद चारे के लायक़ हो जाता है और खोलने पर बिलकुल सब्ज़ निकलता है जो जानवरों की परवरिश के लिये मुफ़ीद होता है.

याद रखना चाहिये कि गढ़े के खोलने पर, जो घास निकलता है उसमें एक क़िस्म की बू आती है जिसकी वजह से जानवर फ़ौरन उसे नहीं खाते, मगर इस बू के वे जल्द आदी हो जाते हैं और इस चारे के खाने से तैयार और तन्दुरुस्त हो जाते हैं.

५. अब हम चारे की उन फ़सलों की बाबत जो उमूमन हिन्दुस्तान के दीगर हिस्सों में काश्त की जाती हैं. मुख़्तसिरन अपने काश्तकारान के फ़ायदे के लिये ज़िक्र करना चाहते हैं. ये फ़सलें उमूमन हस्ब ज़ैल होती हैं:— हिन्दुस्तान में चारे की फसलें.

मौसम रबी में···· ···· ···· ····गाजर व जई.

मौसम खरीफ़ में···· ···· ···· ····चरी (जुआर) व गुआर.

गाजर, जई व जुआर की काश्त की बाबत कोई खास हिदायत देने की जरूरत मालूम नहीं होती क्योंकि यह फ़सल मिस्ल दीगर फ़सल के बलिहाज मौसम काश्त की जाती है. अलबत्ता गाजर के लिये जमीन ज़्यादा खादवाली और ज़्यादा ढीली होनी चाहिये और आबपाशी की जरूरत भी उसको बमुक़ाबले जई के ज़्यादा होती है.

चरी व जुआर हक़ीक़त में एक ही चीज है. सिर्फ़ फ़र्क़ यह है कि जब चारे की गरज से बोई जाती है उस वक़्त चरी कहलाती है और जब नाज की गरज से बोई जाती है तो जुआर. चारे की गरज से जब जुआर बोई जाती है उस वक़्त बहुत घनी बोई जाती है जिसका नतीजा यह होता है

कि पौदे पतले रहते हैं और बाल बहुत छोटी आती है, डंठल मोटा नहीं होता. उमूमन यह फ़सल बाल देने या पकने से पहिले ही काट ली जाती है और इस वजह से चरी बमुक़ाबले कड़बी के जो जुआर के फ़सल से हासिल होती है ज़्यादा ताक़तवर और मवेशियों के लिये ज़्यादा मुफ़ीद होती है. अलावा मुन्दर्जे बाला फ़सलों के और कई क़िस्म की चारे की फ़सलें हैं जिनको अक्सर काश्तकारान जिन्हें घोड़ी पालने या उम्दा क़िस्म के मवेशी रखने का शौक़ होता है. काश्त करते हैं, मस्लन रिजका व गिनी ग्रास. इनकी काश्त का रियासत हाजा में मुतलक़ रिवाज नहीं है और काश्त के तरीक़े से भी हमारे काश्तकारान वाक़िफ़ न होंगे. इसलिये उनकी काश्त के लिये जो हिदायत गवर्नमेन्ट हिन्द की जानिब से बजर्ये ऐग्रीकलचरल जरनल शाया हुई है उसका तर्जुमा हम अपने काश्तकारान के फ़ायदे के लिये यहां देते हैं.

(अ) लूसर्न यानी रिजका.

लूसर्न यानी रिजका का पौदा.

६. लूसर्न पेरिनियल (रिजका) पुरशाख फैलावदार पौदा है जिससे कि लगातार चार या पांच सालों तक सब्ज़ चारे की अच्छी फ़सलें दस्तयाब हो सकती हैं. यह पौदा उमूमन दो फ़ीट के क़रीब ऊंचा होता है और इन्तहा ऊंचाई चार फ़ीट तक हासिल करता है. यह क़द, तरीक़ा काश्त, क़िस्म ज़मीन और मौसम पर मुनहसर होता है.

लूसर्न की क़िस्में.

७. लूसर्न की उमूमन तीन क़िस्में मालूम हैं. पहली घर लूसर्न, दूसरी परशियन लूसर्न, तीसरी लूसर्न की वह क़िस्म जिसकी कि काश्त रिमाउंट डिपो बाबूगढ़ (मेरठ) में होती है. पहली क़िस्म अच्छी ख़्याल नहीं की जाती, क्योंकि इससे जो चारे की फ़सल दस्तयाब होती है वह बलिहाज़ क़िस्म व मिक़दार अदना दर्जे की होती है.

बक़िया दो क़िस्में जोकि एक दूसरे से बलिहाज़ शक्ल, क़द व तरीक़ा बालीदगी में मुशाबह हैं, अच्छी होती हैं.

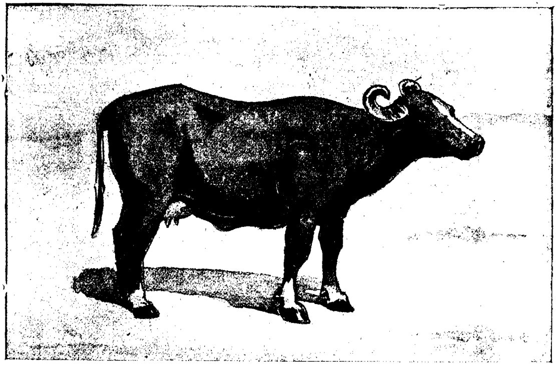
औसत दर्जे की पली हुई गाय।



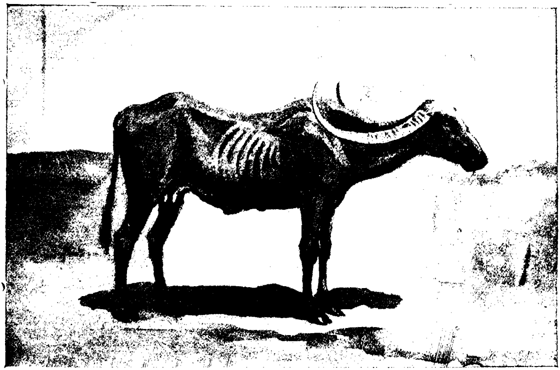
दिल्ली की भैंस।



साल सम्हाल से पाली हुई भैंस।



बे परवाही से रखी हुई भैंस।



८. लूसर्न के बोने का ठीक मौसम मुमालिक मुतहद्दा आगरा व अवध में पंद्रह अक्टूबर से पंद्रह नवम्बर तक ख़्याल किया जाता है; अगरचे मार्च और अप्रेल के शुरू हिस्से में भी बोया जासकता है, लेकिन इस सूरत में कामयाबी की उम्मेद कम रहती है. ज़मीन अच्छी क़िस्म की होनी चाहिये और ऐसे मौक़े पर कि जिससे पानी के निकासी में सहूलियत हो. वह ज़मीन जिसके अन्दर दो हिस्से चिकनी मिट्टी और एक हिस्सा रेत का हो इसके लिये निहायत ही मौज़ूं है, क्योंकि ऐसी ज़मीन पानी देने के बाद सूखने पर सख़्त नहीं होती और अच्छी खाद देने से ज़्यादा ज़रखेज़ भी बनाई जा सकती है. लूसर्न के लिये घोड़े की लीद का खाद निहायत ही अच्छा होता है; लेकिन मवेशी या भेड़ के गोबर का खाद इस्तैमाल नहीं करना चाहिये. लूसर्न के बोने का मौसम व उसके लिये खाद.

लूसर्न की काश्त के लिये जो खेत तजवीज़ हों उनमें सितम्बर के महीने में खाद देदेना चाहिये या बोने से पहिले एक महीना पेश्तर खाद को खेत में फैलाने के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो हल से जुतवा देना चाहिये.

सरदी के मौसम की हर एक फ़सल की कटाई के बाद और गर्मी के हर दूसरी कटाई के बाद खाद देना चाहिये. चूने का इस्तैमाल बतौर खाद के उन सब ज़मीनों पर जिनका कि चारा घोड़े के लिये मख़सूस हो, बहुत ही मुफ़ीद है. रक़ीक़ खाद भी इसके लिये अच्छा होता है. फ़ी एकड़ ज़मीन के लिये औसत मिक़दार खाद की ५०० से ६०० मन तक है. काश्त के लिये ज़मीन का मौज़ूं हिस्सा तजवीज़ करना चाहिये, और ज़मीन को हल से तोड़ने में शुरू बरसात से फ़ायदा उठाना चाहिये. हल कुछ वक़्त के तफ़ावत से कई मर्तबा चलाना ज़रूरी है और ज़मीन को जहां तक मुमकिन होसके घास और दूसरे क़िस्म के कबाड़ से साफ़ कर देना लाज़मी है. तक़रीबन १५ सितम्बर तक ज़मीन पर दस बारह मर्तबा हल चल जाना चाहिये और इसके बाद खेतों पर खाद हमवार फैलाना लाज़िमी है और बाद में उसको हल चला करके जितनी जल्दी होसके खेत में मिला देना चाहिये. जिस वक़्त कि सितम्बर महीने के आख़िर में सब ढेले तोड़कर हमवार कर दिये गये हों खेतों पर रोलर

(Roller) फेरकर मिट्टी को दबा देना चाहिये जिससे कि उसमें नमी क़ायम रहे.

बीज का बोना.

९. जिस ज़मीन पर कि मार्च और अप्रेल में लूसर्न बोना है उसको ठंड के मौसम में जोत देना चाहिये और बेहतर तो यह है कि बरसात में ही कई दफ़ा जुताई हो जाय; लेकिन खाद फ़रवरी से पहिले बोया न जाय. बीज जो कि तीन साल से पुराना न होना चाहिये एक एकड़ ज़मीन के लिये तक़रीबन ६ सेर या १२ पौंड काफ़ी होता है. बीस को रिजेज़ (मेढ़ यानी ऊंचे हिस्से) पर बोना चाहिये और महज़ खेतों में फैला देना ही ठीक नहीं है.

रिजका सिस्टम व उसके फ़ायदे.

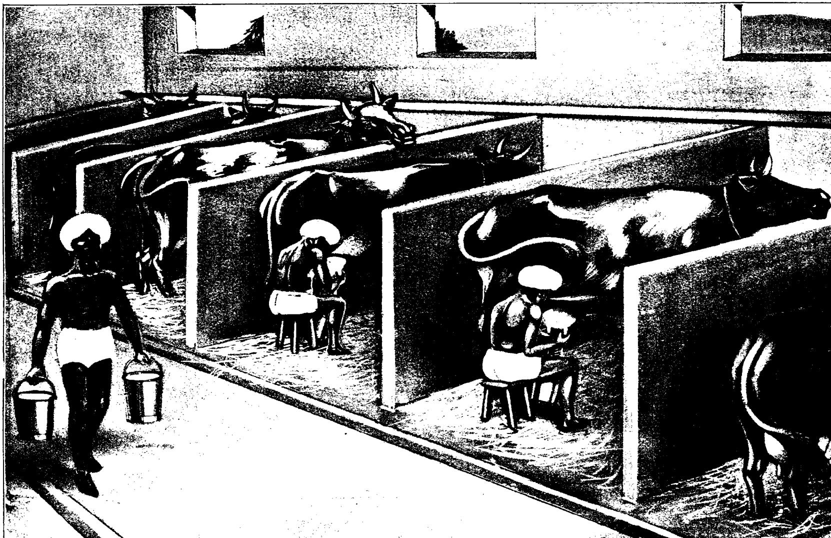
१०. हल से २ फ़ीट के फ़ासले से रिजेज़ तक़रीबन १५ अक्टूबर तक बना लेनी चाहिये और अगर मौसम अब भी गर्म हो तो रिजेज़ को और देर में भी तैयार करने से कोई मुज़ायक़ा नहीं है.

रिजेज़ बनाने में इस बात का लिहाज़ रक्खा जाय कि रिजेज़ हमवार हों और बहुत ज़्यादा ऊंची भी न हों. जिस वक़्त कि रिजेज़ तय्यार होजांय उस वक़्त उनकी हमवार सतह पर तक़रीबन १ इंच गहरा सूराख़ किया जाय और उसके अन्दर बीज हाथ से बो दिया जाय. Instruction farm Babugarh बाबूगढ़ के तजरुबे से यह बात क़तई तौर से साबित हो गई है कि लूसर्न के लिये रिज सिस्टम (Ridge System) बनिस्बत और दूसरे तरीक़ों के बहुत मुफ़ीद है और मुन्दर्जे ज़ैल फ़वायद इस तरीक़ के हक़ में हैं: —

(१) पौदे का तना इर्रिगेशन (आबपाशी) के पानी से अलहदा रहता है और यह इसलिये ज़रूरी है कि कुदरती हालतों में पौदे को बहुत थोड़ी सतह नमी (Surface moisture) की ज़रूरत होती है.

(२) घास कबाड़ बहुत आसानी से निकाला जा सकता है.

(३) बरसात के दिनों में इस तरीक़े से पौदा हमेशा पानी से बच जाता है; क्योंकि यह पानी फ़रोज़ (Furrows) यानी



दुधघर जिसमें दूध दुहा जाता है.

कियारी या कूंडों से निकल जाता है और यह कियारी इस सूरत में नालियों का काम देती है.

(४) बीज कम मिक़दार में ख़र्च होता है.

(५) पौदों के तने व जड़ों के चारों तरफ़ की मिट्टी आसानी से ढीली की जासकती है और किंयारियों (Furrows) में हल चलाकर साफ़ भी रक्खी जासकती है.

गवर्नमेन्ट एक्सपेरिमेंटल फ़ार्म कानपुर (Government Experimental farm Cawnpure) में सन १८९३ ई० से इस बात की तहक़ीक़ात के लिये कि लूसर्न को आया फैलाकर बोना चाहिये या किंयारी की मेंढ़ों पर (On Ridges) या किंयारियों में (In Furrows) तजरुबे किये जा रहे हैं और हर साल सब्ज़ चारे की सब से ज़्यादा मिक़दार बीज को रिजेज़ पर बोने से हासिल हुई है.

ज्योंही कि बीज बो दिया जाय उसमें पानी देना चाहिये क्योंकि बग़ैर आबपाशी के वह ठीक तौर से नहीं उगेगा.

११. किंयारियों में पानी देने से पहिले इस बात की एहतियात रखना ज़रूरी है कि पानी रिजेज़ की चोटियों पर से न निकल जाय और इस तरह बीज को रिजेज़ से बहाकर फ़रोज़ (furrows) में न ले आवे. सरदी के मौसम में यानी नवम्बर से फ़रवरी तक फ़सल को सरसब्ज़ रखने के लिये हफ़्ते में एक मर्तबा पानी देना काफ़ी होगा. लेकिन गर्मी के मौसम में हर तीसरे या चौथे रोज़ पानी देना ज़रूरी है वर्ना पौदे बढ़ने से रुक जावेंगे और कम तादाद में भी पैदा होंगे. बरसात में पानी देने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अगर बारिश ज़्यादा हुई हो और पानी खेत में भर गया हो तो उसको निकाल देना चाहिये. अगर बारिश मुद्दत तक रुकी रहे तो इस सूरत में पानी देना लाज़िमी होगा. किंयारियों में पानी देना.

१२. जब लूसर्न की फ़सल कट जाय और किंयारियों के अन्दर किसी क़िस्म का कबाड़ वग़ैरा हो तो उसको * स्कफलर (Scuffler) चलाकर किंयारियों से कबाड़ का निकालना.

* स्कफलर और रिजिंग प्लाउ बाबूगढ़ फ़ार्म से दस्तयाब हो सकते हैं.

निकाल देना चाहिये जिससे कि साथ ही साथ पौदों के जड़ों के अतराफ़ की मिट्टी भी ढीली हो जायगी.

इसके बाद भी अगर कोई घास कबाड़ बाक़ी रह गया हो तो उसको हाथ से निकाल देना चाहिये और बाद में कियारियों के अन्दर खाद डालकर बजरिये हल उसको मिट्टी के सथ मिला देना चाहिये और अज़सरेनौ नई रिजेज़ रिजिंग प्लाउ से बनाना चाहिये और जिस वक़्त कि लूसर्न की फ़सल काटी जाय उस वक़्त हर मर्तबा यह कुल कार्रवाई दुहरानी चाहिये. अगर कबाड़ इससे पहिले की लूसर्न की फ़सल काटी जाने के लिये तय्यार हो निकल आवे तो उसको खुरपी से नोद देना चाहिये.

लूसर्न का रोग व उसका इलाज.

१३. लूसर्न में एक खास क़िस्म का रोग लग जाता है और बाज़ वक़्त ठंडे कुहरेदार मौसम में तक़रीबन खेत के हर एक पौदे पर ख़ास क़िस्म के छोटे कीड़े चढ़ जाते हैं जोकि मुलायम शाख़ों के रस और बालीदगी में नुमायां ज़रर डालते हैं. इन कीड़ों को आम ज़बान में चेपा कहते हैं और यह राई की फ़सल को बहुत ही मुहलिक होते हैं.

इनका सिर्फ़ इलाज यह है कि ऐसी लूसर्न को जितनी होसके ज़मीन के हमवार काटा जावे और दूर लेजा करके सुखाने के बाद जला दिया जाय और खेत में चूना राख मिलाकर डाला जाय.

चूंकि अदना क़िस्म के चूने में जो कि बाज़ारों में मिलता है उमूमन काफ़ी मिक़दार राख की मौजूद रहती है. इसलिये इसमें बग़ैर मज़ीद राख मिलाये ठीक काम निकल सकता है.

आकाशबेल लूसर्न को नुक़्सान पहुंचाती है.

१४. लूसर्न को दूसरे क़िस्म का नुक़्सान आकाशबेल से होता है जो कि एक पीले रंग की बेल है. इसमें पत्तियां नहीं होतीं और इसका कोई ज़ाहिरा ताल्लुक़ ज़मीन से मालूम नहीं होता. यह बेल अक्सर बड़े दरख़्तों पर पाई जाती है जिनसे वह अपनी ग़िज़ा हासिल करती है और आख़िरकार उनको ज़ाया कर देती है. जिस वक़्त लूसर्न के खेत में यह बेल नज़र आवे उन सब पौदों को जिन पर कि वह छाई हो ज़मीन के हमवार काट देना चाहिये और इस घास को मय इस मुहलिक बेल के हर एक जुज़ के

खेत से बाहर लेजाकर जला देना चाहिये. अगर इस बेल का ज़रासा हिस्सा बाक़ी रह जायगा तो वह नुक़्सान पहुंचावेगा और बाइस सख़्त ज़रर होगा.

१५. लूसर्न को जिस वक्त उसमें थोड़े से फूल निकल आवें काटकर खिलाना चाहिये क्योंकि अगर इसपर बहुत फूल आय और पकने की मोहलत दी जावेगी तो वह सख़्त हो जायगी और हज़्म नहीं हो सकेगी. अगर ठीक इन्तज़ाम किया जाय तो लूसर्न मुमालिक मुतहद्दा में क़रीबन एक साल में आठ फ़सल दे सकती है और औसत पैदावार सब्ज़ चारे की फ़ी एकड़ तीस टन सालाना होती है.

थोड़े से फूल निकल आने पर लूसर्न को काटकर खिलाना चाहिये. एक साल में रिजका की फ़सलें आठ हो सकती हैं.

१६. जब लूसर्न के बीज की ज़रूरत हो तो फ़रवरी महीने के आख़िर में खेत काटने के बाद या और कुछ देर से इसे बढ़ने देना चाहिये, बीज आने तक और जब बीज पक जावे यानी फलियां पीली पड़ जावें लेकिन उनमें कुछ नमी बाक़ी रहे उस वक़्त उसको काटना चाहिये और एक साफ़ जगह में लेजाकर सुखाने के बाद बीजों को कूट करके निकाल लेना चाहिये. बीज के लिये लूसर्न का एक खेत ऐसा तजवीज़ करना चाहिये जोकि एक साल से तीन साल के दरमियान का पुराना हो क्योंकि इसी वक़्त में यह बहुत अच्छी हालत में होता है. मुवाफ़िक़ हालत में औसत पैदायश लूसर्न के बीज की तक़रीबन तीन मन फ़ी एकड़ सालाना होती है.

बीज लेने का वक़्त व उसका तरीक़ा.

१७. लूसर्न की मिक़दार जोकि घोड़ों को देनी चाहिये मुख़्तलिफ़ हालतों में मुख़्तलिफ़ होती है. सब्ज़ हालत में इसको ख़ालिस और ज़्यादा मिक़दार में नहीं देनी चाहिये. ख़ासकर ऐसे जानवरों को जिनको कि पहिले मर्तबा इसका खाना सिखलाया गया हो.

लूसर्न का जानवरों को खिलाना.

अगर इसको आध आध इंच के टुकड़े करके हे (Hay) के साथ मिलाकर बतौर भूसी के दिया जाय तो यह घोड़े के लिये बहुत ही उम्दा खुराक बन जाती है. आम इस्तेमाल के लिये एक हिस्सा अच्छी हे (Hay) का और दो हिस्सा सब्ज़ लूसर्न का लेना चाहिये और गर्मी के लिये जब

कि सब्ज़ घास कम मिलती है उस वक्त एक हिस्सा हे का और तीन हिस्सा लूसर्न का मिलाकर देना चाहिये.

बाबूगढ़ डिपो के तजरुबे से यह ज़ाहिर है कि सब्ज़ लूसर्न की आठ से बीस पौंड तक फ़ी घोड़ा खुराक है अलावा बीस और चालीस पौंड तक हरी दूब के.

मरीज़ जानवरों के लिये लूसर्न एक उम्दा खुराक है और औसत मिक़दार में साबित या टुकड़े करके दी जासकती है. लूसर्न उसी मिक़दार में काटनी चाहिये जो एक दिन में सर्फ़ हो जावे और ढेर बनाकर न रखनी चाहिये और न पिंडली में नाथनी चाहिये; क्योंकि अगर ऐसा किया जावेगा तो वह थोड़ी ही देर में ख़ासकर बरसात के मौसम में सड़ जावेगी.

(ब) गिनी ग्रास.

गिनीग्रास.

१८. गिनी ग्रास उन सारे पौदों में जो चारे के काम में लाये जाते हैं सब से क़ीमती मालूम होता है. चारे की दूसरे क़िस्म की घासों में और इसमें इतना फ़र्क़ है कि यह एक साल की बालीदगी के बाद ज़ाया नहीं होजाती और अगर इसकी ठीक ठीक दाश्त की जावे और निगरानी रक्खी जावे तो कई साल तक क़ायम रहती है. इसी वजह से इसकी जड़ें बनिस्बत ज्वार, सरसों, बाजरा वग़ैरा की जड़ों से ज़्यादा गहरी जाती हैं और पानी की कम ज़रूरत पड़ती है. यह घास तर ज़मीन पर बहुत अच्छी होती है और नहरों व पानी के रास्तों के किनारों पर बहुत अफ़ज़ायश के साथ होती है.

बोने का वक्त.

१९. इसके बोने का वक्त़ बैसाख और जेठ में होता है यानी मई और जून के महीनों में. बोने का तरीक़ा यह है कि बीज को इन महीनों में (Flower pot) घमलों में बोना चाहिये और जब पौदे क़रीब दो इंच ऊंचे हो जावें उस वक्त़ उनको खेत में बदल देना चाहिये. ज़मीन यानी खेत जो इसके बोने के लिये तजवीज़ किए जावें उनपर अच्छी तरह से हल चलाना चाहिये या खोदना चाहिये और अगर मुमकिन हो तो खाद भी दे देना चाहिये ये खेत ऐसेहोने चाहिये कि जिनमें अगर ज़रूरत

पड़े तो पानी दिया जासके. पौदे खेतों में बारिश के वक़्त बदलना चाहिये और सीधी क़तारों में जोकि एक दूसरे से दो फ़ीट के फ़ासले पर हों लगाने चाहिये और हर क़तार में भी पौदे एक दूसरे से दो फ़ीट के फ़ासले पर होना चाहिये ताकि हर एक पौदे के अतराफ़ में ठीक दो फ़ीट की जगह ख़ाली रहे.

२०. पौदे बहुत जल्दी उगते हैं, डेढ़ से दो फ़ीट तक के वतर में फल जाते हैं. पत्तियां और डंठल ज़मीन से ६ इंच की ऊंचाई तक काटी जा सकती हैं. जब पौदे ३ फ़ीट ऊंचे हो जाते हैं तो बहुत जल्द अज़सरेनौ नई फ़सल उग आती है. कटाई.

२१. अक्टूबर और जून के महीनों के दरमियान में जबकि पौदों के सूखने के आसार दिखाई दें पानी देना चाहिये, लेकिन पहिले साल के बाद पानी देने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. पानी देना.

२२. यह ज़रूरी है कि हर एक कटाई के बाद पौदों के दरमियान की मिट्टी को या तो खोदकर या देशी हल चलाकर जुम्बिश दीजाय. जबकि जड़ें अठारह इंच से ज़्यादा लम्बी होकर एक दूसरे में गुथने लगें तो फावड़े से तीन या चार हिस्सों में अलहदा कर देना चाहिये और ज़मीन के अन्दर सिर्फ़ एक जड़ बाक़ी रहने देना चाहिये. अगर जड़ें मौसम बरसात में इस तरह काटी जावें तो इन पेड़ों को दूसरे खेत में लगाया जा सकता है. बन्द की कार्रवाई.

२३. अगर मुमकिन होसके तो कभी कभी खाद पौदे की जड़ में देना चाहिये. खाद.

२४. एक मर्तबा की कटाई में कम से कम फ़ी एकड़ १८० मन सब्ज़ चारा निकलेगा. सुपरिन्टेन्डेन्ट सिविल वेटरनरी डिपार्टमेंट ने अपनी डिपार्टमेंटल रिपोर्ट बाबत सन १८९५ व १८९६ ई. रेविन्यू सेक्शन में मुन्दर्जे ज़ैल राय ज़ाहिर की है:– उपज या पैदायश.

"४ एकड़ ज़मीन में गिनी ग्रास की काश्त की गई थी पैदायश बहुत अच्छी हुई; यानी ३३० मन २३ सेर घास निकला.

यह बहुत ही आला दर्जे का चारा है जिसको घोड़े बहुत ही पसंद करते हैं. हमारे यहां इसको टुकड़े करके लूसर्न और हे (Hay) के साथ मिलाकर दिया गया था. ”

बाब ११.

हक़ूक़ जंगलात.

बाब ग्यारहवां.

हक़ूक़ जंगलात.

१. दरबार मुअल्ला ने ब नज़र परवरिश व बहबूदी रिआया यह इन्तज़ाम फ़रमाया है कि जो मवाज़िआत रिज़र्व्ड फ़ारेस्ट के क़ुर्ब जवार में हैं उनको काश्तकारी और अपनी इमारती ज़रूरियात के पूरा करने के लिये रिज़र्व्ड व प्रोटेक्टेड जंगलों से लकड़ी व दीगर पैदावार बमूजिब क़वाअद जंगलात बिला क़ीमत मिलने का इन्तज़ाम किया है. इस लकड़ी व दीगर पैदावार के हासिल करने के लिये जो क़वाअद क़ानून जंगल बनाये गये हैं वे वास्ते आगाही ज़मींदारान क़ानून जंगल से यहां नक़ल किये जाते हैं. काश्तकारी व इमारती ज़रूरियात के लिये रिज़र्व्ड व प्रोटेक्टेड जंगलों से लकड़ी व दीगर पैदावार का ज़मींदारान को दिया जाना.

मुताल्लिक़ प्रोटेक्टेड जंगल.

२. दरख़्तान ख़ुदरौ मौजूदा जंगल में से जो दरख़्त कामीदा ख़्वाह ब लिहाज़ लकड़ी या किसी दीगर पैदावार के जो उनसे हासिल होती हो रिज़र्व दरख़्त क़रार दिये गये हैं. हक़ूक़ मुताल्लिक़े प्रोटेक्टेड जंगल.

ज़मींदारान व काश्तकारान को ऐसे जंगलों में से हस्ब ज़ैल लकड़ी मिलेगी: — दफ़ा २८ क़ानून जंगलात.

[अ] अपने ज़रूरत के लायक़ लकड़ी के लिये जुम्ला दरख़्त ख़्वाह सब्ज़, ख़्वाह ख़ुश्क, सिवाय उनके जो बमूजिब दफ़ा २६ (अ) के रिज़र्व क़रार दिये हों काट सकेंगे और दरसूरत ख़ुश्क हो जाने के रिज़र्व दरख़्त भी अपने काम में ला सकेंगे.

[क] काश्त हस्ब ज़रूरत जंगल मज़कूर में अपने साबिक़ काश्त के सिलसिले में बिला रोक टोक बढ़ा सकेंगे. मुतफ़र्रिक़ छोटे २ टुकड़े जंगल में काश्त करने की इजाज़त न दी जावेगी जब तक मौजूदा काश्त से मिला हुआ क़ाबिल ज़राअत कुल रक़बा काश्त में न आजावे.

[ख] अपनी ज़रूरत के लिये लकड़ी, घास, झांकड़, पत्ते, बक्कल, पत्थर और इसी क़िस्म की ज़रूरत की चीज़ें जंगल से ला सकेंगे, मगर उनके काटने व जमा करने में जो पाबन्दी क़वाअद मुताल्लिक़े रिज़र्व जंगल में बतलाई गई है इन जंगलों से भी लागू होगी.

मुताल्लिक़ रिज़र्व्ड जंगल.

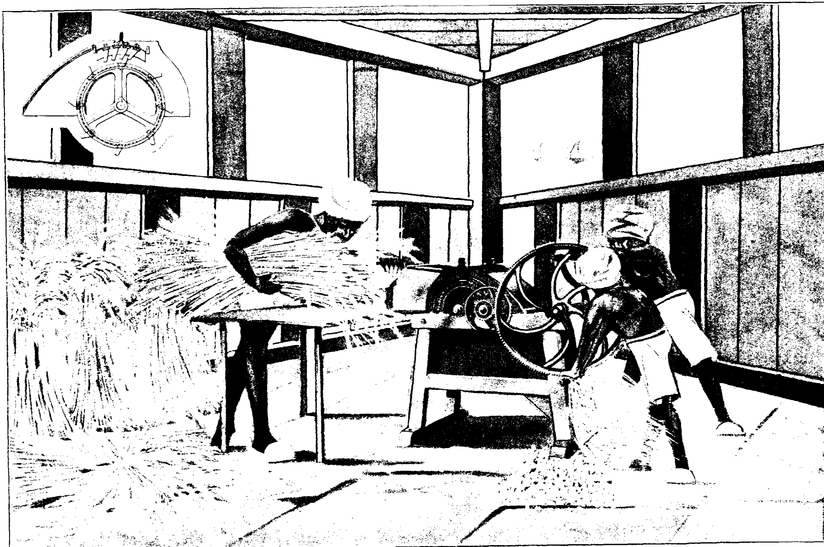
हक़ूक़ मुताल्लिक़े रिज़र्व्ड जंगल व क़वाअद चराई मवेशियान.

३. क़वाअद चराई मवेशियान ज़ेर दफ़ा १७.

[ग] क़ानून जंगलात

(१) जंगल के हक़दार मवाज़िआत को अपनी मवेशी जंगलात सरकारी में चराने की इजाज़त रहेगी और उनसे चराई व शरह मुन्दर्जे फ़ेहरिस्त मुनसलिका वसूल की जावेगी.

(२) हर मौज़ा की मवेशी जिसकी चराई का हक़ है जौलाई या अगस्ट में शुमार की जायगी. शुमारी पटवारी, फ़ारेस्टर या रेंजर या सब-रेंजर मिलकर किया करेंगे. शुमारी की फ़ेहरिस्त पर पटवारी या फ़ारेस्टर गांव के नम्बरदार के दस्तख़त कराकर १५ तारीख़ सितम्बर तक मुरत्तिब करके भेजा करेंगे, फ़ेहरिस्त नमूने ज़ैल पर तय्यार की जायगी:—



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH

फ़ेहरिस्त मवेशियान मवाज़िआत हक़दार.

नाम अशखास मय पते के.	रक्बा जो काश्त किया जाता है.	लगान जो लिया जाता है.	तादाद मवेशी.									कैफ़ियत.
			गाय.	बैल.	भैंस.	भैंसे.	बकरी.	भेड़.	टट्टू घोड़े.	खच्चर.	गधा.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३

(३) गाय और काश्तकारी के बैल और सवारी के घोड़े व बचे कशी की घोड़ियों पर कोई फ़ीस चराई नहीं ली जावेगी, और जुम्ला जानवरों के दूध पीनेवाले बचे महसूल चराई से माफ़ रहेंगे.

काश्तकारों को हर १०) के लगान पर और ज़मींदारों को उनकी सीर के तख़मीनी लगान पर इसी हिसाब से एक भैंस महसूल चराई से माफ़ रहेगी. यह रिआयत पाही काश्त पर भी दी जायगी, बशर्ते कि ऐसी काश्त किसी मौज़े हक़दार में हो.

(४) रेंज आफ़िसर फ़ेहरिस्त शुमार (फ़ार्म नं. २४) मुताबिक़ चराई के पास (फ़ार्म नं. २२ क) तय्यार करके हर ज़मींदार को या काश्तकार को तक़सीम कर देगा. ये कुल पास अख़ीर सितम्बर तक तक़सीम हो जाने चाहियें.

(५) जो मवेशी क़ायदे नंबर ३ के मुताबिक़ मुफ़्त चरेंगे उनको ज़र्द रंग के पास फ़ार्म नंबर ३३ (क) दिये जायेंगे और महसूली जानवरों के लिये सब्ज़ रंग के.

(६) फ़ीस चराई उमूमन पास इजरा करने से पेश्तर वसूल करली जायगी, मगर जो काश्तकार उस वक़्त अदा न करसके उससे ऐनमाल के तौज़ी के वक़्त तक वसूल की जायगी.

(७) जंगल के वे हिस्से जो चराई के लिये बन्द किये जायेंगे वे ज़मींदारान व काश्तकारान को बतला दिये जायेंगे और उसकी तफ़सील पास के पुश्त पर कर दी जावेगी और चरवाहे ऐसे टुकड़ों पर मवेशी ले जाने के मजाज़ न होंगे.

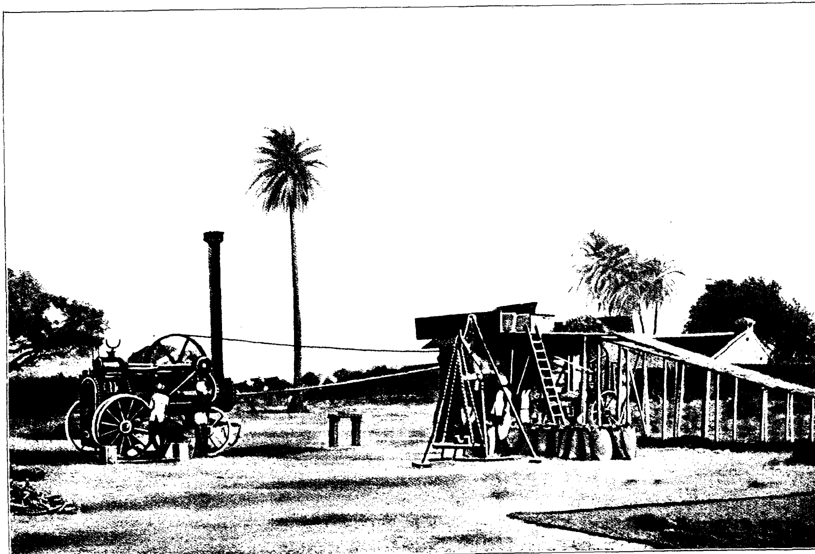
(८) नम्बरदार उस रुपया पर जो उसकी मार्फ़त वक़्तन् फ़वक़्तन् जमा हो पांच रुपये सैकड़ा कमीशन वक़्त दाख़ल करने रुपये के पाने का मुस्तहक़ होगा.

(९) चराई का महसूल जो मालगुज़ारी के क़िस्त तक वसूल न हो वह बक़ाया मौज़ा मज़कूर का समझा जायगा और बतौर बक़ाया मालगुज़ारी के आसामी से वसूल किया जायगा.

(१०) क़हत के साल में हस्बुल हुक्म दरबार इन क़वाअद की पाबन्दी जैसा कि मौक़ा होगा कुलअन या जुज़अन की जावेगी या बिलकुल न की जावेगी.

(११) किसी जंगल में चराई के लिये मवेशी लाई जांय तो उनकी तादाद इतनी होवे कि जो उस जंगल में चर सके. तादाद का शुमार एक जानवर के लिये दो बीघा के हिसाब से जंगल का रक़बा जितना हो उस पर कर लिया जावे. उस से ज़्यादा मवेशी न लाये जावें.

(१२) किसी जंगल के ½ रक़बे से ज़्यादा रक़बा किसी वक़्त में बन्द न किया जायगा.



MARSHALL, SONS & CO., LTD, GAINSBOROUGH, ENGLAND.

(१३) खुले हुए रक़बे में से कन्सरवेटर साहब को इख़्तियार होगा कि ⅓ तक बरसात में बंद करदें और इस बन्द टुकड़े पर से ज़मींदारान को विला अदाय किसी फ़ीस के अपने ज़रूरत के मुवाफ़िक़ घांस काटने का इख़्तियार होगा. बरसात में बन्द टुकड़ों की बाबत ज़मींदारान हुक्म की पाबन्दी न करें तो मुन्दर्जे बाला रिआयत से एक साल के लिये महरूम किये जासकते हैं.

(१४) दस्तूरुल अमल चराई के फ़ीस का सरकार ने क़ानून जंगलात में मुक़र्रर किया है, और उसमें जब कोई रद्दो बदल होती है तो सरकार उसे मुश्तहर करती है. चुनांचे जो शरह जिस वक़्त में मुक़र्रर हो उसकी पाबन्दी वाजिब होगी.

४. क़वाअद वास्ते दिये जाने लकड़ी माफ़ी वास्ते ज़राअती व इमारती कामों के जमींदारान को ज़ेर दफ़ा १७(घ) क़ानून जंगलात:— क़वाअद वास्ते दिये जाने लकड़ी माफ़ी, वास्ते ज़राअती व इमारती कामों के ज़मींदारान को.

(१) जिन जिन मवाज़िआत का जिस जिस जंगल से लकड़ी पाने का हक़ व वक़्त तहक़ीक़ात तसलीम किया गया हो उनको फ़र्द हुक़ूक़ के मुताबिक़ लकड़ी मतलूबा जंगल मज़कूर से हासिल करने का इख़्तियार होगा मगर उसके हुसूल में हस्ब ज़ैल पाबन्दी आयद हाल होगी:—

[अ] लकड़ी सिर्फ़ उस हिस्से जंगल से काटी जावेगी जो बमूजिब वर्किंग प्लान या दरसूरत अदम मौजूदगी वर्किंग प्लान कन्सरवेटर साहब ने उस साल की कटाई के लिये तजवीज़ किया हो.

[क] कटाई लकड़ी में मौसम व तरीक़ कटाई की पाबन्दी लाज़िमी होगी.

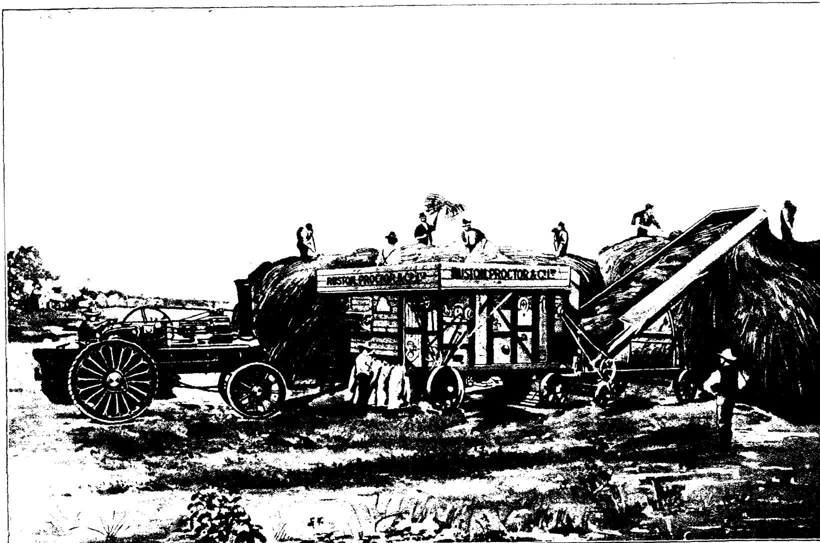
(२) हर साल हर ब्लाक में एक टुकड़ा जिसका रक़बा कुल रक़बे जंगल [illegible]. से ज़्यादा न होगा मुक़र्रर करके कटाई के लिये तजवीज़ किया जायगा और वर वक़्त पेश होने इन्डेन्ट के उसकी इत्तिला ज़मींदारान को डिवीज़नल ऑफ़िसर व रेंज ऑफ़िसरान या उनके मातहत फ़ारेस्टर देदिया करेंगे.

(३) महुवे के दरख़्त के काटने की इजाज़त किसी हालत में न होगी. सागोन के जंगलों के अलावा और जंगलों से मौजूदा दरख़्तान में से हर क़िस्म के दरख़्त काटने का इख़्तियार हक़दारान को रहेगा. सिर्फ़ उन दरख़्तान के काटने की मुमानियत होगी जिनपर महकमे जंगलात के ऑफ़िसरान ने पेश्तर से न काटेजाने के लिये निशान कर दिया हो, या बज़रिये इश्तहार आम व ख़ास को इत्तला देदी हो. ये दरख़्त जो न काटे जावेंगे उमूमन उम्दा क़िस्म के सीधे और अच्छे होंगे जो आयन्दा बढ़ने के लिये या आयन्दा पैदायश की ग़रज़ से बीज मुहय्या करने के लिये या किसी दीगर क़ीमती पैदावार के हासिल करने के लिये तजवीज़ किये गये हों. ऐसे दरख़्तों की तादाद फ़ी बीघा १५ से ज़्यादा न होगी.

(४) सागोन के जंगलों में जिनमें ज़्यादातर दरख़्त सागोन के होते हैं और उनके अलावा दीगर क़िस्म के दरख़्तान बहुत कम होते हैं और बिला सागोन के ज़मींदारान की ज़रूरियात उन जंगलों से पूरी नहीं हो सकती तो सिर्फ़ सागोन की लकड़ी के बाबत चौथाई क़ीमत मुताबिक़ दस्तूरुल अमल मंज़ूरशुदा वसूल करने पर लकड़ी ज़मींदारान को दी जावेगी, मगर ऐसी सूरत में कटाई का ज़िम्मेदार महकमा जंगल होगा.

(५) लकड़ी काटने का मौसम माह अक्टूबर से आख़िर अप्रेल तक रहेगा.

नोटः—इस मौसम में दरख़्तान की बढ़त बन्द होती है और ज़्यादातर उनकी परवरिश देनेवाली अशियाय ठूंठ व जड़ों में जमा रहती है. लकड़ी में



RUSTON, PROCTOR & CO. LTD. LINCOLN, ENGLAND.

इंग्लिस्तान में नाज का चूटना.

रस बहुत कम रहता है, इस वजह से इस मौसम की कटी हुई लकड़ी में कीड़ा बहुत कम लगता है. और कटे हुए दरख़्त के ठूंठ से कल्ले मज़बूत और अच्छे निकलते हैं. मौसम बाहर में दरख़्तान की लकड़ी रस से भरी हुई होती है और जल्द कीड़े वग़ैरा से सड़जाती है और ठूंठ में रस न रहने की वजह से कल्लों की पैदायश अच्छी नहीं होती है. मुन्दर्जे बाला वजूहात से सिर्फ़ ख़ास २ सूरत में मौसम के ख़िलाफ़ इजाज़त दी जावेगी.

(६) हर दरख़्त ज़मींदोज़ काटा जावेगा सिवाय उस सूरत के जबकि मुटाई ३ फुट से ज़्यादा हो. ऐसी हालत में ठूंठ ज़मीन से ६ इंच से ज़्यादा ऊंचा न होगा. ठूंठ का तराश साफ़ होना चाहिये और काटते वक़्त ठूंठ का बक़ल लकड़ी से जुदा न हो और शक्ल ऐसी हो कि जिससे पानी सतह ठूंठ पर जमा न रह सके. दरख़्त की शक्ल और तराश का तरीक़ा तसवीर से मालूम होगा जो इस किताब में दी है.

(७) लकड़ी मतलूबा के लिये ज़मींदारान को इन्डेन्ट तहरीरी या ज़बानी उन ऑफ़िसरान में से किसी के रूबरू जिनके नाम क़ानून जंगलात में मुंदरिज हैं माह सितम्बर से आख़िर नवम्बर तक कुल मौज़े की जानिब से पेश करना चाहिये. अगर ज़बानी पेश हो तो इन्डेन्ट के फ़ार्म में उसकी ख़ाना पूरी ऑफ़िसर मज़कूर कर लिया करे. अगर तहरीरी पेश हो तो इन्डेन्ट फ़ार्म नं० २५ के मुताबिक़ होना चाहिये. इन्डेन्ट की जांच रेंज ऑफ़िस से होकर इन्डेन्ट कुनिन्दा को पास, माफ़ी (फ़ार्म नं० २३ ख) देकर जिस टुकड़े से व जिस जंगल से लकड़ी काटना है उसको हिदायत देना चाहिये और दूसरा पर्त फ़ारेस्ट गार्ड के पास तामील के लिये भेजदेना चाहिये. फ़ारेस्ट गार्ड को पास के वसूल होते ही फ़ौरन लकड़ी काटने की इजाज़त देना चाहिये. जिसक़दर लकड़ी आख़िर माह अप्रेल तक माह ब माह इस तरह पर निकासी हो उसके इंदराज अपने रेंज के माफ़ी रजिस्टर में किया करें, और उसकी नक़ल अपने

ऑफ़िसर बाला को भेजता रहे. जिन पासों की लकड़ी निकासी न हो उनको शुरू माह मई में वापिस बज़रिये रिपोर्ट के भेज देवें.

नोट—रेंज ऑफ़िसर को ख़्याल रहे कि पास देने में देरी न हो और पास ब वक़्त दौरा अपने हमराह रक्खे और मौक़े पर दिया करे.

(८) चूंकि मकानात के मरम्मत की ज़रूरत साल ब साल नहीं हुआ करती है, इसलिये हक़दारान को इख़्तियार है कि अगर उन्होंने पिछले सालों में हक़ मंजूरशुदा की पूरी मिक़दार हासिल नहीं की है तो पिछले दो साल का बक़ाया साल रवां में शामिल करके कुल मिक़दार हासिल कर सकते हैं.

(९) ख़ास २ ज़रूरतों में, मस्लन आतिशज़दगी या किसी ऐसे ही और आफ़त नागहानी की हालत में हक़दारान अलावा मौसम मुक़र्ररा के दीगर औक़ात पर भी लकड़ी तलब कर सकते हैं, और डिवीज़नल ऑफ़िसर का फ़र्ज़ होगा कि ऐसी सूरत में लकड़ी दिये जाने का फ़ौरन इन्तज़ाम करा देवें. रेंजर का फ़र्ज़ होगा कि जब उसको ब वक़्त दौरा किसी गांव हक़दार में आतिशज़दगी की इत्तला मिले तो उसकी बाबत फ़ौरन इत्तला अपने ऑफ़िसर बाला को भेजकर हुक्म हासिल करे, ताकि ऐसे इन्डेन्ट की कार्रवाई में वक़्त फ़ज़ूल ज़ाया न हो. आग के नुक़्सान की सूरत में अगर कोई मौज़ा अपनी पूरी मिक़दार लकड़ी हासिल कर चुका हो तो भी उसे लकड़ी दी जावे, और मिक़दार मज़कूर साल आयन्दा के हिसाब में मुजरा की जावे.

(१०) अगर इत्तफ़ाक़न गाड़ी या हल या निवान जंगल के क़रीब में शिकस्त हो जावे तो उस वक़्त की ज़रूरत पूरी करने के लिये लकड़ी मतलूबा ब ग़रज़ मरम्मत क़रीब के जंगल से काश्तकारान काट सकते हैं और मौक़े पर ही मरम्मत करके



RUSTON, PROCTOR & CO., LTD. LINCOLN, ENGLAND.

संयुक्त राज्य में काम करने के लिये जाने यन्त्रों की तसवीर

अपनी कार बरारी कर सकते हैं. मगर किसी शख़्स को इस बहाने से लकड़ी काटकर अपने मकान पर ले जाने का हक़ न रहेगा.

नोटः—उन दरख़्तों की लकड़ी जिनका काटना मना है वह इससे मुस्तसना है.

(११) जो लकड़ी हक़दारान को ज़ेर क़वाअद मुन्दर्जे सदर अता हुई हो उसको सिवाय हक़दार के किसी दूसरे को न दे सकेगा.

(१२) कन्सरवेटर साहब बशर्ते गुंजायश व सिफ़ारिश सूबे साहब ख़ास २ सूरत में ग़ैर हक़दार मवाज़ियात के बाशिंदों को लकड़ी मुफ़्त या दर सूरत सागोन ¾ क़ीमत पर दे सकते हैं, बशर्ते कि उसकी क़ीमत फ़ी आसामी १०) और फ़ी मौज़ा ५००) रुपया से ज़्यादा न हो. अगर ५००) रुपया से ज़्यादा क़ीमत की लकड़ी मुफ़्त देने की ज़रूरत हो तो कन्सरवेटर साहब को चाहिये कि १०००) तक रेविन्यू मिनिस्टर साहब से और अगर इससे ज़्यादा क़ीमत की लकड़ी दरकार हो तो ब तवस्सुत रेविन्यू मिनिस्टर साहब दरबार में गुज़ारिश करके मंज़ूरी हासिल करें.

(१३) सूबे साहबान ऐसी सिफ़ारिश सिर्फ़ ज़ैल की सूरत में किया करेंगेः—

[अ] ब वजह आतिशज़दगी किसी गांव को ऐसा नुक़सान पहुंचा हो कि जिससे बिला इम्दाद लकड़ी वीरान हो जाने का अन्देशा हो.

[क] या जब कोई नया मौज़ा आबादी की तरक़्क़ी की ग़रज़ से आबाद किया गया हो.

(१४) जो मवाज़ियात हक़दार क़रार नहीं दिये गये हैं उनको लकड़ी काश्तकारी काम के लिये एक रिआयती निर्ख़ से दी जावेगी, जिसका ऐलान वक़्तन् फ़वक़्तन् किया जावेगा.

(क) जमींदारान को मकान छाने या मकानात या चाहात की तामीर के लिये मिस्ल दीगर पैदावार जंगल के एक मुक़र्ररा तादाद पत्थर की मुफ़्त निकासी की इजाज़त कन्सरवेटर साहब दे सकते हैं.

(१५) सिवाय मुन्दर्जे ज़ैल दरख़्तान के और किसी दरख़्त के पत्ते बाड़ के लिये व टोप के लिये न तोड़े जावेंगेः--

झड़बेरी, मकोई, घोटशमी यानी छोंकर, खैर, रेंवजा, छोला.

(१६) दरख़्तान की चोटी किसी हालत में नहीं काटी जावेगी. सिर्फ़ किनारे की शाखें इस काम के लिये तराशी जावेंगी.

(१७) दरख़्त की कुल उंचाई के $\frac{2}{3}$ हिस्से की शाखें काटी जा सकती हैं और $\frac{1}{3}$ हिस्सा ऊपर का बिलकुल सालिम रहना चाहिये.

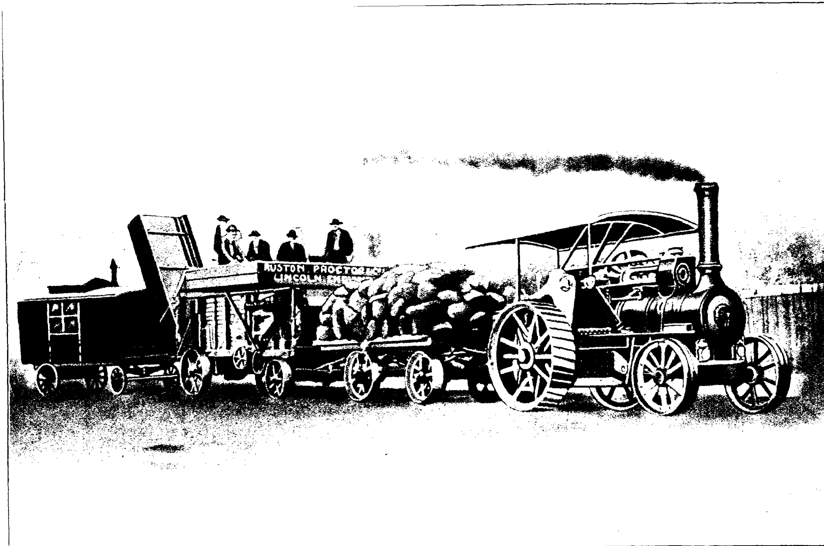
(१८) कोई शाख जिसकी मुटाई ६ इंच से ज़्यादा हो न काटी जावेगी.

(१९) पत्ते की जब ज़रूरत हो तो सिर्फ़ पत्ते ही मय डंठल के तोड़े जावेंगे कोई शाख नहीं काटी जावेगी.

झोंपड़ी बनाने के लिये सागोन के पत्ते तोड़ सकते हैं, मगर पत्तियों के तोड़ने व जमा करने में उनको शाख न काटना चाहिये और चोटी के पत्ते भी न तोड़ने चाहिये.

लकड़ी को काटकर वक़्त पर बाड़े में जमा करना.

५. जमींदारान जो लकड़ी अपनी ज़रूरियात के लिये बमूजिब क़लम ४ बाब हाज़ा जंगल से काट लावेंगे उसको व नीज़ उसको जो गांव की चरागाह से और अपने अपने खेतों की मेंड़ों वग़ैरा से फ़राहम कर सकें गोदाम में हिफ़ाज़त से रक्खा करें जो खास इस काम के लिये बनाया हो, ताकि वक़्त पर काम आवे. घरों में लकड़ी रखने में आग लगने का खतरा है. अक्सर ऐसा होता है कि कोई दरख़्त सूख जाता है या काटने के क़ाबिल हो जाता है तो उस वक़्त उसकी बेग़ौरी की जाती है. नतीजा उसका यह होता है कि



RUSTON, PROCTOR & CO., LTD. LINCOLN, ENGLAND.

न्यूझीलेन्ड मुल्क में नाज चूटने के लिये जाने वालों की तसवीर.

उस दरख़्त की लकड़ी ऊपर की ऊपर दूसरे ही कामों में खर्च हो जाती है या हाथ से मुफ़्त जाती है. इसलिये इसका ख़्याल रखना चाहिये. इसी तरह उनको जो हिस्सा जंगल का लकड़ी काटने के लिये बतलाया जावेगा और जो दिन मुक़र्रर किये जावेंगे उसमें और उस मुक़र्ररा मियाद में कारवाई कर लेनी चाहिये.

६. जंगलों में आग न लगने पावे, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिये क्योंकि जब आग लगती है तो कई तरह से नुक़सान होता है जैसेः— जंगलों में आग लग जाने के नुक़सान व क़वाअद वास्ते हिफ़ाज़त आग.

[क] जब चारा और पत्ती जो मौजूद होती है जल जाती है तो उसके बहुतसे खाद के अजज़ा उड़ जाते हैं.

[ख] छोटे २ पौदे जल जाते हैं और आग की लपट से बड़े दरख़्तों की शाखें झुलस जाती हैं.

[ग] आग के नुक़सान से बचाने के लिये हस्ब जैल क़ायदे क़ानून जंगलात में जेर दफ़ा १७ (क) व (ख) तजवीज़ किये गये हैं.

(१) किसी शख़्स को रिज़र्व जंगल के अन्दर जिसकी आग से हिफ़ाज़त की गई है सिवाय उन मुक़ामात के जिनकी इजाज़त तहरीरी डिवीज़नल आफिसर साहब ने दी हो, आग सुलगाना या जलती हुई आग को ले जाने की इजाज़त न होगी.

(२) किसी शख़्स को रिज़र्व मज़कूर के अन्दर हुक्का पानी या सिगरेट या सिगार या बीड़ी पीने की इजाज़त न होगी सिवाय सड़कों या पब्लिक रास्तों के जिनके किनारे आग लाईन जलाई गई हो.

(३) अक्टूबर से मार्च तक रिज़र्व जंगल के हुदूद से मिला हुआ कोई रूंध या जंगल हो तो उसमें ½ मील

तक आग सुलगाना या जलती हुई आग छोड़ जाना जिसके जंगल में फैल जाने का अंदेशा हो मना होगा. अपने खेत या मकान के अन्दर रखवाली के वास्ते आग हिफ़ाज़त से रख सकते हैं.

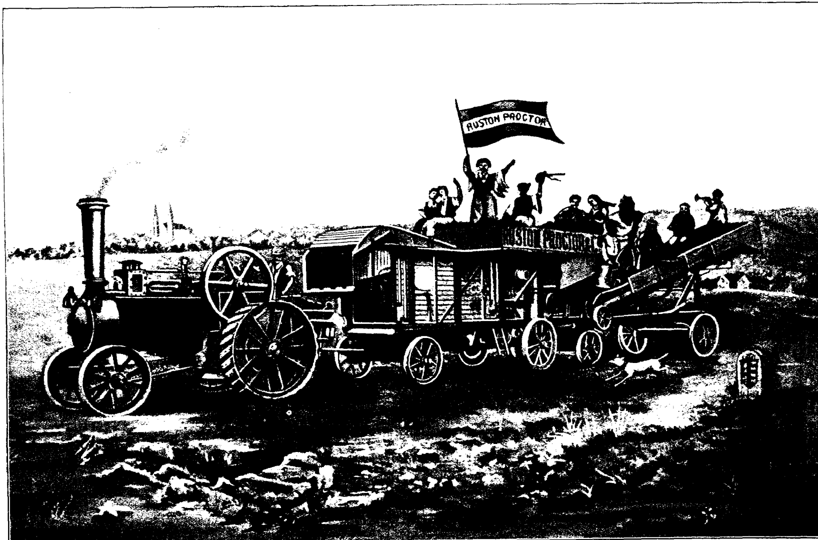
(४) अगर जंगल में किसी वजह से आग लग जावे या जंगल से बाहर किसी ऐसे मौक़े पर हो कि जिसका रिज़र्व जंगल के अन्दर फैलने का अन्देशा हो तो हस्ब ज़ैल अशख़ास का फ़र्ज़ होगा कि उसकी इत्तिला किसी जंगल या पुलिस ऑफ़िसर या पटवारी से पाते ही उसके बुझाने में काफ़ी मदद देवें और आग की इत्तिला पुलिस और फ़ारेस्ट चौकियों पर पहुंचावें.

(क) तमाम ज़मींदार व काश्तकार जो जंगल में घास लकड़ी या चराई का हक़ रखते हों.

(ख) तमाम ठेकेदार या ख़रीदार और उनके कारिन्दे व मुलाज़िम व मज़दूर जो ब ग़रज़ इन्तज़ाम व निगरानी पैदावार उस जंगल में मुक़र्रर हों.

(ग) तमाम ऑफ़िसरान जंगल व पुलिस व पटवारी.

(५) जिन जिन ज़मींदारान ने आग बुझाने या आग के रोकने में काफ़ी इम्दाद दी हो उनको इख़्तताम साल पर इनाम महक्मे की जानिब से दिया जावेगा.

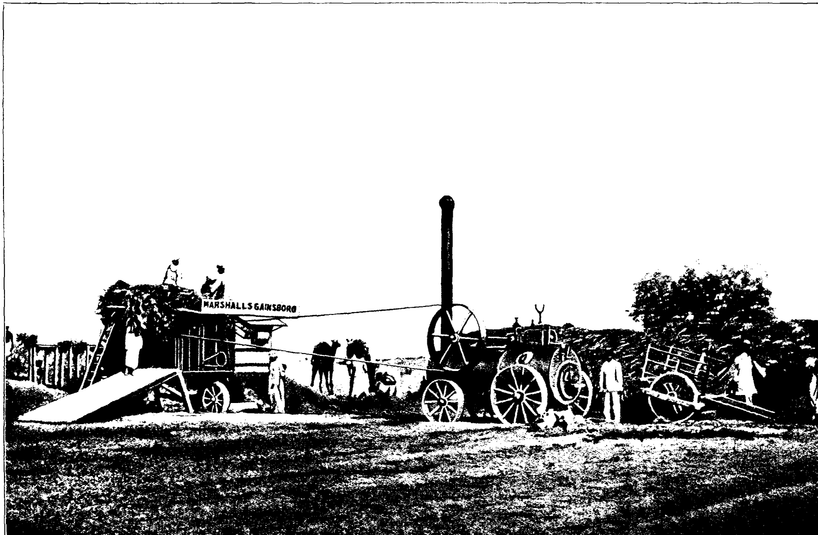


RUSTON, PROCTOR & CO., LTD. LINCOLN, ENGLAND

इंगेरी मल्क में नाज चटने के लिये जाने वालों की तसवीर.

बाब १२.

खाद की कूड़ी.



MARSHALL, SONS & CO., LTD. GAINSBOROUGH, ENGLAND.

उठाऊ एंजिन से चलनेवाली नाज चूटने की कल. यह कल आज कल रशीदा में चलती है.

बाब बारहवां.

खाद की कूड़ी.

खाद कई क़िस्मों के कई तरकीबों से बनते हैं, लेकिन यहां सिर्फ़ एक ऐसा आसान तरीक़ा खाद की कूड़ी का बताया जाता है जिसके मुताबिक़ हर किसान खाद बना सकता है.

कूड़ी की जगह तजवीज़ करना.

१. खाद की कूड़ी बनाने के लिये हर काश्तकार को काफ़ी जगह मिलनी चाहिये. वह कुए के नज़दीक न हो. खाद की कूड़ी मकान से जितनी दूर हो उतना अच्छा, लेकिन उसके लिये जो जगह मुक़र्रर की जाये वह इतनी दूर भी न हो कि वहां जाने की तकलीफ़ के डर से लोग अपने घरही के पास खाद रखना शुरू करदें.

खाद के बनाने और उसको खेत में देने का तरीक़ा.

२. खाद की कूड़ी को लोग बनाते तो हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं बनाते. इसका नतीजा यह होता है कि खाद के रस जो खेती के काम के लिये बहुत मुफ़ीद होते हैं वे या तो बह जाते हैं या कूड़ी के खुली रहने से सूर्य की गरमी से भाप होकर ऊपर को उड़जाते हैं. इससे जो कूड़ी में खाद होता है उसमें अच्छे खाद का असर नहीं रहने पाता. इसलिये किसानों को चाहिये कि खाद जमा करने के लिये एक छोटा हौज़ बनायें. हौज़ के चारों तरफ़ पत्थर की या पक्की ईंटों की चूने की चिनाई की दीवारें बनायें. हौज़ के तले को ईंट या पत्थर से पाटकर सिमेंट (Cement) या चूना लगाकर उसको ऐसा ही बनावें जैसे पानी के हौज़ को बनाते हैं. हौज़ के चारों तरफ़ या नीचे किसी क़िस्म का छेद या दरार न रहने पावे. और हौज़ के ऊपर छप्पर या लोहे की चद्दर का मंडप बना देना चाहिये, जिससे खाद धूप से सूखने न पावे. काश्तकार को चाहिये कि इस हौज़ में गोबर, राख, कूड़ा कचरा, मवेशियों का पेशाब आदि डालता रहे. कभी कभी उसमें पानी भी

डालता रहे जिससे वह बहुत सूखने न पावे; परन्तु इतना पानी भी न डाले कि जिससे वह बहुत गीला हो जावे. इसी प्रकार मूत्र का खाद बनाने के लिये भी गोशाला के पास एक छोटासा हौज़ बनावे. गोशाला की नाली उस हौज़ से मिला देना चाहिये जिससे जितना मूत्र हो उसमें जाय. कुछ दिनों में उस हौज़ से उसको निकालकर और उसमें मिट्टी मिलाकर खेतों में फैला देना चाहिये.

घर का कूड़ा कचरा भी कूड़ी में डालना चाहिये.

३. मकान का कूड़ा कचरा अगर इस तरह एक गड्ढे में डाला जाय तो उससे एक तो खाद अच्छा बनेगा, दूसरे मकान में सफ़ाई रहेगी, और मच्छर वग़ैरह से जो नुक़सान होते हैं वेभी न होने पावेंगे. लेकिन ऐसी जगह मकानों से दूर होवे (देखो उसूल सैनिटरी मेनुअल). ढोरों का मूत्र भी इसी तरह गड्ढे में डाला जाता रहेगा तो वह भी खाद का काम देगा. जब ऐसे हौज़ दूर दूर रक्खे जावें तो ज़मींदार को चाहिये कि उनके रखने का मालिकान की सलाह से ऐसा बन्दोबस्त कर देवे कि एक दूसरे के हौज़ से चोरी खाद की न होवे.

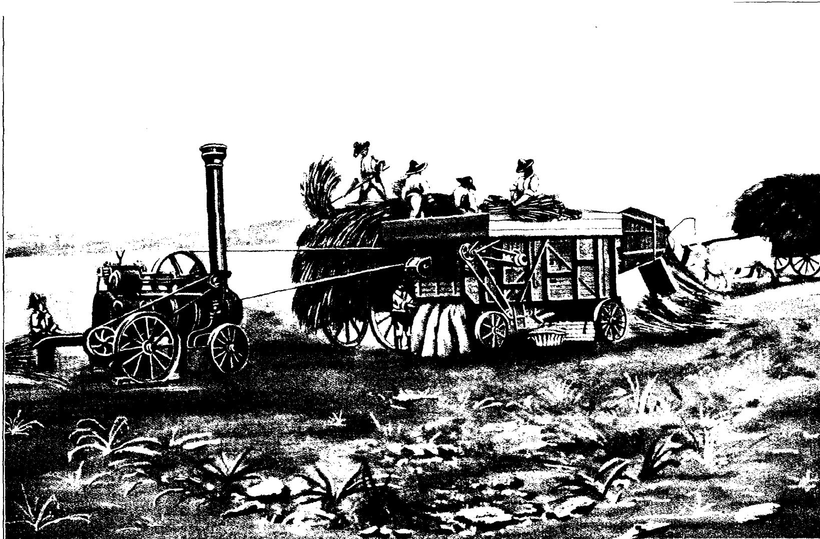
बे तरकीब से बनाया हुआ खाद निस्सत्व हो जाता है.

४. खुली जमीन में खाद डाला जाता है तो उसके रस बह जाते हैं व भाप के ज़र्ये से भी उड़ जाते हैं. इससे ऐसी खाद का सत्व नष्ट हो जाता है. बाज़ काश्तकार कच्चा गड्ढा बनाकर उसमें खाद जमाते हैं व ऊपर कुछ साया कर देते हैं. जब उससे खाद खोदकर निकालते हैं तो आस पास की और तले की कुछ मिट्टी भी खोदकर वह मिट्टी उस खाद में मिला देते हैं, ताकि खाद के रस जो मिट्टी में जज़्ब हो जाते हैं वे उस खाद को मिलते हैं. यह तरीक़ा गो खाद खुला डालने के बनिस्बत अच्छा है लेकिन उतना मुफ़ीद नहीं है जो ऊपर क़लम नंबर २ में बयान किया गया है.

खाद और किन किन चीज़ों से बन सकता है?

५. दरख़्तों के पत्ते जो पतझड़ होकर गिरते हैं उनको जमा करके हौज़ में गलाकर खाद बनाया जावे तो बहुत अच्छा खाद बनता है.

बाज़ पैदावार के छिलके ऐसे होते हैं कि जिनको मवेशी नहीं खाती हैं उनको हौज़ में गलाकर खाद बनाना चाहिये.



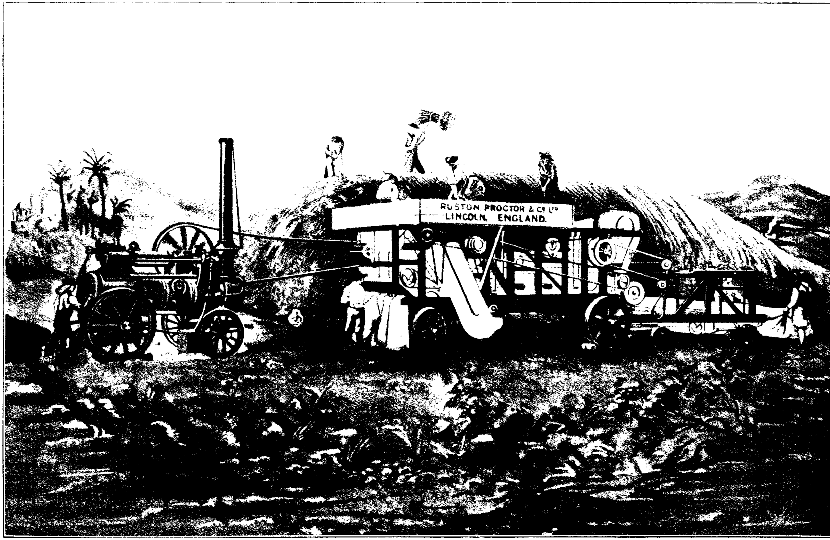
RUSTON, PROCTOR & CO. LTD.   LINCOLN, ENGLAND.

आरजेन्टिना मुल्क में नाज चूटने के लिये जाने वालों की तसवीर.

भेड़ बकरियों की मींगनियों की बहुत अच्छी खाद होती है.

तम्बाकू के लिये नौना जो कच्चे मकानों में जमता है वह आला दर्जे का खाद होता है.

जहां खाद न मिल सके वहां खाद बनाने का यह अच्छा तरीक़ा है कि पानी बरसने पर खेत में सन या नील बोया जाय और इसके पौदे भादों में जब एक फ़ुट ऊंचे हो जावें तो उनको जोतकर ज़मीन में मिला दिया जाय. यह भी खाद का काम देता है.

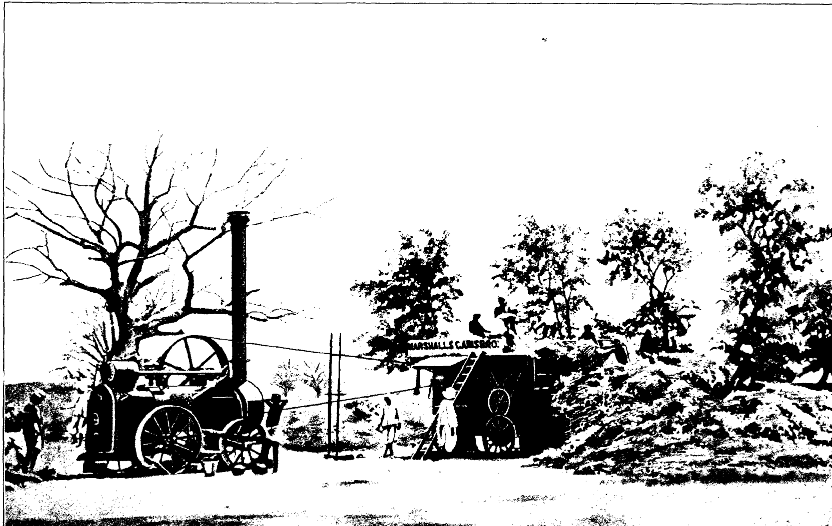


RUSTON, PROCTOR & CO., LTD. LINCOLN, ENGLAND

आलजिरिया मुल्क में नाज चूटने के लिये जाने वालों की तसवीर.

बाब १३.

गुड़ पकाने की भट्टियां और उनके लिये ईंधन.



MARSHALL SONS & CO., LTD. GAINSBOROUGH, ENGLAND

एन्जिन से चलने वाली नाज कूटने की कल. इस कल से आजकल चंपारन में काम

बाब तेरहवां.

गुड़ पकाने की भट्टियां और उनके लिये ईंधन.

१. पिछले दो साल में कई ऑफ़िसरान माल की जानिब से यह सिफ़ारिश की गई कि ज़मींदारान को रस पकाने या गुड़ बनाने के लिये लकड़ी जंगल से मुफ़्त लाने की इजाज़त होनी चाहिये और बाज़ बाज़ ज़मींदारान की जानिब से भी इसी काम के लिये लकड़ी मिलने की दरख़्वास्तें गुज़रीं. हम अपने तजरुबे से जानते हैं कि गुड़ पकाने के वास्ते लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती है और खोई जो रस निकलने के बाद रह जाती है नीमख़ुश्क रस पकाने के लिये इस्तैमाल की जाती है. गुड़ पकाने के लिये लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती.

२. अक्सर मुक़ामात पर रस पकाने की भट्टी जो ज़मींदारान बनाते हैं बग़ौर मुलाहिज़ा की गई है तो ज़ाहिर हुआ है कि भट्टी की बनावट ऐसी है कि जिससे रस पकाने के लिये ज़मींदारान को लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और गन्ने की खोई काफ़ी हरारत नहीं पहुंचा सकती. भट्टी की बनावट ठीक न होने से गन्ने की खोई काफ़ी हरारत नहीं पहुंचाती.

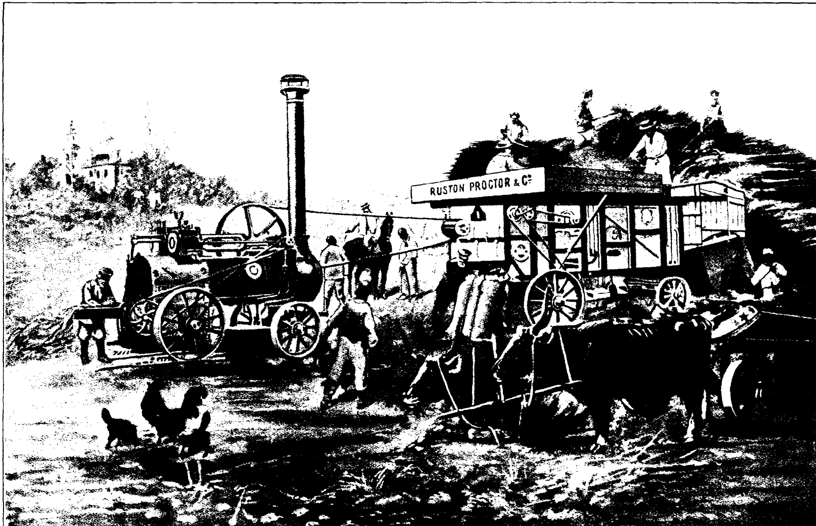
भट्टी बहुत ऊंची बनाई जाती है यानी उमूमन भट्टी और कड़ाई की तली में फ़ासला ५ या ६ फ़ीट तक होता है, जिसकी वजह से खोई की आग उतनी उंचाई पर चाशनी पकाने को काफ़ी हरारत नहीं पहुंचा सकती और इसलिये लकड़ी जिसकी आग बमुक़ाबले खोई के ज़्यादा तेज़ होती है काम में लाई जाती है.

दोयम भट्टी का मुंह किसी क़दर ज़्यादा बड़ा रक्खा जाता है. जिससे बहुतसी हरारत फ़िज़ूल बाहर निकल जाती है और किसी मसरफ़ में नहीं आती. अगर भट्टी इतनी नीची बनाई जावे कि भट्टी और कड़ाई के पेंदे में २ या २॥ फ़ीट से ज़्यादा फ़ासला न हो और भट्टी का मुंह उससे ज़्यादा बड़ा न हो जिसक़दर कि खोई झोंकने के लिये काफ़ी हो सकता है तो गन्ने की खोई अच्छी तरह से काम दे सकती है और जो तवालत, दिक़्क़त व मेहनत इस वक़्त ज़मींदारान को जंगल से लकड़ी काटकर लाने में पड़ती है

न उठानी पड़े. मौजूदा हालत में इधर काश्तकारान को गन्ने की खोई उठाने और फेंकने की मेहनत फिज़ूल पड़ती है उधर जंगल से लकड़ी काटने, साफ़ करने और लाने की मेहनत होती है, अगर महसूल लकड़ी का देना पड़ा तो एक और मज़ीद खर्चा बरदाश्त करना पड़ता है. इसलिये कोई वजह ऐसी नहीं मालूम होती कि ऐसी तिजारत के लिये जब लकड़ी दी जावे तो क्यों महसूल या क़ीमत लकड़ी उनसे न ली जावे.

गन्ने की खोई रस पकाने के लिये ब मुक़ाबले लकड़ी के ज़्यादा मुफ़ीद होगी.

३. हमारे ख़्याल में गन्ने की खोई बमुक़ाबले लकड़ी के रस पकाने के लिये ज़्यादा मुफ़ीद साबित होगी, बल्कि मुमालिक मुतहद्दा के काश्तकारान का ख़्याल है कि खोई से जितना अच्छा गुड़ पैदा होता है उतना अच्छा लकड़ी से नहीं बनता. इस ख़्याल की ताईद मुन्दर्जे ज़ैल वाक़ियात से होती है. गुड़ पकाने की कढ़ाई उमूमन चौड़ी हुआ करती है. अगर कढ़ाई की कुल पेंदी के नीचे लकड़ी रक्खी जावे तो आग इसक़दर तेज़ होगी कि चाशनी ठीक नहीं पकेगी और अगर दरमियान में किसी थोड़ी जगह में रक्खी जावे तो आंच कुल पेंदी में यकसां नहीं लगेगी. और कहीं ज़्यादा तेज़ और कहीं कम होने से रस ठीक न पकेगा, अगर लकड़ी जुदा २ फैलाकर डाली जावेगी तो भी जलने में दिक़्क़त होगी. मगर ये सब बातें खोई के काम में लाने से पैदा नहीं हो सकतीं क्योंकि खोई की आग ज़्यादा देरपा नहीं होती, और उसे क़रीबन कढ़ाई के हर हिस्से के नीचे डालना पड़ता है. अलबत्ता यह तकलीफ़ ज़रूर है कि खोई को मुतवातिर झोंकने की ज़रूरत रहती है. मगर आग कढ़ाई के हर हिस्से में यकसां लगती है और इतनी तेज नहीं होती कि जिससे चाशनी के नुक़सान का अन्देशा हो.



RUSTON, PROCTOR & CO., LTD. LINCOLN, ENGLAND.

रूस मुल्क में नाज चूटने के लिये जाने वालों की तसवीर.

बाब १४.

पट्टा व क़बूलियत.



RICHARDSON & CRUDDAS. BOMBAY.

धान कूटने और चावलों को चमकीला करने की कल.

बाब चौदहवां.

पट्टा व क़बूलियत.

१. ज़मींदारों को और मुस्ताजरों को चाहिये कि अपने आसामियों को पट्टा उनके खातों का देकर क़बूलियत उनसे लेवें. पट्टे में तफ़सील नाम काश्तकार, नंबर, रक़बा खेत, लगान नक़्दी या जिन्स, मियाद पट्टा व शरह काश्तकार मौरूसी या ग़ैर मौरूसी ज़रूर दर्ज होनी चाहिये.

आसामी को खाते का पट्टा देकर पट्टे में खाते की तफ़सील कुल मुन्दरिज करनी चाहिये.

२. पट्टा देने से आसामियान को अपने खेतों का इत्मीनान होजाता है और उस हालत में वे अपने खेतों की जोत में ख़ूब मेहनत करते हैं और जी लगाते हैं. आसामियान को क़बूलियत बमूजिब पट्टे के देनी चाहिये. पट्टा और क़बूलियत से ज़मींदार और आसामी इन दोनों को अपने अपने काम में आसानी हो जाती है. ज़मींदार को इससे यह फ़ायदा है कि अगर आसामी लगान न देवे तो ज़मींदार उसपर नालिश करके डिक्री बमूजिब क़बूलियत हासिल कर सकता है, और आसामी को यह फ़ायदा है कि ज़मींदार क़बूलियत से ज़्यादा लगान का दावा नहीं कर सकता. जब पट्टा और क़बूलियत की कार्रवाई नहीं होती तब नालिश नहीं हो सकती.

पट्टा व क़बूलियत की कार्रवाई करने से फ़ायदे.

३. अगर कोई काश्तकार पट्टा लेने और क़बूलियत देने से इन्कार करे या कोई ज़मींदार पट्टा देने से इन्कार करे तो ज़मींदार या काश्तकार तहसीलदार के पास नालिश कर सकता है.

अगर इस कार्रवाई के करने से कोई फ़रीक़ इन्कार करे तो फ़रीक़-सानी नालिश करसकता है.

४. यह नालिश सादा काग़ज़ पर दायर होगी और तहसीलदार तहक़ीक़ात सरसरी करके जिसका क़सूर हो उसपर जुर्माना कर सकता है.

नालिश करने का तरीक़ा और उसपर क्या कार्रवाई होगी ?

अगर कोई तनाज़ा वाक़ै हो तो तस्फ़िया तहसील से करालिया जावे.

५. अगर काश्तकार व ज़मींदार के दरमियान बाबत शरह काश्तकारी, या तादाद लगान, या रक़बा खेत, या मियाद पट्टा के तनाज़ा हो या दिये हुए पट्टे की कमी ज़्यादती कराना चाहें तो वे उसका तस्फ़िया बज़रिये नालिश तहसीलदार से करा लेवें.

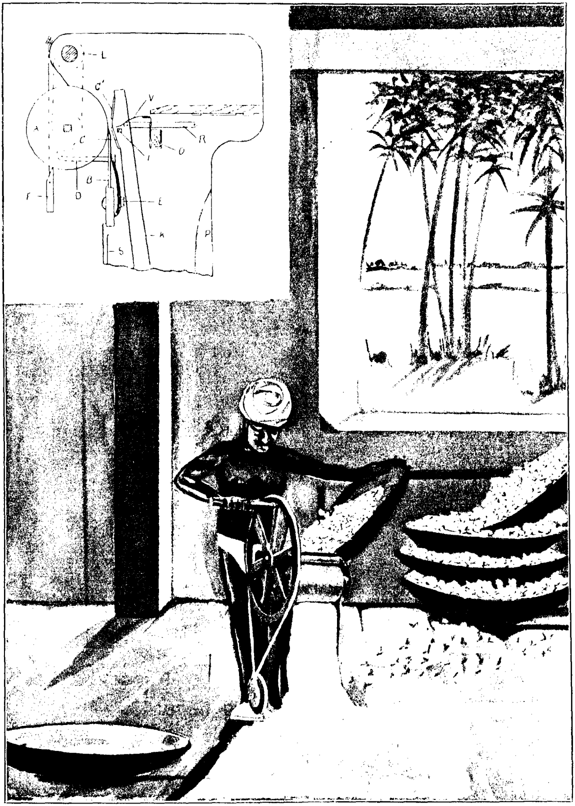
ऐसे मामलात पंचायत से तय किये जाने से आसानी.

६. अगर इस क़िस्म के मामलात पंचायत से तय किये जावें तो बहुत कुछ तवालत बचजायगी और वक़्त ज़ाया न होने पावेगा. इस क़िस्म के मामलात अक्सर ग़लत फ़हमी से होते हैं. वे आपस के मेल से जितनी जल्दी तय हो सकते हैं उतनी जल्दी कचहरी में जाने से नहीं हो सकते.

बाब १५.

तौज़ी.

नम्बर.	विषय.	पृष्ठ.
१.	मालगुज़ारी को तारीख़ मुक़र्ररा पर दाख़िल करना चाहिये	१७९
२.	वक़्त पर मालगुज़ारी जमा करनेवाले ज़मींदार को दरबार से एज़ाज़ अता किया जावेगा	१७९
३.	तौज़ी की रसीद हासिल करके समझ लेना....	१७९
४.	मालगुज़ारी का रुपया बाक़ी रखने में नुक़्सान	१७९
५.	पटवारी से लगान वसूल करने का काम न लेना चाहिये	१८०
६.	ज़मींदार व मुस्ताजर पर लगान खुद वसूल करना फ़र्ज़ है	१८०
७.	कोई झगड़ा हो तो पहले ही से उसका तस्फ़िया करा लेना चाहिये	१८०
८.	आसामियों को मुक़र्ररा वक़्त पर लगान अदा करने की आदत होनी चाहिये	१८१
९.	नादार पट्टी का इन्तज़ाम पहिले से करा लेना चाहिये	१८१
१०.	दस्तक इजरा होने की सूरतें	१८१
११.	सूद का आयद होना	१८१
१२.	नीलाम, सुपुर्दगी या ख़ाम वग़ैरह का होना	१८१



BURN & Co., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.

रुई से बिनौले निकालने की हाथ से चलने वाली कल.

बाब पन्द्रहवां.

तौज़ी.

१. ज़मींदारान और मुस्ताजरान का फ़र्ज़ है कि मालगुज़ारी का रुपया क़िस्त की मुक़र्ररा तारीख़ से दस रोज़ के अन्दर जिस तारीख़ को जमा करने की आगाही उनको तहसील से मिले उस तारीख़ को तहसील के ख़ज़ाने में दाख़िल कर दिया करें.

मालगुज़ारी को तारीख़ मुक़र्ररा पर दाख़िल करना चाहिये.

२. जो ज़मींदार तारीख़ मुक़र्ररा पर तौज़ी व दीगर मतालबात का रुपया दाख़िल करते रहेंगे और अपने वायदों की पूरी पूरी पाबन्दी करेंगे उनको तहसील से खुशनूदी मिज़ाज के परवाने अता होंगे और ज़मींदारी दरबारों में उनको बुलाकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जावेगी.

वक़्त पर मालगुज़ारी जमा करनेवाले ज़मींदार को दरबार से एज़ाज़ अता किया जावेगा.

३. ज़मींदारान व मुस्ताजरान पर यह भी फ़र्ज़ है कि उसकी रसीद फ़ौरन हासिल करें, वर्ना बिला रसीद के रुपया मुजरा नहीं पावेंगे, और रसीद मिलने पर उसको समझ लेवें. अगर बाद को वे कोई उज्र ग़लत होने इन्दराज रसीद की बाबत करेंगे तो वह नहीं सुना जावेगा.

तौज़ी की रसीद हासिल करके समझ लेना

अगर ज़मींदारान या मुस्ताजरान मुनासिब समझें तो क़िस्त का रुपया मनीऑर्डर के ज़र्ये से तहसील ख़ज़ाने में भेज दिया करें. डाकख़ाने से रुपये की रसीद भेजनेवाले को मिलती जावेगी. अगर रसीद में ग़लती हो या देरी हो तो तहसील और सूबात में अर्ज़ी सादा काग़ज़ पर लिखकर और रजिस्टरी करके भेजें.

मनीऑर्डर के ज़र्ये से क़िस्त का रुपया भेजने में बड़ी आसानी है.

४. ज़मींदारान को चाहिये कि मालगुज़ारी का रुपया बाक़ी न रक्खें क्योंकि जब बाक़ी रहने पर मौज़ा नीलाम हो जावेगा या दूसरे शख़्स के सुपुर्द हो जावेगा तो उनको आसामी बनकर रहना होगा.

मालगुज़ारी का रुपया बाक़ी रखने में नुक़्सान.

पटवारी से लगान वसूल करने का काम न लेना चाहिये.

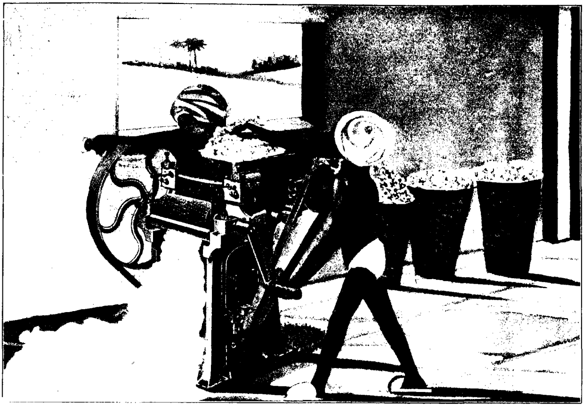
५. यह अच्छी तरह समझना चाहिये कि काश्तकारान से रुपया वसूल करने का काम पटवारी का नहीं है.

जमींदार व मुस्ताजर पर लगान खुद वसूल करना फ़र्ज़ है.

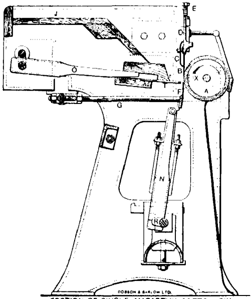
६. ज़मींदारान व मुस्ताजरान का फ़र्ज़ है कि वे वक्त पर अपने आसामियान से लगान व अपने पट्टीदारान से रुपया वसूल करें.

कोई झगड़ा हो तो पहले ही से उसका तस्फ़िया करा लेना चाहिये.

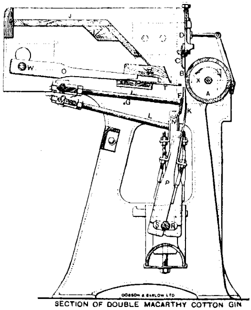
७. ज़मींदारान व मुस्ताजरान वग़ैरा तब ही तारीख़ मुअय्यना पर क़िस्त मालगुज़ारी का रुपया सरकारी ख़ज़ाने में दाख़िल कर सकते हैं जब कि वे भी अपने गांव में एक ऐसा सिलसिला डालें जिसके ज़र्ये से आसामियान उन्हें वक्त मुक़र्ररा पर लगान का रुपया उनके ऑफ़िस में लाकर देवें. इससे उन्हें और आसामियान को बहुत कुछ फ़ायदा होना मुमकिन है. मसलन क़िस्त का रुपया सरकार में दाख़िल करने की जो तारीख़ मुक़र्रर है उससे दस पांच रोज़ पेश्तर पट्टीवार व आसामीवार मतालबे की फ़र्द बना लेना और आसामियों व पट्टीदारों को आगाह करना कि वे रुपया फ़लां दिन तक दाख़िल कर देवें, और उनसे दिन मुक़र्रर करा लेना कि कौन आसामी किस तारीख़ को रुपया अदा करेगा, और जो तारीख़ें आसामीवार मुक़र्रर पाजावें उसी अंदाज़ से उनसे वसूल कर लेना. जो लोग नादिहन्द हैं या दिक़त से रुपया देते हैं उनसे जोड़ तोड़ करके सबील लगा लेना, व बाक़ी रह जाय तो खाता रुजू करके बाक़ीदार से सही करा लेना, ताकि फ़ौरन ही सरसरी में दावा करके रुपया वसूल किया जासके. लेकिन इस कार्रवाई में ग़ैर ज़रूरी जल्दी करके तलबी तक़ाज़ा आसामियान पर नहीं करना चाहिये जिससे उनको ख़्वाहमख़्वाह अपना माल नुक़सान उठाकर बेचना पड़े. तारीख़ें या दिन मुक़र्रर कर देने से फ़ायदा यह होगा कि वसूल का काम थोड़े दिनों में आसानी से हो जावेगा. पटवारी को भी स्याहा लिखने में आसानी होगी.



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH



SECTION OF SINGLE MACARTHY COTTON GIN



SECTION OF DOUBLE MACARTHY COTTON GIN

रुई साफ करने के लिये हाथ से चलाने की कल.

८. अगर किसी गांव में आपस में कोई झगड़ा है जिससे लगान के वसूल होने में दिक़्क़त पड़ने का अंदेशा है तो नंबरदार को चाहिये कि पहले ही से उस झगड़े का तस्फ़िया तहसीलदार से करा लेवे. आसामियों को मुक़र्ररा वक़्त पर लगान अदा करने की आदत होनी चाहिये.

९. अगर किसी गांव में कोई पट्टीदार नादार है तो सादार हिस्सेदारान को चाहिये कि पहिले से तहसीलदार को इत्तिला करके उसकी पट्टी का इन्तज़ाम करा देवें, क्योंकि कुल हिस्सेदारान क़ब्ल बटवारा मुकम्मिल जुम्ला गांव की मालगुज़ारी सरकार में अदा करने के मुश्तरकन और मुनफ़र्दैन ज़िम्मेदार हैं. नादार पट्टी का इन्तज़ाम पहिले से करा लेना चाहिये.

१०. तारीख़ क़िस्त से (जिसकी इत्तला पटवारी अपने हलके में करेगा) सात रोज़ के अन्दर जो नम्बरदार या मुस्ताजर मालगुज़ारी अदा न करेगा तो तहसील से उसके नाम स्टाम्प पर मार्फ़त चपरासी दस्तक भेजा जावेगा और फिर तारीख दस्तक से ८ योम के अन्दर मतालबा वाजिब मय ख़र्चा दस्तक छै आना, उसको अदा करना पड़ेगा. दस्तक इजरा होने की सूरतें.

११. अगर क़िस्त का रुपया तारीख़ मुक़र्ररा से दस रोज़ के अन्दर वसूल न होगा तो उस रुपये का सूद फ़ीसदी आठ आना माहवार के हिसाब से तारीख़ अदायगी क़िस्त से तारीख़ वसूली तक देना होगा. सूद का आयद होना.

१२. अगर तारीख़ क़िस्त से बीस रोज़ के अन्दर ज़मींदार पूरा रुपया अदा न करेगा तो तहसीलदार उसके गांव की कुर्क़ी, नीलाम या सुपुर्दगी या ख़ाम वग़ैरा की कार्रवाई हस्ब क़ानून माल अमल में लावेंगे, या अगर ज़मींदार शरारत से मालगुज़ारी दाख़िल न करे तो उसको गिरफ़्तार करके उसके ख़र्चे से ३१ दिन तक या ज़्यादा दिन तक जैसा मुनासिब समझें हिरासत में रक्खेंगे. नीलाम, सुपुर्दगी या ख़ाम वग़ैरह का होना.

१३. अगर दावा वसूल लगान का या हिसाब फ़हमी का ज़मींदार या काश्तकार को करना होवे तो तीन साल के अन्दर, व तीन सौ रुपये मिक़दार तक के दावे अदालत माल में ब सीग़े सरसरी समाअत होंगे. ज़ायद दावे अदालतहाय दीवानी में होंगे. दावा वसूली लगान या हिसाब फ़हमी

नादिहन्द पट्टीदार से मार्फ़त तहसील रुपया वसूल करना.

१४. अगर नम्बरदार को पट्टीदार अपने ज़िम्मगी का हिस्सा मालगुज़ारी न देवे तो नम्बरदार तहसील में दरख़्वास्त दे सकता है, और तहसीलदार (बाद तहक़ीक़ात सरसरी निस्बत साल रवां के मतालबा के बाक़ी रहने के,) कार्रवाई क़ैद करने बाक़ीदार के, या कुर्की माल मनकूला, या सुपुर्दगी या नीलाम पट्टी करने के, बमूजिब क़ानून माल मजाज़ है.

तनाजे हिसाब किताब दरमियान पट्टीदार व नंबरदार का फ़ैसला.

१५. अगर बाहमी नम्बरदार व पट्टीदार पिछले सालों के मतालबों या हिसाब किताब का तनाज़ा हो तो तीन साल तक के व तीन सौ रुपये की मिक़दार तक अदालत परगने में नालिश कर सकता है.

सरकारी मतालबे की वसूली तहसील से करा लेना.

१६. ज़मींदार को यह भी मालूम रहे कि दरबार का हुक्म है कि जब जब वह चाहे तहसील में जाकर अपना खाता समझले, और उस पर अपने दस्तख़त करे, अगर हिसाब में ग़लती मालूम हो तो उसे तहसीलदार को दिखावे, और उस ग़लती को दुरुस्त करा लेवे, और अगर उसे हिसाब न बताया जावे तो सूबा साहब के पास रिपोर्ट करे, जैसा कि सरक्यूलर होम डिपार्टमेन्ट नम्बर २२, सम्वत १९५८ में मुन्दर्ज किया जाचुका है.

कोई रक़म ज़ायद अलावा मालगुज़ारी के व आबयाने के नहीं ली जावेगी.

१७. जमीय अबवाब मालगुज़ारी में शामिल करदिये हैं. लिहाज़ा रक़म मालगुज़ारी में मुन्दर्जा पट्टा के अलावा तामियाद बन्दोबस्त और कोई रक़म ज़ायद बतौर अबवाब ज़मींदारों से न ली जावेगी अलावा आबयाने के जो हस्ब क़ायदा अलहदा वसूल किया जावेगा.

माफ़ियात देही से सरकार को कोई ताल्लुक़ नहीं है.

१८. माफ़ियात देही चाकराना से सरकार को कोई ताल्लुक़ न होगा.

अगर कोई ज़मीन रेल्वे वग़ैरा काम के लिये ली जावेगी तो उस पर जो मालगुज़ारी होगी वह मुजरा दी जावेगी.

१९. अगर मज़रूआ ज़मीन ज़मींदारों की वास्ते काम सड़क, रेल या इमारत के बाद अताय पट्टे बन्दोबस्त के ली जावेगी या दीगर तौर पर ब हुक्म दरबार नाक़ाबिल काश्त करदी जावेगी और अगर वह आराज़ी शामिल तशख़ीस है तो मालगुज़ारी उसकी मुजरा दी जावेगी.

बाब १६.

लगान की रसीद देना.

बाब सोलहवां.

लगान की रसीद देना.

१. जिस वक़्त कोई आसामी या पट्टेदार अपना रुपया ज़मींदार या मुस्ताजर या कारिन्दे को अदा करे तो रुपया पानेवाले को चाहिये कि फ़ौरन रसीद छपे हुए फ़ार्म पर रुपया जमा करनेवाले को देवे. लगान की रसीद आसामी को छपे हुए फ़ार्म पर देनी चाहिये.

२. जिस क़िस्त और जिस साल के बाबत काश्तकार या पट्टीदार रुपया देवे वह रुपया उसी साल और उसी क़िस्त में जमा होकर रसीद दी जावे. रुपया जिस साल व क़िस्त का दाख़िल किया जावे उसी साल व क़िस्त में जमा करना चाहिये.

३. रसीद का तरीक़ा ज़मींदार और काश्तकार वग़ैरह के हक़ में बहुत ही मुफ़ीद मतलब है, यानी बज़रिये इसके यह मालूम रहेगा कि रुपया किस साल का और कौनसी क़िस्त का है. और फिर रुपया देनेवाले का किसी तरह का उज्र न रहेगा और न ज़मींदार को यह मौक़ा हासिल होगा कि पिछले सालों के झगड़े के रुपये में साल हाल का रुपया मुजरा लेलेवे. ऊपर की बात रसीद से मालूम होनी चाहिये.

४. अगर कोई ज़मींदार रुपया लेकर आसामी को रसीद देने से इन्कार करेगा या रुपया उसी क़िस्त का और उसी साल में जमा न करेगा जिसके लिये आसामी ने रुपया दिया है तो आसामी तहसीलदार के पास नालिश कर सकता है. आसामी को क़लम नंबर १, २, ३ के मुवाफ़िक़ रसीद न मिले तो वह नालिश कर सकता है.

५. ऐसी नालिश सादे काग़ज़ पर होगी और ख़ता साबित होने पर तहसीलदार रुपया पानेवाले पर जुर्माना करेगा. नालिश का क़ायदा.

रसीद की इबारत पढ़कर समझ लेनी चाहिये.

६. आसामी व पट्टीदारों का फ़र्ज़ है कि वे रसीद मिलने पर उसको अच्छी तरह समझ लेवें. अगर रुपया देनेवाला बहीले गलत होने इन्दराज रसीद के बेबाक़ी लगान का उज्र करेगा तो नालिश हो जाने पर उसका उज्र समाअत न होगा.

रसीद हासिल करने और समझ लेने का फ़ायदा.

७. रुपया देनेवाले को रसीद के समझ लेने से यह फ़ायदा है कि उसको हमेशा यह मालूम होगा कि रुपया पानेवाले को कितना रुपया दिया और बाक़ी कितना रुपया देना रहा. इससे वह बाक़ी रुपया देने की फ़िक्र वक़्त पर करता रहेगा और इससे यह भी फ़ायदा है कि जो ज़मींदारान कम रुपये की रसीद देते हैं उनकी यह चालाकी फ़ौरन रुपया देनेवाले को मालूम होती रहेगी, और दरसूरत ज़रूरत के वह फ़ौरन नालिश तहसील में कर सकता है, और रुपया पानेवाले को जल्द सज़ा मिल सकती है.

लगान का इन्दराज पटवारी के स्याहे में करवाना चाहिये.

८. ज़मींदार को चाहिये कि वह रसीदबुक पटवारी को दिखाकर स्याहा में लिखादे और स्याहा पर अपने दस्तख़त करदे जिससे पटवारी को किसी आसामी से मिलकर गलत स्याहा बनाने का मौक़ा न मिले.

रसीद के फ़ार्म क़ीमत देके मिलेंगे.

९. रसीद के छपे हुए फ़ार्म रजिस्ट्रार क़ानूनगो के पास तहसील में रहते हैं. ज़मींदारान को चाहिये कि वहां से फ़ार्म अपनी ज़रूरत के मुवाफ़िक़ क़ीमत देकर लेवें और अपने दफ़्तर में रक्खें.

नमूना रसीद.

१०. नमूना रसीद का नीचे लिखे बमूजिब होगा:—

पावती लिखदी मुसम्मा.................................. वल्द..........................
मौज़ा.................................. परगना.................................. ज़िला..........................
ने बनाम.................................. वल्द.................................. साकिन..........................
बाबत.......................... सम्वत.......................... तुम से बाबत जोत..........................
भरपाया.......................... गवाह.......................... दस्तख़त व निशानी अंगूठा रसीद
देनेवाले का.

(१) रसीद पानेवाले को चाहिये कि वह फ़ौरन रसीद पाते ही खुद पढ़कर या पढ़वाकर खूब समझ लेवे, वर्ना बाद अर्से के उसका उज्र किसी तार पर समाअत नहीं होगा.



BURN & Co., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.

रुई साफ करने की कल.

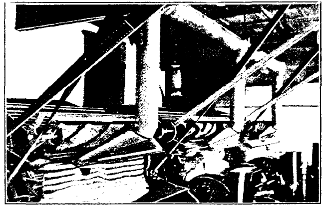
(२) लगान के मुताल्लिक़ कोई शख़्स किसी को नक़्द रुपया या ग़ल्ला वग़ैरह देवे तो उसकी रसीद रुपया पानेवाले को उसे फ़ौरन देनी चाहिये. अगर वह रसीद न देवे तो रुपया देने-वाला तहसील में दरख़्वास्त करके मार्फ़त तहसीलदार उस से रसीद हासिल कर सकता है.

(३) किसी क़िस्म का लेन देन हो, ख़्वाह नक़्दी या ज़ेवर वग़ारह का, ख़्वाह जिन्सी अनाज वग़ैरह का, उसकी रसीद लेना ज़रूरी अम्र है. आपस में अक्सर लोग चलते चलते कोई क़ीमती जिन्स किसी के पास रख जाते हैं और मांगने पर जब उसने देने से इन्कार किया तो मुक़द्दमा चल निकलता है. पस रसीद का एक ज़रासा नुस्ख़ा है. इसके तुफ़ेल से बड़ी आफ़तें बचती हैं.

२. धूल निकालने वाली कलें सिलसिलेवार इकट्ठी एक जगह जमाई हुई.

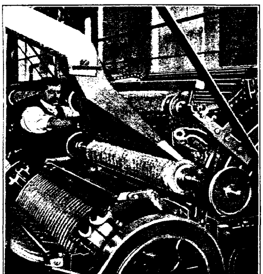


१. साधारण सांस लेने का बन्दोबस्त दोनों होठों के बीच में रुई का पहेला रखा हुआ है.





३. रुई की मिलों में काम करने वालों के वास्ते खास नमूने का सांस लेने का पट्टा.



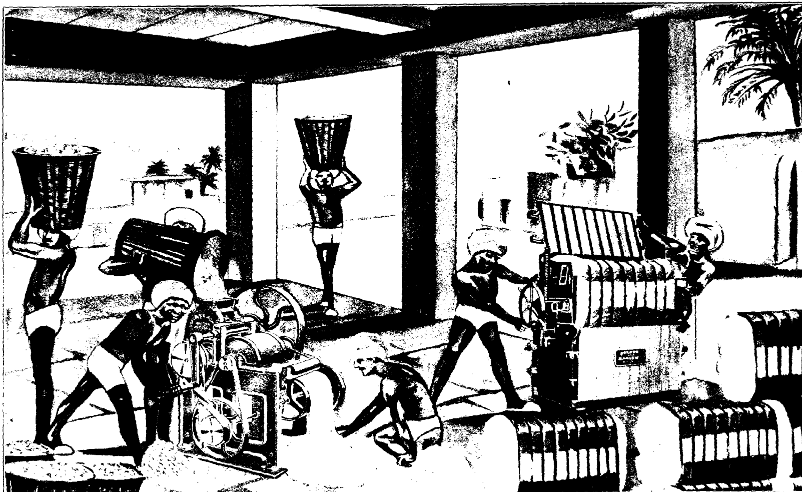
४. रुई साफ करने वाली कल की बड़ी नली जिसके ऊपर ब्रुश और कूड़ा निकालने



५. दूसरी किस्में-धूल निकालने वाली कलें, सिल-सिलेवार इकट्ठी एक जगह जमाई हुई. जब रुई का समेटना खत्म हो जाता है तो वह नालियों के जर्ये से

बाब १७.

कानफ़रेन्स ज़मींदारान.



BURN & CO., LTD. CALCUTTA AND HOWRAH.

रुई साफ करने की कल. रुई के गट्ठे बांधने की कल.

बाब सत्रहवां.

कानफ़रेन्स ज़मींदारान.

कानफ़रेन्स में शरीक होना और पाकेट बुक साथ ले जाना.

१. ज़मींदारान को चाहिये कि तहसीलदार साहब व सूबा साहब वक़्त दौरा हर एक हलक़े में या परगने में कानफ़रेन्स के लिये जिस तारीख़ को उनको बुलावें उस तारीख़ को जो मुक़ाम इस काम के लिये तजवीज़ होगा उस मुक़ाम पर जमा हो जावें, और अपने गांव के हालात का पाकेट बुक अपने साथ लावें.

कानफ़रेन्स में शरीक होने के फ़ायदे.

२. इस कानफ़रेन्स में जमा होने से ज़मींदारान को (१) एक बड़ा भारी फ़ायदा यह होगा कि गांव गांव के ज़मींदार एक जगह मिलकर आपस में बहुत कुछ मेल जोल और राह रस्म पैदाकर सकेंगे; (२) दूसरे उनको तहसीलदार और सूबा साहब से हर मामले में बात चीत करन व कहने सुनने का और अपने दुख सुख को ज़ाहिर करने का वह मौक़ा मिलेगा जो और किसी दीगर वक़्त पर ऐसी आसानी से नहीं मिल सकता. जो हाकिम नेक होते हैं वे ज़मींदार के साथ हमदर्दी से पेश आकर साथ सब्र के उसका हाल सुनते हैं और जहां तक होसके उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं और नेक सलाह भी देते हैं.

तीसरा फ़ायदा यह भी है कि तहसीलदार या सूबा साहब जब किसी ज़मींदार को ऐसे किसी काम के करने बाबत हुक्म देते हैं (जिसको ज़मींदार मौक़े के लिहाज़ से या दीगर किसी वजह से नहीं कर सकता,) तो ज़मींदार को इस कानफ़रेन्स के वक़्त यह मौक़ा मिलता है कि वह हाकिम को मौक़े की हालत और उन वजूह को जो काम के करने में माने हों सबूत के साथ रूबरू बतासके जिससे हाकिम मज़कूर का इत्मीनान हो. वह अगर मुमकिन हो तो ज़मींदार को कोई रास्ता ऐसा बता देगा जिससे ज़मीं दार उस काम को करसके.

कानफ़रेन्स में शरीक न होने या दिलचस्पी न लेने से नुक़सान.

३. अगर कोई ज़मींदार इस कानफ़रेन्स में न जावे, या बरायनाम जाकर इसके काम में दिलचस्पी न लेवे, तो वह कानफ़रेन्स के फ़ायदे से जो ऊपर बताय गये हैं और आयन्दा बताये जायेंगे महरूम रहेगा, और उसकी तरक़्क़ी रुक जावेगी.

कानफ़रेन्स में किन बातों का विचार करना चाहिये.

४. इस कानफ़रेन्स के करने की ख़ास ग़रज़ यह है कि ज़मींदारान के पास जैसा सामान हो यानी हल, बैल, आसामियां, पानी की आसायश, उम्दा धरती, उम्दा घास, ज़रई मदद वग़ैरह. उसके मुताबिक़ गांव की हर तरह की तरक़्क़ी व बहबूदी व सुधार की बात चीत व विचार सब मिलकर उसमें करें. ऐसी चन्द बातें नज़ीरन यहां बतलाई जाती हैं:—

(१) आबादी बढ़ाने के बदले क़ीमती काश्त करना, खाद बनाना, उम्दा बीज चुनना, काँस का मिटाना, कोई कल खेती की या आबपाशी की लगाना.

(२) जदीद आसामियां लाकर गांव को आबाद करना और मौजूदा आसामियान को फ़रारी से रोकना.

(३) निवान में हर तरकीब से पानी रोकना और काम में लाना.

(४) तन्दुरुस्ती आदमी व मवेशी. इसमें सीतला रोकने के लिये टीका लगवाना वग़ैरह काम भी शामिल हैं.

(५) बच्चों की तालीम.

(६) जंगलात सरकारी व काश्तकारी बैंक से जो रिआयतें की गई हैं उनका हासिल करना, मस्लन, काश्तकारी के मतलब के लिये गाड़ी बनाना.

(७) गायें व घोड़ियां पालना, व उनकी नस्ल बढ़ाना. जो सरकारी सांड घोड़ा (स्टैलियन) रक्खा गया है उसका इस्तैमाल करना व बैलों की नस्ल बढ़ाने के लिये उम्दा खेत का सांड रखना.

(८) दरख़्त लगाना व उनकी परवरिश. जहां काश्त न होसकती हो ऐसी आराज़ी में खास करके बेहड़ों में दरख़्त काश्तकारी की ज़रूरियात के लिये या ब्योपार के लिये लगाना, मस्लन, बबूल, शहतूत, रामबाण वग़ैरह.

(९) देहाती अनाज का भंडार क़ायम करना व उससे फ़ायदे उठाना.

(१०) घास का सालभर का बन्दोबस्त करना.

(११) साहूकार और बोहरों की क़र्ज़दारी का फ़ैसला.

(१२) रसद वग़ैरह का इन्तज़ाम.

(१३) देहाती रास्तों का सुधार व उनकी सम्हाल.

(१४) सरकारी बक़ाया मतालबे के अदा करने का इन्तज़ाम.

(१५) बेड़ मवेशी व दीगर संगीन जरायम अगर वे वक़ूअ में आते हों तो उनकी इन्सदाद के वास्ते और सरकोबी बदमाशान के लिये तदबीरें करना.

इन जुम्ला अमूरात के मुताल्लिक़ ज़मींदारान के जो फ़रायज़ समझे गये हैं उनका ज़िक्र व तशरीह इस किताब में जाबजा किया गया है, इसलिये यहां नहीं दोहराया.

५. ज़मींदारान को चाहिये कि उन्होंने अपने गांव के सुधार के लिये जो जो खास काम किये हों उनका मुफ़स्सिल तज़करा कानफ़रेन्स में करें, वे यह भी बतावें कि उनको किसी काम में अगर मुश्किलात आई हों तो क्या आई और उन्होंने उन्हें रफ़ा किस तरह किया और किसक़दर कामयाबी हुई या न हुई. इन बातों के ज़ाहिर करने से यह फ़ायदा होगा कि वे एक दूसरे की बहुत मदद कर सकेंगे, मस्लन, अगर एक ज़मींदार ने किसी मुश्किल के पेश आजाने से किसी काम को छोड़ दिया होगा और दूसरे एक ज़मींदार ने उस मुश्किल को हल करके कामयाबी हासिल की होगी तो

जिन कामों के तजरुबे ज़मींदारों ने किये हों उनके नतायज को कानफ़रेन्स में ज़ाहिर करना चाहिये.

पहिला ज़मींदार दूसरे ज़मींदार की तक़रीर से ज़रूर फ़ायदा उठावेगा और हर एक ज़मींदार का जिसने उस काम को मुतलक़ न किया हो इनकी बातों को सुनकर और उस काम का फ़ायदा देखकर खुद भी उस काम को करने के लिये जी चाहेगा, और ज़मींदारान इन हालतों को हाकिमान के इत्तिला में लाकर सरकार से अगर कुछ मदद दरकार होगी तो उसे भी हासिल कर सकेंगे.

हाकिमान को वक़फ़ियत साफ़ २ देनी चाहिये, और उनसे उतना ही काम करने का वायदा करना चाहिये जितना होसके.

६. ज़मींदारान को चाहिये कि वे जब तहसीलदार साहब व सूबा साहब किसी हाल को दर्याफ़्त करें तो उसको सही सही तौर पर उनके रूबरू बयान करें. वे जब किसी काम के करने का हुक्म दें तो उसका तरीक़ा उनसे बख़ूबी समझलें. जब तक मामला समझ में न आवे तब तक उसके निस्बत उनसे बहस करें व पूंछें. यह ख़ौफ़ न करें कि पूछने से हाकिम हम पर नाराज़ तो न होजायेंगे. बिला समझे हां न कर देवें और बाद सोच समझके वे जिस काम को जिसक़दर करसकते हों उतना ही करने का वायदा करें. ज़मींदारों की यह आदत होती है कि राज के अधिकारी जो कुछ उन्हें कहते हैं उसके बाबत वे "हां हां" कह देते हैं, न उसका सोच विचार ही करते हैं, न कभी यह फ़िक्र करते हैं कि हम हां हां तो करते हैं लेकिन उस काम को किस तरह करेंगे. जहां राज अधिकारी ने पीठ फेरी तो वे यह कहने लगते हैं "कि हाकिम जो हुक्म देवे उसके बाबत हां हां करना ही पड़ता है, बस वक़्त साध दिया, हाकिम को राज़ी रक्खा, आगे कौन देखता है जी. यह तो ऐसा ही चला जाता है." ये आदत और ये ख़्यालात बुरे हैं. अब पिछले ज़माने के हाकिम नहीं रहे और न पिछला ज़माना रहा अब हाकिम देखते हैं कि ज़मींदारों पर ऐतबार किया जाता है. वे जिस बात के निस्बत हां कह देते हैं वह पक्की मानी जाती है. चुनांचे ज़मींदारान अगर मुंह पर हां हां कर देवें और पीछे से उस पर अमल न करें तो हाकिमान का भरोसा उन पर नहीं रहेगा. वे साहब झूटे समझे जावेंगे और कानफ़रेन्स में उनके भाई बंद उनकी तरफ़ हिक़ारत की नज़र से देखेंगे.

जिन कामों का वे वायदा करें उन्हें अपने पाकेट बुक में लिख लेवें.

७. हर ज़मींदार को चाहिये कि जिस काम के करने का वह इस कानफ़रेन्स में वायदा करे उस काम को मुख़्तासिर तौर पर अपने हालात देही के पाकेट बुक में दर्ज करे या कराले. इससे उसको अपने वायदों की और अपने करने के कामों की याद रहेगी, और साल आयन्दा में भी उस पाकेट बुक से वह बता

सकेगा कि उसने क्या क्या काम किया, और उससे क्या नतीजा हुआ. इस तरीक़ पर चलने से वह थोड़े ही अर्से में अपने करने के काम सब कर लेगा और नेक नाम रहेगा.

८. जो लोग कानफ़रेन्स में जमा होंगे उनको चाहिये कि जो कुछ तकलीफ़ात उन्हें हों और वे जिन तरीक़ों पर उन्हें दूर कराना चाहते हों, हाकिमान दरबार पर मुफ़स्सिल तौर पर ज़ाहिर करें, और जो उनकी ऐसी ज़रूरियात हों जिनका वे खुद बन्दोबस्त नहीं कर सकते उनके बहम पहुंचाने में उनसे मदद मांगे, और जो अपनी मुश्किलात हों उन्हें बताकर उनके हल करने का उनसे मशवरा लेवें. दरबार से इन हाकिमान के लिये यह हिदायत दी गई है कि वे गांववालों की इन सब बातों को दिल लगाकर सुनें, उनको मुनासिब मशवरा व मदद हस्ब ज़रूरत व हस्ब इख़्तियार देवें, उनकी तकलीफ़ात को जहां तक होसके दूर करने की तजवीज़ करें और बिला अच्छी तरह सोचे समझे कोई राय या हुक्म न दें.

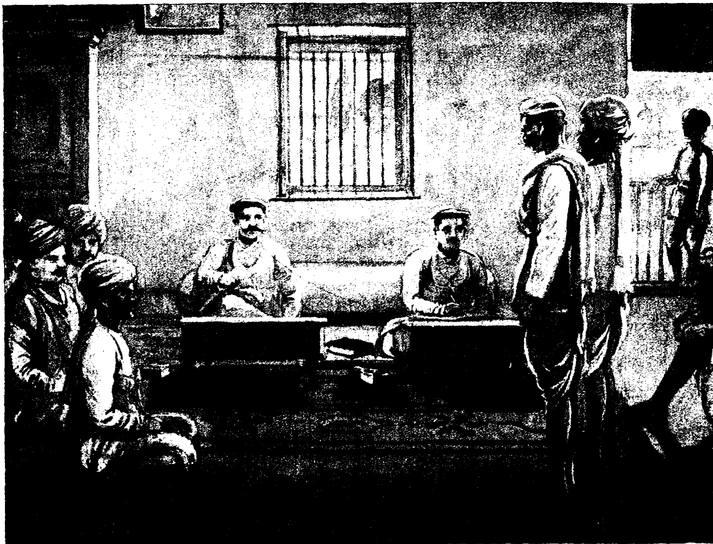
अपनी तकलीफ़ात रफ़ा कराना, ज़रूरियात में मदद मांगना, व मुश्किलात में मशवरा लेना.

अगर कोई क़ायदा या क़ानून ऐसा बन जावे कि जिसके अमल में आने से खेती के काम में हर्ज हो, या ऐसी कोई बात हो जो ज़मींदारों की राय में खेती की तरक़्क़ी में हारिज होरही हो, या आयंदा नुक़्सान पहुंचानेवाली हो. या ज़मींदारों का नुक़्सान होता हो, तो ऐसी बातें ज़मींदारी कानफ़रेन्स में पेश करनी चाहियें. लेकिन शर्त यह है कि वे बातें ख़्याली या बे बुनियाद न हों बल्कि पुख़्ता दलायल से साबित हों. सिवाय इसके किसी बात में खाली नुक़्ताचीनी करनी ही काफ़ी न होगी, बल्कि उसके दुरुस्त करने के लिये अपनी राय भी सोच समझ के देनी चाहिये.

बाब १८.

आपस के झगड़े व पंचायत बोर्ड.

पंचायत बोर्ड ।



बाब अठारहवां.

आपस के झगड़े व पंचायत बोर्ड.

१. लड़ाई झगड़े गांव में पैदा होने से उस गांव की बरबादी हो जाती है.

झगड़ों की बिनाय अक्सर बहुत छोटी होती है.

इसलिये सब को ऐसी बातों से बचना चाहिये. ज़्यादातर झगड़े बे समझी से या अनजानपन से हो जाते हैं.

२. आरम्भ में आपसी झगड़े का मूल कारण बहुत ही छोटा होता है और उसी वक़्त उसकी सफ़ाई न हुई तो बढ़ते बढ़ते छोटे से मामले बहुत बढ़ जाते हैं. इसकी वजह से एक कसीर रक़म रुपये की बे फ़ायदा अदालतों के खर्चे में सर्फ़ हो जाती है. इससे बचने के लिये सहल तरीक़ा यह है कि पंचायत के सामने ऐसे मामले पेश किये जांय. इससे तवालत, और खर्चे की वजह से ज़ेरबारी कम होगी और आयन्दा झगड़े नहीं बढ़ेंगे.

झगड़ों के बढ़ने से खराबियां व नुक़सान और उन से बचने का तरीका.

३. जो पंचायत हस्ब दफ़ा ४ ज़िमन अलिफ़ क़ानून पंचायत बोर्ड, मुक़र्रर की गई है, वह एक ऐसी जमाअत है कि जिसके महत्व को दरबार भी मानती है. इसी एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड किसी मुक़द्दमे में बेजा कार्रवाई करे तो मुक़द्दमा ज़ेर तजवीज़ होने की हालत में मुन्तक़िल कराया जासकता है, और अगर वह फ़ैसल हो गया हो तो उसकी निगरानी कराई जासकती है.

पंचायत बोर्ड का महत्व.

पंच अगर ईमानदार, ईश्वर से डरनेवाले, समझ बूझ के आदमी होंगे और बिला किसी ज़िद या पक्ष के ठीक ठीक काम करेंगे और वक़्त के वक़्त पर मामलों को निपटायेंगे तो रिआया को उनकी कोर्ट से मुक़द्दमे उठाने की या उनकी निगरानी कराने की नौबत न आवेगी. ऐसे पंचों की सरकार से क़दर की जावेगी और उनको तमग़ा अता किया जावेगा.

पंचों का चुनाव करना गांववालों के हाथ है. गांववाले लेागों के चाल चलन, आदात, नियत व क़ाबलियत से बहुत कुछ वाक़िफ़ होते हैं. वे अगर खुद ग़रज़ी से, लालच से या दबाव से नाक़ाबिल पंच नामज़द करें तो पंचायत बेकार हो जावेगी, और शायद तकलीफ़ का भी बायस होगी. गांव-वाले अगर इस नियत से कि "सब का भला तो अपना भला" क़ाबिल पंचों का चुनाव करेंगे तो पंचायत का काम जैसा कि चाहिये वैसा होगा. ग़रज़ कि पंचायत का कामयाब या बेकार होना बहुत कुछ गांववालों पर हसर रखता है.

मुक़द्दमात दीवानी व माल, जिनकी बोर्ड समाअत कर सकता है.

४. बोर्ड मुन्दर्जे ज़ैल मुक़द्दमात दीवानी व माल की समाअत का मजाज़ है:—

[अलिफ़] ज़रे नक़्द के दावे जो मुआहिदात पर मबनी हों, या जायदाद मन्क़ूला या जायदाद मज़्कूर की क़ीमत के दावे जबकि क़र्ज़ा या मुतालबे की तादाद या मालियत २५) रुपये से ज़ायद न हो.

नोट:—खेत में जो फ़सल खड़ी हो और ग्रास क़ानून हाज़ा की अग़राज़ के लिये जायदाद मन्क़ूला मुतसव्वर होगी.

[ब] मुक़द्दमान सरसरी माल मुताल्लिक़ खाद बीज बशर्ते कि तादाद दावा पचास रुपये से ज़ायद न हो.

फ़ौजदारी इस्तग़ासे क़ाबिल समाअत बोर्ड.

५. वे तमाम इस्तग़ासे जो निस्बत इर्तक़ाब जरायम मुशर्रह ज़ैल हों बोर्ड के समाअत के क़ाबिल होंगे, बशर्तेकि जुर्म बोर्ड के हदूद इख़्तियार समाअत के अन्दर वक़ूअ में आये हों.

(१) ज़रर रसानी ख़फ़ीफ़ (जुर्म नम्बर १०).

(२) तहक़ीर मुजरिमाना (जुर्म नम्बर १०४).

(३) हम्ला या इस्तैसाल बिल जब्र मुजरिमाना (जुर्म नम्बर ११).

(४) नुक़्सान रसानी मवेशियान या जायदाद जिसकी क़ीमत दस रुपये से कम हो (जुर्म नम्बर ३९), बशर्तेकि वह

नुक़सान या हर्जा ऐसा हो जो किसी शख़्स को वाक़े हुआ हो.

(५) मदाख़लत बेजा मुजरिमाना (जुर्म नम्बर ४२).

पंचायत की कचहरी के लिये एक मकान चाहिये जिसमें पंचों के बैठने के लिये और काम करने के लिये कुर्सियां व मेज़ रक्खी जावें. चन्द क़ानून की किताबें भी जिनके देखने की उन्हें अपना काम करने में ज़रूरत होगी किसी बक्स या अलमारी में रक्खी जावें और अहल मामला के बैठने के लिये फ़र्श या बैंच वग़ैरह हो तो मुनासिब है.

बाब १९.

रसद.

बाब उन्नीसवां.

रसद.

१. ज़माने सलफ़ से यह दस्तूर चला आया है कि हाकिमान सरकार या फ़ौजें दौरे पर कूच करती हुई जब किसी मौज़े में मुक़ाम करती हैं तो ज़मींदारान मौज़ा उनके लिये हस्ब ज़रूरत घास, लकड़ी, बर्तन, आटा, दाल वग़ैरह को मुहैया करा देते हैं और अगर तहसीलदार या दीगर कोई ऑफ़िसर जो रसद के इन्तज़ाम के लिये आता है तो उसको हर क़िस्म की इमदाद इस काम में देते हैं. तमहीद.

सरकार ने यह क़ायदा कर दिया है कि घास लकड़ी या दीगर सामान कोई मुलाज़िम सरकार बिला अदाय क़ीमत के गांव से न लेवे. चुनांचे ज़मींदारान के लिये किसी को सामान मुफ़्त देने की ज़रूरत नहीं है. उनको क़ीमत लेकर अशियाय ज़रूरी का इन्तज़ाम करा देना चाहिये. अलबत्ता क़ीमत वाजबी ही लेनी चाहिये. वह ऐसी हो जो उस गांवमें या उसके आस पास ली जाती हो.

२. जो सिपाही या चपरासी गांव में सरकारी काम से जावेंगे वे आप अपने तौर से बाज़ार भाव से चीज़ें लेंगे. अगर वे ज़मींदार पर ख़ुराक के बारे में तंगी करें या नक़्द दाम न दें या भाव से ज़्यादा लेवें तो उसकी रिपोर्ट लिखकर तहसील में करनी चाहिये. सिपाही, चपरासी, जब गांव में जावें तो क़ीमतन चीज़ें ख़रीदेंगे.

३. जब तहसीलदार से ऊपर के दर्जे के हाकिम दौरे पर आवें तो ज़मींदारान को चाहिये कि बनिये को कैम्प में हाज़िर करदें और बाज़ार के भाव से चीज़ दिलाकर नक़्द दाम दिलावें. तहसीलदार से ऊपर के दर्जे के हाकिम के कैम्प में बनिया हाज़िर करना चाहिये.

निर्ख़नामा बना देना.

४. जब इन ऑफ़िसरों के साथ ३० या इससे ज़्यादा आदमी हों तो उस जगह के ज़मींदारान बनिये से पूंछकर एक वाजबी क़ीमत का निर्ख़नामा बनवा दें और देखें कि उसके बमूजिब सामान बनिया बेचता है कि नहीं.

इन्तज़ाम वास्ते दौरा वालिये मुल्क व फ़ौज वग़ैरह.

वालिये मुल्क व फ़ौज के रसद रसानी के मुतअल्लिक़ मुफ़स्सिल बातें क़वाअद रसद में लिखी हैं. वे देखा जावें.

रसद में कोई ग़ैर मामूली चीज़ न दी जावेगी.

५. रसद में कोई ग़ैर मामूली चीज़ (यानी वह चीज़ जो बड़ी दुशवारी से मिलती है) न दी जाया करे और बाबत दुशवारी मिलने चीज़ मज़कूर के केम्प ऑफ़िसर को समझा दिया जाया करे.

घास लकड़ी वग़ैरह चीज़ों की क़ीमत मालिक माल को जल्द दिलानी चाहिये.

६. घास, लकड़ी, कंडे, मिट्टी के बर्तन यानी जो चीज़ रसद में दी जावे उसके दाम मालिक बेचनेवाले को जल्द दिलाना चाहिये.

किराया गाड़ियान बारबरदारी.

७. दौरे में जो गाड़ियां बारबरदारी की ली जावेंगी उनका किराया मुताबिक़ शरह मुक़र्रर व हुक्म सरकार लिया जावे.

किराया चारपाई व पलंग.

८. चारपाई और पलंग का किराया मुताबिक़ शरह मुक़र्रर व हुक्म सरकार लिया जावे.

किराया तांगा.

९. इसी तरह किराया तांगा भी मुताबिक़ शरह मुक़र्रर व हुक्म सरकार लिया जावे.

गांववार रसद के रजिस्टर तहसील में रहते हैं, उनमें इन्दराज सहीह कराना.

१०. रजिस्टर रसद गांववार तहसील की कचहरियों में रखाये जाते हैं. उनकी अव्वल ग़रज़ यह है कि हर एक गांव में कितनी रसद ज़्यादे से ज़्यादा मिलसकती है इसका हाल मुलाज़िमान तहसील को मालूम रहे, और वे उसी हदके अन्दर रसदवालों से रसद को तलब करेंगे जो रजिस्टर में लिखी होगी. दूसरी ग़रज़ यह है कि वे ग़लती से ऐसी चीज़ का इन्डेन्ट न करें जो

गांव में मौजूद ही न हो. चुनांचे ज़मींदारों को चाहिये कि रजिस्टर का इंद-राज सही सही करावें और एक नक़ल अपने पास भी रक्खें.

अमूमन ये रजिस्टर इसलिये रखाये जाते हैं कि सरकार को इन से बहुत तरह के काम पड़ते हैं. जब कभी फ़ौज को या हुक्काम का यकायक किसी मक़ाम पर पहुंचने के लिये कूंच करना पड़ता है तो उनकी इस अम्र का वक़फ़ियत के लिये कि रसद कहां पर और कितनी मुहैया होसकती है यही रजिस्टर एक ज़रिया है, चुनांचे ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार जिसका इन्तज़ाम वे करसकते हैं लिखानी चाहिये, और उसकी दुरुस्ती वक़्तन् फ़वक़्तन् मुताबिक़ तब्दीली हालात गांव करानी चाहिये.

रसद के काफ़ी न होने पर दीगर गांव या गांवों से उसे इकट्ठी करने की तजवीज़ करना.

११. जब कभी किसी मक़ाम पर रसद का सामान कम मिलता हो और ज़रूरत ज़्यादा सामान की हो तो ऐसे वक़्त पर आस पास के दीगर गांवों से मदद ली जाती है. इसलिये ज़मींदार को चाहिये कि ऐसे मौक़े पर तहसील से जब परवाना उसके पास इस मज़मून का पहुंचे कि " इतना इतना सामान, घास, लकड़ी वग़ैरह फ़लां तारीख़ को फ़लां मुक़ाम पर दाख़ल कराया जाय " तो उसक़दर सामान बेचनेवाले के साथ पहुंचाने की तदबीर करे और हर्ज न होने दे.

बाब २०

बारबरदारी मज़दूरी वग़ैरह.

बाब बीसवां.

बारबरदारी मज़दूरी वग़ैरह.

१. दरबार ने ब नज़र परवरिश मज़दूर पेशे लोगों के हुक्म दे दिया है कि बिला दिये मज़दूरी किसी से काम न लिया जावे. लिहाज़ा बमूजिब टैरिफ़ (फ़ेहरिस्त मौजूदा शरह) के मज़दूरी ख़िदमत गुज़ारान व क़ीमत अशियाय लेकर ज़मींदार को बन्दोबस्त कर देना चाहिये. बेगार मुफ़्त लेने की मनाई.

अगर मज़दूरी नहीं मिलेगी तो ज़मींदार को चाहिये कि सूबा साहब के पास अर्ज़ी देवे. सूबा साहब जिसने मज़दूरी नहीं दी होगी उससे दिलवायेंगे.

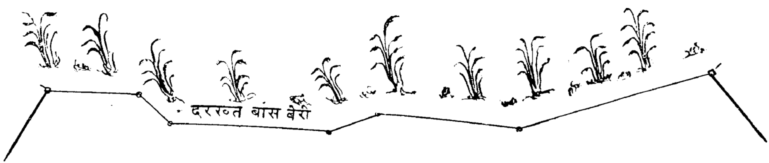
२. जब तक कि तहसीलदार साहब का परवाना या किसी ऑफ़िसर मजाज़ का परवाना न हो तब तक ज़मींदार मज़दूर या पेशेवर न देवे. बारबरदारी व मज़दूरों के लिये सरकारी परवाने की ज़रूरत.

३. मौजूदा टैरिफ़ में रद्दोबदल होगी तो उसका ऐलान बज़र्ये गज़ट सरकारी किया जावेगा. जो टैरिफ़ जिस वक़्त अमल में होगा मुताबिक़ उसके मज़दूरी ली जावे. मौजूदा टैरिफ़, मज़दूर, कहार व हज्जाम वग़ैरा.

बाब २१.

हिफ़ाज़त सरहद्द.

सरहद्द का नकशा।



चित्रशाला प्रेस, पूना।

बाब इक्कीसवां.

हिफ़ाज़त सरहद्द.

१. सरहद्द की दो शक्लें होती हैं:— सरहद्द की दो शक्लें.

(१) एक वह शक्ल जहां सरहदें इलाके दरबार व इलाके दीगर की मिली हों.

(२) दूसरी वह शक्ल जहां अन्दर रियासत दरबार किसी दो मौज़ों की सरहदें ख़्वाह दोनों मौज़े खालसा हों ख़्वाह एक खालसा व एक जागीर मिली हों.

जिम्मेदारी हिफ़ाज़त सरहद्दी निशानात व सज़ा दर सूरत ग़फ़लत.

२. शक्ल अव्वल में हर ज़मींदार व काश्तकार जिसके गांव में सरहद्दी आराज़ी होगी, सरहद्द की लैन की और उस पर जो मिनारे नसब किये गये होंगे या निशानात बने होंगे उनकी हिफ़ाज़त का व नीज़ उन मिनारों या निशानों को अच्छी हालत में रखने का जिम्मेदार है. दर सूरत तोड़ने या मिटाने मिनारेजात या निशानात के या अपने फ़रायज़ के अंजाम में ऐसी ग़लती व ग़फ़लत करने के जिससे वे मिनारेजात या निशानात टूटकर गिरपड़ें या मिट जावें तो गुनहगार ज़मींदार व काश्तकार क़ाबिल सज़ा के होंगे.

कोई शख़्स सरहद्द पर पेशक़दमी करे तो फ़ौरन रिपोर्ट तहसील में भेजनी चाहिये

३. हर ऐसे सरहद्दी गांव के ज़मींदार का फ़र्ज़ होगा कि सरहद्द की गश्त का ऐसा इन्तज़ाम रक्खे कि अगर कोई भी शख़्स सरहद्दी आराज़ी पर क़ाबिज होने या दख़ल करने की नियत से दस्तंदाज़ी या पेश क़दमी करे तो फ़ौरन ही उसे वह बात मालूम हो जाय, और मालूम होते ही उसकी रिपोर्ट तहसील में पहुंचावे. यह बात मानी हुई है कि सरहद्दी आराज़ी पर ग़ैर शख़्स क़ब्ज़ा या दख़ल या किसी क़िस्म की पेश क़दमी तब ही करने पाता है जब कि ज़मींदार या काश्तकार मौज़ा सरहद्दी जिसके गांव में वह आराज़ी हो लापरवाह या बेख़बर रहे या उस शख़्स ग़ैर से मिल जाय.

अगर कोई ज़मींदार या आसामी सरहद्दी मिनारों को या निशानात को जिनकी देखभाल उसके जिम्मे है, अच्छी हालत में रखने की फ़िक्र वक़्त पर न करे तो उस ज़मींदार को व आसामी को सरकार ख़ैरख़्वाह नहीं समझती बल्कि उनके ख़्याल में ऐसा ज़मींदार क़ाबिल ज़मींदारी के नहीं समझा जाता, क्योंकि उसकी लापरवाही से सरहद्दी निशानात की हालत बुरी हो जाती है और सरहद्दी लैन बरक़रार नहीं रह सकती जिसकी वजह से झगड़े पैदा होते हैं.

ज़मींदार को चाहिये कि कम अज़ कम हर चौथे या पांचवें बरस झाड़ी या दरख़्त जो क़ुदरती तौर पर सरहद्दी लैन पर पैदा हो जाते हैं और जिनकी वजह से मिनारे नज़र नहीं आते उनको काटकर साफ़ करे ताकि वे मिनारे व सरहद्दी निशान साफ़ तौर पर दिखाई दें.

रिझर्व जंगल की लैन की सफ़ाई व मिनारेजात व निशानात सरहद्दी की दुरुस्ती का ज़िम्मेदार फ़ारेस्ट डिपार्टमेन्ट होगा, और रिझर्व के बाहर जो जंगल हैं उनकी लैन सफ़ाई व मिनारेजात की दुरुस्ती बज़िम्मे ज़मींदार रहेगी.

ज़मींदार के नमकहरामी से ज़मीन दीगर इलाक़े में चली जाय तो उसकी इज़्ज़त व आबरू नहीं रहती

४. मालूम रहे कि दुनियां में नाम ही एक चीज़ है. जब किसी ज़मींदार के क़ब्ज़े से ब सबब उसके लापरवाही या बदनियती के ज़मीन निकल जाती है तो उस ज़मींदार की बहुत बदनामी होती है. उसकी इज़्ज़त व रुतबे में फ़र्क़ आजाता है. जब तक ऐसे ज़मींदार का ख़ान्दान क़ायम रहे तब तक यही कहा जायगा कि फ़लां फ़लां के वक़्त में इतनी ज़मीन इलाक़े सरकारी से दूसरे के हाथ जाती रही और उससे इतना नुक़सान हुआ. और यह भी समझा जायगा कि वह शख़्स अपनी सरकार और अपने गांव का भला चाहनेवाला न था.

झरबेरी या बांस सरहद पर लगाना.

५. सरहद्दी गांव के ज़मींदारों को चाहिये कि सरहद पर मिनारे से मिनारे तक बांस, या बेरी, या नागफनी के दरख़्त जहां जैसा मौक़ा हो असल सरहद से अंदर दो फ़ुट के लगादें, ताकि इन दरख़्तान को अपनी सरहद के अंदर फैलने को काफ़ी जगह मिलेगी और उनसे अलावा ज़रई फ़ायदे हासिल होने के हिफ़ाज़त सरहद की भी होगी.

इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिये कि ऐन सरहद की लाइन पेड़ों से ढक न जाय, न उस लाइन पर पेड़ ऊग जावें, न साया फैल जावे, वर्ना झगड़े

फ़ौरन खड़े हो जावेंगे. इस काम का नमूना दिखाने के लिये एक नक़्शा इस किताब में दिया है.

अन्दर इलाक़े सरकार भी अक्सर दो गावों में सरहद्द के झगड़े होते हैं चुनांचे हर देह अपने गांव के सरहद्द पर उसी तरीक़े से जो कि ऊपर बताया है दरख़्त लगा देवे तो तकरार की जड़ ही जाती रहेगी.

६. बहुत से ज़मींदारान और काश्तकारान का यह ख़्याल है कि महक्मे फ़ारेस्ट (जंगलात) ने जो चक रिझर्व्ड जंगल के काटे हैं उनके कॉंकड़ व मिनारेजात वग़ैरह का सबूत फ़राहम करना या ऑफ़िसरान के रूबरू उनको पेश करना उनका फ़र्ज़ नहीं रहा, और न मिनारेजात सरहद्दी रियासत ग़ैर की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी क़ायम रही. यह ख़्याल उनका ग़लत है. वे जहां कि रिझर्व जंगल की हद्द इलाक़े की सरहद्द से लगी होगी और गांव नहीं होगा वहां कॉंकड़ व उस कॉंकड़ पर बने हुए मिनारेजात व निशानात की हिफ़ाज़त करना व आम्दनी व ख़र्च वग़ैरह का हिसाब रखना ज़िम्मे महक्मे जंगलात रहेगा. लेकिन जहां रिझर्व्ड जंगल में देहात सरहद्द पर वाक़े हैं, वहां सरहद्द की संभाल के बाबत फ़रायज़ ज़मींदारान व काश्तकारान जो हमेशा से चले आते हैं वे ब दस्तूर क़ायम रहेंगे.

रिझर्व जंगल के कॉंकड़ पर जो देहात हैं उनकी ज़िम्मेदारी बाबत हिफ़ाज़त सरहद्द बदस्तूर क़ायम है.

७. बहुत जगहों पर इलाक़े ग़ैर के मुक़ाबले में मिनारे बने हुए हैं और वे सुपुर्द नम्बरदार हैं, जिनको अच्छी हालत में रखना फ़र्ज़ नम्बरदार का है. उसका यह भी फ़र्ज़ है कि अगर कोई ऐसी सरहद्द पर दस्तन्दाज़ी करे या किसी मिनारे को नुक़्सान पहुंचाना चाहे तो उसको मना करे, और फ़ौरन ही उसकी रिपोर्ट पटवारी के पास व तहसील में करे. जब पटवारी को इत्तिला होवे तो वह फ़ौरन मौक़े पर पहुंचे, दीगर काम का हीला हवाला न करे.

मिनारों की हिफ़ाज़त करना व नुक़्सान पहुंचे तो रिपोर्ट करना.

८. नम्बरदार और काश्तकार देह का यह भी फ़र्ज़ है कि जब इलाक़े ग़ैर की तरफ़ से सरहद्द के क़रीब पैमायश होती हो या लैन तराशी होती हो तो वे ख़ुद मौक़े पर मय पटवारी के हाज़िर रहें, और इत्तिला इस बात की फ़ौरन तहसील में करें, और यह देखें कि पैमायश करनेवाला या लैन तराशी करनेवाला अपनी सरहद्द के अन्दर मदाख़लत तो नहीं करता है.

इलाक़े ग़ैर की तरफ़ से सरहद्द के क़रीब पैमायश या लैन तराशी होती हो तो ज़मींदार मौक़े पर हाज़िर रहे, और इत्तिला तहसील में करे.

अगर ग़ैर इलाक़ेवाले का अपनी सरहद के अन्दर किसी क़िस्म की मदाख़लत करना मालूम हो तो ज़मींदार को चाहिये कि उसको भलमनसाहत के तरीक़े पर कहे कि मैं तहसीलदार साहब के पास जाकर रिपोर्ट करता हूं, ता वक़्तेकि वे मौक़े पर पहुंचकर न देख लेवें आप अपना काम बराय मेहरबानी बन्द रक्खें. ऐसा कहने के बाद उस ज़मींदार को चाहिये कि वह फ़ौरन तहसीलदार साहब के पास जाकर मदाख़लत करनेवाले की रिपोर्ट करे.

मिनारों की निग्रानी व दुरुस्ती व शकिस्तगी की तहसील में रिपोर्ट करना.

९. ख़ुद ज़मींदार को चाहिये कि जिस सरहद पर मिनारे बने हैं उनकी निग्रानी ख़ुद या अपने कार परदाज़ से हर साल एक मर्तबा अलावा दौरा फ़स्लेन करे या करावे, जिसका इन्दराज रोज़नामचा पटवारी में भी होगा. मिनजुमला इन दौरों के पहिले दौरे के वक़्त इन मिनारों पर क़लई या खड़िया मिट्टी छिड़कावे और रिपोर्ट तहसील में करे कि फ़लां मिनारा शकिस्त और फ़लां मिनारा दुरुस्त हालत में है.

काँकड़ का खेत जोतने के लिये किसी काश्तकार को दिया जावे तो हिफ़ाज़त सरहद व मिनारों के रखने बाबत शर्त पट्टा क़बूलियत में लिखाई जावे.

१०. जिस वक़्त काँकड़ के खेत किसी काश्तकार को ज़मींदार देना चाहे तो उसे लाज़िम है कि ऐसे आसामियान के पट्टे और क़बूलियत में शर्त हिफ़ाज़त मिनारा और हिफ़ाज़त सरहद की जो उसकी आराज़ी से लगी है लिखा लेवे और यह भी उसमें दर्ज करे कि मैंने लाइन सरहद बतला दी है, और ख़ुद उस पर आसामी को साथ रखकर चलके बतलादे, ताकि कोई बात शक की न रहजावे.

ऐसी आराज़ी के पट्टे और क़बूलियत दो प्रत से तैयार होंगे, जिसमें से एक क़बूलियत ज़मींदार के पास उसके ऑफ़िस में रहेगी और दूसरी प्रत ज़मींदार तहसील में पेश करेगा.

जहां मिनारे न हों वहां मिनारे बनवाना.

११. ज़मींदार देह को लाज़िम है कि अगर सरहद पर मिनारे न हों तो उनके बनाने के लिये तहसील में दरख़्वास्त पेश करे, और कुल सबूत अपनी सरहद के अपने पास जमा रक्खे, इसलिये कि शायद लेन का तनाज़ा पैदा हो जाय तो वह उस सबूत को बरवक़्त बतासके.

१२. आराज़ी कॉंकड़ जो क़ाबिल काश्त हो उसे नम्बरदार खुद आबाद करे या काश्तकारान से आबाद करावे. आराज़ी कॉंकड़ आबाद रखनी चाहिये.

१३. किसी काश्तकार देह को कॉंकड़ की आराज़ी आबाद करने के लिये अगर खाद, बीज, बैल व चाह (कुवा) बनाने के लिये मदद की ज़रूरत हो तो जमींदार को चाहिये कि या तो वह खुद जमींदार या सरकार से उस आसामी को मुताबिक़ क़ायदे बेंक काश्तकारान के मदद दिलावे. जमींदार यह भी करसकता है कि ऐसी आराज़ी कॉंकड़ आबादी के लिये रेट से भी कम महसूल पर या किसी मुद्दत के लिये बिला महसूल या रिआयती महसूल पर देवे. मगर ख़्याल रहे कि ऐसी आराज़ी उन काश्तकारों को दी जावे जो मौज़े के खास रहनेवाले हों. अपने गांव से लगे हुए दीगर इलाक़े के बाशिन्दे को कॉंकड़ की ज़मीन हांकने के लिये हरगिज़ नहीं देनी चाहिये, अगर वह अपने गांव में भी आकर आबाद हो जावे तो भी कॉंकड़ से हटकर, बीच की ज़मीन या दूसरी ज़मीन ऐसे काश्तकार को काश्त के लिये देने में हर्ज नहीं. आराज़ी कॉंकड़ आबादी में आने के लिये मदद करना व रिआयतें देना.

१४. नम्बरदार आराज़ी को चाहिये कि कॉंकड़ की आबादी में जो कुछ सर्फ़ा वह करेगा या आम्दनी काश्तकारान से वसूल करेगा, उसका तफ़सील-वार जमाखर्च मय नाम खेत व आसामी के अपने ऑफ़िस के खानगी बही खाते में दर्ज कररक्खे और मुताबिक़ उसके पटवारी के काग़ज़ात में भी दर्ज करावे. हिसाब आम्दनी व खर्चे का रखना.

१५. जब किसी गांव के सरहदी मिनारे किसी बड़े क़स्बे से ज़्यादा फ़ासले पर हों और उनकी जुज़वी मरम्मत करानी ज़रूर हो तो ज़मींदारों को चाहिये कि वे खुद ऐसी मरम्मत करादेने में अहलकारान दरबार को मदद करें यानी कारीगर और मज़दूर भेजने का इन्तज़ाम करें. गांव में कारीगर न मिलने पर मिनारों की मरम्मत करा देनी चाहिये.

१६. जहां कहीं इलाक़े दरबार व इलाक़े ग़ैर की सरहद नदी की धार हो वहां अगर वह नदी अपना बहाव बदले और उससे ज़मीन एक इलाक़े की दूसरे इलाक़े में चली जाती हो या ग़ैर इलाक़े की जानिब से कोई आरज़ी तौर का बंद या दीगर रुकावट नदी के तह में ऐसी पैदा की जावे जिससे यह खतरा हो कि नदी का कटाव सरकार इलाक़े की तरफ़ ज़ोर का हो सरहदी नदी बहाव बदले तो इस बात की निग्रानी रखना व रिपोर्ट करना.

जायगा या सरकार इलाके की आराज़ी दूसरी तरफ़ चली आयगी तो ज़मींदारों को चाहिये कि हर शक्ल में रिपोर्ट फ़ौरन तहसील में पहुंचावें और बंद या रुकावट पैदा किये जाने की शक्ल में ऐसी कोशिश करें कि वह बंद या रुकावट जल्द दूर हो जाय.

रेलवे कंपनी वग़ैरह ज़मीन में मदाख़लत करें तो रिपोर्ट करना.

१७. अगर रेल की कम्पनीवाले या दीगर कारख़ानेवाले वास्ते अपने काम चलाने के बिला इजाज़त सरकार गांव की पड़त या चलत ज़मीन पर किसी क़िस्म की मदाख़लत करें या उसको काम में लावें तो ज़मींदार को चाहिये कि उसकी रिपोर्ट तहसीलदार साहब से करे. ज़मींदारों को ख़ुद ऐसे कामों के लिये किसी को आराज़ी में दख़ल दिलाने का मजाज़ किसी सूरत में हासिल नहीं है.

बाब २२.

गांव में अमन व अमान रखना.

बाब बाईसवां.

गांव में अमन व अमान रखना.

१. अमूमन जमींदार गांव में सरकार की तरफ़ से एक मुआज़्ज़िज़ और ज़ी इख़्तियार आदमी समझा जाता है. उसके नीति के अनुसार बरताव करने से झूठ, बदमाशी, चोरी, डकैती वग़ैरह बड़े जरायम की रोक हो सकती है, और वह आम व खास आदमियों को बुराई से बचाकर राह रास्त पर ला सकता है; और पुलिस को जरायम के रोकने और उनकी तहक़ीक़ात करने में पूरी पूरी मदद दे सकता है. जमींदारों को चाहिये कि जो वाक़िआत उनके गांव के हद में हों उनकी इत्तिला पुलिस को फ़ौरन देवें, और तफ़तीश जरायम में भी मदद देवें. जो जमींदार अपना काम इस बारे में अच्छी तरह करेंगे उनकी खिदमात हाकिमान अज़लाय की जानिब से दरबार की इत्तला में लाई जावेंगी और दरबार से उनकी क़द्र होगी.

जमींदार के फ़रायज़.

२. हर क़िस्म के जुर्म और बुराइयां (१) उनकी रोक करने और (२) मुजरिमों को सज़ा दिलाने से बन्द हो सकती हैं. जुर्म हो जाने के बाद मुजरिमान को सज़ा दिलाने से अमन गांव में हो जाता है, लेकिन उसकी इतनी तारीफ़ नहीं होती जितनी कि उस इन्तज़ाम की कि जिससे जुर्म के होने की नौबत ही नहीं आने पाती और लोग हमेशा अमन में रहते हैं. जहां तक हो जमींदार को इस ढंग से गांववालों के साथ बरताव करना चाहिये कि गांव हर तरह के जुर्म और बुराइयों से बचा रहे. और अगर इत्तफ़ाक़ से जुर्म हो भी पड़े तो उसकी तहक़ीक़ात वग़ैरह में इतनी कोशिश करके मुजरिमों को पुलिस व अदालतों के ज़रिये से इस तरह सज़ा दिलावे कि दूसरों को इबरत हो. बहुत से जमींदार जुर्मों के छिपाने को भलमनसाहत का काम समझते हैं. यह बात ठीक नहीं है. जहां मुजरिमों और बदमाशों के लिये तंबीह नहीं होती है और भले आदमियों की इज़्ज़त व क़द्र नहीं होती वहां भले आदमियों का रहना मुश्किल हो जाता है. इसलिये जमींदार को चाहिये कि वह हर वक़्त यह ख़्याल करता रहे कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जिस पर गांव का अमन अमान रखना और गांववालों की नेक चलनी

इन्सिदाद जरायम व सुराग़रसी.

और भलमनसाहत बढ़ाना फ़र्ज़ है, और मुझको नेक नियती से अपने फ़र्ज़ को अदा करना चाहिये.

कोई बदचलन गांव में हो तो उसकी इत्तिला देना.

३. अगर एक मौज़े में एक आदमी किसी बदचलन आदमी को जुर्म संगीन करने में मदद देता है या उसके बाबत कुछ रिपोर्ट नहीं करता है तो उससे दूसरे आदमियों का भी चाल चलन बिगड़ जाता है, और फिर आख़िर को सब गांव पर बुरा असर पड़ता है. इसलिये हर आदमी को चाहिये कि गांव में किसी की संगीन जुर्म की तरफ़ तवज्जह मालूम होवे तो चौकीदार के ज़रिये से पुलिस में रिपोर्ट करादे, और उसकी किताब में देख ले कि उसने रिपोर्ट लिखादी है या नहीं, जिससे पुलिस उसका बन्दोबस्त करसके, मस्लनः—

(१) हतुवा किसान रात को ज़मींदार के पास एक गाय लाया और कहने लगा कि यह दो रुपये को इस वक़्त मिल सकती है, आप मुझे दो रुपये क़र्ज़ दे दीजिये. इस पर ज़मींदार ने कहा कि इतनी अच्छी गाय इतनी सस्ती कभी नहीं हो सकती. यह ज़रूर चोरी की गाय होगी. तुमको इसे लेना नहीं चाहिये. सिवाय इसके तुम उस आदमी को जो यह गाय लाया है पकड़कर मेरे पास लाओ, ताकि मैं यह जान जाऊं कि आया यह माल चोरी का माल है या क्या. अगर यह चोरी का निकलेगा तो फ़ौरन इसकी रिपोर्ट पुलिस में होनी चाहिये. सिवाय इसके अगर गाय बेचनेवाला सीधा साधा है तो इसको भी २०, २५ रुपये की चीज़ दो रुपये को लेने का ख़्याल न करना चाहिये. चोरी का माल लेना क़ानूनन् एक जुर्म है जिसके बाबत मुक़द्दमा क़ायम होके ऐसा माल लेनेवाले को अदालत से सज़ा होती है. अगर माल चोरी का न हो और बेचनेवाला ऐसा सीधा हो कि जिसे अपनी चीज़ की क़ीमत का कुछ भी हाल मालूम न हो तो भी २०, २५ रुपये की क़ीमती चीज़ को दो रुपये को मोल लेनेवाले आदमी को अमूमन लोग भला आदमी नहीं समझेंगे.

(२) भूरे किसान ने ज़मींदार के पास सुबह आकर एक कनस्तर घी का रख दिया और कहा कि मेरे पास लगान देने को रुपये नहीं हैं, तुम यह घी लो. जब ज़मींदार ने उससे बातें कीं तो उसे यह कुछ कुछ मालूम हुआ कि यह घी, न भूरे ने कभी मोल लिया, न उसने अपने यहां बनाया, न किसी ने उसको दिया. इसलिये जब उसे शुबह हुआ तो वह फ़ौरन भूरे के मकान में गया, और जब उसके बीवी, बच्चे और लोगों से तहक़ीक़ात करने से उसे यह मालूम हुआ कि वह उसे किसी पड़ोसी ज़मींदार के यहां से चुरा लाया, तो उसने भूरे की रिपोर्ट चोरी बाबत फ़ौरन पुलिस में करदी. इससे यह हुआ कि उसके गांव में चोरी की रोक हो गई. लोगों को यह ख़्याल हो गया कि अगर ऐसा काम किया जायगा तो पकड़े जायेंगे.

(३) कलुआ चमार के यहां शादी हुई और उसने शराब घर पर बनाली. मुलुआ चमार को दावत के बाद जब यह मालूम हुआ कि इसने क़ानून के ख़िलाफ़ शराब अपने घर पर बनाई तो उसने तुरन्त इस बात की खबर ज़मींदार को दी, और जब ज़मींदार ने कलुआ से ५ रु० लेकर इस जुर्म को छिपाना चाहा तो मुलुआ ने इस बात की रिपोर्ट थाने में भी करदी.

अब देखना चाहिये कि मुलुआ चमार ने कितना अच्छा काम किया. उसको दावत खाकर कलुआ की कुछ मुरव्वत न आई. उसने कलुआ की आदत को सुधारा और बड़े नुक़्सान से बचाया और उसने ज़मींदार को भी बदनियत न होने दिया.

(४) दिवालियों के बाद कलुआ, मुलुआ और भूरे ने चौपाल में बैठकर रात को दस पांच नौ जवान लड़कों को जुआ खेलना सिखाया. जुए की नाल से जो रुपये कमाये उनसे उन्होंने अपने कपड़े अच्छे बनाये. मानसिंह ज़मींदार को जब यह हाल मालूम हुआ तो उसने इन लड़कों को भी समझाया, और

कलुआ, मुलुआ और भूरे से भी कहा कि आज से तुम ऐसा मत करो. दूसरे दिन फिर वे ऐसा ही करने लगे तो मानसिंह ने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट लिखादी और उन लोगों पर सख़्त तम्बीह हुई. यहां पर यह ज़ाहिर है कि मानसिंह ने न तो लड़के समझकर उनकी मुरव्वत की न अपराध को छुपाया.

गांव में आपस के बाहमी झगड़े व उनका फ़ैसला किस तरह करना चाहिये.

४. गांव में जो झगड़े बाहमी हुआ करते हैं उनकी बहुतसी क़िस्में हैं, और क़ानून में उनकी शरह है, मगर ख़ुसूसियत के साथ वे झगड़े जिनसे गांव की आबादी में फ़र्क़ आता है मिसाल के तौर पर इस जगह बयान किये जाते हैं और उनके फ़ैसले का तरीक़ा बतलाना भी मुफ़ीद मालूम होता है:-

जो गांव सरकार में गोल हैं उनका बटवारा बाहमी या सरकारी तौर पर करा लेना चाहिये.

(१) जो गांव सरकार में गोल हैं यानी जिनकी तक़सीम वा क़ायदा नहीं हुई है उनमें अक्सर झगड़े बाहमी पट्टीदारान हुआ करते हैं, और बंजर ज़मीन जो काश्त में होती है उसकी आबादी के लिये एक शख़्स दूसरे को मना करता है, और इस ज़रिये से गांव में बड़ा हिस्सा बंजर का बावजूद हल बैल होने के पड़ा रहता है. जो होशियार ज़मींदार हैं वे ऐसे मुतनाज़ा बंजर को आबाद कराकर लगान तक़सीम कर लिया करते हैं, या ज़मीन को बाहम तक़सीम करके जुताते हैं. सब से आसान तरीक़ा सरकार ने यह मुक़र्रर किया है कि ऐसे मवाज़ियात की सरकारी तरीक़े पर या बाहमी तरीक़े पर तक़सीम कराली जावे तो आयन्दा को कोई झगड़ा नहीं रहता है.

अगर कोई मालदार पट्टीदार अपनी ज़मीन पूरी काश्त करे तो हसद न करना बल्कि अपनी ज़मीन आबाद करनी चाहिये.

(२) दूसरा झगड़ा आम तौर पर ऐसे मवाज़ियात में यह होता है कि मालदार पट्टीदार अपने हिस्से की जमीन पूरी काश्त कराता है और कसीर फ़ायदा उठाता है. और दूसरे पट्टीदार जिनके पास माली मदद नहीं है उनकी ज़मीन पड़ी रहती है, और मालगुज़ारी बराबर की देनी पड़ती है और इसमें हमेशा झगड़ा हुआ करता है. पस ऐसी हालतों में बजाय हसद करने के अपनी जमीन को रिआयती लगान पर या सरकारी बैंक से अमानत लेकर आबाद कराना चाहिये.

ज़बरदस्त पट्टीदार अगर ज़्यादा ज़मीन पर क़ब्ज़ा करले तो तफ़रीक़ जमा करालेनी चाहिये.

(३) तीसरी शक्ल झगड़े की यह होती है कि ज़बरदस्त पट्टीदार बहुत सी ज़मीन अपने क़ब्ज़े में करलेते हैं और काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, और कमज़ोर पट्टीदार के क़ब्ज़े में ज़मीन कम रहती है, और मालगुज़ारी ज़्यादा देनी पड़ती है. ऐसी सूरत में तफ़रीक़ जमा कराली जावे या तक़सीम कराना मुफ़ीद होता है.

(४) चौथी हालत यह होती है कि जब नम्बरदार कमज़ोर होता है तो पट्टीदार ज़मीन क़ब्ज़े में ज़्यादा रखते हैं, और रुपया कम देते हैं जिससे बक़ाया रहकर गांव क़ब्ज़े से निकल जाता है. इसके लिये आसान तरीक़ा यह है कि तहसीलदार को दरख़्वास्त करके पट्टा करा लेना चाहिये, ताकि अगर रुपया वसूल न होवे तो नालिश सरसरी के ज़रिये से रुपया हासिल हो जावे.

पट्टीदार रुपया कम दें तो नम्बरदार को पट्टा करालेना चाहिये ताकि नालिश से रुपया वसूल हो जावें.

(५) पांचवीं हालत यह होती है कि मुन्ज़ब्ता माफ़ीदार रुपये नहीं देते हैं, उनसे सरसरी के ज़रिये से रुपया वसूल होसकता है.

मुन्ज़ब्ता माफ़ीदार से रुपये की वसूली.

(६) छटी हालत गांव के बरबादी की यह भी होती है कि साहूकार जो रुपया क़र्ज़ा देते हैं उसका दूना चौगुना वसूल कर लेते हैं, और फिर भी हज़ारों रुपया खाते में बाक़ी निकालते हैं. इसलिये सरकार ने ख़ुसूसियत के साथ क़ानून जारी फ़रमाया है कि हर शख़्स अपने हिसाब फ़हमी की नालिश करसकता है. पहिले ज़मींदारान साहूकारान से इसलिये हिसाब फ़हमी का सवाल नहीं करसकते थे कि उनको रुपया मिलने की दूसरी जगह न थी, मगर अब दरबार ने बैंक इन्हीं अग़राज़ के लिये जारी किया है और हलके सूद पर रुपया देना तजवीज़ किया है.

साहूकार से हिसाब समझना.

(७) पहिले ज़माने में रजिस्टर मिलकियत ज़मींदारान का न था, इसलिये हर शख़्स जिसमें कुछ भी ताक़त होती थी शरीक बनने का ज़ोर दिखलाता था. अब दरबार ने खेवट बाद तहक़ीक़ात के हर मौज़ा की बाबत बनादी है, और वही शख़्स हिस्सेदार होगा जिसका नाम खेवट में होवे और क़ब्ज़ा ज़मीन पर होवे. इसलिये मिलकियत के तनाज़ेआत में सब से पहिले खेवट को देखना चाहिये.

मिलकियत के तनाज़ेआत में सब से पहिले खेवट को देखना चाहिये.

(८) ज़बरदस्त नंबरदार अपने पट्टीदारों को नफ़ा नुक़्सान का हिसाब नहीं समझाते हैं, और उनपर मतालबा काश्त के लगान का करते हैं. अब इस नुक़्स के रफ़ा करने को दरबार ने ऐसे नक़्शेजात पटवारी के पास बनवा दिये हैं कि जिनको हर एक पट्टीदार देख सकता है और अपना नफ़ा नुक़्सान समझ सकता है. अगर बाहमी ऐसे मामले तय न हों तो पंचायत से या तहसील से एक मर्तबा उन्हें तय करा लेना चाहिये ताकि आयंदा को तनाज़ा न रहे.

अगर ज़बरदस्त नम्बरदार अपने पट्टीदारों को हिसाब न समझावे तो पंचायत से या तहसील से मामले को तय करालेना चाहिये.

बहरी बनाने या साल ब साल लगान में कमी बेशी करने की कोई जरूरत नहीं है.

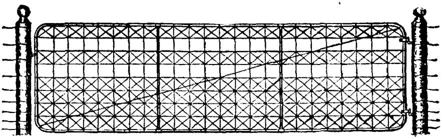
(९) पुराने तरीक़ के मुताबिक़ बाज़ गांव में बहरी बनाई जाती है, और पटवारी का उसमें बहुत दखल होता है. अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर शख़्स से पट्टा क़बूलियत लेना चाहिये, और लगान क़ायदे के मुताबिक़ ज़मींदार वसूल करसकता है. फिर पटवारी के हाथ में अपना मामला देना अक़्ल की बात नहीं है. न बहरी बनानी चाहिये, और न साल ब साल लगान में कमी बेशी करनी चाहिये. यह तरीक़ा उस वक़्त का है जबकि ज़मींदार को कोई ख़ास हक़्क़ सिवाय बोंड़े के न था. अब दरबार ने ऐसी कसीर रक़म ज़मींदार को छोड़ी है कि जिसके ज़रिये से वह ही मालदार नहीं होसकता है, बल्कि अपने गांव को भी सरसब्ज़ करसकता है.

मुतनाज़ा चाहात को फ़ौरन फ़ैसला करके दुरुस्त कराना चाहिये.

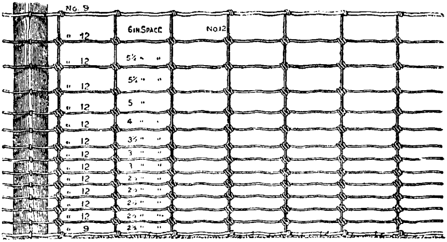
(१०) गांव में जो चाहात ख़ारिज पड़े हैं उनको तनाज़ा मिलकियत की वजह से कोई शख़्स दुरुस्त नहीं करसकता है. पस ऐसे मुतनाज़ा चाहात को फ़ौरन फ़ैसला कराकर दुरुस्त कराना चाहिये, और उनसे आबपाशी करके फ़ायदा हासिल करना चाहिये. ग़रज़ कि इसी तरह की और भी बातें हैं जिनका फ़ैसला फ़ौरन करा लेना चाहिये, मगर उनको ज़्यादा न बढ़ाया जावे जैसा कि ऊपर बयान हुआ है.

बाब २३.

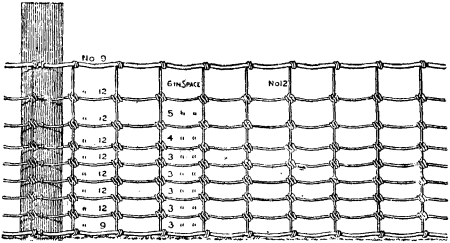
हिफ़ाज़त मवेशियान.



सबसे अच्छा खेत का फाटक उंचाई ३६ इंच से ५४ इंच तक
लम्बाई ३ फुट से १४ फुट तक.



नंबर १४४८, वजन मामूली, १४ तारवाली बाड़, चार फुट ऊंची,
खड़े तार तेरह तेरह इंच फ़ासले पर.



नंबर ९३०, वज़न मामूली, नौ तारवाली बाड़, ढाई फुट ऊंची,
खड़े तार तेरह तेरह इंच फ़ासले पर.

जमींदार हितकारी. **बर्न एन्ड को, कलकत्ता.**

बाब तेईसवां.

हिफ़ाजत मवेशियान.

१. जमींदारान अक्सर जंगल व पहाड़ों के गांव में जहां घास कसरत से होती है मवेशी पालते हैं, लेकिन उनकी हिफ़ाजत का माकूल बन्दोबस्त नहीं करते. सौ सौ डेढ़ डेढ़सौ जानवरों के साथ एक आद चरवाहा लड़का भेज देते हैं जो मवेशियों को पूरी तौर से घेर भी नहीं सकता, उनकी हिफ़ाजत करना तो कहां. इस वजह से अक्सर मवेशी की बेड़ हो जाती है.

बेड़ होने की वजह और उसकी इत्तिला न होने से नुक़सान.

इस तरह जब बेड़ होती है तो उसकी इत्तिला देर तक ज़मींदारों को नहीं होने पाती, क्योंकि बेड़ करनेवाले लोग या तो उस लड़के चरवाहे को किसी दरख़्त से बांध देते हैं या उसे दो चार कोस तक अपने साथ लेजाकर फिर छोड़ देते हैं. जब वह लड़का चरवाहा छूटकर या लौटकर आता है तब ज़मींदारों को इत्तिला होती है. उस वक़्त तक चोर फ़ासला दराज़ तय कर जाते हैं. जब ज़मींदारों को इत्तिला होती है तो उनकी तरफ़ से पुलिस को इत्तिला होने में और भी देर होती है या इत्तिला ही नहीं की जाती; क्योंकि वे अक्सर या तो उसको क़िस्मत की बात समझकर या सुस्ती करके बैठ रहते हैं.

इन तमाम बेअहतियातों की वजह से पुलिस के लिये मुजरिमान का तआक़्क़ुब करना या मवेशी मसरूक़ा का सुराग़ लगाना मुश्किल हो जाता है. खुसूसन जब वे ग़ैर इलाक़े में चले जाते हैं तो उनका वहीं सुराग़ लगाने और सुपुर्दगी हासिल करने में बहुत ही तवालत व दिक़्क़त पड़ती है. इससे न सिर्फ़ जमींदारों का ही नुक़सान होता है बल्कि मुल्की अमन व अमान में भी फ़र्क़ आता है

२. इसलिये इस बारे में चन्द तदबीरें ज़ैल में लिखी जाती हैं जिनपर अमल करना जमींदारान को वाजिब होगा.

हिदायात वास्ते हिफ़ाज़त आयन्दा.

(१) जब मवेशियों को जंगल में चराई के लिये छोड़ा जाय तो फ़ी २५ जानवर एक मुहाफ़िज़ उनके साथ होना चाहिये.

२५ जानवरों के साथ एक मुहाफ़िज़ जावे.

मुहाफ़िज़ तगड़ा होना चाहिये.

(२) मुहाफिज जवान तगड़ा १८ साल से ज़्यादा उमर का होना चाहिये.

यह तरीक़ा बेहतर होगा कि मालिकान मवेशी आपस में उस रक़म का चंदा जो दरकार हो जमा करें, और उस रक़म से मिर्धा या दीगर क़ौम के खास आदमी मुनासिब तादाद में मुहाफ़िज़ या चौकीदार मुक़र्रर करें.

मवेशियों पर दाग़ लगवाना.

(३) मवेशियों पर दाग़ लगवा लेना चाहिये.

नाकेबन्दी करना.

(४) जमींदारों को चाहिये कि चोरों के आमद रफ़्त व पनाह लेने के रास्तों व जगहों का पूरा पूरा पता लगावें और जिस नाके पर से होकर वे आते हों और जिस तरफ़ से होकर जाते हों उन नाकों और दरमियानी हिस्से के तमाम मवाज़ियात के जमींदार सलाह करके आपस की तजवीज़ से ऐसा इन्तज़ाम करें कि चोर बेड़ मवेशी करके किसी रास्ते से निकलने न पावें, और अगर निकल भी जावें तो उस हल्के के तमाम जमींदारान को खासकर मालिक मवेशी को इसकी खबर जहां तक होसके जल्द होजाय. खबर पहुंचने का उम्दा तरीक़ा यह होगा कि उसका कोई इशारा मुक़र्रर किया जाय, मसलन, ऊंचाई से ढोल बजाना या किसी नाम से पुकारना वगैरह. इस इशारे को आम तौर पर जाहिर न करना चाहिये, मुखिया मुखिया लोगों को मालूम रहना काफ़ी है. वे जान जावेंगे तो दूसरे लोगों को आगाह कर देंगे.

अगर जमींदारान इस तरह हल्काबंदी करके इन्तज़ाम कर लेवेंगे व खबरदार रहेंगे तो चोर खुद पस्तहिम्मत होकर उनके हल्के में आने की जुरअत न करेंगे.

पुलिस को खबर देना, तआक़ुब करना व गिरफ़्तारी.

(५) जब कोई बेड़ मवेशी होजाय तो बिला लिहाज इसके कि मवेशी अपनी है या दीगर किसी गांव की, जिस गांव के जमींदारों को जिस किसी ज़र्ये से खबर होजाय वही बिला गुज़ारने वक़्त के नज़दीकी पुलिस चौकी में (अगर हो) खबर देवें, और जमय्यत पुलिस जो दौड़ पर आयगी उसके साथ नज़दीकतर रास्ते से चोरों का पीछा करें और गिरफ़्तारी कर लावें. लेकिन अगर पुलिस चौकी दूर हो तो गांववालों को चाहिये कि

किसी को चौकी पर खबर पहुंचाने के लिये भेज देवें, व खुद जमात को साथ लेकर आपही जहां तक होसके चोरों का पीछा करके उनको पकड़ें व पुलिस के हवाले करें.

कोशिश तो यही होनी चाहिये कि राज के हद में ही वे गिरफ़्तार हो जायें, वर्ना वे दीगर इलाके में भाग जाते हैं तो वहां से उनकी सुपुर्दगी कराने में बड़ी दिक़्क़तें पेश आती हैं, और मवेशी भी पूरे पूरे बाज़याफ़्त नहीं होते.

जो लोग जवांमर्दी से चोरों का पीछा करके उन्हें गिरफ़्तार करेंगे व मवेशी छुड़ा लावेंगे वे लोगों में नेक नाम तो होवेंगे ही, लेकिन अलावा इसके उनको दरबार से इनाम भी बख़्शा जावेगा.

(६) अगर यह पाया जावेगा कि किसी मुहाफिज की निगरानी में २५ से ज़्यादा मवेशी हैं, या यह कि मुहाफ़िज़ नौजवान तगड़ा आदमी नहीं है तो जिसकी वे मवेशी होंगी उस पर हरदो सूरतों में बजुर्म उदूल हुक्मी ५ रुपये तक जुर्माना किया जावेगा.

मुहाफ़िज़ तगड़ा न हो या एक मुहाफ़िज़ के पास २५ से ज़्यादा मवेशी हों तो जुर्माना किया जावेगा.

बाब २४.

वसीयतनामा.

नम्बर.	विषय.	पृष्ठ.

बाब चौबीसवां.

वसीयतनामा.

१. अक्सर लोग जायदाद वारिसों के हाथ छोड़कर मरते हैं और उस जायदाद के हिस्सों के बटवारे के बावत और आयन्दा के इन्तज़ाम के लिये अपनी मन्शा को ज़ाहिर नहीं करजाते. इस वजह से वारिसों में झगड़े पैदा होते हैं और अदालत में जाना पड़ता है. इससे जायदाद बरबाद हो जाती है. इस बात के स्पष्ट करने के लिये चार मिसालें नीचे लिखी जाती हैं:— वसीयतनामा करने से फ़ायदे.

१. केसरसिंह ज़मींदार बिला वसीयतनामा किये बहुत कुछ पैदा की हुई जायदाद छोड़कर मरा. उसके दो बेटे थे जिनका नाम मोहनसिंह और विक्रमसिंह था. मोहनसिंह ने विक्रमसिंह पर इस बात की नालिश की कि मेरा बाप विक्रमसिंह को अपनी पैदा की हुई जायदाद में से सिर्फ़ तीसरा हिस्सा देगया है, और बाक़ी जायदाद मुझको देगया है. इस मुक़द्दमे की जवाबदेही विक्रमसिंह ने इस तरह पर की कि केसरसिंह को मौरूसी जायदाद मोहनसिंह को देने का कोई हक़्क़ नहीं था और खुद पैदा की हुई जायदाद का उसने कोई बटवारा न किया. यह मुक़द्दमा तीन अदालतों तक लड़ाया गया. आख़िरकार मुक़द्दमा लड़ते लड़ते दोनों फ़रीक़ बरबाद हो गये. इस मामले में अगर केसरसिंह बज़रिये वसीयतनामे के अपनी खुद पैदा की हुई जायदाद से तीसरा हिस्सा मोहनसिंह को देजाता तो मुक़द्दमे की नौबत न आती और न ख़ान्दान बरबाद होता.

२. सरदार बहादुरसिंह ५०,००० रुपये बैंक में रख के दो बेवाओं को छोड़कर बिना वसीयतनामा लिखे मरगया. दोनों बेवा बे औलाद थीं. उनमें से पहिली बेवा ने जज साहब की

अदालत में यह दरख्वास्त दी कि मेरा मालिक ये सब रुपये मुझको दे गया, लिहाज़ा सर्टीफ़िकेट बाबत वसूल करने रुपया मज़कूर मुझको मिलना चाहिये.

इसके बाद दूसरी बेवा ने इस मज़मून की दरख्वास्त दी कि चूंकि मैं सरदार बहादुरसिंह की दूसरी बेवा हूं, लिहाज़ा मुझको सर्टीफ़िकेट वास्ते वसूल करने २५,००० रुपये मिलना चाहिये. जब दोनों दरख्वास्तें जज साहब के रूबरू वास्ते फ़ैसल करने मुक़द्दमे के पेश हुईं तो वसीयतनामा न होने के सबब जज साहब को असलियत मुक़द्दमे की मालूम न होसकी. अगर बहादुरसिंह वसीयतनामा छोड़के मरता तो साहब जज को मुक़द्दमा फ़ैसल करने में आसानी होती.

३. ठाकुर बिलाससिंह मुसम्मात सरस्वती और जमना दो बेवाओं को छोड़के मरा. दूसरी बेवा की लड़की की जब शादी होने लगी तो उसने १,००,००० रुपये शादी के खर्च के लिये पहिली बेवा से मांगे. इस पर पहिली बेवा ने कहा कि मेरी लड़की की शादी में कुल ५०० रुपये खर्च हुए हैं तू १,००,००० रुपये कैसे मांगती है? इस पर दूसरी बेवा ने पहिली बेवा पर नालिश की और कहा कि मेरे मालिक की यही मर्ज़ी थी कि मेरी लड़की की शादी में १,००,००० रुपये खर्च हों. यह सुन के हाकिम अदालत ने कहा कि अगर तुम्हारा मालिक यह बात वसीयतनामे में लिख जाता तो अच्छा होता. चूंकि वसीयतनामा मौजूद नहीं है लिहाजा मुक़द्दमा सिपुर्द पंचायत किया जाय.

४. भगवानसिंह ठेकेदार आबकारी करमसिंह और नारायनसिंह दो लड़कों को बिला वसीयतनामे लिखे मरगया. उसकी ज़मानत का १,००,००० रुपये सरकार में जमा थे. उसके मरने पर बसबब करमसिंह और नारायनसिंह के नाबालिग होने के ठेका फ़िस्ख हो गया. ये दोनों लड़के सौतेले भाई थे और इन दोनों की मां मरगई थीं और हर लड़के का

मामा अदालत से उसका वली और सरपरस्त मुकर्रर किया गया था. करमसिंह के मामा ने सरकार में अर्जी दी कि करमसिंह को ७५,००० रुपये मिलने चाहियें व नारायनसिंह को २५,००० रुपये मिलने चाहियें. जब सरकार की तरफ से करमसिंह के मामा से वजह दरियाफ्त की गई तो उसने बयान किया कि इन रुपयों में २५,००० रुपये मेरे बाप ने करमसिंह के लिये भगवानसिंह को दिये थे. इस पर सरकार ने हुक्म दिया कि बसबब न मौजूद होने वसीयतनामे के करमसिंह को ५०,००० रुपये से ज्यादा नहीं मिल सकते, अगर तुम्हें २५,००० रुपये और लेना हो तो अदालत दीवानी से इन रुपयों के बाबत करमसिंह के हक्क में डिग्री करालो तब २५,००० रुपये और मिलेंगे. यहां पर देखना चाहिये कि अगर बजरिये वसीयतनामे करमसिंह को बजाय पचास हजार के पचीस हजार रुपया मिला होता तो इतनी तवालत न होती.

वसीयतनामा करनेवाले जिस तरह तक्सीम करना या किसी को देना या उसका इन्तज़ाम करना पसन्द करें करसकते हैं. लेकिन वसीयत करते वक्त उनको अपने धर्मशास्त्र और राज के कायदे की पाबन्दी पूरी करनी चाहिये. वे अपना वसीयतनामा तहरीरी या ज़बानी कर सकते हैं, लेकिन तहरीरी वसीयतनामा करके उसकी रजिस्टरी अगर सरकार से करा लेवेंगे तो उसकी बहुत कुछ पुख्तगी हो जावेगी. उसके पीछे किसी को यह कहने की गुंजायश न मिलेगी कि वह होश में नहीं था या वसीयतनामा जाली या बनावटी है; क्योंकि वसीयतनामा जब रजिस्टरी कराया जाता है तो उस पर हाकिम की सिदाकत होती है. रजिस्टरी कराने की दो शक्लें हैं, एक वह कि जिसमें वसीयतनामा करनेवाला वसीयतनामा लिखकर उस पर दो आदमियों की गवाही इस वास्ते करा देता है कि ये दस्तखत वसीयतनामा लिखनेवाले के हैं. दूसरी शक्ल यह है कि वसीयत करनेवाला अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को वसीयतनामा सुना देता है.

हर शक्ल में वसीयतनामे को लिफाफे में बन्द करके दफ्तर रजिस्टरी में डिपाजिट करके रखवा देना है.

वसीयतनामा अगर जबानी किया जावे तो यह ज़रूरत रहती है कि वसीयत करनेवाले के मरने के बाद गवाहान ज़िन्दा रहें, और जब कोई झगड़ा उठे तो शहादत देसकें. इसलिये बेहतर तरीक़ा तो वसीयतनामा तहरीर करके रजिस्टरी कर देने का है जिससे कोई दिक़्क़त नहीं रहती.

वसीयतनामे की इबारत साफ़ होनी चाहिये.

२. वसीयतनामा साफ़ लफ़्ज़ों में लिखा जावे ताकि उसकी इबारत ठीक समझ में आवे और उसके मज़मून के मुताल्लिक झगड़े पैदा न हों.

वसीयतनामा खुफ़िया तौर पर अदालत में रक्खा जासकता है.

३. कोई शख़्स अपनी वसीयत को ता हयात खुफ़िया रखना चाहे और उसकी रजिस्टरी न कराना चाहे तो वह उसे एक सादे लिफ़ाफ़े में बन्द करके और उस लिफ़ाफ़े पर अपनी मुहरें लगाकर वह लिफ़ाफ़ा मुहरबन्द ऑफ़िसर रजिस्टरी करनेवाले के पास अमानत रख सकता है. ऑफ़िसर रजिस्टरी करनेवाला उस लिफ़ाफ़े पर यह लिखेगा कि वह किसने अमानत रक्खा और अपने दस्तखत करेगा. इस तरीक़े से भी वह वसीयतनामा, वसीयत करनेवाले के पीछे कारआमद होगा, और झगड़े कम पैदा होंगे. (देखो जयाजी प्रताप ११ मई सन १९१० ई०.)

वसीयतनामे के लिये स्टाम्प की ज़रूरत नहीं.

४. वसीयतनामा सादा काग़ज़ पर लिखा जावेगा. स्टाम्प के लगाने की ज़रूरत नहीं है.

रजिस्टरी की फ़ीस सिर्फ़ एक रुपया देनी पड़ती है.

५. वसीयतनामे की रजिस्टरी करानी हो तो उसको सादा दरख़्वास्त के साथ मय फ़ीस एक रुपया शहर लश्कर व उज्जैन में बअदालत सब-जजी, व परगनात में बअदालत परगना जुडीशियल ऑफ़िसर पेश करना चाहिये.

रजिस्टरी करनेवाला वसीयतनामे की तहरीर की तस्दीक़ करता है.

६. ऑफ़िसर रजिस्टरी करनेवाला उस वसीयतनामे की तहरीर के मुताल्लिक़ तस्दीक़ ज़रूरी (यानी यह कि दर हक़ीक़त वसीयतनामा करनेवाले ने उसको अपने होश हवास में किया है और दस्तखत भी उसी के हैं) करके उस सिदाक़त का हाल वसीयतनामे पर लिखेगा और अपनी मुहर व दस्तखत करेगा.

७. अगर कोई वसीयत करनेवाला शख़्स खुद हाज़िर अदालत न हो-सके और चाहे कि ऑफ़िसर रजिस्टरी करनेवाला उसके पास जाकर रजिस्टरी करे, तो उस वसीयत करनेवाले को उसका मुक़ाम ५ मील के अन्दर हो तो २ रुपये और इससे ज़्यादा फ़ासले पर हो तो ५ रुपये फ़ीस देनी चाहिये. इस फ़ीस के दाखिल करने पर रजिस्टरी ऑफ़िसर उसके पास जाकर रजिस्टरी वसीयतनामे की करेगा.

रजिस्टरी ऑफ़िसर को वास्ते रजिस्टरी के घर पर बुलाने की फ़ीस.

८. अगर कोई अपना वसीयतनामा रजिस्टरी न कराकर बन्द मुहर में बतौर अमानत अदालत में रखना चाहे तो उसके लिये फ़ीस ५ रुपये दरख़्वास्त के साथ दाखिल करनी चाहिये.

मुहरबन्द लिफ़ाफ़ा अमानत में रखने की फ़ीस.

९. अगर कोई शख़्स अपना वसीयतनामा मुहरबन्द (अमानत में रक्खा हुआ) किसी वक़्त रजिस्टरी ऑफ़िसर से वापिस मांगे तो वह उसको रसीद देने पर वापिस करादिया जावेगा. अगर वसीयतनामा रखनेवाला मरजावे तो वसीयतनामा उसके वारिस को या और किसी शख़्स को (जिसका उस वसीयत से मुफ़ाद हो) उसकी दरख़्वास्त मय रसीद, वसीयतनामे के पेश करने पर, लिफ़ाफ़े से खोलकर देदिया जावेगा, और रजिस्टरी ऑफ़िसर के उसपर मुहर, दस्तख़त होंगे (सरक्यूलर नम्बर ४, तारीख़ ३ मई सन १९१० ई०, मजरिया लेजिस्लेटिव व जुडीशियल डिपार्टमेन्ट, दरबार गवालियार).

मुहरबन्द लिफ़ाफ़ा वापिस मिल सकता है.

बाब २५.

तालीम.





लड़कियों के मद्रसे में चद्दर पर कूदने की कसरत.

बाब पचीसवां.

तालीम.

१. जमींदारों के लिये लिखना पढ़ना और हिसाब को समझना बहुत ही जरूरी है, और उनमें इल्मी वकफ़ियत या लियाक़त न होने से उनके काम में बहुत ही खराबी और नुक़सान होजाते हैं, मसलन, अगर जमींदार को हिसाब किताब करना और समझना न आवे तो उनको हमेशा मुहताज पढ़े लिखे लोगों का रहना पड़ता है जिसकी वजह से उनका बहुत कुछ नुक़सान होना मुमकिन है. कम से कम जमींदारों की तालीम इतनी जरूर होनी चाहिये कि वे हिसाब किताब समझलें, सरकारी हुक्म को बांचलें और समझलें और कृषिविद्या को अच्छी तरह हासिल करलें. सरकार ने इस विद्या की किताबें भी बनाई हैं. अलावा इनके और भी पुस्तकें इस विषय पर हैं और अखबार भी निकलते हैं जिनका हमेशा पढ़ना व समझ लेना जमींदार का काम है.

जमींदार को लिखना पढ़ना आना चाहिये.

२. जमींदारान और काश्तकारान को चाहिये कि अपने लड़कों को पूरी तौर से तालीम दिलावें बल्कि यह समझना चाहिये कि उनकी तालीम का होना बहुत ही जरूरी है. चुनांचे उनको चाहिये कि अपने लड़कों को पास के मदरसों में भेजें. अगर मदरसा पास न हो तो आपस में चन्दा करके मुदर्रिस रखकर उनको पढ़ावें. अगर गांव में पुजारी या पुरोहित पढ़ा लिखा हो तो वह भी पढ़ाने लिखाने का काम करसकता है.

बच्चों को तालीम काफ़ी दिलानी चाहिये.

जमींदारों को चाहिये कि तादाद लड़कों की जिस वक्त काफ़ी जमा हो जावे उस वक़्त मदरसा खोलने के बाबत सरकार में दरख़्वास्त करें.

जमींदारों का काम है कि अपने गांव में जो लड़के हों उन्हें स्कूल में जाने की तरग़ीब दिलावें और इसी माफ़िक़ लड़कियां भी लड़कियों के स्कूल में जा सकती हैं.

बाब २६.

आग बुझाना.



MERRYWEATHER & SONS, LTD. LONDON, ENGLAND

आग बुझाना.

बाब छब्बीसवां.

आग बुझाना.

१. अक्सर गरम मौसम में जब गरमी बहुत पड़ती है और हवा तेज चलती है तो गांव और जंगलों में इत्तफ़ाक़ से आग लग जाती है, और जिन गावों में छप्पर के मकान पास पास होते हैं वे आग लगने से व हवा चलने से एकदम जल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, वे भी ऐसे कि बाजार के बाजार थोड़ी देर में राख हो जाते हैं. ऐसी हालत में किसान लोगों का बड़ा नुक़सान हो जाता है. बहुतसी आतिशज़दगियों में झोंपड़े और मकान ही नहीं जलते बल्कि गल्ला, कपड़ा और माल भी जलजाता है. अगर लोग उस वक़्त घरों से निकल जाने की कोशिश न करें तो मर्द, औरत, बच्चे, गाय, भैंस वगैरह भी जो बंधे रहते हैं वे भी जलकर मर जाते हैं या ज़ख़्मी होजाते हैं. इन बातों का ख़्याल करके गांववालों को चाहिये कि आतिशज़दगी से बचने के लिये जो कुछ इन्तज़ाम उनसे होसके उसके करने में कोई बात बाक़ी न रक्खें.

आग लग जावे तो जल्द बुझाने की तदबीर करना.

२. आग बुझाने के बहुत से तरीक़े हैं, एक तो पानी है. दूसरा आग की ज्वालाओं पर अगर काफ़ी मिट्टी डाली जाय तो उससे भी आग बुझ जाती है, और जहां फ़ायर एंजिन, स्टीम पेटरोल या हाथ के एंजिन होते हैं और लोग होशियार और फ़ुरतीले होते हैं वे इनको काम में लाने से आग बहुत जल्द बुझा लेते हैं. जिनकी शक्लें उन तस्वीरों से मालूम होंगी जो इस किताब में दी हैं.

आग बुझाने के तरीक़े.

३. गांववालों को चाहिये कि ऐसे इत्तफ़ाक़ों से बचने के लिये पानी, मिट्टी, एंजिन वगैरह जैसी जिसकी इच्छा हो हर वक़्त तैयार रक्खें या सब मिलकर फ़ायर एंजिन ले रक्खें तो ठीक होगाः और जहां तक होसके पक्के मकान बनावें. पक्के मकानों के बनाने में अव्वल ही अव्वल रुपया तो ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन जब एक दफ़ा मकान बन गया तो

आग बुझाने का सामान तय्यार रखना और मकानात पक्के बनवा लेना.

फिर उसमें आग लगने की दहशत नहीं होती. पक्के मकानों का बनाना बहुत कुछ लोगों के शौक़ पर मुनहसर है. जिन गांवों में लोगों को पक्के मकान बनाने का हौसला एक दफ़ा शुरू हो जाता है, उन गांवों में लोग कच्चे मकान बनाना ऐब समझते हैं. और पीछे पीछे पक्के मकान बनाने का एक रिवाज सा हो जाता है जिसकी देखा देखी सब लोग पक्के ही मकान बनाने लगते हैं.

पक्के मकान बनाने के फ़ायदे.

४. पक्के मकानों के फ़ायदे बहुत हैं. जब एक दफ़ा पक्का मकान बन जाता है तो पुश्तों तक काम आता है. इस बात का ख़याल करके गांववालों को यह समझ रखना चाहिये कि गो पक्के मकान बनाने में एक दफ़ा बहुत तकलीफ़ होती है, मगर बनिस्बत हर साल आतिशज़दगी के सबब से नये मकान बनाने से यही बेहतर होता है कि एक दफ़े का खर्च बरदाश्त किया जावे, और तकलीफ़ उठाकर जहांतक होसके पक्के मकान बनाये जावें.

बहुत सी जगह पत्थर नहीं मिलते. वहां ईंट और मिट्टी की दीवार बनाकर उसपर छत टीन के पत्तरों से पटवा देनी चाहिये. इसमें कोई शक नहीं कि मौसम गरमी में टीन की छत होने से मकान गरम हो जाता है ताहम् अगर उस टीन पर ३, ४ इंच मिट्टी डालदी जावे तो फिर कमरा गरम ऐसा न होगा जैसा बिला मिट्टी के होता है.

घरों में पानी के घड़े हमेशा भरे रखना चाहिये.

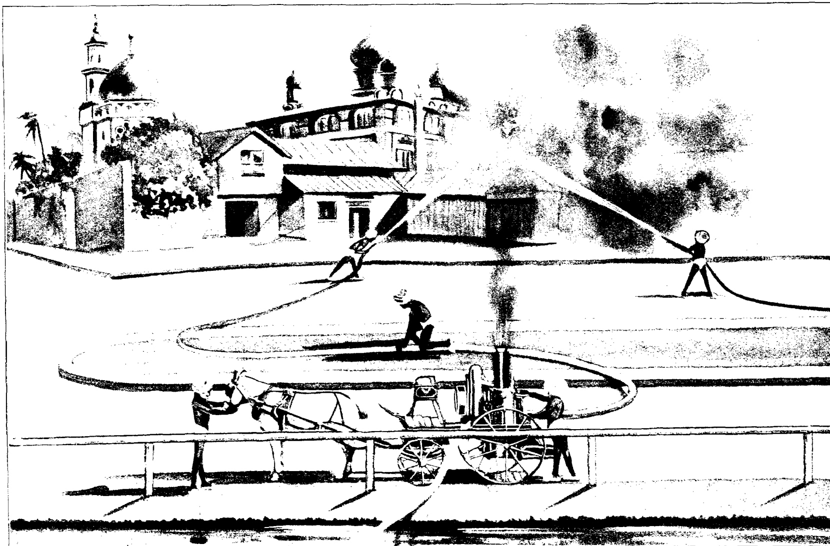
५. गांव में हर छप्पर के बने हुए घरवाले को चाहिये कि काफ़ी तादाद में घड़े या हौज़ पानी के भरे हुए हमेशा तैयार रक्खे ताकि वह ऐसे इत्तफ़ाक़ों के होजाने पर आग बुझाने के काम में आवें.

कुछ मिट्टी, रेत वग़ैरह भी जमा रखनी चाहिये.

६. इसी तरह कुछ मिट्टी, रेत वग़ैरह भी मकान के क़रीब इकट्ठी रहनी चाहिये जो आग बुझाने में काम दे.

आग फैलने की रोक करनी चाहिये.

७. जब कभी किसी मकान में आग लगजावे तो उस मकान के पास के छप्परों को जो उसके क़रीब या मिले हों आग लगने से पहिले ही या आग लगते ही निकाल देना चाहिये. अगर ऐसा न होसके तो उनको पानी से भिगो दे या उनपर मिट्टी इसक़दर डालदे कि आग पास के छप्परों को न लगजावे.



LONDON, ENGLAND.

आग बुझाना.

८. गांववालों में यह अक्सर आदत होती है कि मकानों के ऊपर या मकानों के क़रीब घास लकड़ी वग़ैरह भी बहुतसी रख देते हैं. यह बात अक़्लमन्दी की नहीं है; क्योंकि जब इस घास लकड़ी में आग लग जाती है तो न उस घास लकड़ी का ही नुक़्सान होता है, बल्कि उनके जलने से औरों के मकान भी जल जाते हैं और उस लकड़ी के खरीदने में और मकान बनाने में फिर रुपया खर्च होता है. इस तरह रुपया सर्फ़ हो जाने से और काम जो करने को हैं वे बहुत दिनों तक रुक जाते हैं, जिससे आमदनी बढ़ने के और जो काम हैं उनमें देर हो जाती है. जब कभी गांव में आग लगे तो जमींदार को चाहिये कि वह न सिर्फ़ अपने ही मकानों का ख़्याल रक्खे बल्कि हर बाशिंदा गांव के मकान, झोंपड़ों और गोशाला को आतिशज़दगी से बचाने के लिये कोशिश करे. यह बेहतर होगा कि हर गांव में लोग अपने तौर का ऐसा इशारा बड़ा घंटा, ढोल वग़ैरह का बना रक्खें कि जिसे पाके आग लगते ही सब गांव के लोग दौड़ पड़ें और आग बुझाने में शरीक हो जावें. ऐसा इशारा फ़ायर एलार्म (Fire alarm) कहलाता है.

घास लकड़ी घरों में या घरों के ऊपर बहुतसी न रखनी चाहिये.

९. आतिशज़दगी से सिर्फ़ गांव के मकानों का ही नुक़्सान नहीं होता बल्कि आस पास के जंगलों का भी बहुत बड़ा नुक़्सान हो जाता है. जंगलों में आग लग जाने से जमीन सख़्त हो जाती है और उसमें तरी नहीं रहती. सिवाय इसके जो वनस्पतियों का बना हुआ खाद होता है वह भी जल जाता है, और पेड़ की छाल ऐसी सख़्त हो जाती है कि पेड़ में उसके रस का संचार कुछ कुछ बंद हो जाता है, जिससे वह अच्छी तरह पनपने नहीं पाता. आग लग जाना जंगलों के लिये आफ़त है. यह बहुत तरह से लगती है. कभी कभी यह बिजली से भी लग जाती है या जब आंधी चलती है तो लकड़ी से लकड़ी घिसने से भी लग जाती है; परन्तु यह बहुत कम होता है. अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद वर्षा होने से आग बुझ जाती है. अक्सर आग तो लोगों की बे परवाही से ही लगती है या उसे लोग जानबूझकर लगा देते हैं. बहुत से लोगों का ख़्याल होता है कि आग लगाने से मवेशियों के लिये घास अच्छी होती है. इस कारण से भी वे आग लगा देते हैं. जंगलों में आग लगाने से छोटे पेड़ तो बिलकुल जल जाते हैं, और बड़े पेड़ों के पत्ते और टहनियां जल जाती हैं और पेड़ में ज़ख़्म हो जाते हैं. जंगल की आग को रोकने के

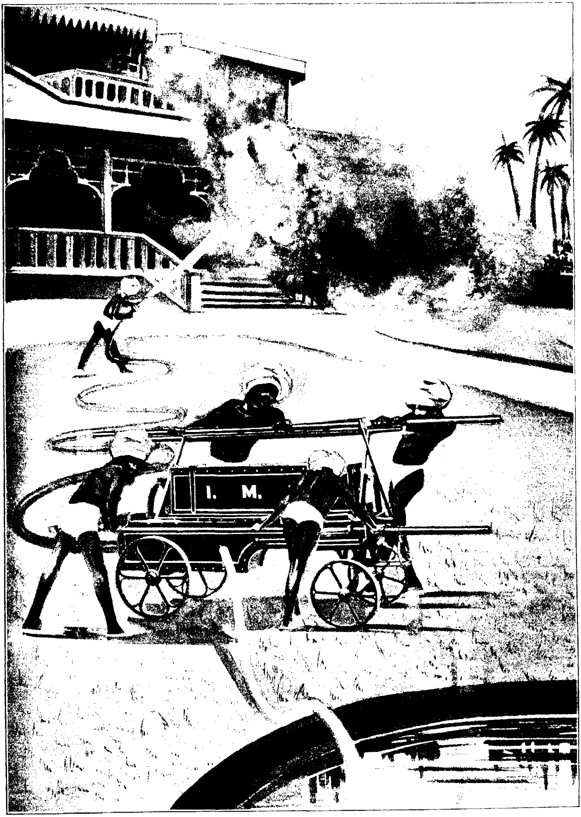
जंगलों का आग से नुक़्सान.

दो तरीके हैं. एक तो यह है कि जंगलों के बाहर और भीतर आगबटिया* बनाई जावें. दूसरे गांववालों को हर वक़्त ख़्याल रहे कि जंगल बिगड़ने न पावे. आग बटियों के होने से जंगल की आग फैलने नहीं पाती और जब फैल गई तो बुझाई जाती है. जब एक तरफ़ से आग लगी हुई चली आती है तो दूसरी तरफ़ से इस तरह पर आग लगाई जाती है (बशर्तेकि हवा का रुख पीछे की तरफ़ न हो) कि वह लगी हुई आग की तरफ़ चली जावे. इसका असर यह होता है कि जिस वक़्त लगी हुई आग के पास लगाई हुई आग पहुंचती है, उस वक़्त लगी हुई आग बन्द हो जाती है, और जंगल बच जाता है. घास फूस वग़ैरह न होने से आग बढ़ नहीं सकती. जहां बड़े बड़े जंगल होते हैं वहां आगबटियां बनी हुई होती हैं, और गांववालों को हुक्म होता है कि जंगलात के ऑफ़िसरों को आग बुझाने में पूरीपूरी मदद दें.

जंगल की आग बुझाने में मदद करनी ज़रूरी है.

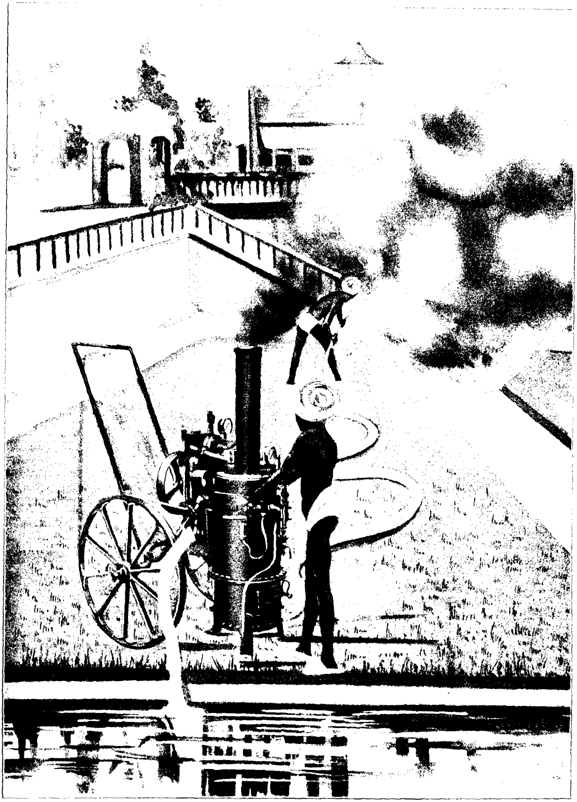
१०. चूंकि जंगलों के क़ायम रखने से गांववालों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है, इसलिये सब गांववालों को चाहिये कि जंगल को बचाये रहें, और खबर मिलते ही आग बुझाने के लिये मौक़े पर जल्द जावें. जंगल के तय्यार करने के लिये बहुत वर्ष चाहिये; और जब एक दफ़ा जंगल नष्ट होजाता है तो फिर जंगल तय्यार होने को क़रीब १०० वर्ष चाहियें, लेकिन फिरभी इसका पैदा होना बहुधा असंभव ही हो जाता है.

* हिन्दी भाषा में सड़क या रास्ते को बाट या बटिया कहते हैं. जंगलों में आग का फैलना बन्द करने के लिये जो सड़कें बनाई जाती हैं उन सड़कों को आगबटिया (Fire lines) कहते हैं.



MERRYWEATHER & SONS, LTD. LONDON, ENGLAND.

आग बुझाना.

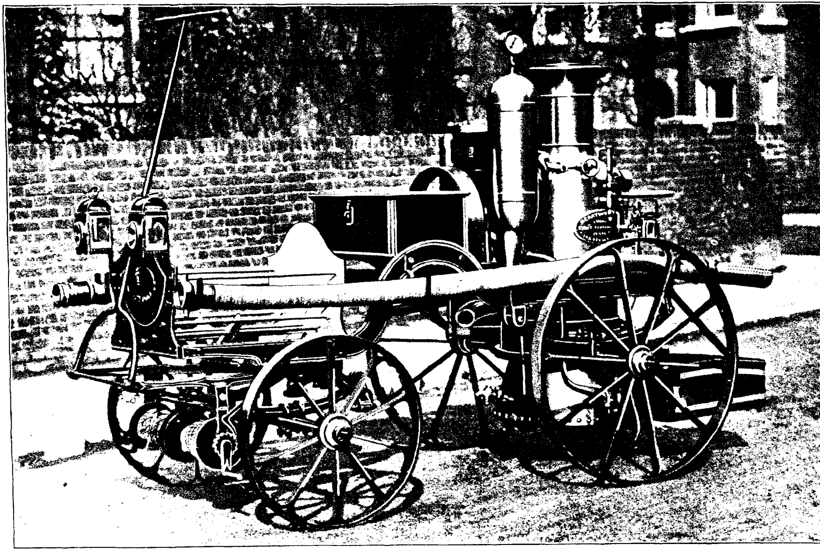


MERRYWEATHER & SONS, LTD. LONDON, ENGLAND.

आग बुझाना.

बाब २७.

नौकरी.



MERRYWEATHER & SONS, LTD. LONDON, ENGLAND.

पानी से आग बुझाने का एन्जिन.

बाब सत्ताईसवा.

नौकरी.

१. गांव में हर क़िस्म की तबियत के लोग बसते हैं: किसी की तबियत खेती की तरफ़ रुजू होती है, कोई तिजारत करके अपनी गुज़र करना चाहते हैं, किसी को पेशेकारी पसंद होती है, कोई इल्म हासिल करने के बाद सरकारी या दीगर नौकरी करके बसर औक़ात करते हैं. ग़रज़ यह है कि हर शख़्स को इज़्ज़त आबरू के साथ ज़िन्दगी बसर करने के लिये कुछ न कुछ करना ही पड़ता है. लेकिन गांव में बहुतसी बहादुर क़ौमें ऐसी भी होती हैं जिनके ख़ान्दानों में हमेशा से फ़ौज का काम होता आया है, लेकिन जो ब सबब न मिलने फ़ौजी नौकरी के ब अमर लाचारी दीगर काम करते हैं. यह काम ऐसा है कि जिसकी हमेशा से दुनिया में ज़्यादा इज़्ज़त होती आई है और हर मुल्क में अच्छे ख़ान्दान के लोग ब मुक़ाबले फ़ौज की नौकरी के और क़िस्म की नौकरी को बेहतर नहीं समझते.

गांव में हर क़िस्म के लोग बसते हैं.

२. गांववालों को इस फ़िरक़े में नौकरी करने से भी बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, मसलनः—

फ़ौज की नौकरी के फ़ायदे.

(१) फ़ौज के काम में अगर सिपाही लायक़, ईमानदार व नेकचलन हुआ तो दर्जे बदर्जे तरक़्क़ी पाता है.

(२) यह बात सब मुल्कों में देखने में आती है कि काश्तकार लोगों में भी जिस ख़ान्दान में बहुत आदमी होते हैं उनमें कुछ आदमी वास्ते इज़्ज़त ख़ान्दान फ़ौज में भी नौकरी करते हैं जिससे उनकी खेती में भी फ़र्क़ नहीं आता और सरकार से ताल्लुक़ भी बढ़ता जाता है और अगर किसी साल काश्तकारी में टोटा भी आया तो फ़ौज की तनख़्वाह की आम्दनी से वह पूरा होना मुमकिन है. सिवाय इसके आदमी किफ़ायतशआर और नेकचलन हो तो फ़ौज की

मामूली नौकरी से इतना रुपया भी पैदा हो जाता है कि आदमी अपनी गुज़र अच्छी तरह करके अपने बाल बच्चों की तालीम और उनके विवाह, शादी, जनेऊ वग़ैरह का भी खर्च अच्छी तरह निकाल ले.

(३) यह समझना ठीक नहीं है कि फ़ौजी काम में मेहनत बहुत पड़ती है और काश्तकारी या दीगर काम में कम.

कोई काम चाहे घर का हो या गांवटी खेती वग़ैरह हो बग़ैर चले फिरे व मेहनत किये नहीं होसकता: यह सबको मालूम है.

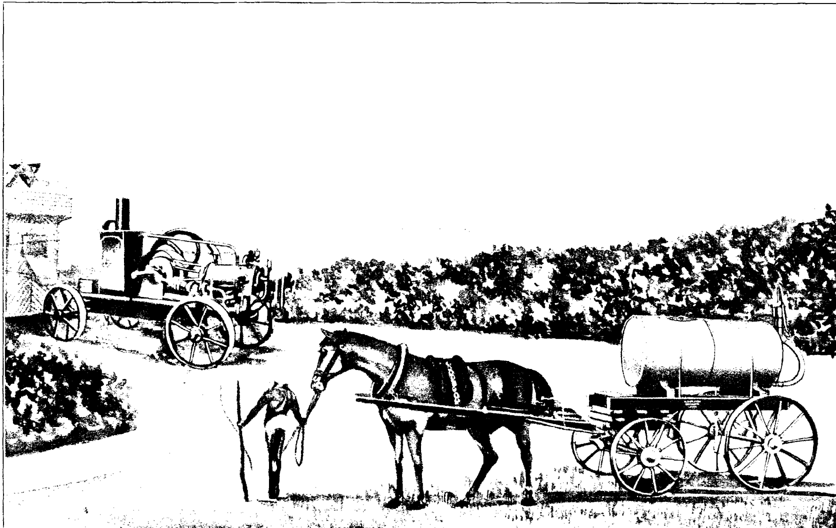
घर के काम और नौकरी में फ़र्क़.

३. यह माना हुआ उसूल है कि बग़ैर कमाये पेट को रोटी, तन को कपड़ा, रहने को मकान, गिरिस्ती के कामों को पैसा नहीं मिल सकता. इससे ऐसी बात होती है कि आयंदा के सुख व आराम के लिये जवानी में बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, और बग़ैर मेहनत किये ये बातें प्राप्त नहीं हो सकतीं. बिना मेहनत और सेवा के कुछ नहीं हो सकता. लोगों का ख़्याल है कि साधु संत मेहनत नहीं करते लेकिन यह ग़लत है. साधु संत भी अच्छे वेही होंगे जो शुद्ध चित्त से और मेहनत के साथ सब दुनियाई आराम व शग़ल को त्यागकर परमेश्वर की सेवा करेंगे. लिहाज़ा यह सोचना कि एक काम में मेहनत है और दूसरे में नहीं, ठीक नहीं है. बेशक घर के काम अच्छी तरह करनेवालों व बेनौकरीवालों में इतना फ़र्क़ ज़रूर है कि नौकरों का वक़्त पर या जब हुक्म हो तामील बजा लाना फ़र्ज़ है. इसीको जो एक दूसरे से मिलाके देखा जावे तो दोनों का मुक़ाबला क़रीब ही क़रीब होता है. घर के भी काम वक़्त पर ऐसे ही करने के होते हैं जैसे कि नौकरी की हालत के.

फ़ौजी नौकर को यह कभी न समझना चाहिये कि खेतीवालों को ज़्यादा आम्दनी होती है और कम मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि यह ख़्याल करना चाहिये कि जिन औसाफ़ से इन्सान की दुनिया में तरक़्क़ी होती है वे हर काम में दरकार हैं, और इनके होने पर फ़ौज में भी तरक़्क़ी हो सकती है.

मोहनसिंह और सुजानसिंह की कहानी.

४. मोहनसिंह और सुजानसिंह दो भाई क़ौम के जाट उद्योगपुर गांव के रहनेवाले थे. बालकपन से ही उनकी बुद्धि बहुत तेज़ मालूम देती थी और वे दोनों निरालस थे. जब वे बड़े हुए तो मोहनसिंह ने गाड़ी हांकने का काम सीखा. पहिले मुन्शी कर्ताकिशन के यहां ३ रुपये महीने और



पानी लेजाने की गाड़ी.

रोटी पर काम किया. पीछे जब उनकी बेहली और रथ तैयार हो गये तो उन्हें हांकने लगा. तब से उसे मुन्शीजी ५ रुपये महीना और रोटी देने लगे. इसके पीछे उसने उनके भाई मूलचंद की बग्घी भी हांकी और इस काम को करते करते उसे घोड़ों की जोड़ी हांकनी भी आगई, और मूलचंदजी इतने खुश हुए कि तब से उसकी तनख़्वाह १५ रुपये महीना बिला रोटी करदी. मोहनसिंह बहुत किफ़ायतशआर और नेकचलन आदमी था. उसने दो साल में २४० रुपये बचा लिये, इससे उसने नीलाम में एक घोड़ा गाड़ी मोल ली और उसे हांकने लगा. जब नफ़ा बहुत होने लगा तो उसने एक गाड़ी और दो तांगे और मोल लिये और उसका काम अच्छी तरह चल निकला. उसके चार लड़के हुए उनमें से दो गाड़ी हांकते हैं, एक पुलिस में है, एक खेती करता है. जिस वक़्त वह मरा तो उसके पास ५,००० रुपये निकले और हर लड़के के हिस्से में सवा हज़ार रुपये आये.

सुजानसिंह को बचपन से कुश्ती लड़ने का शौक़ था, और जब वह बड़ा हुआ तो वह एक रियासत की फ़ौज के रंगरूटों में भरती हो गया. वहां उसने क़वाअद परेड वग़ैरह का काम बहुत जल्द सीखलिया और वह सिपाही हो गया. एक रात जब वह पहरे पर था तब एक काबुली बन्दूक़ चुराने को आया. उसने उसे बन्दूक़ न लेजाने दी. इन दोनों में लड़ाई हुई और सुजानसिंह के पैर में चोट लगी, लेकिन उसने भी काबुली के सिर पर बन्दूक़ का कुंदा ऐसे ज़ोर से मारा कि वह बेहोश होके गिर पड़ा. इतने में सुजानसिंह ने सीटी दी. इसे सुनके तीन सिपाही दौड़ के चले आये और चोर की मुश्कें बांधके उसे पुलिस में लेगये. इससे सुजानसिंह को हवलदारी मिल गई. इसके पीछे एक दिन रात को धरमपुर से डाकू शहर में घुस आये, पुलिस उनका मुक़ाबला न करसकी. तब सुजानसिंह ५० सिपाहियों को लेके उनके पीछे दौड़ा और उन्हें बन्दूक़ों के कुंदों से गिरा के मुश्कें चढ़ाके बांध लाया. यह ख़बर एक अख़बार में छपी और उसकी बहादुरी के सबब उसको देखने के लिये जनरल साहब ने बुलाया और उसको एकबारगी लेफ़्टिनेन्ट बना दिया.

दूसरे साल फिर एक बड़ा गिरोह डाकुओं का फिरता फिरता आया. उसने गांववालों को बहुत तकलीफ़ दे रक्खी थी, और पुलिसवाले उसे

देखके बहुत डरते थे. लिहाज़ा उन्हें पकड़ने के लिये भी सुजानसिंह की तैनाती हुई और वह उनका पीछा करते करते उनको पकड़ लाया. इस बहादुरी के बाबत उसकी तारीफ़ दूसरे अख़बार में भी छपी; क्योंकि यह गिरोह बदमाशों का ऐसा था कि इलाके का इन्सपेक्टर-जनरल पुलिस भी मय माउन्टेड पुलिस (Mounted police) के उसे न पकड़ सका था. जब यह बात मालूम हुई तो जनरल साहब उससे बहुत ख़ुश हुए और उन्हों ने उसे कप्तानी का ओहदा देके अपना ऐडीकांग (Aid-de camp) बना लिया.

इस ओहदे पर सरकार उससे बहुत ख़ुश रही और वह बढ़ते बढ़ते कर्नली के ओहदे पर हो गया. उसने दस गांव ख़रीदे और कलों के ज़रिये अपने भाई बन्दों से खेती भी कराई. जिसका नतीजा यह हुआ कि उसका सारा गांव मालदार होके सब तरह से ख़ुशहाल हो गया. जिस वक़्त वह मरा उस वक़्त उसके पास दो लाख रुपये नक़्द निकले. उसके चार लड़के कालेज में पढ़के फ़ौज में कमीशन्ड ऑफ़िसर होगये, उनकी शादियां भी मालदार और ज़ीइज़्ज़त आदमियों की पढ़ी लिखी लड़कियों से हो गई हैं. उनमें से एक लेडी डाक्टर है, दूसरी गर्लस्कूल की प्रिन्सिपल है, तीसरी तसवीर खींच के हज़ारों रुपये पैदा करती है और चौथी संगीत के मदरसे में प्रिन्सिपल है.

पुलिस की नौकरी.

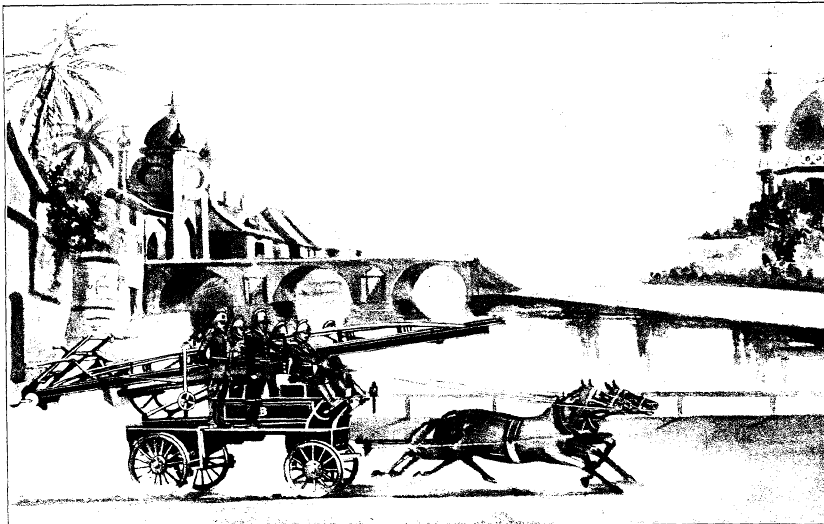
५. याद रखना चाहिये कि यही हाल पुलिस की नौकरी का है.

——:——

बाब २८.

गांव का बसाना.

नम्बर.	विषय.	पृष्ठ.
१.	गांव बसाने में किन बातों का ख़्याल रखना चाहिये	२६१
२.	डायग्राम	२६२
३.	मदाख़लत की रोक से फ़ायदे	२६२
४.	मसाला वास्ते बनाने इमारत....	२६२
५.	मकानात	२६३
६.	पानी का इन्तज़ाम	२६३
७.	घरों से खेतों का फ़ासला	२६४
८.	मैला पानी	२६४
९.	ढोरों को अपने रहने के मकानों में न बांधना	२६४
१०.	धूहड़ और नागफन को ऊंचा न बढ़ने देना	२६५
११.	गांव बसाने के लिये मौक़ा पसंद करने में कौनसी बातों का ख़्याल रखना चाहिये	२६५
१२.	गांव का बसाना, दूसरी तरकीब	२६६



आग से बचाने वालों के लिये सीढ़ी.

बाब अट्ठाईसवां.

गांव का बसाना.

---

१. गांव की बनावट बहुत कुछ वहां के रहनेवालों के शौक़ और आदतों पर मुनहसर रहती है; लेकिन चन्द उमूल वास्ते याददिहानी जमींदारान यहांपर दर्ज किये जाते हैं:— गांव बसाने में किन बातों का ख़्याल रखना चाहिये.

(१) रहनेवालों की आसायश.

मकानात ऐसे हों जिनके हर कमरे में हवा और रोशनी की बख़ूबी गुज़र हो और जिनमें सील न हो. उनके साथ फल, फूल और सब्ज़ी के बाग़ीचे भी होने चाहियें:—

(२) पानी की इफ़रात.

(३) रहने और बाज़ार की तरफ़ का रुख़ ख़ूबसूरत न कि भद्दा होना चाहिये, और इस बात का ख़्याल अच्छी तरह से रहे कि मैला, और पानी उनमें जमा न हो सके.

(४) गांव के मन्दिर, मस्जिद वग़ैरह के लिये अच्छी से अच्छी जगह तजवीज़ करके उसमें उनको बनाना चाहिये.

(५) अस्तबल, गौशाला, भेड़, बकरे, मुर्ग़ी वग़ैरह के रहने की जगह मकानों के पीछे कुछ फ़ासले पर होनी चाहिये.

(६) बाज़ार, सड़क या गलियों के बीच में मकान न बनावें. यह हवा और रोशनी को रोकता है.

(७) सड़कें सीधी ऐसी हों कि ज़ाविया क़ायमा बनजाय, उनकी दोनों तरफ़ ऐसी ढाल हो कि पानी बह के सड़क पर से

फ़ौरन निकल जाय और वे इतनी चौड़ी हों कि गाड़ियां वगैरह निकल जायें ताकि गांव के रहनेवालों को अपना माल अपने घरों में लेजाने में आसानी हो. सड़कें कम से कम २० फ़ुट चौड़ी और गलियां १५ फ़ुट चौड़ी हों तो अच्छा हो.

बड़े गांव में आम सड़क मय आड़ी गलियों के कूंचों के इस तौर पर होनी चाहिये कि आड़ी गलियां और आम सड़क के आपस में मिलने से ज़ाविया क़ायमा (काट कोन) बन जावे, और हर गली दूसरी गली से फ़ासले मुनासिब पर हो.

डायग्राम.

२. जहां दो सड़कों के बीच में गली हो तो उस गली और सड़क के कोनों को गोल करदेना चाहिये. जैसा कि डायग्राम (नक़्शे) में दिखाया है.

अक्सर तजरुबे में आया है कि जहां गलियां ज़्यादा होती हैं, वहां चोरी ज़्यादा होती है. क्योंकि चोरों को पनाह पाकर निकल जाने की बड़ी गुंजायश मिलजाती है. लिहाज़ा इनका कम होना ठीक है.

मदाख़लत की रोक से फ़ायदे.

३. वास्ते रोकने मदाख़लत मुतज़क्किरा यह भी मुनासिब है कि हर गांववाले को मकानात ज़रूरी बनाने के लिये काफ़ी ज़मीन दीजावे.

अगर वे बावजूद काफ़ी ज़मीन मिलजाने के सड़क के पास गाड़ीखाना या गोशाला वगैरह बनाना चाहें तो उनसे इसक़दर किराया ठहराना चाहिये कि जिससे उनको सड़क के पास ऐसे मकानात बनाने की हिम्मत न रहे.

मसाला वास्ते बनाने इमारत.

४. जिन गांवों में मकानात मिट्टी के हों उनमें उन जगहों को (जहां से मकानों को बनाने के लिये मिट्टी निकाली जावे) पहले ही से मुक़र्रर कर लेना चाहिये. इससे न तो सड़कों पर मदाख़लत होगी न आयंदा गांव में मकान बनाने में रोक होगी. अगर नहर का पानी मिलसके तो मिट्टी निकालने की वजह से जो गड्ढे बन जाते हैं उनमें एक या ज़्यादा गड्ढों को जानवरों के पानी पीने के लिये नहर के पानी से भर देना चाहिये. और ऐसा भी इंतज़ाम हो जाना चाहिये कि जिससे उन गड्ढों में नहर का पानी



आता रहे. अगर इनमें ताजा पानी न आया करेगा तो इनसे बीमारी पैदा होगी. इन सब बातों के लिहाज से इन गड्ढों की जगह गांव बसने से पहिले ही मुकर्रर करलेनी चाहिये.

५. हर आदमी को अपना मकान अपने शौक के मुताबिक बनाना चाहिये, लेकिन यहां के लोगों के ख़यालात के लिहाज से मकान ऐसे बनाने चाहियें जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हों. अगर वे अलहदा २ हों और उनके बीच में तंग फ़ासला हो तो एक तो उसमें चोरों को छिपे रहने के लिये मौक़ा मिलता है. दूसरे उसकी वजह से मैला बहुत रहता है. लिहाज़ा अगर चार चार पांच पांच मकान मिले रहें और उनके बाद गलियां रहें तो हिफ़ाज़त भी रहे, और गांव में सफ़ाई भी रहे. मक़ानात.

अगर पक्की दूकानें बनें तो उनके लिये आम सड़क पर जगह देनी चाहिये न कि गली में.

अगर सराय या चौपाल बनानी हो तो सदर रास्ते के किनारे पर बनानी चाहिये. उसके गांव के बीच में होने से लोगों की भीड़ रहती है. देहाती मदरसा भी सदर सड़क से अलहदा होना चाहिये. उसके साथ बाग़ और खेलने के लिये जगह भी होनी ज़रूरी है. अगर मदरसा न हो तो लड़कों के खेलने के लिये गांव के नज़दीक खुली जगह मिलनी चाहिये. लेकिन जहां लोग ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने के लिये खुले मैदान को पसंद करते हैं उनको इस बात पर आमादा करना चाहिये कि वे ग़ैर मज़रूआ ज़मीन पर नहीं बल्कि मज़रूआ ज़मीन पर जावें, क्योंकि मज़रूआ ज़मीन बनिस्बत ग़ैर मज़रूआ ज़मीन के ग़िलाज़त को जल्द जज़्ब कर लेती है.

अगर घरों में पाखाने बनाये जावें तो उनको हवा का रुख बचाकर बनाना चाहिये, दूसरे इस बात का इन्तज़ाम करना चाहिये कि इनकी मोरी का पानी सड़क पर न जावे.

६. हर गांव में जितने कुओं की ज़रूरत हो उतने कुंए होने चाहियें. जहांतक मुमकिन हो कुंए इतने गहरे खोदने चाहियें कि पानी का सोत निकल आवे, और कुंए इस तरकीब से बनाये जावें कि बाहर का पानी कुंए के भीतर न जासके. मैले और बुरे पानी के भीतर जाने से कुंए का पानी का इन्तज़ाम.

पानी खराब हो जाता है, इससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं. कुंए के ऊपर पुख़्ता मन बनाया जावे.

कुंआ खुले मैदान में या मकान के अहातों में होना चाहिये.

कुंए पर का पानी बहाने के लिये नालियां भी होनी चाहिये. कुंए के पास ऐसे पेड़ों का जिनके पत्ते सालभर तक हरे रहते हों, और जो फलवाल न हो लगाना अच्छा होता है. लेकिन जिन पेड़ों से पत्ते और फल कुंए में गिरते रहते हैं उनसे कुंए का पानी बिगड़ जाता है.

घरों से खेतों का फ़ासला.

७. याद रहे कि घरों से खेत कम से कम एक फ़र्लांग दूर रहना चाहिये. लेकिन घर के अन्दर छोटासा बाग़ीचा बनाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि ऐसा करने से घर के निस्तार का पानी सड़कों पर या गलियों पर नहीं फैलता है, और काम में लाया जा सकता है.

मैला पानी.

८. ऐसा मैला पानी एक तो फल फूल और तरकारी की बग़िया सींचन के काम में आ सकता है, दूसरे यह खाद का भी काम देसकता है. अगर बग़िया की ज़मीन मकान की ज़मीन से ऊंची न हो तो ऐसे पानी को बग़िया में नालियों के ज़रिये से पहुंचा सकते हैं; लेकिन अगर बग़िया की ज़मीन मकान की ज़मीन से ऊंची हो तो मैले पानी को मेहतर वग़ैरह बालटियों में भरके बग़िया की क्यारियों में डाल सकते हैं. ऐसा करने से सफ़ाई भी रहती है.

ढोरों को अपने रहने के मकानों में न बांधना.

९. रहने के मकान के किसी हिस्से में ढोरों को कभी भी न बांधना चाहिये. उनके लिये एक अलग झोपड़ी (खिरक) मकान के नज़दीक लेकिन उससे अलहदा बनाकर उन्हें वहां रखना चाहिये. उस झोपड़ी को साफ़ और सूखी रखना चाहिये. वहां से गोबर हटाकर राख या रेत और ताज़ी मिट्टी डालकर फ़र्श को साफ़ रखना चाहिये. अगर होसके तो ढोरों को गांव के बाहर गौशालाओं में रक्खे. इससे गांव की हवा और भी अच्छी रह सकती है, और डांस, मच्छर वग़ैरह भी नहीं दिखलाई देते.

१०. गांव में इधर उधर थूहड़, या नागफन के दरख़्त या और क़िस्म की जंगली झाड़ियां उगने देनी न चाहियें. अगर ये खेतों की मेड़ों पर लगे हों तो इनको उंचाई में सिर्फ़ तीन फुट रखकर बाक़ी को छटवा देना चाहिये, नहीं तो गांव के अन्दर हवा का गुज़र अच्छी तरह न हो सकेगा. थूहड़ और नागफन को ऊंचा न बढ़ने देना.

११. गांव बसाते वक़्त नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान देना चाहियेः-- गांव बसाने के लिये मौक़ा पसंद करने में कौनसी बातों का ख़्याल रखना चाहिये.

(१) पानीः-जहां पानी साफ़ हो और नज़दीक हो वहीं गांव को बसाना चाहिये.

(२) ज़मीनः-घर के लिये ज़मीन ऊपर लिखे मुताबिक़ सूखी, पथरीली, चूने या कंकर की हो. हत्तुलइमकान काली ज़मीन न होनी चाहिये.

(३) उंचाईः-गांव उंचाई पर बसाना चाहिये और नज़दीक दलदल, डबरे या तालाब के न होना चाहिये, क्योंकि इनके सबब से इकतरा, तिजारी वग़ैरह बीमारियां पैदा होती हैं.

(४) सड़केंः-गांव की सड़कें बहुत ही ख़राब रहती हैं. कहीं गड्ढे ही रहते हैं, कहीं कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जहां से चारों तरफ़ बदबू फैला करती है. मकानों के अन्दर का पानी जहां तहां फैला हुआ दिखाई देता है. इसलिये इन सब बातों पर गांववालों को ज़रूर ध्यान देना चाहिये. सड़क यकसां और साफ़ बनानी चाहिये. ऐसे ही अपने गांव से और किसी बड़े रास्ते से मिलनेवाली सड़क भी होनी चाहिये. कच्ची सड़क भी हो तो उसे अच्छी दशा में हर वक़्त रखने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि यह हर तरह से फ़ायदेमन्द होती है.

(५) अगर गांव के नजदीक कोई छोटासा ऐसा बाग या अमराई बनाई जावे. कि जहांपर सब लोग, छोटे बड़े अपने फुर्सत के वक्त घूमने के लिये जासकें, तो उससे सबही को फ़ायदा होवेगा, और गांव भी खूबसूरत दिखाई देगा.

गांव का बसाना दूसरी तरकीब.

१२. हर गांव के बसाने में इस बात का ख़्याल चाहिये कि हर बाशिंदा गांव इस तरह पर अपना घर बनाये कि जिसमें हवा और रोशनी का गुज़र अच्छी तरह हो और जो मुताबिक़ क़वाअद सफ़ाई और तन्दुरुस्ती के हो. हर मकान के साथ फूलों, फलों और सब्ज़ी के बाग़ीचे होने चाहियें और जितने गाड़ीखाने, अस्तबल और गौशाला वग़ैरह हों वे रहने के मकान से फ़ासले से होने चाहियें. ग़ल्ले के भंडार भी गौशाला, अस्तबल वग़ैरह से फ़ासले पर होने चाहियें और फल, फूल, भाजी, तरकारी, हरी वग़ैरह रखने की जगह भी साफ़ कमरे में होनी चाहिये.

इस मुल्क में तो नहीं, लेकिन और मुल्कों में बहुत जिले ऐसे हैं कि जहां काश्तकार अपने खेतों के पास अपने रहने के मकानों को बनाते हैं. इससे एक तो खेती की निगरानी अच्छी तरह से हो जाती है, दूसरे मकानों में अलहदा २ होने की वजह से बीमारी नहीं फैलने पाती, तीसरे उसको गौशाला, अस्तबल, गाड़ीखाना वग़ैरह फ़ासले पर बनाने के लिये काफ़ी जगह मिलजाती है और मकान या उसका अहाता मैला नहीं होने पाता; इसलिये जिन गांव बसानेवालों में अलहदा अलहदा मकान बनाकर रहने का रिवाज और आदत होती है वे बड़े आराम से रहते हैं.

यह अक्सर देखने में आता है कि जिन काश्तकारों के खेत उनके मकानों के क़रीब होते हैं उनके खेतों के अनाज का नुक़्सान हरन, बंदर, जंगली सुअर और दीगर जानवर नहीं करसकते हैं, लेकिन जिनके मकान खेतों से बहुत दूर होते हैं उनके खेतों को ऐसे जानवर बहुत जल्द उजाड़ देते हैं जिससे उनको हर क़िस्म का नुक़्सान होता है.

जहां कहीं गांववाले अपने मकानों को अलहदा अलहदा इस तरह पर बनाते हैं वहां मकानों के सामने फूलों के बाग़ीचों को बनाना चाहिये और मकानों के पीछे या बंगलों में फल और सब्ज़ी के बाग़ीचे बनाने चाहियें,

इससे यह होता है कि सालभर मकान के सजाने के लिये और पूजन के वास्ते फूल और खाने के लिये क़िस्म क़िस्म के हर मौसम के फल और तरकारी के लिये आलू, शल्जम, गोभी, मेथी, सोआपालक, सेम, अरवी, भिंडी, बैंगन, मूली, गाजर वग़ैरह हर क़िस्म की मौसम की चीज़ें पैदा हो सकती हैं. ये चीज़ें अगर ज़्यादा पैदा हों तो बिक भी सकती हैं जिससे मुनाफ़ा हो सकता है.

सिवाय इसके जब मवेशियों की हिफ़ाज़त और परवरिश नज़दीक रहने से अच्छी तरह से होती है तो दूध, घी, मक्खन वग़ैरह भी ज़्यादा पैदा होता है जिससे भी गांववाले अच्छी तरह से मवेशियों को पालकर रुपया पैदा कर सकते हैं.

बाब २९.

मौज़े की सफ़ाई.

बाब उनतीसवां.

मौजे की सफ़ाई.

जिस मज़हब की रू से देखा जावे उसकी मन्शा यही पाई जाती है कि इन्सान सफ़ाई व पाकीज़गी रक्खे. अनुभव से भी यही देखा जाता है कि जो लोग पाक साफ़ रहते हैं उनपर ईश्वर की कृपा होती है, उन्हें रोग बार बार नहीं सताते, वे तन्दुरुस्त रहते हैं और उम्र दराज़ होते हैं. जो लोग मैले कुचेले रहते हैं, मैला पानी पीते हैं, मैले मकानों और मैले गुज़रगाहों में बूद बाश करते हैं उन्हें सब तरह की उपाधियां सताती हैं, बल्कि उनकी जिन्दगी कम कर देती हैं. क्या गांववाले इन बातों को नहीं समझते? फिर क्या वजह है कि वे सफ़ाई नहीं रखते और इसके लिये उपाय नहीं करते?

१. कूड़े कचरे, गोबर आदि को मकान के अन्दर या बस्ती के अन्दर कहीं भी जमा न करना चाहिये, न रास्ते पर डालना चाहिये; क्योंकि इनके जमा होकर सड़ने से दुर्गन्ध आती है और डांस भी पैदा होते हैं. इसके सबब से इकतरा, तिजारी वग़ैरह बीमारियां फैला करती हैं. इसलिये हर काश्तकार को चाहिये कि गांव के बाहर एक जगह मुक़र्रर करके उसमें कूड़े कचरे, गोबर को जमा करे या अपने खेत में गड्ढ़ा बनाकर उसमें डाले, लेकिन किसी क़िस्म का मैला गांव के पच्छिम की तरफ़ बिलकुल जमा न रखना चाहिये. दूसरी तरफ़ अगर बस्ती से दूर जमा किया जावे तो हर्ज नहीं; क्योंकि हवा बहुत करके पच्छिम की तरफ़ से आती है. अगर उस तरफ़ मैला होगा तो हवा ख़राब होकर गांव में आवेगी.

कूड़ा कचरा, गोबर वग़ैरह घरों में जमा न करना, न रास्ते पर डालना चाहिये.

२. मकानों की दीवारों पर कन्डे थापने से भी डांस बहुत होते हैं. वे बीमारी फैलाते हैं.

कन्डे मकानों की दीवारों पर न थापने चाहियें.

गांव में मर्द और औरतें जहां जी में आया वहीं मैला करदेते हैं. यह ठीक नहीं. इसके लिये कोई खास जगह मुक़र्रर होनी चाहिये. पाखाना घर में बनवाना हो तो हमेशा हवा का रुख़ बचा के बनवाना चाहिये जिससे दुर्गन्ध न आने पावे.

घर के निस्तार का पानी रास्तों पर न बहने देना चाहिये.

३. घर में निस्तार का पानी इधर उधर डालना या सड़कों पर न बहने देना चाहिये. उसको नाली से एक तरफ़ निकालकर घर के बाग़ीचे में छोड़ देना चाहिये. यह पानी खात का काम देसकता है.

ज़मींदार गांव में सफ़ाई बख़ूबी रक्खे जिससे बीमारी पैदा न हो.

४. ज़मींदारों को चाहिये कि अपने अपने गांव में ख़ूब सफ़ाई रक्खा करें और वे इन्तज़ाम करें जो क़वाअद तन्दुरुस्ती में बतलाये गये हैं, इस गरज से कि हैज़ा या प्लेग या और कोई ऐसी बीमारी गांव में न आने पावें.

अधिकारियों की हिदायतों पर अमल करना चाहिये.

५. सरकार ने अपने अधिकारियों को यह हुक्म दे रक्खा है कि गांव में जाकर ज़मींदारान को सफ़ाई से फ़ायदे और ग़िलाज़त से नुक़सान क्या क्या होते हैं उन्हें समझावें, जहां सफ़ाई न हो वहां करावें, सांसर्गिक बीमारियों की (जो इन्सान को या मवेशी को हो जाती हैं) रोक करने और (वे हो जायें तो) उनके दफ़ा करने के उपाय गांववालों को बतावें और खुद इन बातों का इन्तज़ाम करें. उनको यह भी हुक्म है कि बच्चों के हित के लिये माता गुदवाने का जो प्रबंध सरकार से किया गया है उसके काम की देख भाल करें और ज़रूरत हो तो औरतों की प्रसूती (delivery) कराने के लिये तालीमयाफ़्ता दाई गांव में रखने के बाबत गांववालों से सिफ़ारिश करें. लिहाज़ा ज़मींदारान वग़ैरह का फ़र्ज़ है कि इन अधिकारियों के हुक्म की तामील करें और हर इन्तज़ाम में सब तरह की उनको मदद देवें; क्योंकि ये सफ़ाई की व दीगर बातें जो की जाती हैं वे केवल उनकी, उनके बाल बच्चों की व उनके मवेशी की तन्दुरुस्ती रखाने के लिये की जाती हैं, दूसरा कोई मतलब नहीं है. वे इन्तज़ामों के मुताल्लिक़ कोई इमदाद उन अधिकारियों से चाहें तो उसके बाबत उनसे कहसकते हैं.

बाब ३०.

माता का टीका.

बाब तीसवां.

माता का टीका.

माता या चेचक की बीमारी अक्सर बच्चों को होती है. इस बीमारी में सारे बदन पर फफोले (छोटे छोटे फोड़े) उठते हैं और बुख़ार आता है. ९ दिन तक यह बीमारी बहुत सताती है. इस बीमारी से बहुत बच्चे मरजाते हैं या आँख फूट जाती है या चेहरा दागों से बिगड़ जाता है. इस बीमारी का ज़ोर माता का टीका लगाने से कम हो जाता है. चेचक से तकलीफ़ात.

बच्चों के पैदा होने से छै माह के अन्दर टीका लगवा देना चाहिये, अगर इसके दाने अच्छी तरह से न उठे तो उन्हें फिर से निकलवाना चाहिये, मगर कोई दूसरी दवा लगाकर उन्हें बिगाड़ना न चाहिये. इस काम के लिये टीका लगानेवाले (वेक्सीनेटर) लोग नौकर हैं जो सिवाय गरम मौसम के सालभर अपना काम किया करते हैं. टीका लगाने से कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती, मुंह नहीं बिगड़ता, आंखें नहीं फूटतीं. अक्सर गांववाले इसके लगवाने में दुख समझते हैं, लेकिन यह उनका समझना बिलकुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जन्मभर तक माता आने का डर नहीं रहता. टीका लगाने से सात साल के बाद इसका असर कम हो जाता है. इसलिये कुछ अर्से के बाद गांव में अगर माता की बीमारी आजावे तो बेहतर है कि एक मर्तबा फिर से गुदवालें. टीका लगे हुए आदमियों को अगर माता निकली भी तो बहुत ज़ोर नहीं करती. गुदवाने से फ़ायदे.

टीका लगवाते वक़्त बच्चे को कुछ भी तकलीफ़ मालूम नहीं होती और न वह बीमार पड़ता है. हर साल लाखों बच्चों के टीका लगाया जाता है और इस सबब से वे चेचक यानी माता की बीमारी में कुछ दुख और जान जोखम नहीं उठाते, आगे मर्ज़ी भगवान की. टीका लगाने से जो फ़ायदा होता है उसका अन्दाज़ा पुश्त पर दिये हुए नक़्शे से मालूम किया जासकता है. टीके का आम रिवाज.

इस नक़्शे से यह ज़ाहिर है कि युरुप के मुमालिक प्रशिया और हालैंड में सन् १८६८ से सन् १८७४ ई० तक याने ६ साल तक एक लाख आदमियों की बस्ती में औसत से सौ आदमी जिनको टीका लगा हुआ न था सीतला की बीमारी से मरगये. इस अय्याम में इन मुल्कों में टीका लगाना क़ानूनन लाज़मी न था, लेकिन् उन्हीं मुल्कों में जब टीका लगाना लाज़मी हो गया तो पंद्रह साल तक एक लाख आदमियों में क़रीब चार आदमी मरे और एक लाख में सत्रह आदमी से ज़्यादा कभी न मरे.

आस्ट्रिया मुल्क में जहां टीका लगाना क़ानूनन् लाज़मी नहीं है एक लाख आदमियों में ज़्यादा से ज़्यादा १२० आदमी सीतला की बीमारी से मरे. इस बीमारी से मरनेवालों का औसत लाख आदमियों में ५० से लेके ९७ तक है.

इससे हर आदमी यह जानसकता है कि टीका लगाने से सीतला की बीमारी से लोग बहुत बच जाते हैं और जो लोग टीका नहीं लगवाते उन को इस बीमारी के हो जाने का डर रहता है.

बाब ३१.

हैज़ा या मरी.

नम्बर.	विषय.	पृष्ठ.

बाब इकतीसवां.

हैज़ा या मरी.

यह ऐसी बीमारी है कि जिसमें गांव के गांव उजड़ जाते हैं. इसलिये इस ख़्याल से कि इससे बचने की तरकीब सबको मालूम हो, यहां पर वे बातें मुन्दर्ज की जाती हैं जो सब के हक़ में मुफ़ीद समझी गई हैं.

बीमारी के आसार.

१. इस बीमारी में क़ै और दस्त होते हैं, पेट में दर्द होता है, हाथ, पांव ऐंठते हैं और पेशाब रुक जाती है, और कुछ देर के बाद मरीज़ को सन्निपात (बड़े जोर का बुख़ार) हो जाता है. यह बीमारी एक तरह के बारीक कीड़ों से हुआ करती है.

जब बीमारी क़रीब के गांव में आवे तो उसे अपने गांव में आने से रोकना.

२. जब यह बीमारी नज़दीक के गांव में आजावे तो हरएक आदमी का यह फ़र्ज़ है कि वह उसे अपने गांव में न आने दे. इसलिये नीचे लिखे हुए क़ायदे के मुताबिक़ चलना चाहिये:—

अपने घरों के कुंओं में दवा डालना.

३. पहले हरएक आदमी को अपने २ घरों के कुंओं में पुटेसियम परमेगनेट (Potassium permeganate) नाम की दवा डालनी चाहिये. यह गांव के नज़दीक जो अस्पताल हो उसमें मिलेगी. एक पुरुष पानी (५½ फुट गहरे) में आधी छटांक के हिसाब से दवा डालनी चाहिये. दवा डालने के पीछे पानी का रंग एक रात एक दिन तक गुलाबी बना रहता है. इससे पानी का कचरा, काई वग़ैरह सब गल जाते हैं और पानी साफ़ होकर उसका रंग फिर मामूली हो जाता है. दवाई का रंग कुवें में कम से कम २४ घंटे तो भी ठहरना चाहिये, अगर ऐसा न हो तो समझना कि गंदलापन बहुत था और दवा काफ़ी न थी. ऐसी हालत में दवा को फिर उसी अन्दाज़े से डालना चाहिये. इस दवा से धर्म और ईमान किसी का नहीं बिगड़ता न इससे साफ़ किये हुए पानी से तन्दुरुस्ती में फ़र्क़ आता है.

दवा अस्पताल से मंगवाना.

४. इस दवा की पुड़ियां हरएक तहसील, अस्पताल, और अंग्रेज़ी दवाफ़रोश के यहां मिल सकती हैं. जो ज़मींदार समझदार हैं और जो अपनी आसामियों का भला चाहनेवाले हैं वे ख़ुद ही इस दवा को ख़रीद्कर अपने पास रक्खें कि बीमारी के आते ही बिला किसी मुहताजी के और वक़्त ज़ाया जाने के, इन्तिज़ाम कर सकें.

कुंय्यां व नालों वग़ैरह का पानी काम में न लाना.

५. जब बीमारी नज़दीक के गांव में आजावे तो ऐसे समय में रुके हुए पानीवाली कुंइयां, और नाले वग़ैरह का पानी काम में लाना बन्द करदेना चाहिये.

जिस गांव में बीमारी हो वहां के आदमी को अपने गांव में न आने देना.

६. जिस गांव में बीमारी फैली हुई हो उस गांव के आदमियों को अपने गांव के अन्दर न आने देना चाहिये. उन्हें चार पांच दिन गांव के बाहर ही रखना चाहिये और बाद में भी गांव में लाये जायें, तो

१. उनके कपड़े ओढ़ने, बिछाने, पहनने के, और जिन कपड़ों पर कै या दस्त हुआ हो वे जला दिये जावें.

२. जो क़ीमती कपड़े:—

(अ) उबालने लायक़ हों वे उबाले जायं,

(ब) जो उबालने लायक़ न हों मस्लन, ऊनी वग़ैरह वे कड़ी धूप में अच्छी तरह गरम किये जायं.

बीमार का फुज़ला बाहर फ़ासले पर गड़वाना.

७. बीमारी के आने की हर तरह रोक करने पर भी अगर वह गांव में आजावे और किसी घर में कोई बीमार हो जाय तो उसे दस्त या उलटी ज़मीन पर न करने देना चाहिये. वह किसी बरतन में कराई जाया करे, और उसका मैला जो कुछ हो उसको कुंएं और नालों से अलग गांव से १०० गज़ दूर फ़ासले पर फ़ौरन गड़वा दिया जाय और उसपर नया बुझा चूना डाला जाय. मुमकिन हो तो वह मैला घास में डालकर जलवा दें क्यों कि इस मैले के द्वारा बीमारी अक्सर फ़ैलती है.

फ़िनायल वग़ैरह से घर की सफ़ाई.

८. जिस घर में कोई आदमी मरता है तो छूत से और आदमियों को भी बीमारी लगने का खतरा होता है. इसलिये बेहतरी इसमें है कि उस घर के बाकी आदमी गांव के बाहर झोपड़ियों में जा रहें और उस घर की ज़मीन की ऊपर की सतह इंच आध इंच खुदवाकर उसमें फ़िनायल वग़ैरह ऐसी दवायें छिड़कें जिनसे बीमारी के कीड़े मरजावें. इनके डालने से बीमारी का फैलना बन्द होजाता है. इसके पीछे उस घर को अच्छी तरह पुतवाकर उसमें गंधक, लोबान वग़ैरह जलवाना चाहिये.

९. जो कूंए ऐसे घर से नजदीक हों उन कूंओं में (पुटेसियम परमेंगनेट) फिर डलवाना चाहिये. नजदीक के कुंओं की सफ़ाई.

१०. कच्चे या गले हुए फल और खराब या पुरानी मिठाई को न खाना चाहिये, न बेचने देना चाहिये, बलिक उनको गांव के बाहर गड़वा देना चाहिये. कच्चे या गले हुए फल या खराब मिठाई न खाना.

११. जब कभी वबा फैले तो लोगों को चाहिये कि वे पीने के पानी को पहले उबाल लें और फिर उसे ठंडा करके पियें. पीने का पानी उबाल लेना.

१२. बाजार का हरा धनियां, पोदीना वगैरह ऐसा होता है कि तरकारी बेचनेवाले उसको मैले पानी में भिगोकर बेचते हैं और मोल लेनेवाले भी उसको कच्चा ही खाते हैं. ऐसे धनिये, पोदीने वगैरह को खाना न चाहिये न बेचने देना चाहिये. भाजी के खराब पानी में धुलने को रोकना चाहिये. और बीमारी के दिनों में जो तरकारी बाजार से आवे उसको घर में लाकर कई बार अच्छे पानी से धोना चाहिये. बाजार की खराब सब्ज चीज न खाना न बेचना.

१३. अक्सर ग्वाले, गाय, भैंसों को मैला, लीद, गोवर वगैरह खिलाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उनका दूध खराब होजाता है. ऐसे दूध को कभी न पीना चाहिये. गांव के मुखिया को चाहिये कि गांव के ग्वालों को अच्छी तरह समझा दें कि अपनी गाय, भैंसों को अच्छी घास अच्छा चारा और दाना दें और लीद वगैरह खिलाने से उन्हें रोक दें. मवेशियों को गलीज चीज न खिलाना.

१४. जो चीजें हाजमा बिगाड़ती हैं उन्हें न खावें, मस्लन भुट्टे, खीरे वगैरह. हाजमा बिगाड़ने वाली चीजों से परहेज करना.

१५. जहांतक होसके मुर्दे को जल्द जलवाने की कोशिश करनी चाहिये. मुर्दे को जल्द जलवाना.

१६. अगर हैजे के दिनों में किसी को दस्त जियादा आते हों तो मुनासिब है कि उनके बन्द करने की दवा तहसील या थाने से ले आया करें. वहां सरकार की तरफ़ से दवा बिना दाम दिये मिलेगी और उसके साथ दवा देने का जो तरीका बतलाया होगा ठीक उसी तरीके से उस दवा को बीमार को देवें और दवा को हिफ़ाजत से रक्खें और जबतक दस्त आते रहें खाना खाने का परहेज़ रखें. दस्त बन्द करने की दवा मंगाकर देना.

———

बाब ३२.

प्लेग.

बाब बत्तीसवां.

प्लेग.

बीमारी के आसार.

१. यह बीमारी ऐसी है कि इसको आज कल यहां के सब लोग पहचानते हैं. इसमें बहुत जोर का बुखार आता है, बग़ल, जांघ या गले में गांठ उठती है या कफ़ बढ़ता है, आँखें लाल रहती हैं, बोलना मुश्किल होजाता है, और बीमार के शब्द जो वह उच्चारता है समझ में नहीं आते, अगर मरीज़ चलता है तो शराबी के मुवाफ़िक़ चलता है. यह बीमारी आदमियों के अलावा चूहों को भी होती है. अब यह बात सिद्ध होगई है कि यह बीमारी चूहों के ज़र्ये से आदमियों में आती है, और बनिस्बत आदमियों के चूहों को जल्द होती है. पहिले चूहे और गिलहरी मरने लगती हैं, जब चूहों का मरना शुरू होता है तो आदमी भी मरने लगते हैं. जब चूहों को यह बीमारी होती है तब वे भी आदमियों के मुवाफ़िक़ जल्दी चल नहीं सकते, और चलने या फिरने में गिर पड़ते हैं, उनके बदन में भी गिलटियां निकल आती हैं, बल्कि चूहे भी बीमारी के डर से रहने की जगह छोड़ जाते हैं. जब किसी मकान में बेसबब चूहे मरने लगें, और इनमें से किसी चूहे की हालत ऊपर लिखे मुताबिक़ पाई जाय, तो समझ लेना चाहिये कि प्लेग आगया. और उससे बचने का कोई उपाय फ़ौरन ही शुरू करना चाहिये. ईश्वर की हम पर यह बडी कृपा समझनी चाहिये कि हम लोगों में यह बीमारी आने से पहले चूहों में शुरू हो जाती है जिससे हम होशियार हो सकते हैं. इतने पर भी ऐसे वक़् इन इशारों से फ़ायदा न उठाना बड़ी बद क़िस्मती समझनी चाहिये. ऐसे चूहों व गिलहरियों को जल्द चीमटे वग़ैरह से उठाना और फ़ौरन जला देना चाहिये.

बीमारी गांव में आने पर बचने के उपाय.

२. बीमारी गांव में आजाने पर लोग सिर्फ़ तीन तरह से अपना बचाव कर सकते हैं:—

(१) जहां पर चूहे मरने शुरू हो जावें वहां के सब लोगों को अपने अपने घर छोड़कर गांव के बाहर रहने को चले जाना चाहिये. मरे हुए चूहे मकान में या मकान के क़रीब नज़र आयें तो उसी वक़्त अव्वल काम यह होगा कि उसकी इत्तला फ़ौरन नज़दीक के शफ़ाख़ाने या तहसील में दी जाय.

(२) घर को और कपड़े लत्ते आदि को साफ़ करना चाहिये. घर को मिट्टी के तेल के इमलशन या फ़िनायल आदि दवा के पानी से धुलवाना चाहिय. चूहों के बिल, सन्धि (छेद) पत्थर कंकरी वग़ैरह से पूरकर पक्के ठोक देने चाहियें और अनाज वग़रह को ऐसा खुला न रखना चाहिये जिससे चूहों की आमद रफ़्त क़ायम रहे. कपड़ों को पानी में उबालना चाहिये. जो कपड़े धोने के लायक़ न हों (जैसे गादी वग़ैरह) उन्हें और क़ीमती चीज़ों को हम्वार खुली ज़मीन पर इकहरे बिछाकर पहर दो पहर धूप में अच्छी तरह सुखाना चाहिये.

(३) जैसे माता की बीमारी में टीका लगाने में माता का डर कम होजाता है, वैसे ही प्लेग का टीका लगाने से बीमारी का ज़ोर कम हो जाता है.

(४) मुअज़्ज़िज़ और मुखिया लोगों को लाज़िम है कि वे लोगों को टीका लगवाने की तरफ़ रा॰॰ब करें जिससे कि टीका लगवाने से लोग डरें नहीं और खुदही उसे लगवालें.

(५) शफ़ाखाने के किसी ऑफ़िसर से गुज़ारिश करने पर हर कोई मुफ़्त में टीका लगवा सकता है.

जब प्लेग नज़दीक आजावे तो रोकने के उपाय.

३. जब प्लेग नज़दीक आजावे तो अपने को बचाने की सब क़िस्म की तय्यारी करनी चाहिये, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जिसके शुरू होने में देर नहीं लगती, न जाने कब आपहुंचे. इससे घर की बरबादी होने का खौफ़ रहता है. इसलिये नीचे लिखे हुए क़ायदों पर ध्यान देने से बहुत फ़ायदा होगा :—

(१) रिआया को मार्फ़त पुलिस के या दीगर ज़रिये से जब आगाही होगी, कि फ़ुलां फ़ुलां जगह प्लेग शुरू होगया तो उन मुक़ामात से आनेवालों में से जो लोग बीमार हों उनको गांव में न आने देना चाहिये, और लिहाज़ और मुरव्वत से छिपा कर न रख लेना चाहिये, क्योंकि इस वजह से बीमारी के फैलने पर हज़ारों आदमियों को तकलीफ़ भुगतनी पड़ती है.

(२) जो लोग प्लेगज़दा गांव से आवें उनम से जो ेग बीमार न भी हों ताहम उनको और उनके सामान को दस रोज़ तक मकान में न आने दें और उनके सामान को धूप में अच्छी तरह सुखाकर फिर गांव में आने देना चाहिये.

(३) प्लेग जिस जगह हो वहां जाना न चाहिये, अगर इत्तफ़ाक़ से जाना हो तो जिस घर में चूहे मरते हों वहां रहना न चाहिये. प्लेग से मरे हुए चूहों के नज़दीक जाना न चाहिये, छूना तो दूरही रहा.

(४) घर में बहुत चूहे होने न देना चाहिये.

(५) अगर प्लेग नज़दीक आजावे तो अपने को और अपने कुनबे को सब लोगों को टीका लगवा लेना चाहिये.

(६) जहां प्लेग हो वहां नंगे पांव न फिरना और ज़मीन पर न सोना चाहिये. यह भी एक कारण है जिसकी वजह से ग़रीब लोग बहुत मरते हैं.

४. अक्सर यह देखने में आता है कि जब अपने गांव में कोई वबा फैलती है तो लोग भागकर दूसरे गांव के अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं और अपने साथ ही बीमारी को भी ले जाते हैं. उस वक़्त वे नहीं समझते कि अपने दुख का साथी दूसरे को क्यों करें. इससे बेहतर यह है कि वे अपने गांव के बाहर ही झोपड़ियां बनाकर र . इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है.

अपने गांव में प्लेग आजावे तो उसी गांवके बाहर झोपड़ों में रहना चाहिये दूसरे गांव में जाकर प्लेग फैलाना न चाहिये.

५. प्लेग के सबब से मकान छोड़ने के बाद बीमारी बंद होने से कम से कम एक माह ख़त्म होजाने तक घर को वापिस न जाना चाहिये. वापिस जाने से पहले मकान के सब कमरों में ज़मीन पर घास कन्डे वग़ैरह डलवाके उनको अच्छी तरह फैलाके इतना जलाना चाहिये कि फ़र्श ख़ूब गरम होजावे. जब यह होजाय तब फिर उस मकान में रहने के लिये आना चाहिये. इससे जो कीड़े रह भी जाते हैं वे मर जाते हैं. देखा गया है कि गरमी के दिनों में प्लेग कम होजाता है. इसका सबब यही है कि कीड़े मकानों के गरम होजाने से मर जाते हैं.

प्लेग के नेस्त व नाबूद होजाने से एक माह बाद घरों को वापिस आना चाहिये.

——

बाब ३३.

आम हिदायत.

बाब तेतीसवा.

आम हिदायत.

१. हर जमींदार का फ़र्ज़ है कि जो ठहराव वह किसी सरकारी हाकिम के साथ करे उसकी पूरी मन्शाय और उसके फ़ायदे और नुक़सानों को समझले.

जमींदार को चाहिये कि जो ठहराव वह किसी हाकिम सरकारी से करे उसे अच्छी तरह समझ के किया करे.

२. अक्सर गांववाले दूध देनेवाले जानवरों की संख्या बढ़ाके खेती की तरफ़ तवज्जह कम कर देते हैं. इस मामले में सरकार की मन्शाय यह है कि गांववाले खेती भी अच्छी तरह करें और अच्छे जानवरों को पालकर उनका घी, और दूध बेचकर फ़ायदा उठावें, और उनकी नसल भी सुधारें. गांववालों को यह समझ लेना चाहिये कि पहला काम खेती है, उसको बड़ी से बड़ी तरक़्क़ी देना है, दूसरा काम जानवरों की नसल सुधारना और उनसे भी फ़ायदा उठाना है.

दूध देनेवाले जानवरों की तरफ़ सारी तवज्जह न होनी चाहिये, खेती अच्छी तरह करना सब से ज़रूरी काम है.

३. जमींदारान को चाहिये कि वे मालगुज़ारी को तारीख़ मुक़र्ररा पर देने की फ़िक्र रक्खें. अगर इत्तिफ़ाक़ से ऐसा होजाय कि रुपया किसी दीगर काम में लग जावे तोभी वक़्त मुक़र्ररा पर पूरी मालगुज़ारी देने का बन्दोबस्त करें, क्यों कि वक़्त पर मालगुज़ारी न देने से उनका हर सूरत से नुक़सान, बेइज़्ज़ती और बदनामी होगी.

मालगुज़ारी तारीख़ मुक़र्ररा पर अदा करनी चाहिये.

४. जमींदारान व काश्तकारान की यह बड़ी ग़लती है कि वे अपना माल बिक्री के वक़्त से पहिले कम क़ीमत पर बेच देते हैं जिससे उनको बहुत हानि होती है. सरकार ने क़िस्तों की मियादें इस अन्दाज़े से रक्खी हैं कि जब खेतों से ग़ल्ला वग़ैरह बरामद हो जाता है तब क़िस्त की तारीख़ आती है. इसलिये पहिले से रुपया क़र्ज़ लेना और रुपये का माल बारह आने में बेचना बहुत हानि का कारण है.

माल कम क़ीमत पर न बेचना चाहिये क्योंकि क़िस्तें ऐसे अंदाज़ से मुक़र्रर की गई हैं कि उस वक़्त तक माल आजावे.

चारा अपनी जरूरियात रफा करने के बाद अगर बचे तो बेचना चाहिये.

५. अगरचे जमींदारान व काश्तकारान को उनकी मिलकियत की घास बेचने की मुमानियत नहीं है, ताहम उन्हें यह सुझाया जाता है कि उनके व उनके आसामियों के पास जो मवेशी हैं उनके चारे का पूरे साल भर का हिसाब लगाकर अगर ज़्यादा चारा हो तो फिर उसे बेचें. ऐसा न हो कि नक़द रुपये के लालच से बिला सोचे समझे तमाम घास को बेच डालें और घास निबट जाने पर उनके गांव के ढोर भूखों मरें या उनके बेचने की गरज पैदा हो. अलावा इसके साल भर के खर्च लायक घास अपने पास जमा रखने से क़हतसाली में बड़ी मदद मिलती है, नहीं तो चारा न मिलने से हज़ारों जानें हाय हाय करके निकल जाती हैं, यह बड़े पाप की बात है: और फिर गाय, बैल व दीगर मवेशी के खरीदने में बहुत रुपया खर्च होता है और वह लाचार होके करना पड़ता है, क्योंकि जितनी देर होती है उतना ही क़िस्त वसूल होने में हर्ज होता है. अगर इस तरह रुपया हाथ से जाता है तो खेती का सुधार करने के लिये पैसा पास नहीं रहता.

काश्तकार मौरूसी बिला हुक्म अदालत माल बेदखल नहीं हो सकता.

६. कोई जमींदार या नम्बरदार बिदून हुक्म अदालत माल काश्तकार मौरूसी को बेदखल नहीं कर सकता है.

इज़ाफ़ा लगान काश्तकार मामूली पर करने का इख़्तियार है.

७. ग़ैर मौरूसी काश्तकार पर जमींदार इज़ाफ़ा लगान करना चाहे तो वास्ते आयन्दा साल के यकुम मई के पहिले खुद करसकता है. लेकिन इसकी इत्तिला मार्फ़त पटवारी काश्तकार को करनी चाहिये. अगर जमींदार उसको बेदखल करना चाहे तो मार्फ़त पटवारी के अपने इरादे की इत्तिला उस काश्तकार को तमाह अप्रेल देवे, तब काश्तकार मज़कूर १ जून से बेदखल होगा.

फसल पर हिसाब समझना.

८. हर फ़सल पर या साल आख़िर पर सब जमींदारान मिलकर अपना हिसाब किताब कर लिया करें. इसे पटवारी उनको समझा सकता है. अगर पटवारी न समझावे तो जमींदार इसके बाबत तहसील में अर्ज़ी देसकता है. यह कार्रवाई जमींदार के ऑफ़िस में होनी चाहिये.

९. मौज़े में जो आराज़ी शामलात होती है वह तकरार की जड़ है; इसलिये हिस्सेदारान को चाहिये कि आपस में जमा होकर उसे बांट लेवें और बटवारे के बाबत तहसील में रिपोर्ट कर दें. इससे सरकारी कागज़ में लिखा पढ़ी होजावेगी और फिर कोई झगड़ा बाक़ी न रहेगा. अगर वे ज़मीन को इस तरह आपस में न बांटसकें तो स्टाम्प पर सूबा साहब के पास अर्ज़ी दें और अमीन की फ़ीस दाखिल करें. सूबा साहब उसे बटवा देंगे. अगर माफ़ी मुंजब्ता बांट का झगड़ा होवे तो उसकी कार्रवाई भी इसी तरह करें. पटवारी से ज़मीन की तक़सीम करानी ठीक नहीं.

ज़मीन शामलात-देही तकरार की जड़ है. इसलिये उसको बटवा लेना चाहिये.

१०. अक्सर जब कमज़ोर हिस्सेदारान का हक़ कोई ज़ोरदार हिस्सेदारान दबा लेते हैं, तो वे बजाय इसके कि क़ायदे के मुताबिक़ पैरवी व चाराजोई करें, फ़ज़ूल शोर मचाते हैं, या बेक़ायदे अर्ज़ियां हाकिमान के पास देते फिरते हैं. इससे उनका कुछ मतलब नहीं निकलता. ऐसी हालत में उनको चाहिये कि अगर वे मालदार हैं तो स्टांप पर, और नादार हैं तो मुफ़लिसी में परगने की कचहरी में बाज़ाब्ता नालिश करें, और अगर उनकी राय में परगना अदालत का फ़ैसला ठीक न होवे तो क़ायदे से उसका अपील करें जिससे उनकी (अगर दावा ठीक होगा तो) हक़रसी का होना मुमकिन होगा.

किसी हिस्सेदार का हक़ कोई दबा-ले तो उसको बा-ज़ाब्ता चाराजोई करनी चाहिये, उसे यह नहीं चाहिये कि फ़ज़ूल शिकायत करता फिरे.

इस क़िस्म के मामलात अगर पंचायत के इजलास में तय होने के क़ाबिल हों तो पंचायत से ही कराने चाहियें.

११. गांववालों को चाहिये कि जब हुक्काम उनके मौज़े में आवें तब अपना सब दुख दर्द निडर होकर उनके सामने कहें, अगर उनको ज़ियादा तकलीफ़ हो तो फ़ौरन तहसील में जाकर अर्ज़ी देवें, और अर्ज़ी के साथ रसीद स्टांप नत्थी करदेवें ताकि उनको उस अर्ज़ी की रसीद मिलजाय. अगर तहसील से दादरसी न होगी तो वे इस रसीद के साथ दर्जे ब दर्जे बाला हाकिम के पास पैरवी करसकेंगे और जब हाकिम बाला इस रसीद को देखेगा तब उसको मालूम होजायगा कि सायल बाक़ायदा पैरवी कररहे हैं, और उनकी दरख़्वास्त पर वह कार्रवाई शुरू कर सकेगा.

हाकिमान दौरे में आवें तो उनसे अपनी तकलीफ़ें बयान करनी चाहिये, अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो तहसील में फ़ौरन अर्ज़ी गुज़रानी चाहिये.

गांवटी खर्च का कुल इख़्तियार जमींदार को है.

१२. गांवटी खर्च (गांव का) बिलकुल जमींदारों के इख़्तियार में है, सरकार कोई तअल्लुक उससे नहीं रखती, न वह उसमें दस्तन्दाज़ी करेगी. जमींदारान जिस तरह चाहें ख़र्च करसकते हैं.

ख़ानगी इन्तकाल जायज़ तसव्वुर न होगा.

१३. कोई जमींदार खानगी तौर से दूसरे को मौज़ा या हिस्सा न देवे. ऐसा खानगी या बाहमी तौर का इन्तकाल नाजायज़ मुतसव्वर होगा.

जायदाद रेहन, बय या हिबा अपनी सरहद से मिले हुए दीगर इलाके के ग़ैर इलाके वाले के हाथ न होनी चाहिये.

१४. अगर कोई जमींदार जायदाद मक़बूज़ा को बय या रहन या हिबा करना चाहे तो मुमानियत नहीं है, मगर बमूजिब क़ानूनमाल दस्तावेज़ तहरीर होकर उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिये. रजिस्ट्री की दरख़्वास्त पेश होती है तो वास्ते हाज़री उज़्रदारान इश्तहार मियादी दिये जाने का क़ायदा है. चुनांचे अगर दरख़्वास्त देहंदा उन लोगों के जिनका कि उस जायदाद से ताल्लुक़ है दस्तखत करा लेगा तो यह तवालत रफ़ा होगी. यह भी ख़्याल रखना चाहिये कि किसी जमींदार को अपनी जायदाद मक़बूज़ा बय या रहन या हिबा ऐसे शख़्स के हाथ न करनी चाहिये जो मुलहिक़ा इलाके ग़ैर के सरहद्दी गांव में रहता हो. अलबत्ता जिस जायदाद के चारों तरफ़ इलाका दरबार का ही लगा हुआ हो ऐसे गांव में जायदाद ग़ैर इलाकेवाले के हाथ में देने में हर्ज नहीं, मस्लन:—

नक़्शे में (क) और (ख) दो गांव हैं. (क) गांव दूसरे इलाके की सरहद से मुलहिक़ है. (ख) गांव के चारों तरफ़ इलाका दरबार है. ऐसी हालत में (ख) गांव की जायदाद मक़बूज़ा हिबा, रहन या बय होसकती है, लेकिन (क) गांव की जायदाद हिबा, रहन या बय नहीं होसकती.

जदीद आबाद होनेवाली आसामियों को जमीन मकान बनाने के लिये देना.

१५. जमींदारान को इख़्तियार है कि जो आसामियान जदीद आबाद होवें उनको ज़मीन व ग़रज़ तय्यारी मकान उस आराज़ी में से देवें जो तामीरात मकान के वास्ते मख़सूस करदी गई है या मुस्तामिल है.

१६. अलावा उस आराज़ी के जो तामीरात मकान के वास्ते मख़सूस करदी गई है या मुस्तैमिल है और किसी आराज़ी मज़रूआ क़ाबिल ज़राअत पर मकान वग़ैरह न बनाना चाहिये.

क़ाबिल ज़राअत आराज़ी पर मकान न बनाना चाहिये.

१७. अक्सर लोग परस्तिशगाह (पूजा, प्रार्थना इत्यादि के स्थान) का बनवाना धर्म और पुण्य का काम समझकर उनको बनवा देते हैं, लेकिन उनके पूजा नैवेद्य, धूप दीप का व सफ़ाई व मरम्मत का इन्तज़ाम कुछ नहीं करते. इसका नतीजा यह होता है कि ऐसी पवित्र जगह थोड़े दिनों के पीछे अपूज्य रहने लगती है, और इमारत की हालत ख़राब होजाती है. ऐसी हालत में उनके बनानेवालों का धर्म और पुण्य तो कुछ नहीं होता बल्कि पाप होता है. इसलिये सरकार ने यह हुक्म दिया है कि जब कोई शख़्स परस्तिशगाह बनवाना चाहे तो उसको चाहिये कि उसके आयन्दा हमेशा चलाने, संभालने और दीगर इन्तज़ाम के लिये खर्च वग़ैरह की पूरी पूरी तजवीज़ करे और हस्ब क़ायदा ट्रस्ट क़ायम करके ट्रस्टीज़ भी तजवीज़ करे, और जो तजवीज़ वे करें उसकी तफ़सील के साथ दरख़्वास्त सरकार में वास्ते मंज़ूरी तामीर परस्तिशगाह पेश करें. तफ़सील में ये मदें शामिल हैं, परस्तिशगाह का नक़्शा, एस्टिमेट खर्चा, उसकी साल संभाल व पूजा वग़ैरह के खर्चा का सालियाना बजट, व आम्दनी जायदाद या क़ीमत या नक़्द या रक़म जो ट्रस्ट की जावेगी और जिससे वह आम्दनी आती रहेगी वग़ैरह.

मन्दिर, मसजिद, या कोई और इबादतगाह को बिलाइजाज़त सरकार न बनाना चाहिये, न बनाने देना चाहिये

जब मंज़ूरी होजावेगी तो ज़रिया आम्दनी जायदाद या ज़रे नक़्द जो हो उसकी सबील अव्वल लगा लेवे. जब वह हो जाय तब तामीर परस्तिशगाह का काम हाथ में लेवे. जबतक आम्दनी का ज़रिया पुख़्ता न क़ायम हो जाय परस्तिशगाह न बनावे. जब मंज़ूरी हो जावेगी तब परस्तिशगाह वग़ैरह बनवावे, और उसके इन्तज़ाम के लिये जो तजवीज़ की थी उसको अमल में लावे. ज़मींदारान को चाहिये कि वे ख़ुद इन क़वाअद की पाबन्दी करें, और अगर उनके गांव में कोई शख़्स इन क़वाअद के ख़िलाफ़ बर्ताव करे तो उसको इन क़वाअद से आगाह करदें. इसपर भी अगर वह न माने तो रिपोर्ट उसी वक़्त उसके बाबत तहसील में भिजवा देवें.

काश्तकार खेत की मेंड़ न तोड़ा करें.

१८. अक्सर देखा गया है कि काश्तकार लोग मेड़ें खेत की तोड़ डालते हैं जिससे सरकारी कागज़ में बहुत रद्दोबदल हो जाती है, और नक़्शे में ग़लती हो जाती है; इसलिये जमींदारों को चाहिये कि वे अपने काश्तकारों को हिदायत करें कि वे खेत की मेंड़ न तोड़ा करें. अगर किसी वजह से मेंड़ तोड़ने की ज़रूरत पेश आवे तो ब इत्तला पटवारी तोड़ें.

जमींदारान को एक किताब हालात देही रखनी चाहिये.

१९. जमींदारों को चाहिये कि एक किताब हालात देही की खुद रक्खें और उसमें मौज़े के तमाम हालात लिक्खें, मस्लन मौज़े का रक़बा क़ाबिल काश्त मज़रूआ रक़बा आबपाशी, घास बीड़ चरनोई, निवान सरकारी, निवान जमींदारी और दीगर अमूर जिन्हें जमींदार दर्ज करना चाहे वग़ैरह इस क़िस्म के कुल इन्दराज अपने हाथ से करलिया करें. अगर वे पढ़े लिखे न हों तो किसी दूसरे आदमी से करालिया करें न कि पटवारी से. इससे यह फ़ायदा होगा कि जमींदारान अपने गांव की हालत मौजूदा से अच्छी तरह वाक़िफ़ रहेंगे, उनको निरे पटवारी के ही भरोसे पर न रहना पड़ेगा, और यह खुद मालूम होता रहेगा कि उनके यहां कितना मसाला और सामान तय्यार है, और उससे वे क्या तरक़्क़ी करसकते हैं और नीज़ यह भी कि क्या इक़रार उन्होंने सरकार से किये हैं. उनको यह ख़याल रखना चाहिये कि हाकिम लोग मौज़े के मुताल्लिक़ उनसे जो कुछ दरियाफ़्त करें उसे बतलाने का काम खुद जमींदारों का न कि पटवारी का है. उनका यह कहना कि हमको फ़लां मामले में वाक़िफ़यत नहीं है, पटवारी से पूछा जाय, दुरुस्त नहीं है. अगर जमींदार के पास किताब हालात देही मौजूद रहेगी तो उसको हर क़िस्म के सवालों के जवाब देने में किसी तरह की दिक़्क़त न होगी.

पटवारी गांव का मुहर्रिर है अगर वह ग़लती करे तो उसे बइत्तला तहसील दुरुस्त करा लेना चाहिये.

२०. पटवारी हर मौज़े में मुक़र्रिर है, वह सिर्फ़ गांव का मुहर्रिर है न कि ऑफ़िसर. उसका काम केवल यह है कि जमीन और उसकी उपज (उत्पन्न) और लगान का हिसाब किताब रक्खे, उसके इख़्तियार में और कोई बात नहीं है. अगर जमींदार खुद देखभाल करे तो कभी ग़लती नहीं होसकती. अगर पटवारी कुछ ग़लती करे तो फ़ौरन तहसील में अर्ज़ी देनी चाहिये, और जिस कागज़ में ग़लती हुई हो उसका सुधार करा लेना चाहिये.

२१. अक्सर जमींदार पटवारियान के हमराह दौरे में नहीं जाते, और न लगान की पूरी पूरी वकाफियत उनको देते हैं, तहसील से परवाना उनके नाम जारी होता है तो उसकी भी तामील नहीं करते हैं. यह दुरुस्त नहीं है. जमींदारान को पटवारियों के दौरे में वक्त गिर्दावरी फसलहाय रहना चाहिये, और तरमीम नक़्शा मौज़ा में मदद देनी चाहिये, और सही लगान जो काश्तकारान से वसूल करते हों दर्ज कागजात कराना चाहिये. अगर कोई जमींदार शरारत से ऐसा न करेगा तो उससे तावानी मुचलका लिया जावेगा. फिर भी अगर वह तामील हुक्म न करेगा तो मुचलका तहसील से जब्त किया जावेगा.

जमींदार को पटवारी के साथ वक्त गिर्दावरी रहना चाहिये.

इसी तरह बंदोबस्त का काम जारी हो तो पटवारी या दीगर कारकुन को तमाम जरूरी वकाफियत जो पास हो वह करदेनी चाहिये. अगर उनकी गफ़लत से कागजात में गलती रहजावेगी तो उसका असर उनके वास्ते ही खराब होगा.

२२. अक्सर गांवटी चौकीदार वगैरह खिदमतगारों को खिदमत गुजारी के लिये जमींदारान आराजी माफी में दे देते हैं लेकिन जब वह आराजी गुजारे लायक काफी नहीं होती तो वे पेशेकार परेशान होके वायवेला मचाते हैं और खिदमत को पूरी तौर से अंजाम नहीं देसकते. इसलिये जमींदारान को चाहिये कि जब कभी गांव के कारोबार चलाने के लिये ऐसे लोगों की खिदमत की जरूरत हो तो उनके गुजारे के लायक नक़द देदिया करें ताकि उनका काफी तौर से गुज़ारा हो और वे अच्छी तरह खिदमात अदा करें.

चौकीदार मुकर्रर रखना, उसकी तनख्वाह व वर्दी देने की जिम्मेदारी जमींदार की है.

२३. बरसात में गांव में पैदावार व माल वगैरह लाने व लेजाने के लिये अच्छे रास्तों की जरूरत होती है. जहां कहीं वे नहीं होते वहां डाक और ब्योपार वगैरह का काम रुक जाता है और मौसमों में भी अच्छे रास्तों के न होने से न सिर्फ गाड़ियां वगैरह टूटती हैं बल्कि देर भी माल इधर उधर लेजाने में बहुत होजाती है जिससे ब्योपारी लोग मंडियों में और गांव में आने जाने को बाइस तकलीफ़ समझते हैं. अब देखना चाहिये कि अगर कोई खास जमींदार रास्ता बनाना चाहे तो उसको खर्च बहुत करना पड़ेगा. इसलिये अगर बहुतसे गांवों का एक हल्का बनाया जावे और उस हल्के के सब जमींदार इस काम को मिलके करेंगे तो हर जमींदार पर रास्ते बनाने का बार बहुत कम हो जायगा और काम भी अच्छी तरह चलेगा.

देहाती रास्तों का दुरुस्त रखना और उसके लिये फन्ड जमा करना.

रास्ता बनाने से पहिले उनको चाहिये कि यह तहक़ीक़ात करलें कि रास्ता कितना लंबा होगा और उसके तैयार करने में खर्च कितना बैठेगा, फिर उस खर्चे की रक़म को बतौर चन्दे के इकट्ठा करलें. बाद इसके इस मामले को तहसीलदार साहब के रूबरू वास्ते लेने सलाह के पेश करें. उनको चाहिये कि रुपया, हिसाब और काग़ज़ात मुतअल्लिक़ इस मामले के अपने पास रक्खें. बेहतर यह होगा कि सब जमींदार मिलके एक क़िस्म की कमीटी इस काम को अच्छी तरह अंजाम देने के लिये बनालें.

जमींदारों को ख़्याल रहे कि रास्ता जो बने उसकी चौड़ाई आठ फुट से कम न हो और वह ऐसा हो कि वक्त ज़रूरत उसपर मोटर वग़ैरह जासकें. जब रास्ते एक मर्तबा अच्छे बन जावेंगे तो उनकी सालाना दुरुस्ती में ख़र्चा बहुत कम पड़ेगा.

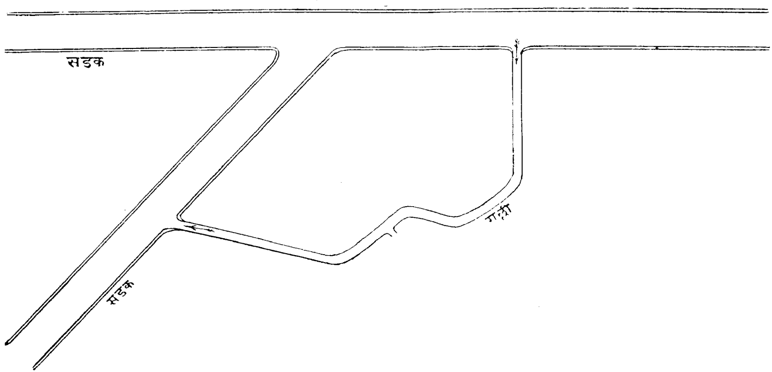
लगान को न छिपाना चाहिये.

२४. अगर कोई जमींदार, मुस्ताजर, सुपुर्दगीदार या उनका बहवटदार या सरबराहकार या काश्तकार या देहात खाम का मुहतमिम व कारपरदाज़ रूबरू हाकिमान माल ब सीगे कारवाई ज़ाब्ता, या रूबरू अदालत माल दौरान किसी मुक़दमे के (जिसमें लगान मज़कूर की बहस हो,) अपने फ़ायदे की ग़रज़ से और सरकारी जमा में कमी करने की नियत से सही रक़म लगान की न बतावे (रूबरू किसी अदालत कि जहां उसको शहादत बाज़ाब्ता देनी हो), जान बूझकर बयान न करे या झूंठी रक़म लगान की जान बूझकर बतलावे या काग़ज़ात सरकारी में दर्ज करावे, तो उस शख़्स पर इल्ज़ाम जुर्म नम्बर ६३ बमूजिब मजमूये क़वानीन फ़ौजदारी आयद होगा, बशर्ते हालत मुक़द्दमा इस लायक़ हो कि जिसे देखकर जुर्म मुन्दर्जा दफ़ा ६३ आयद होसके.

झूंठी वक़फ़ियत किसी सरकारी मुलाज़िम को न देना चाहिये.

२५. कोई शख़्स किसी सरकारी मुलाज़िम माल को झूंठी खबर दीदोदानिस्ता इस इरादे से देवे कि वह सरकारी नौकर (किसी सरकारी काम में कि जिसमें उसको ग़लती न करनी चाहिये) ग़लती करे तो सज़ा का मुस्तौजिब होगा.

सड़क और गली का नक्शा।



चित्रशाला प्रेस, पूना।

२६. कोई शख़्स ख़्यालात बदख़्वाही खिलाफ़ हुकूमत महाराजा साहब व गवर्नमेन्ट ऑफ़ इन्डिया के न फैलाये और न ऐसे अखबारात व किताबें पढ़े जिससे ख़्यालात खराब निस्बत इन सरकारों के पैदा होवें.

ख़्यालात बद-ख़्वाही फैलाने की मुमानियत है.

२७. कोई नजर या भेंट किसी अहलकार को न देनी चाहिये. अगर उसका देना मालूम होगा तो लेने और देनेवाले दोनों को सजा दी-जावेगी.

नजर भेंट किसी अहलकार को देना मना है.

२८. जमींदारान को चाहिये कि चोर, डाकू व बाग़ी व इश्तहारी मुजरिमों को मौजे में न रक्खें, बल्कि ऐसे शख़्सों की गिरफ़्तारी व दीगर जरायम संगीन की तहक़ीक़ात में पुलिस की मदद करें; और किसी तरह का फ़साद न करें, न किसी के फ़साद में या इर्तकाब जुर्म में शरीक होवें या अयानत करें. अगर कोई वारदात होवे तो उनका फ़र्ज है कि थाने में फ़ौरन रिपोर्ट करदें.

फ़रायज़ जमींदार मुताल्लिक़ पुलिस.

बाब ३४.

खिलाफ़ ज़ाब्ते अर्ज़ी देना.

बाब चौतीसवां.

ख़िलाफ़ ज़ाब्ते अर्ज़ी देना.

१. अमूमन रिआया बज़र्ये डाक या दस्त बदस्त सरकार में ख़िलाफ़ ज़ाब्ते अर्ज़ियां देते रहते हैं, और जब कभी सरकार की सवारी, ख़्वाह दौरे में ख़्वाह किसी काम के लिये, बाहर निकलती है तो लोग सड़क पर पैरों पर गिरते हैं और वावेला करते हैं. यह ज़रा ग़ौर करने की बात है कि ये बातें कहांतक ठीक हैं. इसे सब समझ सकते हैं कि इसमें लोगों को भी तकलीफ़ होती है, और सरकार को भी. ऐसा करने से न किसी को फ़ायदा पहुंच सकता न शिकायत फ़ौरन रफ़ा हो सकती है.

ख़िलाफ़ ज़ाब्ते सरकार में या हाकिमों को अर्ज़ी देना.

२. ऐसा राजा या हाकिम कहीं नहीं होता जिसको अपनी रिआया की तकलीफ़ों का ख़्याल न हो. और जिसने उनकी तकलीफ़ों को रफ़ा करने के लिये कोई बंदोबस्त मुनासिब बज़र्ये क़ानून या अहकाम के न कर रक्खा हो, वर्ना मुल्क का इंतज़ाम किसी हालत में ठीक नहीं रह सकता, और न रिआया आराम से रह सकती है.

अमूमन राजा और हाकिमों को रिआया की तकलीफ़ें मालूम रहती हैं.

३. जिस राज में आदमी जावें उसमें क़ानून व अदालत दीवानी, फ़ौजदारी और माल, और दीगर क़ानून मुतअल्लिक़े मुख़्तलिफ़ महकमेजात मय उनके दफ़्तरों के रहते हैं, और पूरा पूरा इंतज़ाम वास्ते समाअत मुक़दमेजात और दीगर मामलात के बज़र्ये नालिशों, अपीलों, और दीगर आरायज़ के रहता है. छोटे २ मुक़दमों की नालिशें छोटी २ अदालतों में होती हैं, और बड़े मुक़दमों की, और अपीलों की समाअत बड़ी अदालतों में होती है, और उनके फ़ैसलों और हुक्मों की अपीलें भी अदालत आला में होती हैं.

हर राज में क़ानून, अदालतें, और महकमेजात वास्ते समाअत मामलात होते हैं.

४. इसी तरह हर महकमे के मामलात को तय करने के लिये जुदे २ ऑफ़िसर मुक़र्रर रहते हैं, मसलन जंगलात के हाकिम मामलात जंगलात का तस्फ़िया करते हैं, मामलात माली को ऑफ़िसरान माल फ़ैसल करते हैं. और मामलात डाकख़ानेजात का फ़ैसला ऑफ़िसरान डाकख़ानेजात करते हैं.

हर महकमे के मामलात तय करने के लिये ऑफ़िसर रहते हैं.

इसी तरह हर महक्मे के मामलात को तय करने का पूरा पूरा बंदोबस्त हर जिले, परगने व शहर में दर्जे ब दर्जे रहता है और कोई मामला ऐसा नहीं होता कि जिसके तय करने के लिये सरकार ने किसी क़िस्म की अपने क़ाबूभर कोताही कर रक्खी हो. इससे साफ़ मालूम होगा कि मुस्तग़ीस को दरबार के रूबरू तबही अर्ज़ी देनी चाहिये, जब और अदालतों या महक्मों में जो कि उसके लिये मुक़र्रर हैं चाराजोई हासिल न हो सके.

बादशाह एक आदमी का नुक़सान करके दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचाता.

५. मुस्तग़ीस को यह हमेशा समझना चाहिये कि बादशाह एक आदमी का नुक़सान करके दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, न वह ऐसा कोई काम करसकता है जिसमें किसी क़िस्म की बे इन्साफ़ी हो, न वह अपने मंज़ूर किये हुए क़ानून या अहकाम को बिला वजह ख़ास बदलता रहता है. इसलिये क़ानून और दरबार के अहकामात के ख़िलाफ़ कोई अर्ज़ी नहीं ली जा सकती.

मुस्तग़ीस को यह भी न भूलना चाहिये कि अगर दरबार के ही तरफ़ से कुल मामले और मुक़द्दमे समाअत हो जा सकते तो इतनी अदालतें और ऑफ़िसरान मुख़्तलिफ़ महक्मेजात क्यों मुक़र्रर किये जाते ? और उनके क़ायम रखने के ख़र्च को सरकार क्यों गवारा करती ? अलावा इसके यह भी सोचना ज़रूर है कि जब सरकार ने उन्हें मुक़र्रर किया है तो किसी काम ही के लिये मुक़र्रर किया होगा और जब छोटी छोटी बातों के तय करने के लिये भी सरकार ही को तकलीफ़ दी जावे तो अदालतें और दीगर महक्मे क्या करेंगे ? उनके रखने से क्या फ़ायदा हुआ ? अलावा इन सब बातों के यह क्योंकर मुमकिन होसकता है कि यह सब के मुक़द्दमे अकेले अपने आप तय करसके.

इन बातों के लिहाज़ से यह कहना पड़ता है कि लोगों को यह मानना पड़ेगा कि अदालतों और महक्मेजात के ऑफ़िसरों के फ़ैसले और अहकाम बमंज़िले फ़ैसलेजात व अहकाम सरकार के हैं और जबतक कि क़ानूनन कोई ख़ास वजह न होगी तबतक सरकार उनका काम आप कभी न करेगी, न उनके फ़ैसलों और हुक्मों को मन्सूख़ करेगी, न बेजा तौर पर उनमें किसी क़िस्म की दस्तंदाज़ी करेगी.

६. रिआया की दादरसी के लिये दरबार ने क़ानून व क़वाअद बनाये हैं और अहकाम जारी किये हैं, और अदालतें क़ायम की हैं. दरबार इन क़वाअद, क़ानून और अहकामात के मुताबिक़ चलते हैं. रिआया को भी उनके मुताबिक़ कार्रवाई करनी चाहिये.

रिआया का फ़र्ज़ है कि क़ानून, क़वाअद और अहकाम को माने.

७. जो मामला या मुक़द्दमा मुताबिक़ आईन व क़वाअद जिस ऑफ़िसर या जिस अदालत के रूबरू पेश और तय होना चाहिये उसकी समाअत और उसका फ़ैसला वही कर सकता है. अगर मुस्तग़ीस को उसके फ़ैसले या हुक्म से ऐतराज़ माक़ूल हो तो वह उसका अपील बाज़ाब्ता दर्जे बदर्जे कर सकता है. दरबार तक अगर अपील करने की नौबत आये भी तो अख़ीर में आती है.

इब्तिदा में अदालतें और ऑफ़िसरान मुतअल्लिक़ात मुक़द्दमों व अर्ज़ियों की समाअत करते हैं.

८. इब्तदा ही में दरबार में अर्ज़ी किसी हालत में देना बेसूद है.

दरबार में अपील अख़ीर में होता है.

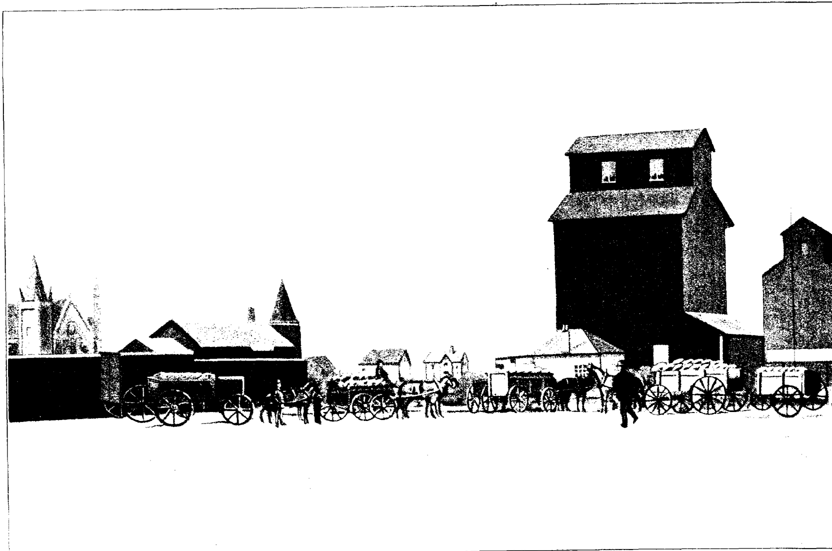
९. रिआया को इस आम उसूल पर चलना चाहिये कि जिस किसी हाकिम के भी सामने किसी मामले में उसे जाना हो तो उसके रूबरू कुल वाक़िआत मुतअल्लिक़ मामला मय सुबूत पुख़्ता पेश करें. सिर्फ़ वावैला मचाने से कुछ नहीं होता. जब कभी मामला ऐसा अहम हो या उसकी सूरत ऐसी हो कि बावजूद उसके सच्चे होने के उसको कोई नहीं सुनता तो मुताबिक़ उसूल मज़कूर के उसको दरबार में अर्ज़ करना चाहिये.

वाक़िआत मामलात या मुक़द्दमात मय सबूत पेश होने चाहिये.

बाब ३५.

बीज भंडार.

नम्बर.	विषय.	पृष्ठ.
१.	बीज भंडार से फ़ायदे	३११
२.	हर काम के करने में किन बातों की पाबन्दी होनी चाहिये	३११
३.	काम का बाकायदा होना	३१२
४.	काम का वक़्त पर होना	३१२
५.	काम दिल लगाकर करना	३१३
६.	बीज अच्छा होना चाहिये, बीज की पहिचान	३१३
७.	माल की हिफ़ाज़त करना	३१३
८.	ईमानदारी से काम करना	३१५



ग़ल्ला आरहा है और गोदाम में रक्खा जारहा है.

बाब पैंतीसवां.

बीजभंडार.

बीजभंडार से फ़ायदे.

१. हर गांव में या कई गांवों को मिलाकर बीजभंडार क़ायम करने से ज़मींदार व आसामियान को बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, जैसेः—

[क] अच्छे बीज का मिलना.

[ख] बीज का ठीक २ वज़न में मिलना.

[ग] सस्ते सूद पर मिलना.

[घ] जो हिस्से लें उनको फ़ायदा होना वग़ैरह वग़ैरह.

अगर कई गांव को मिलाकर हल्का बनाया जावे तो बीजभंडार ऐसे गांव में क़ायम होना चाहिये जहां से उस हल्के के गांवों को ब आसानी बीज पहुंचसके.

अगर ग़ौर से देखा जावे तो इसके क़ायम करने में सब तरह का फ़ायदा है. शर्त यह है कि इन्तज़ाम ठीक हो और काम होशियारी से किया जावे.

हर काम के करने में किन बातों की पाबन्दी होनी चाहिये.

२. हर काम में जबतक कि इन बातों की पाबन्दी न की जाय तब तक फ़ायदा होना नामुमकिन है, मसलनः—

(१) काम का बाक़ायदा होना.

(२) काम का वक़्त पर होना.

(३) काम में दिक़्क़तें पैदा न करना.

(४) माल की हिफ़ाज़त ठीक तौर पर करना.

(५) भंडार में अच्छे बीज का जमा रखना.

(६) ईमानदारी से काम करना.

अगर ग़ौर करके देखो तो हर काम में खतरा मालूम देता है, यहां तक कि रोटी खाने में भी, ताहम् अगर ऐसे ख़्याल किये जावें तो दुनिया के कोई भी काम नहीं चल सकते. मस्लन् लोग खेती करते हैं, लेकिन उसमें भी खतरा है. वह यह कि वक़्त पर पानी न पड़े तो बड़ा नुक़सान होता है. फिर ऐसा खतरा देखते हुए भी क्या लोग खेती नहीं करते? अक्सर कहा जाता है कि यह काम तो हमारे बाप दादा ने नहीं किया, हम क्यों करें? याद रहे कि जो काम पड़दादे ने न किये उन्हें लड़के ने किया, जो दादा ने न किये वे उसके लड़के ने किये. मस्लन एक जमाने में किसी को मालूम न था कि लंप का तेल क्या चीज है और उसकी जगह तिल्ली या और कोई तेल रोशनी के लिये काम में लाया जाता था; या बूट जिन्हें लोग पहिले नहीं पहनते थे, उन्हें अब सब पहनने लगे, यह क्यों करने लगे? और जो बातें फ़ायदे की अब बतलाई जाती हैं उनके बाबत हीला क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि जैसे जैसे फ़ायदे मालूम होने लगे और आराम मिलने लगा वैसा २ लोग करने लगे. सारांश यह है कि जिसे पड़दादे ने न किया या बुरा समझा उसको पड़पोते अच्छा समझ कर करने लगे. जब तक किया नहीं तब तक उसके नफे या नुक़सान का अनुभव भी न हुआ. बग़ैर किये कोई काम नहीं आता, न नफ़ा नुक़सान समझ में आता है.

काम का बाक़ायदा होना.

३. काम का बाक़ायदा होना, इससे मुराद यह है कि हिसाब किताब साफ़ साफ़ रक्खा जावे ताकि किसी बात की गड़बड़ न होने पावे और आम को भरोसा काम करनेवालों पर और इंतज़ाम पर हो जाय.

काम का वक़्त पर होना.

४. काम का वक़्त पर होना यानी जिस वक़्त लोग अनाज मांगें उसी वक़्त वह फ़ौरन उन्हें मिले, उसमें किसी क़िस्म की टालाटूली न हो, मस्लन, आज नहीं मिलता कल आओ, कल नहीं मिलता परसों आओ, अब वक़्त तंग

होगया इसलिये कल आओ, जमानत लाओ, यह करो, वह करो वग़ैरह २. खास मुराद यह है कि लोगों को भंडार से बीज मिलने में परेशानी न हो और खतकितावत वक़्त पर हो, और वक़्त खराब न हो.

५. काम दिल लगाकर करने से मुराद यह है कि:— काम दिल लगा कर करना.

[क] काम करनेवालों का बीजभंडार को ठीक वक़्त पर खोलना,

[ख] सब के साथ हमदर्दी से पेश आना,

[ग] नफ़ा नुक़्सान को जांचते रहना,

[घ] माल की पूरी २ निगरानी करना ताकि वह बिगड़ने न पाये,

[ङ] अच्छा और उम्दा बीज पसंद करके रखना.

६. बीज के लिये अनाज हमेशा अच्छा होना चाहिये. बीज खराब होने से पेड़ कमज़ोर होते हैं और पैदायश भी कम होती है. इसलिये यह ज़ुरूरी है कि अच्छा बीज चुना जावे. अच्छे बीज की पहिचान यह है कि वह (१) वज़नदार, (२) अच्छी तरह पका हुआ, (३) ताज़ा, (४) रंगदार, (५) एक जात का, (६) कीड़ों से बचा हुआ होना चाहिये, (७) वह मैला और दीगर बीज से मिला हुआ न होना चाहिये. बीज अच्छा होना चाहिये, बीज की पहिचान.

मुख़्तासिर यह है कि किसी क़िस्म की लैतलाली, सुस्ती, या ग़फ़लत न होने पावे.

७. माल की हिफ़ाज़त ठीक करना. ऐसी जगह में माल रखना कि वह बिगड़ न जाय, माल को घुन न लग जाय, चूहे बिल्ली उसका नुक़्सान न करें, धूप वक़्त पर देना (अगर देनी हो). इसकी खबर रखना कि बरसात में सीड़ न लग जावे, और हवा वक़्त पर दिलाना (अगर देनी हो). माल की हिफ़ाज़त करना.

भंडार में वही बीज रखना मुनासिब है जो अच्छा हो, जिसकी तारीफ़ या सिफ़त इस काम के जाननेवालों ने की है, जिसकी वक़फ़ियत सरकारी काश्तकारी का माहिर दे सकता है. आफ़िसरान बीजभंडार को चाहिये कि वे

हमेशा खतो किताबत ऐसे सरकारी आफिसर से करते रहें और हमेशा वक़्फ़ियत इन बातों की उससे हासिल करते रहें, जैसे:—

[क] क़िस्म क़िस्म के बीज को वास्ते बोने के कैसे पसंद करना ?

[ख] उनकी हिफ़ाजत किस तरह करना ?

[ग] किस ज़मीन के लिये कैसा खाद बनाना ?

अगर्चे खाद का मज़मून इस बाब से ताल्लुक़ नहीं रखता, ताहम् ये माहिती बीज लेनेवाले को देना कोई बुराई की बात नहीं, क्योंकि अगर देखा जावे तो कई तरह से भंडार काही फ़ायदा है. मस्लन कसरत से जब बीज पैदा होगी तो भंडार भी बढ़जावेगा, जब लोगों को आम्दनी ज़्यादा होगी और हिस्सेदारों को फ़ायदा होगा तो हिस्से की तादाद भी बढ़ेगी, नये नये हिस्सेदार शरीक होंगे.

[घ] वह आफिसर यह भी बतला सकेगा कि फलां २ क़ीमती जिन्स तुम्हारे यहां बआसानी हो सकेगी, जिसे करने से फलां फ़ायदा तुम्हारा होगा.

[ङ] वह क़िस्म २ की चीज़ें बोने की तरकीबें बतलायगा जिससे क़िस्म चीज़ें अच्छी होंगी और क़ीमत अच्छी मिलेगी. अलावा इसके कारखानेदार उन्हें ख़रीदेंगे. अगर क़िस्म अच्छी न हुई तो संशय है कि माल कारखानेदार लेंगे या नहीं जैसा कि रुई के बारे में हुआ करता है.

रुई सबही बोते हैं परन्तु उसमें भी दर्जे हैं, अगर अपने मुल्क में ऐसी उम्दा दर्जे की रुई न हुई जिसका धागा लम्बा होता है तो शायद कारखानेदार उसे पसन्द न करेंगे और रुई को उस मुल्क से लेंगे जहां उम्दा ज़ातकी मिलेगी. इस क़िस्म की वाक़फ़ियत के फ़ायदे ऐसे ऑफिसर से खत किताबत जारी रखने से हो सकते हैं, ऐसे ही अनेक फ़ायदे हैं.

८. ईमानदारी से काम करना. इसके माने सब ही समझ सकते हैं, यानी — ईमानदारी से काम करना.

[क] अपने नफ़े के लिये किसी का नुक़सान न करना,

[ख] हिसाब ख़राब रखकर अपना फ़ायदा न करना,

[ग] किसी को गलत हिसाब न बतलाना,
ऐसी कई बातें नाना प्रकार की हैं.

संयुक्त बीजभंडारों के बाबत दरबार ने क़वाअद भी बनाकर मुश्तहर कर दिये हैं जिनके पढ़ने से मालूम होगा कि इनके चलाने का इन्तजाम किस तरह करना चाहिये.

बाब ३८.

गुलाब की काश्त.

बाब छत्तीसवां.

गुलाब की काश्त.

इस मुल्क में बहुत से जमींदार और काश्तकार ऐसे हैं कि जो यह समझे हुए हैं कि काश्त सिर्फ अनाज की होती है. यह ख़्याल गलत मालूम देता है, क्योंकि महकमा जराअत कुल तहज़ीब याफ़्ता मुल्कों में तमाम उन चीज़ों से जो जमीन से पैदा होती हैं ताल्लुक़ रखता है. इसमें न सिर्फ अनाज ही होता है बल्कि कन्दमूल, रुई, लाख, कपूर, नील, शकर, वग़ैरह, वे चीजें भी जो हम रात दिन बरताव में लाते हैं शामिल हैं. चुनांचे बहुत क़िस्म के तेल, अर्क़ वग़ैरह ऐसे हैं जो जमीन की पैदावार से निकलते हैं. मिनजुम्ले उनके गुलाब का फूल भी है, जिससे इत्र, अर्क़ गुलाब, गुलक़न्द वग़ैरह बनते हैं, जो बहुत क़ीमती होते हैं और जिनकी वजह से गुलाब के फूल अगर अच्छी तरह तैयार किये जावें तो ब मुक़ाबले उन दीगर चीज़ों के जोकि गल्ले वग़ैरह में शामिल हैं काश्तकार को बहुत मुनाफ़ा देके सरसब्ज़ और खुशहाल रख सकते हैं.

मिस्र फ़ारस के गुलाब का इत्र हिन्दुस्तान का भी सदियों से बहुत बेशक़ीमती समझा जाता चला आता है. अगले ज़माने में क़न्नौज में गुलाब की काश्त बहुत होती थी जिससे यह दूर दूर मुल्कों में मशहूर था, लेकिन अब भी वहां इसकी खेती इसक़दर होती है कि वहां का इत्र बहुत मुल्कों में जाता है, जिससे इसकी काश्त करनेवालों को ब मुक़ाबले और काश्तकारों के कम से कम दुचंद फ़ायदा होता है.

गुलाब दो क़िस्म के होते हैं—फ़सली और बरसाती.

इत्र और गुलाब का अच्छा अर्क़ फ़सली गुलाबों के फूलों से बनता है. इसमें अच्छा फूल डेढ़ या दो महीने तक याने अख़ीर माघ, फागुन और शुरू चैत तक रहता है.

जिस खेत में गुलाब लगाया जावे उसे पांच या छै वक़्त इस ग़रज़ से जोता और साफ़ किया जाय कि उसमें दूब या घास वग़ैरह न रहने पावे, ये चीजें बहुत ही नुक़सान पहुंचाने वाली हैं.

ज़मीन तैयार होजाने पर उसमें लैन क़ायम की जावें, उन लैनों में डेढ़ डेढ़ फुट के फ़ासले पर एक एक गढ़ा खोदा जावे, और उसमें पांच या छै क़लम लगाई जावें, और उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह दबा दिया जावे. ज़मीन से क़लम छै इंच बाहर रहें और चार या पांच इंच ज़मीन में दबी रहें.

गुलाब की क़लम अगहन के महीने से माघ के महीने तक (याने तारीख़ १५ नवम्बर से तारीख़ १५ जनवरी तक) लगानी चाहियें, और गुलाब में पानी हस्ब ज़रूरत बरसात शुरू होने तक देते रहना चाहिये. बरसात में जब घास, दूब वग़ैरह उगे तो इसकी निंदाई करदीजावे, बाद बरसात के दिवाली पर माह नवम्बर में पानी दिया जावे. इसमें कसर न होनी चाहिये. जनवरी के महीने में फुट फुट भर उंचाई छोड़के उनकी क़लम करदेनी चाहिये. इस अर्से में पानी देते रहना ज़रूरी है. इसके साथ साथ गुदाई करना भी ज़रूरी है. जबतक फ़ूल और कली रहती हैं तबतक पानी देते रहना चाहिये.

अव्वल साल में एक बीघे ज़मीन में फ़ूल सिर्फ़ एक लाख से सवा लाख तक तैयार होवेंगे.

फ़ूल की फ़सल निकलजाने के बाद पानी देना ज़रूरी नहीं है, बरसात शुरू होने के बाद पेड़ अपने आप सरसब्ज़ हो जांयगे. जब माघ का महीना आवे तो उसकी क़लम डेढ़ डेढ़ फुट उंचाई से की जावे, और बाद देने पानी और सूखने ज़मीन उसकी गुदाई अच्छी तरह की जावे, और पानी दिया जाता रहे. दरख़्त की जड़ों में एक एक मुट्ठी खाद देने से बहुत फ़ायदा होगा.

जबतक कलियें और फ़ूल आते रहें तबतक पानी देते रहना चाहिये. जब इनका आना बन्द होजाय तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है. इसी तरह हर मौसम में क़लम करना और पानी देना चाहिये.

गुलाब के दरख़्त के पत्तों को जानवर नहीं खाते, लेकिन फ़ूलों के आजाने पर उनकी एहतियात चाहिये.

लोगों की राय है कि गुलाब के फूलों की क़ीमत अगर वे अच्छी तरह तैयार किये जायें तो डेढ़सौ रुपये या दोसौ रुपये फी बीघा होगी.

यह समझ लेना चाहिये कि क़न्नौज व दीगर जगहों में अगर लोगों को फ़ायदा न होता, तो इसकी काश्त न करते, लेकिन जब फ़ायदा होता है तब ही काश्त गुलाब कीजाती है. गो मुमकिन है कि सबको पड़त एकसां न पड़े, ताहम उनमें से बहुत से फूलों को बेच सकते हैं, और बाज़ बाज़ उनमें से गुलाब का पानी बना के बेंच सकते हैं, बाज़ इत्र वग़ैरह बनाके. बग़ैर उद्योग किये लक्ष्मी नहीं आती.

मोगरे (बेला) की काश्त.

मोगरे की काश्त के लिये खेत गर्मियों में और बरसात शुरू होजाने पर जोतकर साफ़ करदेने चाहियें. जब ज़मीन इस तरह तैयार होजाय तो ढाई ढाई फुट के फ़ासले पर गड्ढे बना के उनमें पांच पांच क़लमों को मय पेड़ी और जड़ों के लगाना चाहिये. इसके बाद गड्ढों में मिट्टी डालके उनको अच्छी तरह दबा देना चाहिये.

इन क़लमों को बरसाती पानी मिलता रहना चाहिये. अगर बरसात कम हो तो उनमें पानी देते रहना चाहिये, यह हालत माह मार्च व अप्रैल तक रहेगी, वैसाख के महीने में फूल तैयार होने लगेंगे. जबतक बरसात शुरू न हो तबतक पानी हस्ब ज़रूरत बराबर देना चाहिये. बरसात के ख़त्म होने पर एक दफ़े गुदाई करके छोड़ दिया जाय. इसी तरह जनवरी के महीने में पानी देकर गुदाई होनी चाहिये. जब कलियें आने लगें तो पानी जल्दी २ देता रहे. दूसरे साल भी चैत, वैसाख में उनको पानी मिलना चाहिये मोगरे के पेड़ों को मिस्ल और पेड़ों के खाद का देना ज़रूरी है और यह देखने में आया है कि फ़ी बीघे १००० क़लम दरकार होती हैं.

उज्जैन के लोगों की जहां का मोगरा इस मुल्क में मशहूर है यह राय है कि अगर इसकी काश्त में अच्छी कामयाबी हो तो मेहनती काश्तकार बाद गुज़रजाने एक साल के क़रीब २०० दोसौ रुपया फ़ी बीघा पैदा करसकता है.

नोट: इन काश्तों के मुताल्लिक एक बात जो जरूर याद रखने लायक है वह यह है कि गुलाब, मोगरा या जूही वगैरह की काश्त करनेवालों को चाहिये कि वे इत्र वगैरह के बनाने का कारखाना या तो आप रखें, या किसी ऐसे कारखानेवाले के साथ ऐसा मुआहिदा रखें कि मुताबिक जिसके उनके फूलों की निकासी उनके तोड़ने के बाद फौरन ही होती रहे, नहीं तो फूलों की निकासी जल्द न हो जाने से काश्तकारों के नाउम्मेद होने का एहतमाल रहेगा.

बाब ३७.

ज़मींदारी दफ़्तर और गांव का हिसाब.

बाब सैंतीसवां.

ज़मींदारी दफ़्तर और गांव का हिसाब.

ज़मींदारी दफ़्तर के बाबत ज़िक्र बाब १ में किया गया है. उसी सिलसिले में गांव का हिसाब और दीगर चंद कागज़ों के नमूने यहांपर दिये जाते हैं:—

(१) खसरा.

(२) खतौनी.

(३) वसूलबाक़ी.

(४) स्याहा आमदनी आसामीवार.

(५) रसीद कट्टा बही.

(६) दाखला खज़ाना ज़मींदारी.

(७) पट्टा बही.

(८) क़बूलियत बही.

(९) किताब याद्दाश्त बाबत मुआहिदा व वक़्त पट्टा.

(१०) खेवट.

(११) गोशवारा गांववार.

(१२) रजिस्टर मर्दुमशुमारी.

(१३) रजिस्टर मवेशियान.

नोटः—नमूना नम्बर १० खेवट का वही है जो सरकार में जारी है. दीगर नमूने ज़मींदार की आम ज़रूरियात के लिहाज़ से सलाहन तजवीज़ किये गये हैं.

इन कागज़ात के रखने से ज़मींदार को अपना घर पूरा पूरा दिखाई देगा, और हस्ब ज़ैल फ़ायदे होंगेः—

(१) हर एक आसामी के साथ जो उसके मुआहदे हों और उसकी तरफ़ मतालबा और लेन देन हो उसको पूरा पूरा हाल मालूम होता रहेगा. न आसामी को उससे इनकार होसकेगा, न कभी ज़मींदार को धोखा होसकता है.

(२) इन कागज़ात के रखने से ज़मींदार व काश्तकार के बीच में हिसाब फ़हमी के झगड़ों का पैदा होना ग़ैरमुमकिन हो जायगा; और अगर ज़रूरत पेश भी आई तो दावे करने में किसी क़िस्म की दिक़्क़त न रहेगी.

(३) इन कागज़ात के रखने से हर ज़मींदार को हर वक़्त मालूम होता रहेगा कि अपना लेन देन कुल आसामियों से व सरकार के साथ क्या है.

(४) उसको अपने गांव के चपा चपा ज़मीन से वक़्फ़ियत होगी और मालूम होता रहेगा कि उसे आमदनी बढ़ाने के कितने और कौन कौन ज़र्ये गांव में हासिल हैं, वह उनसे कितना फ़ायदा उठा सकता है, और किस सबब से वह अपना नुक़सान कर रहा है.

(५) उसका अपने गांव की मर्दुमशुमारी व काश्तकारान का चाल चलन व हैसियत माली का हाल सहीह तौर पर हरवक़्त मालूम होता रहेगा.

उसको ज़ाहिर होता रहेगा कि गांव में कितने दरख़्त किस क़िस्म के और किस मालियत के मौजूद हैं और उसके गांव में मवेशियान किस क़दर हैं और उनसे बवक़्त ज़रूरत क्या फ़ायदा उठाया जासकता है.

(६) ज़मींदार को समझना चाहिये कि हिसाब किताब और मुआहिदों के दाखले रखने में और उसके सहीह इन्दराज कराने में हर तरह फ़ायदा है, इख़फ़ा करने में और ग़लत इन्दराज करने में किसी को फ़ायदा नहीं होता. वह शख़्स जो नाजायज़ ज़र्ये से जितना मुनाफ़ा हासिल करता होगा वह उससे दुगना नुक़्सान उठाता है.

(७) जब ज़मींदार के काग़ज़ात सहीह होते हैं और व्योहार सच्चा होता है तो सरकार उसपर ऐतबार करती है और काश्तकारान भी उसपर ऐतबार करते हैं और उसकी सरकारी तहसील में और गांवों में भी बड़ी पत और इज़्ज़त होती है.

(८) काश्तकार को पट्टा देने और लगान की रसीद देने के बारे में अलहदा ज़िक्र बाब १४ व १६ में होचुका है. इनका काश्तकारों को देना आबादी के बढ़ाने के लिये और काश्तकार के इतमीनान के लिये मुक़द्दम है, वही सारी तरक़्क़ी की जड़ है. अव्वल तो आसामी को बारबार बदलना बड़ी ग़लती है. अगर किसी ख़ास वजह से बदलना ही पड़े तो उसको ऐसे ज़रियों से बेदख़ल करना चाहिये कि जो जायज़ और वाजिब हों, ताकि और काश्तकारों को मौक़ा बे भरोसा ज़मींदार पर करने का न मिले. याद रहे कि यह बड़े महत्व की बात है कि दुनिया के सारे काम भरोसे पर चलते हैं. बेदख़ली जब कभी करानी हो तो बाज़ाब्ते तौर पर करानी चाहिये. ताकि किसी को ज़मींदार की तरफ़ से यह ख़्याल न हो कि यह काम उसने ग़ैरवाजबी किया.

(९) जबकि ज़मींदार का कारोबार वसीअ हो तो उसको चाहिये कि हस्ब ज़रूरत कारिंदे मुक़र्रर करके कारिंदे के पास दफ़्तर व हिसाब रखावे, और आप ख़ुद या अपने निज

के मौतबिर शख़्स को भेजकर उसकी निगरानी व जांच परताल किस्त पर और वक़्तन् फ़वक़्तन् कराता रहे.

ब हालत कारिन्दा रखने के उसको (जमींदार को) हिदायत हस्ब ज़ैल करनी उसके हक़्क़ में मुफ़ीद होगी:—

(क) कारिंदा के लिये,

(१) नक़्शा क़िस्तवार से साल में दो दफ़े नंबरान को देखे, अगर मौक़ा ठीक न मिले तो नाम खेत से सिहत करे.

(२) गश्त के वक़्त पटवारी के साथ रहना चाहिये.

(३) इन्द्राज जदीद बहुत सिहत के साथ पटवारी को कराना चाहिये.

(४) गांव के मुखिया काश्तकार से और सब गांववालों से मेल रखना चाहिये.

(५) मिनजुमला गांव के काश्तकारों के किसी एक बाइतमीनान काश्तकार को गांव में मुखिया बना रखना चाहिये.

(६) इख़फ़ा लगान न रखना चाहिये, क्योंकि काश्तकारान की ख़ुशामद से या जबरन दबाव नाजायज़ से बाक़ी फ़र्ज़ी और जमा फ़र्ज़ी तस्दीक़ करानी पड़ती है. इससे गांव में सूरत फ़साद रहती है और जान को झगड़ों में फंसजाने का ख़तरा रहता है.

(७) बेगुनाह काश्तकारों को हर आफ़त आस्मानी व सुलतानी से बचाने का फ़र्ज़ समझकर हर वक़्त उनका ख़्याल रक्खे और उनके सामने हिमायत और पैरोकारी करे. असली मुलाजिम का जो काश्तकारों की चोरी का पेशा रखता है या डाकुओं से मेल रखता है या उनके शरीक होता है या औरतों को भगाकर बेचने का पेशा रखता है, अगर किसी से मेल है तो अफ़सर बाला से मिलकर उसको सज़ायाब करावे ताकि एक आदमी सारे गांव को नुक़्सान न पहुंचा सके.

(८) अगर कोई काश्तकार हक़ीक़त में मतालबे के देने से मजबूर है तो आबरूरेज़ी या सख़्त तक़ाज़ा न करे, और अगर उसने जायज़ ज़रूरत में रुपया ज़मींदार का सर्फ़ करलिया है तो उसकी इल्तवा करके सिर्फ़ वाजिब सूद ले.

(९) अगर कोई तमुर्रदाना रुपया देने में काहिली करता है तो पहली तारीख़ अदायगी को नालिश करदेना चाहिये, या ऐसा ज़ाब्ता बरते या भलेमानसों के सामने उसको ऐसा शरमिंदा करे कि वह शरारत व नादेहन्दी छोड़ दे.

(१०) अगर कोई काश्तकार असल अदा करसकता है और सूद देने से बरबाद हुआ जाता है तो सूद छोड़ देना चाहिये.

(११) बमूजिब वाजिबुल अर्ज़ रसूमात व हक़ूक़ दस्तूर क़दीमी ज़मींदारी बरवक़्त वसूल करने चाहिये.

(१२) काश्तकारी के मामले में शरीक हाल काश्तकार रहे, यानी उसको तरक़्क़ी काश्त का ज़र्या बतलावे, व जिस वजह से काश्त करने या काश्त बढ़ाने में हर्ज होता हो उसे दफ़ा करके उस काम में मदद करे.

(ख) जांच कुनन्दा के लिये,

(१) जांच कुनन्दा को चाहिये कि हल्के में पहुंचकर पेश्तर रोकड़ जांचे.

(२) बक़ाया का मुक़ाबला आसामीवार करे.

(३) जांच रसीद (बक़ाया) करे.

(४) जांच सिवाय रक़म जंगल, मकान लावारिस और शय ज़मींदार हक़ूक़ व रसूम देही वग़ैरह करे.

(५) तर्ज़ अमल कारिन्दा व रिआया दर्याफ़्त करे.

(६) हालत काश्तकारान (चाल चलन व हैसियत) की जांच करे.

(७) जिराअत व जमा बढ़ाने के जर्यों को सोचे और जांचे.

नोटः—ऊपर लिखी हुई जांच कागज़ात से व गश्त से दोनों तरह करनी चाहिये.

(ग) हिदायत हेड ऑफ़िसर यानी निज के आदमी के लिये,

(१) हेड ऑफ़िसर को चाहिये कि जो झगड़ा कारिंदा व गांव के मुखिया के दरमियान में पैदा हुआ हो उसका आदिलाना बग़ैर रू रिआयत किसी फ़रीक़ के फ़ैसला करके झगड़े को बढ़ने न दे. अगर मुखिया किसी गुमराही से मामले से बाहर हो तो पहले से दूसरा मुखिया निगाह में रखना चाहिये, ताकि फ़ौरन उससे काम लेने लगे. अगर कारिन्दे में कोई नुक़्स है तो फ़ौरन तबादला या मौक़ूफ़ी को अमल में लावे अगर गांव में कोई खरखशा या झगड़े की सूरत पैदा हो गई हो तो तरह देकर जब उनके जोश वग़ैरह कम हों इन्सदाद का ख़्याल रखे. गरज़ जहांतक होसके मुक़दमेबाज़ी की नौबत न आने दे.

(२) गांव में ऐसा खास असर रक्खे जिससे गांव के पोशीदा हालात बग़ैर कारिन्दे व मुखिया के जानने के उसे मालूम होते रहें, और गांव के आदमी उसको ईमानदार सरपंच जानें और बदरोबी कारिन्दे की न होने दें, लेकिन तरफ़-दारी काश्तकारों की मालूम होती रहे.

(३) तीन साल में चौथियाई गांव की जांच ज़रूर करले, खासकर उन नम्बरों की कि जिनमें बनने बिगड़ने का मौक़ा है.

(४) जिस बक़ाया की वसूल कुनन्दा मजबूरी ज़ाहिर करे उसके वसूल करने की तदबीर और जिम्मेदारी अपनी समझे, और अगर किसी सूरत से वसूल होने की उम्मेद न हो और तमादी आरिज़ हो, मगर आयन्दा वसूल होने की सूरत हो तो बक़ाया की नालिश न करे बल्कि दस्तावेज़ लिखा ले.

गांव की सब तरह से देखभाल और कारिन्दा के कागजों की जांच जहांतक बनसके जमींदार को खुद ही करनी चाहिये. काम बहुत हो या लाचारी से न करसकता हो तो उसी हालत में हेड ऑफिसर मुकर्रर करना चाहिये, लेकिन हेड ऑफिसर अपने पूरे इतमीनान व ऐतबार का मुकर्रर करे और फिर भी सब काम उसीके भरोसे न छोड़ देवे.

नंबर १.

ख़सरा मौज़ा तहसील ज़िला

नाम थोक या पट्टी नाम मालिक बाबत सम्वत

नम्बर मय नाम खेत.	रक़बा बीघा.	नम्बर खतौनी जमाबन्दी.	नाम असली काश्तकार बक़ैद वल्दियत, क़ौमियत व सकूनत व नौइयत व मुद्दत काश्त.	लगान काश्तकार असली.	शरह लगान काश्तकार असली.	नाम शिकमी काश्तकार बक़ैद वल्दियत, क़ौमियत, सकूनत.	लगान काश्तकार शिकमी मय शरह.	वसायल आबपाशी.	रक़बा. आबपाशी.	रक़बा. ग़ैर आबपाशी.	नाम दरख़्त मय तादाद.	क़ीमत दरख़्त तख़मीनी.	दरख़्त किस क़ाबिल है.	कैफियत.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

समझोत खानापुरी नमूना नं. १.

खाना नं. ४—मुद्दत काश्त में अगर काश्तकार मौरूसी होगया होगा तो लफ़्ज़ मौरूसी का फ़क़त लिखा जावेगा, वर्ना जितने साल से काश्त करता होगा उनकी तादाद लिखी जावेगी.

खाना नं. १२—दरख़्त क़द्दे आदम के बराबर व काम के लायक़ जब होजाता है तब शुमार किया जाता है.

ईंधन के दरख़्त बिला तशरीह ईंधन के नाम से लिखे जाते हैं.

खाना नं. १३—क़ीमत में आठ या चार आने का फ़र्क़ होता है तो मौजूदा इंदराज में दुरुस्ती नहीं कीजाती.

नोट:—आलात काश्तकारी के लिये लकड़ी मुफ़्त लेने का काश्तकार को हक़ है. दीगर मसारिफ़ मकान या सामान बनाने के लिये दरकार हो तो ज़मींदार से पूछना चाहिये. ज़मींदार कुछ हिस्सा उस दरख़्त का लेकर बाक़ी आसामी को देता है. इसी तरह जब ज़मींदार को ज़रूरत होती है तो वह दरख़्त को कटवाकर ½ या मुनासिब हिस्सा काश्तकार को देता है.

खाना नं. १५—असली काश्तकार के लगान में जिसक़दर कमी या बेशी जिसवक़्त हो उसका हाल खाने कैफ़ियत में लिखना चाहिये.

नम्बर २.

खतौनी मौज़ा परगना ज़िला सम्वत

नम्बर शुमार.	तफ़सील पट्टा.								मतालबा.		वसूल.				बाक़ी.		कैफ़ियत.
	नाम काश्तकार मय वल्दियत, क़ामियत, सकूनत.	नाम खेत.	नम्बर खेत.	रक़बा पुख़्ता.	लगान साल तमाम.	ज़ायद मुतालिबा.	मीज़ान.	मुद्दत काश्त.	नाम क़िस्त व सम्वत.	तादाद रुपया.	तारीख़ वसूल.	नाम वसूल पानेवाले का.	तादाद रुपया.	नाम क़िस्त व सम्वत.	नाम क़िस्त व सम्वत.	तादाद रुपया.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८

समझौत, खानापुरी नमूना नंबर २.

खतौनी में हर एक नम्बर लगानी व बिला लगानी ग़ैर काश्त व बिला काश्त लिखा जाता है. अख़ीर में गोशवारा दिया जाता है, जिसमें कुल रक़बा लगानी, माफ़ी, बाग़ात, गोचर, क़दीम, बंजर ग़ैर तालाब, आबादी, रास्ता, नहर, सड़क रेलवे व ग़ैरमुमकिन ऊसर वग़ैरह वग़ैरह दिया जाता है.

खाना नम्बर ७, ज़ायद मतालबा में बाद होजाने पट्टा जो लगान बढ़ाया जावे तो उसकी रक़म इसमें लिखी जाती है. इसके लिये पट्टा नहीं बदला जाता. अगर बेदख़ली ही कराने की ज़रूरत आजावे तो बाक़ायदा नोटिस या दरख़्वास्त देकर करानी चाहिये.

खाना नम्बर १० में, अव्वल साल हाल की क़िस्तें लिखी जाकर बाद में पिछले सालों की क़िस्तों में से अगर बक़ाया हो तो उसकी रक़में लिखी जाती हैं, तीन साल से पेश्तर का मतालबा ख़ारिज करादिया जाता है.

नम्बर ३.

वसूल बाकी माल मौज़ा परगना जिला सम्वत

नम्बर शुमार.	नाम आसामी.	मतालबा.					वसूल.					बाक़ी.					फसल अव्वल साल आयंदा १९१	जमला मतालबा.	कैफ़ियत.
			बक़ाया सालवार.					बक़ाया.											
		साल हाल.	सम्वत.	सम्वत.	सम्वत.	मीज़ान.	साल हाल.	सम्वत.	सम्वत.	सम्वत.	मीज़ान.	साल हाल.	सम्वत.	सम्वत.	सम्वत.	मीज़ान.			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०

समझौत खानापुरी, नमूना नं. ३.

इसका इन्दराज अगर्चे खतौनी और स्याहा से किया जाता है, ताहम इसमें कुल मतालबा (चाहे उसमें कोई रक़म तमादी या नाक़ाबिल वसूल ही क्यों न हो) दिखाया जाता है, लेकिन ज़बानी मुआहिदे की व रसूम की रक़में नहीं लिखी जाती हैं.

यह रजिस्टर हर साल शुरू क़िस्त पर बनाया जाता है साल हाल का पूरा आंख और पिछले सालों का बक़ाया मतालबे में लिखा जाता है, साल हाल में जो वसूल होवे वह वसूल में लिखकर साल अख़ीर पर बक़ाया निकाला जाता है.

जबकि अख़ीर वसूल की तारीख़ ख़तम हो जाती है तो आसामी को बक़ाया से और जो क़िस्त अनक़रीब वारिद होने वाली होती है उसकी रक़म से आगाह किया जाता है इस ग़रज़ से कि उसको क़िस्त पर कितना रुपया अदा करना है मालूम होजावे.

नम्बर ४.

स्याहा आमदनी आसामीवार मौज़ा परगना ज़िला सम्वत

नम्बर शुमार.	नम्बर खाता.	नाम आसामी.	तादाद रुपया जो अदा हुआ हो.								मीज़ान कुल रुपया.	तारीख़ अदायगी.	कैफ़ियत.
			ख़रीफ़ साल हाल.	रब्बी साल हाल.	बक़ाया सं. ख़रीफ़.	बक़ाया सं. रब्बी.	बक़ाया सं. ख़रीफ़.	बक़ाया सं. रब्बी.	बक़ाया सं. ख़रीफ़.	बक़ाया सं. रब्बी.			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
													इसम रसीद नम्बर लिखा जायगा जो आसामी को दीजाती है.

रसीद कट्टा बही.

नम्बर ५.

मौज़ा परगना ज़िला संवत

नंबर रसीद

	मतालबा.			वसूल.		बाक़ी.				
नाम काश्तकार.	मतालबा हाल मय नं. खतौनी.	मतालबा बक़ाया वाजिबुल अदा.	मीज़ान.	नाम सम्वत व क़िस्त.	तादाद रुपया.	नाम सम्वत व क़िस्त.	तादाद रुपया.	तारीख़ वसूल.	नाम वसूल पानेवाले का.	निशान अंगूठा रसीद लेने वाले का.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

दस्तखत वसूल पाने वाले के.

रसीद कट्टा बही.

नम्बर ५.

मौज़ा परगना ज़िला संवत

नंबर रसीद

	मतालबा.			वसूल.		बाक़ी.				
नाम काश्तकार.	मतालबा हाल मय नं. खतौनी.	मतालबा बक़ाया वाजिबुल अदा.	मीज़ान.	नाम सम्वत व क़िस्त.	तादाद रुपया.	नाम सम्वत व क़िस्त.	तादाद रुपया.	तारीख़ वसूल.	नाम वसूल पानेवाले का.	निशान अंगूठा रसीद लेने वाले का.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

दस्तखत वसूल पाने वाले के.

नम्बर ६.

दाख़ला ख़ज़ाना ज़मींदारी मौज़ा परगना ज़िला संवत

नाम हलक़ा.	नाम कारिन्दा जिसने रुपया भेजा.	नाम रुपया लानेवाले का.	तादाद रुपया जो दाख़िल ख़ज़ाना हुआ.	तारीख़ व सम्वत.	दस्तख़त ख़ज़ानची.	दस्तख़त जांच कुनन्दा.
१	२	३	४	५	६	७

पट्टा नम्बर.................. नम्बर ७.

रजिस्टर पट्टा बही.

मौज़ा .... परगना .... ज़िला .... संवत ....

नाम काश्तकार मय वल्दियत, क़ौमियत, सकूनत, जिसके नाम पट्टा तहरीर हुआ.	नंबर खेत जिनके बाबत पट्टा लिखा.	रक़बा.	लगान.	मज़मून पट्टा.	तारीख़ मय संवत तहरीर पट्टा.	दस्तख़त कारिन्दा पट्टा करने वाले के.
१	२	३	४	५	६	७

काश्तकार को दिया जावे.

पट्टा नम्बर.................. नम्बर ७.

रजिस्टर पट्टा बही.

मौज़ा .... परगना .... ज़िला .... संवत ....

नाम काश्तकार मय वल्दियत, क़ौमियत, सकूनत, जिसके नाम पट्टा तहरीर हुआ.	नंबर खेत जिनके बाबत पट्टा लिखा.	रक़बा.	लगान.	मज़मून पट्टा.	तारीख़ मय संवत तहरीर पट्टा.	दस्तख़त कारिन्दा पट्टा करने वाले के.
१	२	३	४	५	६	७

(पास कारिन्दा के रहे.) नम्बर ८.

रजिस्टर क़बूलियत बही. (क़बूलियत नंबर)

मौज़ा परगना ज़िला सम्वत

नाम जमींदार कि जिसके हक़ में क़बूलियत तहरीर हुई.	नंबर खेत जिनके बाबत क़बूलियत लिखी.	रक़बा.	लगान.	मज़मून क़बूलियत.	तारीख़ मय संवत तहरीर क़बूलियत.	नाम मय वल्दियत, क़ौमियत, सकूनत व दस्तख़त या निशानी अंगूठा क़बूलियत तहरीर करनेवाले के.
१	२	३	४	५	६	७

(सदर को भेजी जावे.) नम्बर ८.

रजिस्टर क़बूलियत बही. (क़बूलियत नंबर)

मौज़ा परगना ज़िला सम्वत

नाम जमींदार कि जिसके हक़ में क़बूलियत तहरीर हुई.	नंबर खेत जिनके बाबत क़बूलियत लिखी.	रक़बा.	लगान.	मज़मून क़बूलियत.	तारीख़ मय संवत तहरीर क़बूलियत.	नाम मय वल्दियत, क़ौमियत, सकूनत व दस्तख़त या निशानी अंगूठा क़बूलियत तहरीर करनेवाले के.
१	२	३	४	५	६	७

समझौत, खानापुरी नमूना नंबर ८.

१. अगर्चे क़बूलियत आसामी से लीजाती है और दफ़्तर में रखी भी जाती है ताहम यह नक़ल पट्टा बही इसलिये रखी जाती है कि किसी की चालाकी से असली पट्टा क़बूलियत में फ़रोगुज़ाश्त या रद्दोबदल किसी क़िस्म की होजावे तो इस बही से उसका पता लग जाय. पट्टे में मियाद की कोई क़ैद नहीं लिखी जाती है यानी कितने साल के लिये पट्टा दिया गया. न हर साल पट्टा किया जाता है, या बदला जाता है, क्योंकि काश्तकार बमूजिब क़ायदा हक़ मौरूसी इस पट्टे के ज़र्ये हासिल करसकता है. बेदख़ली या इस्तीफ़े की कार्रवाई बज़र्ये नोटिस व दरख़्वास्त के बाज़ाब्ता होती है, तब पट्टा बदला जाता है.

नम्बर ९.

किताब याददाश्त बाबत मुआहिदा व वक़्त पट्टा मौज़ा . . . परगना . . . ज़िला . . . संवत

नम्बर शुमार.	नाम काश्तकार मय वल्दियत, क़ौमियत, सकूनत जिससे मुआहिदा हुआ.	नज़राना.		बकाया पिछली जो दूसरे काश्तकार के ज़िम्मे थी और अब खाना नम्बर २ के काश्तकार ने अपने ज़िम्मे ली.	नाम काश्तकार जिसके ज़िम्मे की बकाया काश्तकार मुन्दर्जे खाना नंबर २ ने अपने ज़िम्मे ली.	तफ़्सील रुपया बकाया व नज़राना की जो क़रार पाई.	कैफ़ियत.
		नक़द वसूल.	आइन्दा देने का वायदा.				
१	२	३	४	५	६	७	८

समझौत, खानापुरी नमूना नंबर ९.

१. यह बही अगर्चे कारिन्दे के पास रहती है ताहम कारिन्दा इसको बदल नहीं सकता, क्योंकि इसपर जमींदार के दस्तखत होते हैं. बल्कि जमींदार इसको खुद अपनेही हाथ से लिखता है और काश्तकार मुआहिदा कुनन्दा के भी इसपर दस्तखत होते हैं. इससे काश्तकार अपने मुआहिदे से मुनकिर नहीं होसकता, न जमींदार काश्तकार पर जो चाही बात लाद सकता है.

अगर किसी काश्तकार को बिला पट्टा आराजी काश्त के लिये दीजावे और जबानी मुआहिदा किया जावे तो उसका इंदराज भी इस किताब में किया जाता है.

राजिस्टर खेवट मौज़ा तहसील ज़िला रियासत गवालियर. नं. १०.

नाम थोक या पट्टी या दोनों का बकैद नाम नम्बरदार.	नम्बर सिलसिला खाता.	तादाद हिस्सा आना पाई या बिस्वा बिस्वांसी जहां जैसा रिवाज हो.	रकबा हिस्सा.	मालगुज़ारी हिस्सा.	नाम हिस्सेदारान बकैद वल्दियत व कौमियत व सकूनत मय तादाद हिस्सा मक़बूज़ा जुदागाना हर एक शख्स के	तगय्युर तबद्दुल हिस्सेदारान.						कैफ़ियत.
						इन्दराज जदीद मय वल्दियत व कौमियत व सकूनत हिस्सेदारान.	ता: हुक्म मय नम्बर मिसल.	इन्दराज जदीद मय वल्दियत व कौमियत व सकूनत हिस्सेदारान.	ता: हुक्म मय नम्बर मिसल.	इन्दराज जदीद मय वल्दियत व कौमियत व सकूनत हिस्सेदारान.	ता: हुक्म मय नम्बर मिसल.	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३

नंबर ११.

गोशवारा गांववार मौज़ा परगना ज़िला सम्वत

नम्बर		ख़ाना
१		नम्बर शुमार.
२		कुल नंबर मुन्दर्जे खसरा व खतौनी (असली व टुकड़े.)
३		कुल रकबा मुन्दर्जे खसरा व खतौनी
४		निकासी खाम.
५	मालगुज़ारी साल तमाम.	मालगुज़ारी.
६	मालगुज़ारी साल तमाम.	अबवाब.
७	मालगुज़ारी साल तमाम.	मीज़ान.
८		मुनाफ़ा फ़र्क़ ख़ाना नं. ४ व ७.
९	खर्च.	खर्च गांवटी.
१०	खर्च.	खर्च अदालत.
११	खर्च.	खर्च दरबार.
१२	खर्च.	गैर वसूली.
१३	खर्च.	मुजोता हाल आबपाशी.
१४	खर्च.	मीज़ान.
१५		मुनाफ़ा बाद मिनहाई खर्च.
१६	मुनाफ़ा जो बेशी हो सकता है.	मुनाफ़ा जो अफ़्ती माफ़ी से.
१७	मुनाफ़ा जो बेशी हो सकता है.	मुनाफ़ा जो पड़ती जदीद से हो सकती है.
१८	मुनाफ़ा जो बेशी हो सकता है.	मुनाफ़ा जो दीगर ज़मीं से हो सकती है.
१९	मुनाफ़ा जो बेशी हो सकता है.	मुनाफ़ा जो इज़ाफ़ से हो सकती है.
२०	मुनाफ़ा जो बेशी हो सकता है.	मीज़ान.
२१		कुल मुनाफ़ा दरियाफ़्त.
२२	सही मुनाफ़ा.	मुनाफ़ा हाल बाद मिनहाई खर्च.
२३	सही मुनाफ़ा.	मुनाफ़ा जो आयन्दा बेशी हो सकता है.
२४	सही मुनाफ़ा.	मीज़ान.
२५		दस्तख़त कानिन्दा.
२६		दस्तख़त जांच कुनिन्दा.
२७		दस्तख़त हड ऑफ़िसर.
२८		कैफ़ियत.

समझौत, खानापुरी नमूना नंबर ११.

यह गोशवारा खसरा व खतौनी के आधार से बनता है.

खाना नंबर ४, निकासी खाम से मुराद कुल उत्पन्न जमींदार से है.

खाना नंबर ५, ७ वाजिबुल अदाय सरकारी से मुराद है.

खाना नं. ९—गांवटी खर्च:—

(१) तनख़्वाह कारिन्दा, बलाहर जो दरख़्तों की हिफ़ाज़त करता है, हेड ऑफ़िसर व दफ़्तर ख़र्च व हिसाब परता मौज़ेवार मुनाफ़े पर.

(२) मरम्मत मकान दफ़्तर जमींदारी.

(३) फ़सलाना ख़िदमती व हक़दारान.

(४) ख़र्च दौरा.

(५) नक़ल फ़ीज कायज़ सरकार.

खाना नं. १०—अदालती ख़र्च:—

(१) बेदख़ली, (२) इज़ाफ़ा, (३) तक़र्रुर, (४) जब्ती, (५) बक़ाया, (६) सर्वे, (७) तक़सीम.

खाना नं. ११—जो रक़म रसद वग़ैरह या दीगर सरकारी कामों में सर्फ़ हो वह इस खाने में दर्ज करे और उसका बिल मुतअल्लिक़ा महकमे को भेजाजावे.

खाना नंबर १२ में फ़ौती फ़रारी बरबादी तमादी वग़ैरह दाख़िल है.

खाना नं. १८—दीगर जराया बेशी जमा:—

(१) चाही नहर, (२) चाही कुंआ, (३) नौतोड़, (४) तबादला पट्टा, (५) हिफ़ाज़त जानवरान.

नंबर १२.

नक़्शा मर्दुमशुमारी मौज़ा परगना ज़िला संवत

नंबर सिलसिला मकान.	नाम मुखिया मकान.	नाम मुतअल्लक़ीन.	क़ौमियत.	फ़िरक़ा.	उमर.	मर्द या औरत लड़का या लड़की.	पेशा.	अगर पढ़ा हो तो ज़बान.	कैफ़ियत चालचलन व हैसियत.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

नम्बर १३.

नक़्शा मवेशियान मौज़ा परगना ज़िला संवत

नम्बर शुमार.	नाम मालिक मवेशी.	हाथी.	क़िस्म घोड़ा.				क़िस्म गाय बैल.					क़िस्म भैंस.				ऊंट.	छेरी.	भेड़.	गधा व खच्चर.	सुअर.	दूध देने वाली मवेशी.		छकड़ा मय गाड़ी वगैरह.	किसानी गाड़ी बारबरदारी.	कैफ़ियत.
			नर कलाँ.	मादा कलाँ.	नर खुर्द.	मादा खुर्द.	बैल.	बछड़ा दिसावरी.	गाय.	बछड़ा.	बछिया.	भैंस.	भैंसा.	पड़िया.	पड़ा.						गाय.	भैंस.			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६